Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १०] तृतीय विधान सभा के दसवें सत्र, १९६९ का १० वां दिवस | संख्या ८

शनिवार, दिनांक २४ सितम्बर, १९६९।

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.१२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि आज प्रश्नोत्तरकाल नहीं रखा गया है, और सदन की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पहले एक दो माननीय सदस्यों ने स्थगन–प्रस्तावों की सूचना दी है उस सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। इसलिए श्री श्रवणलाल अपने प्रस्ताव के विषय में जो कहना चाहें कह सकते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : शिक्षामंत्री जी तो हैं नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप कह दें। उनसे जवाब बाद में दिलवा देंगे।

जिला सवाई माधोपुर में इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन–सु.) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जिला सवाई माधोपुर के इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के अन्दर जो धांधलेबाजी चल रही है और रिजर्वेशन शेड्यूल्डकास्ट के नाम से नियुक्तियों के लिए जो राज्य सरकार के आदेश हैं साढ़े बारह पर्सेन्ट के कि नई नियुक्तियां उसको ध्यान में रख कर की जायं उसकी उन्होंने अवहेलना की है, इस बारे में स्थगन-प्रस्ताव दिया है। इस प्रश्न को मैंने एक बार नहीं कई बार इस विधान सभा के अन्दर, विधान सभा के समक्ष मंत्री महोदय के सामने रखा है। क्वेश्चन्स के द्वारा भी मैंने पहले इस प्रश्न को उपस्थित किया था। उसमें उन्होंने इस बात के लिए पहले भी उस क्वेश्चन के अनुसार यह स्वीकार किया था कि जो नियुक्तियां हुई हैं वहां पर उनमें नहीं के बराबर शेड्यूल्ड कास्ट के अध्यापकों की नियुक्तियां की हैं। यदि दो साल का रेकार्ड देखा जाय तो यह साबित करता है कि जिस प्रकार की हमें राज्य सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जाती हैं उन सुविधाओं को वे अमल में नहीं लाते हैं। उनके आदेशों की अवहेलना करते हैं तो ये आदेश ढोंग मात्र रह जाते हैं। सवाल इस बात का है कि उन अध्यापकों की नियुक्ति के लिए एक बार नहीं उन्होंने कई बार लिस्टें आउट की हैं और उनके इन्टरव्यूज लिये गये हैं, लेकिन उन इन्टरव्यूज के द्वारा आज तक भी उन्होंने किसी भी प्रकार से उस कोटे की पूर्ति नहीं की। मैं राज्य सरकार से यह प्रार्थना करता हूं कि आपके

(श्री श्रवणलाल)

ग्रपने ग्रादेश इस प्रकार के हैं तो क्या कारण है कि ग्राज वहां पर उन ग्रध्यापकों का जो कोटा रिजर्व है उसके ग्रनुसार नहीं लिया जाता है ?

मैं एक बार इन्सपेक्टर के यहां जाकर मिला था ग्रौर मैंने इस बात के लिए उनसे ग्राग्रह किया था कि जो कोटा रिजर्व है उसकी पूर्ति करें। हम कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं कहते हैं। हम तो यह कहना चाहते हैं कि हमारा जो रिजर्वेशन है उसके ग्रनुसार इतने ग्रध्यापक शेड्यूल्ड कास्ट्स के होते हुए भी उनको नहीं लिया गया। ग्रगर ग्राप इस तरह से नहीं करेंगे तो जो यह साढ़े बारह पर्सेन्ट का रिजर्वेशन किया हुग्रा है वह नाम मात्र का रह जायगा। इसके बावजूद उन्होंने ग्राज तक उन ग्रध्यापकों के जो कि एम० टी० सी० की ट्रेनिंग पास किये हुए हैं–किसी ने ६० में पास की है, किसी ने ६१ में की है, किसी ने ६२ में की है, किसी ने ६३ में किया है तो किसी ने ६४ व ६५ में किया है। वे ग्राज इस महंगाई के समय में उन ग्राफिसेज के चक्कर लगाते फिरते हैं।

ग्रध्यक्ष महोदय, यदि कहीं कहीं किसी का एपोइंटमेंट किया जाता है तो एक साल के ग्रन्दर १० महीने का किया जाता है जिसके कारण उनको १० महीने का पीरियड समाप्त होने के बाद उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया जाता है, जब कि वहां पर एक-एक साथ २०० व्यक्तियों की नियुक्तियां की जाती हैं। उनमें किसी में नाम मात्र के लिए एक साल का एपाइंटमेंट होता है। इस प्रकार से यहां दो साल से इस प्रकार की धांधलियां चल रही हैं कि दो साल से किसी भी शेड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति का किसी भी पोस्ट के ग्रन्दर एपाइंटमेंट नहीं किया है।

इसके ग्रलावा, मैं ग्रापके द्वारा मंत्री जी जो यहां पर उपस्थित नहीं हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जिस प्रकार से ग्रापने यह कोटा रिजर्व किया है इस प्रकार से नियुक्तियां की जायं, लेकिन वहां पर नई नियुक्तियों में जैसा कि मैंने पहले एक बार भी कहा था कि ग्रनट्रेन्ड ग्रध्यापकों की नियुक्तियां की गई हैं जब कि वहां पर ट्रेन्ड ग्रध्यापक काफी ग्रधिक संख्या में बैठे हुए हैं। जिन्होंने ट्रेनिंग पास नहीं की है ग्रौर जिन्होंने हाई स्कूल या हायर सैकण्डरी पास करके ग्रप्लाई किया है उनको नियुक्तियां दे दी गई हैं।

इसी के साथ-साथ यह भी है, वहां पर जो इन्टरव्यूज लिए जाते हैं तो इन्टरव्यूज लेने के बाद लिस्ट एक साथ ग्राउट करनी चाहिये लेकिन वे नहीं करते हैं ग्रौर एक एक व्यक्ति को इस प्रकार से ग्रमुक ग्रमुक ग्रादमी के द्वारा बुलाकर किसी को ग्राज निकालते है, किसी की दो दिन के बाद, किसी की चार दिन के बाद ग्रौर किसी की एक हफ्ते के बाद ग्रौर किसी की १५ दिन या महीने के बाद। इस कारण से जनता में यह भ्रम फैल गया है ग्रौर पत्रकारों ने इस बात के लिए लिखा है, यह इन्सपेक्टर ग्राफ स्कूल्स इतनी धांधली कर रहा है एपाइंटमेंट के ग्रन्दर कि एक-एक नियुक्ति के ग्रन्दर दो-दो सौ रुपये लेता है। प्रत्येक की ट्रान्सफर या ग्रपोइन्टमेंट के लिये वह २००) लेता है। मैं खुद इसका ग्रनुभव कर चुका हूं, बहुतसे लोग मुझ से मिले हैं, बहुतसों

(श्री श्रवणलाल)

ने मुझसे इस बारे में कहा है इस प्रकार की घटना आये दिन होती रहती है। जब तक २००) रु० या २५०) रु० नहीं देंगे तब तक अपोइन्टमेंट नहीं होगा। यदि आपने २००) रु० दे दिये हैं तो १० महीनों के लिये अपोइन्टमेंट होगा। यदि ६००) रु० एक साथ देंगे तो नियुक्ति परमानेन्ट हो जायगी। इस प्रकार की धांधली आज दो साल से वहां पर चलती आ रही है। जो अध्यापक एस. टी. सी. की ट्रेनिंग पास कर चुके हैं उनको नहीं लेते हैं जब कि अनट्रेन्ड अध्यापिका को अपने पास की स्कूल में रख लेते हैं। आज भी इस प्रकार के केस मेरी जानकारी में है कि जो किसी प्रकार भी राज्य सरकार को सेवा नहीं कर सकती, जिसकी आयु १५ साल की है उसको अपोइन्ट किया, अपोइन्ट करके उस अध्यापिका को पास के शहर करौली की स्कूल में लगा रखा है जब कि ट्रेन्ड अध्यापक इधर उधर घूमते हैं और चक्कर लगाते हैं उसके उपरान्त भी अनट्रेन्ड को लगाकर जो लोग ट्रेनिंग पास कर चुके हैं उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं।

इसके साथ साथ मैं एक मिसाल और देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह नियम है कि शिड्यूल्ड कास्ट के विद्यार्थियों से हाफ फीस ली जाती है। वह शिड्यूल्ड कास्ट का होने का सर्टिफिकेट पेश कर देता है तो उससे आधी फीस जमा करवाते हैं लेकिन इस बात के लिये भी वहां के इन्सपेक्टर ग्रोफ स्कूल के वहां जो धांधली चल रही है उसका एक उदाहरण मैं मिसाल के तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक विद्यार्थी को गुड़ाचन्द्रसिंह की स्कूल में भर्ती किया गया था। भर्ती हुआ उस समय उसके पिता को इस बात के लिए मजबूर किया गया कि भर्ती तब किया जायगा जब १०) एक मंडल था या क्या था उसके नाम से दिये जायेंगे। उस विद्यार्थी ने स्कूल की फीस जमा करादी और १०) रु० भी दे दिये। इसके अलावा २ दिन की मजदूरी करने का भी उसने कहा था। उसने २ दिन मजदूरी भी की लेकिन मजदूरी का उसको एक नया पैसा भी नहीं दिया। इतना होते हुए भी जब यह मसला सरपंच या अन्य लोगों के हाथ में पड़ गया तो उनसे कहा गया कि ऐसा क्यों करते हो रिश्वत के तौर पर लेना यह शोभा नहीं देता। गांव में अगर यह अफवाह फैल गई तो आप बदनाम होवोगे। इस बात को लेकर उस लड़के का नाम रजिस्टर से काट दिया। इस प्रकार अध्यक्ष महोदय, वे पैसा लेते है, फ्री काम करवाते हैं, उसके बावजूद भी नाम रजिस्टर पे काट दिया जाता है और वह भी छुट्टी के दिन काटा जाता है। रविवार की छुट्टी थी उस दिन उस लड़के का नाम काट दिया। उसके बाद गांव वालों ने उस बात के लिए कहा कि इस लड़के का एक साल खराब हो जायगा नाम क्यों काट रहे हो, जगह जगह लिखा पढ़ी की लेकिन नतीजा यह हो रहा है कि आज तक लड़के का नाम स्कूल में नहीं लिखा जा रहा है।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यापकों में वहां पर इस प्रकार का आतंक फैल गया है कि कोई भी अपने काम के लिए जाते है तो उनको सेटिस्फेक्ट्री जवाब नहीं मिलता है। ग्रेज्युएट जिनको प्रमोशन मिलना चाहिये था उनको

(श्री श्रवणलाल)

प्रमोशन नहीं मिलता है और जिनको नहीं मिलना चाहिये उनको पहले मिल जाता है। आपके यहां भी लिखित रूप में इस प्रकार की चीज आई होगी।

शिड्यूल कास्ट के एक व्यक्ति को टेम्परेरी तौर पर लगाया गया और वह अपने काम पर बादस्तूर चलता आ रहा था लेकिन उसको यह लिखकर नहीं दिया कि उसकी नियुक्ति कितने समय के लिए थी। लिखित रूप में इस प्रकार का आदेश नहीं दिया कि आपकी नियुक्ति अमुक तारीख तक है। उनसे वे काम लेते रहे और उसको विश्वास दिलाते रहे कि उच्च अधिकारियों से लिखा पढ़ी कर रहे हैं आपको पर्मानेन्ट जगह पर अपोइन्ट किया जायगा। इसके साथ ही जब उसके ओवर ऐज का सवाल आ जाता है...

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

अध्यक्ष महोदय, मसला बड़ा गंभीर है। वह ओवर एज नहीं होता तो दूसरी जगह जाकर काम कर सकता था लेकिन उससे वह वंचित हो गया और अन्य जगह राज्य सेवा में काम नहीं कर सकता। उस व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया गया कि यह व्यक्ति इन्स-पैक्टर को मारना चाहता है और छुरा लेकर ओफिस के सामने बैठता है। इस प्रकार धमकी देकर पुलिस में रिपोर्ट करवाते हैं और इस प्रकार उसको दबाया जाता है जिससे कि वह अपनी आवाज बुलन्द नहीं कर सके। उसने इन्सपेक्टर को लिखकर दिया था कि अमुक तारीख तक तय नहीं किया तो इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल के सामने भूख हड़ताल करूंगा। हो सकता है आश्वासन के कारण भूख हड़ताल कुछ दिनों के लिये उसने समाप्त करदी हो। इस प्रकार की घटनाएं आये दिन चलती रहती हैं। क्षेत्र के किसी भी आदमी से मालूम कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां पर आतंक फैला हुआ है और करोली वालों ने लिख कर दिया है जो लूट खसोट मचा रहे हैं अपोइन्टमेंट्स और ट्रान्सफर्स के लिए १००), २००) रु० लेकर काम करेंगे इस प्रकार का आतंक जनता के अन्दर जिले के प्रत्येक नागरिक के मुंह से सुना जाता है। इस प्रकार, इस मोशन के द्वारा, जितनी घटनाएं वहां पर हुई हैं उनका समाधान आपके द्वारा कराने के लिये, ऐसे अधिकारी को न्यायोचित दंड दिलवाने के लिए मैंने सारी बातें रखी हैं। वह यह कहता है कि मैं रिश्वत लेता हूं तो क्या गुनाह करता हूँ मैं भी १०,०००) रुपये देकर बना हूं इस प्रकार की धमकी वह देता है, प्रत्येक नागरिक के मुंह से आप सुन सकते हैं। यह आतंक फैला हुआ है, यह व्यक्ति इस प्रकार भ्रष्टाचार कर रहा हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : आप किस पर बोलेंगे ?

श्री जयनारायण सालोदिया : इस मोशन पर मेरे सिगनेचर्स हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स करौली के सम्बन्ध में जो अभी माननीय सदस्य ने कहा, जो तथ्य उन्होंने सदन के समक्ष रखे उनकी सत्यता की मात्रा शत प्रतिशत है। यह इन्सपैक्टर का हैड

(श्री जयनारायण सालोदिया)

क्वार्टर एक ऐसी जगह स्थित है जहां पर आम लोगों का आसानी से पहुँचना मुश्किल है इस वजह से वह इन्सपेक्टर साहब मोहिनी मोहनजी शर्मा उनका नाम है वे दो साल से वहां पर हैं। रिश्वत के मामले में उनका रेकार्ड चरम सीमा तक पहुँच रहा है। उनके दफ्तर का आम एलान है, खुला चैलेन्ज है, खुला आह्वान है कोई भी आदमी अगर ट्रान्सफर चाहता है तो सौ रुपये दे, अगर नियुक्ति चाहता है तो दो सौ रुपये दे इस तरह, माननीय अध्यक्ष महोदय, दो सौ आदमियों से उन्होंने लार्ज स्केल पर पैसे वसूल किये। जिन लोगों ने उनको पैसे देने से इन्कार किया तो उनका नाम बिना किसी कारण से उस लिस्ट से काट दिया। उनका एकमात्र नियुक्ति करने और ट्रान्सफर करने का मापदण्ड है वह है पैसा। कोई योग्यता के आधार पर या कोई एस० टी० सी० ट्रेन्ड है या बी. एड. हैं इस आधार पर नियुक्तियां या ट्रान्सफर नहीं होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके विरोध स्वरूप इस क्षेत्र के अध्यापकों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किये हैं, राज्य सरकार को लिखित में मेमोरेन्डम दिये हैं, और समय समय पर अखबारों के द्वारा, पोस्टरों के द्वारा या पेपरों के द्वारा जो वहां के अध्यापकों का रजिस्टर्ड संघ है, वह उनकी इस तरह की नीति की आलोचना करता रहा है। मैं कल ही, माननीय अध्यक्ष जी, इस मामले को लेकर माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिला हूं और उनसे मैंने प्रार्थना की हैं कि उनके इस मामले की वह जल्दी से जल्दी जांच करें मुझे उनमें थोड़ा विश्वास होता है, उन्होंने कल ही मुझे आश्वासन दिया है कि मैं शीघ्र ही उन इन्सपेक्टर महोदय का स्थानान्तरण कर दूंगा, एक महीने के अन्दर अन्दर वह वहां नहीं रहेंगे। और जो मामले उनके खिलाफ पुराने हैं और जो इन्क्वायरी करने के लायक हैं मैं उनकी इन्क्वायरी कराऊंगा। उनके इस कथन का स्वागत करता हूँ और उनसे यह प्रार्थना करता हूं कि उन्होंने जो मुझे आश्वासन दिया है उसके अनुरूप ही वह कार्यवाही करेंगे। इसी के साथ साथ उन इन्सपेक्टर महोदय का जो भी रवैया है अनुसूचित जाति के अध्यापकों के प्रति वह भी, जैसा कि माननीय सदस्य मेरे पूर्व वक्ता, ने बताया है, उससे भी ज्यादा घृणित है। ऐसे लोगों से, जो अनुसूचित जाति के या अनुसूचित जन जाति के हैं, और ऐसे अध्यापकों से खुले आम नफरत करते हैं। खुले आम इस तरह की बात अपने दफतर में कहते हैं। उस क्षेत्र में उनके कार्य क्षेत्र में उनके आने के बाद आज दिन तक जितने भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लोगों ने एस० टी० सी० की ट्रेनिग की है या बी० एड० किया है उनमें आज की तारीख तक एक भी आदमी को उन्होंने नियुक्त नहीं किया है जब कि अन्य आदमीयों को अनट्रेण्ड होते हुए भी अच्छी अच्छी पोस्ट पर स्थानीय हाईस्कूल या मिडिल स्कूल में नियुक्त करता रहा है। मैंने जैसा कि पहले निवेदन किया, उनका एक मात्र मापदण्ड, एकमात्र मोटा तरीका कार्य प्रणाली का है, काम करने का है वह यह है कि उनको पैसा मिलना चाहिए। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया, वह खुले आम कहते हैं कि मैं इन्सपेक्टर बना हूँ उसके लिए मैंने बारह हजार रुपये दिये हैं....

Page No. 6

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! इन बातों को दोहराने से कोई मतलब नहीं है। माननीय मंत्री जी ने आपको इसकी जांच कराने का आश्वासन दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर) : असल में तो यही काण्ड है।

श्री अध्यक्ष : यह बात एक तरफ है। इस पर भी यह बहस काबिल नहीं हो सकती।

श्री जयनारायण सालोदिया : कुछ मिनिट में मै आपकी आज्ञा से अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूं।

मैंने पहले भी इस मामले को सदन के बजट सेशन में उठाया था और उस वक्त माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मेरी दो बातों को महसूस किया था। उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी से जल्दी इन इन्सपेक्टर साहब का ट्रान्सफर कर दूंगा। लेकिन आज दिन तक उन्होंने उनका ट्रान्सफर नहीं किया है। खैर, कल मैं यह दो ही बात लेकर उनसे मिला हूँ और उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया है, लेकिन मैं सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष जी, यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो पहले आश्वासन उन्होंने दिया था बजट सेशन में उसको उन्होंने कार्य रूप में परिणत नहीं किया है। इसलिए आज पुनः मुझे निवेदन करने की जरूरत पड़ी। और दूसरी बात यह भी, माननीय अध्यक्षजी, जो इन्सपेक्टर का हैड क्वार्टर है वह करौली में है और उसके नीचे टोंक डिस्ट्रिक्ट और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनका यह दफतर टोंक में आये या सवाई माधोपुर में आये। लेकिन मैं यह जरूर चाहूंगा कि यह दफतर ऐसे सेन्टरल स्थान पर हो जहां लोग आसानी से पहुंच सकें। करौली ऐसी जगह है जहां टोडा और मालपुरा के कई अध्यापक किसी वक्त किसी कार्य के लिए जाना चाहेंगे तो उनको तीन दिन रास्ते में लग जायेंगे और तीन दिन ही वापिस आने में लग जायेंगे तब जाकर वह उनसे मिल सकेंगे। इस तरह एक आदमी का करीब तीस चालिस रुपये का खर्च लगेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि यदि आप एक प्रकार से आइडियल रेजीम में विश्वास रखते हैं कि जनता को आसानी से हर चीज उपलब्ध हो, विभागाध्यक्ष से, हर जिला मुख्यालय में मुख्याधिकारी से मिल सकें इस तरह की आपकी भावना हो तो जैसा वह पहले टोंक में थे उसी तरह इन्सपेक्टर ग्राफ स्कूल का दफ्तर टोंक में रखा जाय। टोंक एक सेन्ट-रल प्लेस होगी। यदि टोंक में रखने में कोई मजबूरी हो तो फिर सवाई माधोपुर में रख लिया जाय जिससे करौली के अध्यापक आसानी से वहां आ सकें, टोंक डिस्ट्रिक्ट के अध्यापक आसानी से वहां आ सकें। सवाई माधोपुर ऐसी जगह है जहां सब तरह के साधन आसानी के साथ मिल सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करके आपके द्वारा, माननीय अध्यक्ष जी, यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इन पर विचारपूर्वक ध्यान दें।

(११.३५ म. पू.)

बहरोड़ तहसील में सेवकराम हरिजन के साथ पुलिस के दुर्व्यवहार संबंधी स्थगन प्रस्ताव

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) :

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव बहरोड़ तहसील के श्री सेवकराम, जो एक हरिजन कार्यकर्त्ता है, के साथ वहां के पुलिस इन्सपेक्टर द्वारा दुर्व्यवहार करने के सम्बन्ध में दिया था। अध्यक्ष महोदय, वह शख्स अलवर जिले में भूमिहीन किसानों की समिति बनी है, उसका अध्यक्ष है। उनके रिश्तेदार की भैंस को वहां के नीमराणा चौकी, जो बहरोड़ में है, पर इस गुवाह में ले आये थे कि वह चोरी की थी। उस भैंस के सम्बन्ध में वास्तविकता उन्होंने यह बतलाई कि वह उनके बहनोई, जो तिजारा तहसील के मांढण गांव के हैं, की थी। उसको उन्होंने एक साल पहले बडौच गाँव, जो किशनगढ़ तहसील में है, में खरीदी थी और वह किशनगढ़ में बडौच गांव में बियाई थी और उसकी पेड़ी वहीं की थी। इस बात की शिनाख्त गांव के लोगों ने की थी। तो उन दोनों को लेकर सेवकराम वहां के थाने में गये। नीमराणा चौकी पर गये और उन्होंने कहा कि यह चोरी की नहीं है, इसकी सबूत ले सकते हैं। लेकिन वहां के थानेदार ने कोई सुनवाई नहीं की। तो फिर मांढण के थाने में गये। वहां के थानेदार ने भी सुनवाई नहीं की। फिर वह बहरोड़ में थाने में सी. आई. के पास आये। उस वक्त सी. आई. जीप में बैठ कर कहीं जा रहे थे। उन्होंने उनको लिखित में दरख्वास्त दी। दरख्वास्त देते ही सी. आई. ने मां-बहिन की गाली, काढ्शि गालियां देना शुरूकर दिया और पुलिस वालों से कहा कि इसको बैठा दो अन्दर। यह कह कर वह चले गये और पुलिस वालों ने उनको दो बजे से शाम के आठ बजे तक हिरासत में रखा। कहीं पर उसको जाने नहीं दिया। वह गरीब वहीं बैठा रहा, न उसे खाना दिया और न और कुछ करने दिया। शाम को आठ बजे सी. आई. आते हैं और उन्हें बुला कर बुरी तरह गालियां देते हैं और कहा कि आयन्दा इन लोगों के साथ आने की हिम्मत की तो इन लोगों के साथ में जेल भेज दूंगा, तुम पर मुकदमा चला दूंगा। उनसे इस तरीके से यह लिखवा लिया कि यह भैंस मेरी नहीं है। यह उन्होंने लिख दिया कि भैंस उनकी नहीं थी, उनके बहनोई की थी और उनके साथ आया था। जब यह लिख दिया कि भैंस मेरी नहीं है और आयन्दा मैं इनके साथ नहीं आऊंगा, यह लिखने के बाद उनको छोड़ा। इस प्रकार का व्यवहार उनके साथ उन्होंने वहां पर किया। इस तरह का आज के पुलिस ऑफिसरों का रवैया है कि कोई भी जनता की तरफ से शिकायत करने जाये तो बजाय उनको राहत देने के, उसको सुनने के उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करें और उल्टे उसको बन्द कर दें। मैं समझता हूँ कि यह न केवल अन्याय की बात है, बल्कि इन्स-पेक्टर साहब ने छः घंटे तक उनको बिल्कुल हिरासत में रखा है, पुलिस की कस्टडी में रखा है, इस प्रकार कान्स्टीट्यूशनल अधिकार का और पर्सनल लिबर्टी का उन्होंने उल्लंघन किया है। अध्यक्ष महोदय, इस बात की शिकायत पुलिस सुपरिटेंडेंट से की है। किन्तु मुझे अभी तक जानकारी नहीं है कि कोई कार्यवाही हुई है या नहीं हुई है। मैंने यह २२ तारीख को एडजोर्नमेंट मोशन दिया था, और माननीय मंत्री को इसकी कापी भी दे दी थी। लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है, इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, जब से यह सत्र शुरू हुआ

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है, पुलिस की तरफ से अन्याय की इस तरह की घटनायें आई है—चाहे वह राजस्थान पत्रिका की रही हो, चाहे मानपुरा के थाने में अध्यापकों के साथ हुई हो, चाहे गोपालसिंह जी प्रधान के साथ हुई हो। और इस प्रकार यह चौथी घटना है जिसके अन्दर एक कार्यकर्ता इस तरह सी. आई. के पास जाता है और उनके साथ में इस तरह की घटना होती है। वह भैंस ब्याने वाली थी। अध्यक्ष महोदय, वह भैंस थाने में खड़ी खड़ी ब्यागई। उनको खतरा हुआ कि अगर इस भैंस को खाने को ठीक नहीं मिलेगा तो इस भैंस की कोई वेल्यू नहीं रहेगी। अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भैंस की उस समय पर खुराक होती है अगर वह उसको नहीं मिले तो वह ८००) की भैंस १००) की भी नहीं रहती है। अध्यक्ष महोदय, आज भैंस की वही स्थिति है। उन्होंने सुपुर्दनामें पर भी उनको भैंस नहीं दी। कहने का मतलब यह है कि चौबेजी छब्बेजी होने गये और रह गये दुब्बेजी। अध्यक्ष महोदय, मैं खुद उस समय अलवर में था और उन्होंने मुझ से सारा किस्सा कहा था। मैंने उनसे कहा कि उनको साथ ले जाओ। वे मुझे साथ ले जाना चाहते थे। मगर मेरे को काम था. इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप इनके साथ चले जाओ और सारी बात रीजनएबली उनको समझा देना। जिनसे आपने भैंस खरीदी है, वह कहने को तैयार है तो ऐसी हालत में वे सुपुर्दनामें पर आपको भैंस दे देंगे। मगर मैं आपसे निवेदन करूं कि उनको भैंस देने की बात तो कहीं दूर रही उनके साथ जो व्यवहार किया है वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज हमारे यहां नौकरशाही का तरीका इस तरह हो गया कि किसी भी सार्वजनिक कार्यकर्ता को चाहे वह विरोधी दल का हो चाहे कांग्रेस का हो, उनको तो वे सहन नहीं हो सकते। वे यह कहते हैं कि तुम इनके साथ क्यों आये हो, आप क्या इनके वकील हो या आप इनके दलाल हो या और कुछ हो। ये खुद हमारे पास आ जाते। जिससे कि वे लोग जो भी अपना तय करना चाहें तय कर सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रजातन्त्र के युग में जनता के प्रतिनिधियों के खिलाफ इस प्रकार का पुलिस का रवैया उचित नहीं है और यह हमारे संविधान की भी अवहेलना करता है। हमारे संविधान के आर्टिकल १४ में जो लिबरट्री दी गई हैं उसकी भी अवहेलना की गई है इसलिये मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि उन सी. आई. के खिलाफ कार्यवाही की जावे और उनको सस्पेन्ड करना चाहिये और उनको सजा दी जानी चाहिये।

(११.४१ म. पू.)

बीकानेर वाटर वर्क्स के मजदूरों की भूख हड़ताल के संबंध में श्री गोकुलप्रसाद शर्मा द्वारा सदन को गुमराह करने पर चर्चा

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आज से तीन दिन पहले आपकी आज्ञा से जो एडजोर्नमेंट मोशन बीकानेर में वाटर वर्क्स के कर्मचारियों की भूखहड़ताल के बारे में प्रस्तुत किया था और आपकी इजाज़त ली थी और उस पर जिस समय मंत्री जवाब दे रहे थे उस समय श्री गोकुलप्रसाद जी ने कहा कि वहां तो भूख-हड़ताल समाप्त हो गई। एक आदमी मेरे पास आ गया है। इस प्रकार से बीच में हस्तक्षेप करके जो मंत्री महोदय सदन को

(श्री मुरलीधर व्यास)

उसके बारे में परिचय कराना चाहते थे उससे महरूम रखा। उन्होंने गलत बात करके सारे सदन को गुमराह किया। उसका नतीजा यह हुआ कि सरकार जो भूखहड़तालियों की स्थिति है उसके बारे में जो बात सदन के सामने रखना चाहती थी उस सिलसिले में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में चाहे कोई भी पक्ष या विपक्ष के लोग हों चाहे राजनैतिक दल से अलग अलग यूनियन्स हों और उनकी अलग अलग ओपीनियन हो सकती है मगर उनकी मैं यहां पर चर्चा नहीं करना चाहता। मैंने उस समय कहा था कि वहां पर एक सेक्रेटरी और प्रेसीडेन्ट भूखहड़ताल पर हैं। उस समय उन्होंने कहा कि एक आदमी मेरे पास उनमें से आ गया है। और १०-१५ आदमी आपकी ही पार्टी के हैं। इस प्रकार कह कर उन्होंने सदन में निर्णय होना था उसको गुमराह किया। अभी मैंने आपके सामने एक तार प्रस्तुत किया है जो मुझे मिला है। उससे स्पष्ट है कि वहां पर वे ही व्यक्ति भूखहड़ताल पर है। इस तरह से सारे सदन को गुमराह किया और इससे सारे सदन की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुँचा और सदन भी गुमराह हुआ है। मैं अपने क्षेत्र की बात माननीय मंत्रीजी के सामने रखता और उसका जवाब माननीय मंत्रीजी देते यह मेरा अधिकार है। मगर उन्होंने उस अधिकार को गलत कार्यवाही करके जो बात मैं अपने अधिकार के जरिये जानना चाहता था उससे वंचित किया है और सदन को भी उन्होंने गुमराह किया है। अतः यह १५७ की तहत प्रिविलेज है जिसको उन्होंने गलत कार्यवाही करके गुमराह किया है। इसलिये इस प्रकार की कार्यवाही का यह रवैया था कि गलत बात कह कर गुमराह किया है इसलिये इस मसले को प्रिविलेज कमेटी के सामने भेज दिया जावे या वे माफी मांगे कि उन्होंने सदन में यह गलत बात कही है। प्रमाण के रूप में यह जो तार मुझे मिला वह आपके पास मौजूद है इससे सदन तो गुमराह हुआ है सो हुआ ही है अगर भूखहड़ताल में कोई दूसरी बात हो जावे तो जिम्मेदारी किसकी होगी? भूखहड़ताल है। उन्होंने कहा कि किन डिमान्डों को लेकर भूखहड़ताल की है। मैं कहूंगा कि उनकी डिमान्ड हैं वे मंत्री महोदय के पास भी थीं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग यहां पर कोई स्थगन प्रस्ताव रखते हैं उसके पीछे कुछ भावना होती है। अगर उसको हर तरह से गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो यह कोई राजनीति नहीं है। मैंने प्रमाण रखा है और सिद्ध किया है। आप इसकी जांच करा सकते हैं। आपके पास तार मौजूद है। अध्यक्ष महोदय, यह सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। मैं निवेदन करूंगा कि समिति जा कर जांच करे तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने ऐसी कार्यवाही क्यों की है। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर योग्य निर्णय देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): अध्यक्ष महोदय, रात को कल दो बजे मुझे टेलिग्राम प्राप्त हुआ जिसमें सूचना थी कि बीकानेर में जो मजदूर भूख हड़ताल पर थे वे पिछले लगातार ५ दिनों से भूख हड़ताल में हैं। जब मैंने और मुरलीधरजी व्यास ने सदन

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

में प्रस्ताव दिया था तो एक माननीय सदस्य ने कहा कि दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जयपुर आ चुका है और उन्होंने बात चीत कर ली है और भूख हड़ताल खोल दी है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक व्यक्ति दो जगह पर नहीं हो सकता। एक ही स्थान पर हो सकता है। या तो यह कि एक भूख हड़ताली बीकानेर में बैठा है या माननीय सदस्य ने कहा कि वह व्यक्ति भूख हड़ताल छोड़कर जयपुर में आ गया है और भूख-हड़ताल तोड़ दी है।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, सम्बन्धित मन्त्री यहां नहीं हैं। अगर वे जयपुर में हों तो उनको बुला लिया जाए। सम्बन्धित मन्त्री यहां पर नहीं है। अन्य मन्त्रीजी से इसका सम्बन्ध नहीं है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि उनको बुलाया जाना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, दूसरा तथ्य यह है कि वे मजदूर जिनके सम्बन्ध में कहते हैं कि नल बिजली कर्मचारी फेडरेशन है उनका मामला है या उनका व्यक्तिगत मामला है। वह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह समूचे नल कर्मचारियों की मांगों को लेकर भूख हड़ताल हुई थी और वह जारी है। इसके लिए माननीय मंत्रीजी ने कहा था कि शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही करेंगे और संतोष दिलावेंगे। उस बात को भी कहे आज तीन दिन हो गए। मगर कुछ नहीं हुआ है। मजदूर अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। इससे साफ है कि अभी तक मन्त्री महोदय ने कोई उनको विश्वास नहीं दिया और अभी तक उनके पास कोई सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं पहुँचा। भूख हड़तालियों से इस सम्बन्ध में अभी तक कोई बात चीत नहीं हुई है। इस मजदूरों के मामले को निपटाने के लिए न तो जल विभाग ने कोई कदम उठाया है न लेबर विभाग ने कोई कदम उठाया है। वहां का वही चार्टर है जिसमें वे अपनी डिमान्डें रखे हुए हैं और जिस बेसिस पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष महोदय, यह मामला ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का खड़ा होता है। क्योंकि माननीय गोकुलप्रसादजी ने सदन को मिस्लीड किया है, सदन को गलत सूचना दी है, जिससे इस प्रश्न में कई प्रश्न उठ खड़े हुए और मजदूरों की मांगों का मामला उतनी गम्भीरता से तय नहीं किया जा सका है जिस गम्भीरता से कि तय किया जाना चाहिए था।

श्रम विभाग के और जल विभाग के मन्त्री इस सम्बन्ध में कुछ कहें और मजदूरों के काम को जल्दी पूरा कराने की कोशिश करें, उनकी कितनी मांगें कहां तक ठीक हैं उस सम्बन्ध में आश्वासन दिया है उसको पूरा करने का कदम उठायें।

श्री अध्यक्ष : अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ घटनाओं के सम्बन्ध में, जिनके विषय में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, विचार रखे। सम्बन्धित मन्त्री महोदय यहां नहीं हैं इसलिए मैं कृषि मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि सम्बन्धित मन्त्री महोदय तक माननीय सदस्यों ने जो बातें रखी हैं, पहुंचा दें और जिस तरह वे स्पष्टीकरण करना चाहें करें।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय मुरलीधर व्यास ने एक बात अन्य कही है कि माननीय सदस्य गोकुल-प्रसादजी ने सदन में जो बातें कही, वे ठीक नहीं थीं, उन्होंने गलत बातें रख कर सदन को गुमराह करने की कोशिश की। इस सम्बन्ध में मैं सम्बन्धित मन्त्री महोदय और माननीय सदस्य गोकुलप्रसादजी से इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने को कहूँगा ताकि स्पष्टीकरण हो सके। तत्पश्चात्, विशेषाधिकार के प्रस्ताव को उठाने का संकेत किया, उसके सम्बन्ध में निर्णय दिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, एक आवश्यक कार्य के बारे में कल मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मन्त्रालय ने १२ अगस्त, १९६६ को घोषणा की थी कि कोई भी राज्य सरकार अपने अपने मेडिकल कॉलेजेज में अगर सीटें बढ़ाना चाहे तो वह प्रत्येक सीट के लिए १५ हजार रुपया सहायता तथा २००० रुपया प्रतिवर्ष अनुदान देगी। हमारे राजस्थान में जो इस वर्ष मेडीकल कॉलेज में प्रवेश के इच्छुक छात्र थे वे १५०० थे उनमें से ६५० को ही प्रवेश मिल पाया। राजस्थान में पहले ही डॉक्टरों की कमी है, गांवों के अस्पतालों में, अन्य अस्पतालों में डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं इसलिए जो डॉक्टर्स रिटायर हो गए हैं उनको जबरदस्ती रखना पड़ रहा है, जिससे वरिष्ठ डॉक्टरों में बड़ा असंतोष है कि उनको उनके पद पर नहीं पहुँचाया जाता। ऐसी स्थिति में मेडिकल कोलेजेज में सीट्स बढ़ाई जानी चाहिए, स्टुडेन्ट्स भी इच्छुक हैं, पर जहां तक मुझे मालूम है मेडिकल डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। आखिरी तारीख ३० सितम्बर है। १ अक्टूबर तक इस तरह की सिफारिश पहुंच जानी चाहिए, जो स्टेट्स अपनी सिफारिशें भेजेंगी उनको कन्सीडर हो जायेंगी और हमारी स्टेट ने सिफारिश नहीं भेजी तो कन्सीडर नहीं होगी। मेरी जानकारी के अनुसार हमारी स्टेट बिलकुल उदासीन है, यह सीरियस सिच्युएशन है। मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट इस सम्बन्ध में स्थिति साफ करे।

(११.५५ म. पू.)

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन के संबंध में सूचना व विशेषाधिकार प्रश्न पर अध्यक्षीय निर्णय।

श्री अध्यक्ष : दो विशेषाधिकार के प्रश्नों के सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को सूचना देना चाहूंगा।

एक तो २६ फरवरी, १९६६ को सदन में जो घटनाएं हुई थीं उनके सम्बन्ध में माननीय सदस्य सतीशचन्द्र अग्रवाल ने एक विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैंने विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम १६२ के अन्तर्गत उपरोक्त सूचनाओं में उल्लिखित प्रश्न विशेषाधिकार समिति को अपनी राय देने के लिए सुपुर्द किया। विशेषाधिकार समिति ने अपना प्रतिवेदन तैयार कर लिया है और उन्होंने जो मत व्यक्त किया है, वह इस प्रकार है:—

अतः एव अन्त में समिति का अभिमत है कि राज्यपाल को, दिनांक २६ फरवरी, ६६ को संविधान के अनुच्छेद १७६ (१) के अधीन

Page No. 12

(श्री अध्यक्ष)

उनके सम्बोधन के समय ऐसे सदस्यों को, जिन्होंने बाधाएं उपस्थित कीं, सदन से निष्कासित करने की शक्तियां एवं अधिकार थे। समिति के सदस्यों का यह भी अभिमत है कि राज्यपाल ने विलंघन करने वाले सदस्यों को निष्कासित करने में न तो माननीय अध्यक्ष की शक्तियों का अनधिकार ग्रहण (यूजर्पशन) किया और न उन्होंने सदन अथवा उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों का हनन किया।"

मैं इस राय से सहमति प्रकट करते हुए जो विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी गई थी उसको अस्वीकार करता हूं।

एक अन्य विशेषाधिकार का प्रश्न और है जिसमें श्री रामप्रसाद लड्ढा ने व माननीय सदस्य श्री फूलचन्द जैन ने सूचना दी है उसका सम्बन्ध राष्ट्रदूत पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ उससे है। यह प्रश्न भी मैंने विशेषाधिकार समिति को, हमारे नियमों की धारा १६२ के अन्तर्गत विशेषाधिकार समिति के पास भेजा था, समिति की रिपोर्ट संक्षेप में इस प्रकार है:—

अन्त में समस्त तथ्यों को दृष्टिगोचर रखते हुए समिति का यह अभिमत है कि यद्यपि सदन में हुए भाषणों को सही एवं तद्भावी प्रकाशित करना समाचार पत्रों का प्रमुख दायित्व है तथापि इस मामले में राष्ट्रदूत के उक्त अंक में प्रकाशित रिपोर्टिंग में श्री कौल के भाषण का घोर भ्रान्त कथन नहीं कहा जा सकता।"

ये दोनों रिपोर्टें छप नहीं सकीं हैं, फिर भी माननीय सदस्य देखना चाहें तो सचिव महोदय के कमरे में जाकर देख सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष, यह रिपोर्ट है, उनके कुछ अंश ही पढ़कर सुनाए हैं, कम्प्लीट रिपोर्ट क्या है?

श्री अध्यक्ष: मैंने निवेदन किया न कि छपी नहीं है पर रिपोर्ट को माननीय सदस्य देखना चाहें तो सचिव महोदय के कमरे में जाकर देख सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): छपे नहीं उससे पहले एक एक कापी पार्टीज के नेताओं को दी जाय।

श्री अध्यक्ष: उसका भी प्रयास किया जायगा, आज आप देखना चाहें तो किसी समय देख सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह: इन रिपोर्ट्स के उद्धरण पढ़ के बताए है, इन रिपोर्ट्स को छपवाया जा सकता है क्या।

श्री अध्यक्ष: इसके बाद जो कुछ किया जाय वह बाद में निर्णय किया जायगा।

श्री भैरोंसिंह: ये रिपोर्ट्स हाउस में आगई हैं, क्या ऐसा समझ लिया जाय?

श्री अध्यक्ष: अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, आगे क्या करना चाहिए उसके सम्बन्ध में बाद में विचार करेंगे।

श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, एक रिपोर्ट राज्यपलाके

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सम्बन्ध में, प्रिविलेज कमेटी की आई है, राज्यपाल ने कोई विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं किया है, यह रिपोर्ट आई है, जिसका विवरण सदन में आया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट के सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार का प्रश्न है। वह यह कि एक दैनिक अखबार में न्यूज एजेंसी ने एक न्यूज प्रकाशित की है, उसके द्वारा विशेषाधिकार समिति के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है। जब तक विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट सदन में नहीं आए तब तक न उसका लीकेज किया जा सकता है और न न्यूज एजेंसी को अधिकार है कि वह इस न्यूज को प्रकाशित करे।

(१२ मध्यान्ह)

वह इस रिपोर्ट में प्रकाशित करें। उन्होंने क्योंकि इस तरह की कार्यवाही की है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विशेषाधिकार का प्रश्न जो आपके समक्ष है, वह साफ साफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है इस सदन का। सदन में पेश करने से पहले जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, उस सम्बन्ध में जो सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन है, उस पर आप व्यवस्था देने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जैसे बताया, उन्होंने एक विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी है जो भी इसी आशय का है कि कुछ अखबारों में यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस सम्बन्ध में शीघ्र व्यवस्था दी जायगी, यह विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अभी टीनेन्सी बिल सिलेक्ट कमेटी....

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय सदस्य क्योंकि टीनेन्सी बिल के सम्बन्ध में निवेदन कर रहे हैं, यह जो राज्यपाल महोदय के सम्बन्ध में रिपोर्ट आई है वह रिपोर्ट इतनी महत्वपूर्ण है कि इस पर इस सदन में बहस की जाय क्योंकि इसमें जिन मुद्दों पर विशेषाधिकार समिति ने अपनी राय दी है और सदन को रिपोर्ट दी है उसमें मैं जानना चाहूंगा कि इसमें क्या नोट्स ऑफ डिसेन्ट हैं, क्या कोई भिन्न राय भी दी गई है? यदि ऐसा है तो वह क्या राय है? इससे आप हमें अवगत कराने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया जब माननीय सदस्य भैरोंसिंहजी ने कहा था, इस बारे में जो कुछ आगे कार्यवाही हो, माननीय सदस्य उस रिपोर्ट को अच्छी तरह से देख लें और सदन को आगे कोई कार्यवाही करनी है या नहीं, जो भी मत हो बनालें, उसके बाद निर्णय किया जायगा। इसके बाद जो असहमति की बात है, उन सदस्यों ने भी अपना मत दिया है। जहां तक मैं देख पाया हूं उन्होंने, जो मेन कन्क्लूजन है रिपोर्ट का, उससे सहमति प्रकट की है, परन्तु किन्हीं अन्य कारणों से अपने निर्णय के लिए दूसरा नोट दिया है। जो भी स्थिति है, सारी आपके सामने है और आप उसे देखकर जैसा मत बनाना चाहें, आगे क्या कार्यवाही करनी चाहिए, उसके बारे में विचार किया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : टीनेन्सी बिल पर प्रवर समिति की रिपोर्ट इस सदन में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रस्तुत करके वितरित की गई है। मैं भी उस प्रवर समिति का एक सदस्य था। मैंने, माननीय केदारनाथजी और रामकिशनजी ने एक जोइंट नोट ऑफ डिसेन्ट इस प्रवर समिति में पेश किया था। इस रिपोर्ट को देखने से मालूम हुआ है कि हमारे ये नोट्स दूसरे डिसेन्टिंग नोट्स के साथ प्रकाशित नहीं किये गये।

जहां तक मुझे जानकारी मिली है, ये नोट्स इसलिए प्रकाशित नहीं किए गए कि इन नोट्स के छपते समय या जिस तारीख को ये नोट्स छपे हैं, उस समय हम लोग इस सदन से निलम्बित थे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ जिस समय इस प्रवर समिति में निर्णय लिए गए हैं और जिस समय इस प्रवर समिति द्वारा डिसेन्टिंग नोट्स लिए गए हैं, हम इस सदन के बाकायदा सदस्य थे और निलम्बन का प्रश्न नहीं था और जो निलम्बन भी हुआ तो इस सदन की यहां पर कार्यवाही में भाग लेने से निलम्बन हुआ था और इसलिए जो इस सदन में निर्णय लिया गया उस निर्णय में प्रवर समिति की सदस्यता, जो कि उस तारीख से पहले नियुक्त की गई थी, जो उस घटना से पहले अपनी सारी कार्यवाही समाप्त कर चुकी थी, उससे हमारा निलम्बित होने का कोई निर्णय नहीं था और हमारा नोट ऑफ डिसेन्ट इस प्रवर समिति की रिपोर्ट में शामिल न करना, यह किसी नियमों के तहत, हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर के तहत नहीं आता और इसलिए इसको उस रिपोर्ट में शामिल न करना गैर कानूनी है अवैधानिक है।

यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रवर समिति की रिपोर्ट में हमारे इस नोट को शामिल न करने के कई राजनैतिक मतलब होते हैं। उस नोट का रिपोर्ट में शामिल करना यही संकेत करता है कि जैसे कि हम इस प्रवर समिति की रिपोर्ट से पूर्णतया सहमत हैं और फिर यह हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि सदन में जब यह बिल आए तो हम उसका पूरा समर्थन करें और उसमें किसी प्रकार से उसका विरोध नहीं हो। दूसरा राजनैतिक तौर से भी इस तरह की भावना गजट में छपती है और उससे यह धारणा फैलती है कि हम लोग, जो किन्हीं राजनैतिक पार्टियों के प्रतिनिधि के तौर पर यहां काम करते हैं और उन पार्टीज़ की तरफ से बाहर और इस सदन में, इन्हीं प्रश्नों पर जो इस प्रवर समिति के जिम्मे थे, उन पर हमारा दृष्टिकोण आम जनता और सदन में समय समय पर प्रकट होता रहा है। इसलिए इस प्रवर समिति में हमारा नोट ऑफ डिसेन्ट का न जाना, उससे सहमति प्रकट होना, हमारी राजनैतिक स्थिति को इस सदन में और सदन के बाहर हमारे बारे में जनता में गलत धारणायें फैलाने का कारण बनेगी। जहां तक मेरा सवाल है, मैं रिवेन्यू लॉज कमीशन का भी सदस्य था। उसमें इसी बिल के सम्बन्ध में, जो रिपोर्ट पेश की गई, उसमें भी मैंने नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है। इसलिए यह स्थिति बहुत ही गलत है, उसमें मेरी पोजीशन बहुत कॉन्ट्रडीक्टरी हो जायगी। मैं उसमें आपका संरक्षण चाहूँगा कि पहले तो नियमों के अनुसार प्रवर समिति में जो हमारे डिसेन्टिंग नोट्स थे, वे आने चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहूँगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है वह नियमों व प्रक्रिया की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो माननीय सदस्य ने तथ्य रखे हैं व तर्क दिए हैं, उनको व अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उस पर मैं पूर्णतः विचार करूंगा और शीघ्र ही उस बारे में निर्णय दिया जायगा।

श्री मानिकचंद सुराणा : यह जो प्रक्रिया व कार्य संचालन सम्बन्धी नियम हैं, लोकसभा में कुछ प्रिसीडेन्ट्स इस तरह के मिल सकते हैं, जिनमें इस तरह का निर्णय किया गया हो कि यदि एक व्यक्ति सदन से सस्पेन्डेड हुआ है तो वह सदन की कमेटियों से भी सस्पेन्डेड माने जायेंगे। लेकिन लोकसभा का वह जो निर्णय है उसमें भी जो ब्रिटिश हाऊस ऑफ कॉमन्स के सारे विस्तार से स्टैंडिंग ऑर्डर्स बने हुए हैं और नियम बने हुए हैं उनका अच्छी तरह से रूलिंग्स में भी ध्यान नहीं रखा गया है। इसलिए उस प्रश्न को तय करते समय कि आया एक सदस्य सदन से निलम्बित किया जाय तो वह सदन की कमेटियों से भी निलम्बित हुआ समझा जायगा, इस तरह का साफ तौर से प्रावधान जब तक हमारे नियमों में नहीं हो, नियम जब तक साइलेन्ट हैं, तब तक यह कन्सट्रू करना कि सदन से निलम्बित होने के साथ साथ वह समितियों से भी निलम्बित हो गए, यह गलत रूप से उसकी व्यवस्था होगी। हाऊस ऑफ कॉमन्स के नियमों में साफ तौर से लिखा है कि जब कोई सदस्य सदन से निलम्बित किया जायगा तब वह इन कमेटियों से भी निलम्बित समझा जायगा, वहां एक स्पेसीफिक रूल इस बात का है लेकिन हमारे यहां चूंकि स्पेसीफिक नियम नहीं है इसलिए इसका इन्टरप्रिटेशन करने में ऑर्डर व्यूपोइन्ट से इनकी व्याख्या करनी चाहिए और यदि अभी स्पष्ट बात नहीं है तो सदन की स्वीकृति ली जानी चाहिए कि सदन से निलंबित होने का मतलब यह नहीं कि सारी समितियों, जिन पर वह सर्व कर रहे हैं, उससे भी सस्पेन्डेड होंगे, क्योंकि सदन से निलंबित सदस्यों ने राज्य सभा के चुनाव में भाग लिया है और राज्य सभा के चुनाव में वोट देने पर उनके लिए कोई पाबन्दी संविधान में नहीं है इसलिए उनकी विधान सभा सदस्यता कहीं समाप्त नहीं होती है। इसलिए उनको अधिकार दिया जाना चाहिए कि वे भिन्न भिन्न कमेटियों पर सर्व करें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मैं समझता हूँ कि यह एक सैद्धान्तिक प्रश्न है और इस सदन के सदस्यों के अधिकारों से सम्बन्ध रखता है।

मुझे पता नहीं माननीय सदस्य जो अलवर से आये हैं उन्होंने क्या नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है। दूसरे माननीय सदस्यों ने क्या नोट ऑफ डिसेन्ट दिया है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन नोट ऑफ डिसेन्ट दिया और नोट ऑफ डिसेन्ट दिया तब वे इस सदन के सदस्य हैं और कमेटी के सदस्य हैं। लोकसभा में क्या अमल है उस सम्बन्ध में माननीय मानिकचन्दजी ने जो कुछ भी कहा उसका मुझे पूर्ण रूपेण पता नहीं है लेकिन मैं इतना आपको अवश्य कहूँगा कि निलम्बन व्यवस्था है वह एक टेम्पोरेरी पैनेल्टी है। उसके द्वारा इस सदन के माननीय सदस्य हैं उनका अधिकार टेम्पोरेरिली सस्पेन्ड होता है। मुझे मतलब नहीं कि उन्होंने क्या लिखा लेकिन नोट ऑफ डिसेन्ट बराबर कमेटी की रिपोर्ट के बाद पब्लिश होना चाहिये यह मेरे

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ख्याल में निर्विवादित और सैद्धान्तिक तथ्य है। आप जो भी व्यवस्था दें वह हमें सर्वमान्य होगी। आपको अधिकार है। लेकिन मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा और अवश्य करना चाहूंगा कि सदन के माननीय सदस्यों के अधिकारों को मद्देनजर रखते हुए सूझपूर्ण आपका जो निर्णय होगा वह इस तथ्य को भी मद्देनजर रखते हुए होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रवर समिति की रिपोर्ट के साथ माननीय सदस्यों के नोट ऑफ डिसेंट न छापने से और भी गम्भीर स्थितियां पैदा होती हैं। अध्यक्ष महोदय, इसका एक ही कारण है कि हम सदन से निलम्बित हो गये थे इसलिये हम प्रवर समिति से निलम्बित थे इसलिए नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं छपेंगे इससे कुछ और भी गम्भीर स्थितियां पैदा होती हैं। जैसे हम जिला परिषद् के सदस्य हैं इस रूप में कि हम एम. एल. ए. हैं, पंचायत समिति के सदस्य है इस रूप में कि हम एम. एल. ए. हैं, अलॉटमेन्ट कमेटी के सदस्य हैं इस रूप में कि हम एम. एल. ए. हैं और हमने इस निलम्बित समय में जिला परिषद् की मीटिंग में हिस्सा लिया है, पंचायत समिति की बैठक में हिस्सा लिया है या वाटर यूनियन कमेटी में हिस्सा लिया है या फ़ूड कमेटीज़ में हिस्सा लिया है या अलॉटमेंट कमेटीज़ में हिस्सा लिया है और बहुत सी कमेटीज़ हैं जिनके हम सदस्य हैं तो उन कमेटीज़ की बैठकों की सारी की सारी कार्यवाही गलत हो जावेगी, गैर कानूनी हो जावेगी, इसके साथ यह भी एक गम्भीर स्थिति पैदा होती है। आप इस पर विचार करते हुए इस तथ्य पर भी विचार करें।

श्री अध्यक्ष : माननीय विरोधी दल के नेता ने और अन्य माननीय सदस्यों ने जिन तथ्यों के ऊपर ध्यान दिलाया है मैं अवश्य उन पर विचार करूंगा और जैसा मैंने पहले बताया मैंने इसमें व्यवस्था सुरक्षित रखी है ताकि हर पहलू पर विचार किया जा सके और सब बातों पर विचार करने के पश्चात् जो भी व्यवस्था होगी वह मैं अवश्य देने का प्रयत्न करूंगा।

अब खाद्य समस्या पर प्रस्ताव

(१२. २५ म. प.)

राज्य की खाद्य स्थिति एवं अकाल सहायता पर विचार विमर्श

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मंत्री) : मैंने पहले ही प्रस्ताव मूव कर दिया था।

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेन्ट देना चाहेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने स्टेटमेन्ट सर्कुलेट कर दिया था और अकाल सहायता के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी। माननीय सदस्य इस विषय में अपने विचार व्यक्त कर दें। बाद में मैं उनका उत्तर दे दूंगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सर्व प्रथम खाद्य समस्या के सम्बन्ध में, उत्पादन समस्या के सम्बन्ध में कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा और अधिकांश बातें जो मैं निवेदन करूंगा वे अधिकतर मेरे क्षेत्र अर्थात् उदयपुर डिविजन से सम्बन्धित होंगी।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

खाद्य स्थिति कोई एक या दो साल से विषम नहीं हो रही है। यह समस्या ६–१० साल से विषमता लाते २ अब एक भयंकर स्थिति इसने धारण कर ली है। खास कर के, अध्यक्ष महोदय, सन् १९६० के पश्चात् यह समस्या तीव्र गति से बिगड़ती गई और सन् १९६५ के पश्चात् सन् १९६६ में चाहे किसी कारण से क्यों न हो, यह समस्या एक ऐसी देश व्यापी समस्या है कि जिसके दायरे के बाहर राजस्थान भी नहीं रह सकता। चाहे वर्षा के अभाव से, चाहे उत्पादन, चाहे वितरण में सरकार की कमियां हों उसके कारण यह व्यवस्था दिन व दिन विगड़ती गई है। लेकिन यह निर्विवादित बात है कि प्राकृतिक दुर्घटनाओं के अतिरिक्त सरकार की दूषित नीति भी इसके लिये बहुत हद तक जिम्मेदार हैं ऐसा मैं अनुभव करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, यदि हमारी यह राजस्थान की सरकार एक विकासमान सरकार होने का दावा रखती है और यदि यह दावा रखती है कि सरकार की योजनायें एक हद तक सफल हुई है तो, मैं समझता हूँ कि हमारी खाद्य स्थिति जो आज विषम रूप धारण किये हुये है वैसा रूप धारण नहीं करती। बल्कि हम खाद्यान्न स्थिति को इस हद तक काबू में कर सकते थे कि हम स्वावलम्बी बन जाते और स्वावलम्बी बनने के पश्चात् हम देश के अन्दर, किसानों के अन्दर खुशहाली ला पाते। क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, इन योजनाओं के ऊपर अरबों, अरबों क्या खरबों रुपये खर्च हो रहे हैं और हो चुके हैं और योजनायें अगर ठीक ढंग से क्रियान्वित हुई तो यह कम उत्पादन और भूखमरी क्यों? यह मेरी समझ में नहीं आता। स्वावलम्बन तो हमारा कहीं गया हम दिन व दिन परावलम्बी बनते जा रहे हैं। हमारा परावलम्बन बढ रहा है और आयात के सम्बन्ध में यदि मैं कुछ आंकड़े निवेदन करूं तो वे इस प्रकार हैं: सन् १९६२ में जब हमारी स्थिति इतनी खराब नहीं थी तब भी ४० लाख टन खाद्यान्न का आयात हुआ। सन् १९६३ में ४२ लाख टन का इम्पोर्ट हुआ और सन् १९६४ में वह बढ कर ६० लाख टन हो गया। और आगे बढ कर सन् १९६५ में तो वह ७५ लाख टन हो गया। यह हमारा स्वावलम्बन है या परावलम्बन है। दुख के साथ मैं यह निवेदन करता हूं कि इस वर्ष १३० लाख टन अनाज अभी तक आ चुका है और सारे देश में स्केयरसिटी, भूखमरी स्पष्टतया विकट रूप से दृष्टिगोचर हो रही है।

हमारा यह कृषि प्रधान देश गिना जाता है जिसमें ७५ फीसदी किसान निवास करते हैं। यह मेरा और मेरे दल का निश्चित अभिमत है कि किसान सच्चे माने में इस देश की रीढ़ की हड्डी है। महात्मा गांधी के सिद्धान्त के अनुसार भी किसान इस देश का अन्नदाता है। जबतक किसान की खुशहाली के सम्बन्ध में कोई ठोस और व्यवस्थित ढंग से कदम नहीं उठा पाते, मेरे ख्याल में तबतक हमारी कुछ भी योजनाएं हों, कागजी मात्र रह जावेंगीं।

मेरा यह भी निश्चित अभिमत है कि जब तक हम उत्पादन नहीं बढ़ा पाते, जबतक हम खाद्य स्थिति पर पूर्णतया काबू नहीं पा लेते, जबतक खाद्यान्न के लिहाज से हम

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

स्वावलम्बी नहीं बन पाते तबतक अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी हमारी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी और आन्तरिक रूप से भी हम अपने देश में खुशहाली ला सकेंगे, मेरे ख्याल में यह संभव नहीं हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे क्षेत्र के गत ६८ वर्षों के वर्षा के आंकड़े ध्यानपूर्वक देखे। उन के देखने से यह प्रतीत होता है कि अनुमानतः अगर साइकल के लिहाज से देखा जावे तो हर दस वर्ष में तीन वर्ष अच्छे होते हैं, तीन वर्ष खराब होते हैं, और इन तीन खराब वर्षों में एकाध वर्ष अवश्यमेव बहुत खराब होता है और बाकी के चार वर्ष सामान्य रूप से, न अच्छे, न बुरे, एवरेज जिसे कहते हैं, सामान्य वर्ष होते हैं।

इस तथ्य को सरकार ने अपनी खाद्य नीति और उत्पादन की नीति के सम्बन्ध में सोच-विचार करके इसको मान्यता देकर योजनाओं का निर्माण किया है, यह मैं अनुभव नहीं कर सकता क्योंकि बार-बार मैं यह देखता हूँ कि जब स्थिति विषम होती है तो सरकार एक बहुत लेट स्टेज में इस सम्बन्ध में विचार करना प्रारम्भ करती है और उस समय जब लेट स्टेज हो जाती है तो उस समय पूरे साधन जुटा पाना सरकार के लिये बहुत मुश्किल होता है। सरकार को ऐसी स्थिति का मुकाबला करने के लिये हर वर्ष तैयार रहना चाहिये। यह मेरा निवेदन है।

सूखा पड़ गया, कीड़े पड़ गये, यह बात सरकार कहती है। एक सीमा तक यह ठीक हो सकता है। इससे मैं सहमत हूँ। पर बहुत हद तक निष्पक्ष रूप से मेरा यह अभिमत है कि यह बहानेबाजी है। अब जैसे डूंगरपुर जिले के अन्दर कीड़े पड़ गये। वहां पर जंगल कट चुके हैं। पहाड़ियों पर अनावृष्टि के कारण घास की पैदावार भी नहीं होती। कीड़े तो वहां अनादि काल से होते हैं। आप कहीं अमेरिका से इन्सेक्टिसाइड्स लाकर छांटें और जिस तरह मच्छरों का उन्मूलन किया है उसी तरह से इन कीड़ों का भी करें तो यह तो भविष्य की बात है।

किन्तु मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूँगा कि कीड़े मारने की दवा भी जब आपत्ति आती है उस वक्त बाहर से मंगवाई जाती है। उसका स्टॉक भी अपर्याप्त है तो मेरे ख्याल से यह आपकी कोई योजना नहीं है। आप एक दुर्घटना का पहले से अनुमान करके एन्टीसिपेट करके ही उसका मुकाबला ठीक तरह से कर सकते हैं, अगर एन्टीसिपेट करके पहले से उसका मुकाबला करने के लिये सारे साधन जुटा कर इकट्ठे कर लेने की पहले से तत्परता बताएंगे तो। यह मेरा सरकार से निवेदन है। पर इसके लिये मैं समझता हूं सरकार कोई तैयारी नहीं करती, न तैयारी है।

कृषि का विकास मेरे ख्याल से इस देश के लिये मूल दारोमदार है। इससे तीन मुख्य लाभ होंगे। एक तो भुखमरी खत्म होगी। जबतक आप भुखमरी खत्म नहीं करेंगे मेरे ख्याल में यह सब आपकी विपत्तियां कम नहीं होंगीं। आपकी सारी विपत्तियों का पचास प्रतिशत कारण यह भुखमरी है। अनियन्त्रित और लम्बी चौड़ी बातें मैं नहीं कहना चाहता। यह छात्रों में भी जो कुछ हो रहा है यह भी फस्ट्रेशन भुखमरी का एक प्रमुख कारण है और यह भ्रष्टाचार भी भुख-

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मरी का कारण है। तो भुखमरी सबसे पहले मिटाइये उत्पादन में वृद्धि करके। अगर उत्पादन के द्वारा भुखमरी मिटा सकते हैं आप तो औद्योगीकरण भी पनपेगा, आप विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकेंगे और देश खुशहाल भी होगा। आप चाहें तो चीनी बाहर भेज सकते हैं, कॉटन बाहर भेज सकते हैं, तिलहन भेज सकते हैं और और भी बहुत से प्रोडक्ट्स बाहर भेज सकते हैं और राजस्थान का नहीं तो भारत का तो है ही। हम जूट, चाय भेजकर विदेशी मुद्रा अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं।

विगत १५ वर्षों में अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी सरकार के प्रयत्न थे उत्पादन के सम्बन्ध में वे पर्याप्त नहीं हुए। अपर्याप्त रहे। और बहुत कुछ मेरे ख्याल में खामियों से भरपूर रहे। अगर आपने अपना उत्पादन, आपके आंकड़ों के अनुसार, चार प्रतिशत भी बढ़ाया तो उसके मुकाबले में हमारे देश की जनसख्या २॥ प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है। जितनी भी आप खाद्यान्न में वृद्धि करते हैं वह सब भी कम पड़ जाती है आबादी की वृद्धि के कारण, पॉपुलेशन एक्सप्लोज़न के कारण।

मेरा यह निवेदन है कि चौथी योजना के अन्दर आप केवल मात्र यह ऐलान करेंगे तो वह ऐलान पर्याप्त नहीं होगा। हम चाहते हैं आप क्रियात्मक रूप से कुछ करें। केवल घोषणाओं से और कागजों में लिख देने से कुछ नहीं होने का। वह तो बहुत से लोग कहते हैं कि आज शासनारूढ दल की नीति तो झूंठे आश्वासन देना, चाटन, भाषण करना और न जाने क्या क्या करना मात्र रह गया है।

मेरा यह निवेदन है अध्यक्ष महोदय, कि सरकार को चौथी योजना में पक्के रूप से सुदृढ कदम उठाते हुए उत्पादन और परिवार नियोजन के क्षेत्र में क्रियात्मक रूप से काफी कुछ करना चाहिये और अगर ऐसा नहीं किया तो खतरा और भी भयंकर रूप में हमारे सामने है।

चन्द बातें सरकार की इफीसियेन्सी के सम्बन्ध में कहना चाहूँगा। मैं नहीं कह सकता कि यह जो बात मैं निवेदन करने जा रहा हूँ, यह कहां तक सच है क्योंकि मेरे क्षेत्र के यह बाहर की बात है। पर मैंने सुना है कि एक चण्डीदान जी बारहट नामक सज्जन पुरुष जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के निवासी हैं। उन्हें भूतपूर्व फूड कमिश्नर के द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि वह चारा पर्याप्त रूप में उगावें और उस क्षेत्र में चारे की कमी होने के कारण चारा अगर अधिक मात्रा में वे उगावेंगे तो सरकार हर तरह से उनको प्रोत्साहन देगी और अधिकांश रूप में चारा खुद सरकार खरीद लेगी और अच्छे भाव से खरीदेगी। और सधन्यवाद खरीदेगी।

पर मैंने सुना है कि उन सज्जन ने जब फोडर उगाया और सरकार को कहा तो सरकार ने ऐन मौके पर कह दिया कि सरकार को उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर इस बात में कोई तथ्य है तो मेरे ख्याल से यह मेरी समझ से बाहर की बात है। वहां के हजारों मवेशी एक एक तृण के लिए तरसते रहे हैं और आज भी तरस रहे हैं। मारवाड़ के बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां मई और

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जून में जिस तरह से सूखा पड़ा था उसी तरह से आज भी धूल उड़ रही है। वहां पर एक तृण भी नहीं है। अगर विश्वास देकर उनसे बाद में खरीद नहीं की गई तो यह उन के साथ विश्वासघात किया है सरकार ने। यह कोई अच्छी व्यवस्था भी नहीं है सरकार की। यह आपकी इनइफीसियेन्सी का ही द्योतक है।

मैंने यह भी सुना कि अमेरिकन व्हीट जो आता है, अमेरिका से जो गेहूं आता है उसके अन्दर भी १४ लाख का घोटाला है। दुकानों से रुपया लेकर लोग भाग गये। सरकार इस सम्बन्ध में कोई उचित व्यवस्था नहीं कर पाई। किसी को आज तक कोई सजा नहीं दे पाई। यह सरकार तो किसी को भी सजा नहीं देना चाहती। पर शासन में एक दण्ड का प्रावधान है वह एक महत्वपूर्ण है और जब तक आप दण्ड का प्रावधान नहीं अपनावेंगे तब तक भाइयों, बहनों और तालियां पीटने से कुछ नहीं होगा।

मेरा यह भी निवेदन है कि बीकानेर का कोई व्यापारी रुपया लेकर गया। उन पर मुकदमा चलाया गया। इसमें तथ्य है या नहीं। मैं नही जानता।

और यह भी कहा गया है और सरकार पर मैं आरोप लगाता हूं कि जो गनी बैग्स आते हैं अमेरिका से उस पर भी अमेरिका कोई कीमत नहीं लेता वह बैग्स भी हजारों की तादाद में गायब हो चुके हैं। तो अगर ऐसी दुर्घटना हुई है तो सरकार को उस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरे ही क्षेत्र के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूँगा कि अगस्त के बाद सितम्बर में यद्यपि कम बारिश हुई है और अभी भी बहुत कम तालाब हमारे क्षेत्र के अन्दर ऐसे हैं कि जो भर पाये हैं। किन्तु अभी भी जयसमन्द के अन्दर काफी पानी है और अगर सरकार को उत्पादन के सम्बन्ध में कोई न कोई ठोस कदम उठाने हैं और तत्काल उठाने हैं तो जयसमन्द की नहर से पानी निकाल करके आप रबी की फसल का लाभ ले सकते हैं। किन्तु ऐन–मौके पर कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे तो 'चिड़िया चुग गई खेत' जैसी बात हो जायेगी और वहां पर पानी ही नहीं निकल पायेगा और मौसम बीत जायेगा। आपसे मेरा यह निवेदन है कि वक्तसर जो भी कदम उठाने हैं वह अवश्य उठाइये।

यह मैं अवश्य मानता हूँ सूखा पड़ जाना इस सम्बन्ध में आप कोई भविष्य के बारे में कुछ देख नहीं सकते किन्तु सूखा पड़े इस सम्भावना को लेकर ही अगर आप योजनायें अपनी निर्माण करेंगे तो ठीक होगा। उसके साथ ही साथ पोपुलेशन एक्सप्लोजन के सम्बन्ध में भी गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि अगर आपका उत्पादन इतना बढ़ पाता है तो जिस रूप से जनसंख्या बढ़ती जा रही है वह ५ वर्षों में कितनी बढ़ेगी उसमें रुकावट करने से कितनी रुकावट हो सकेगी–यह सब योजनाबद्ध रूप से आपको करना चाहिये। मैं समझता हूँ कि परिवार नियोजन बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए भी आपने १५ वर्ष इसी तरह से गंवाये और कुछ नहीं किया। इसी के फलस्वरूप आपके यह प्लान्स हैं यह भी असफल हो रहे हैं और आज जो हमारे देश में नग्न

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

दृश्य दिख रहा है वह ऐसा दृश्य है कि जिससे दुख होता है। अध्यक्ष महोदय, रात को १२-१ बजे तक हजार, डेढ़ हजार आदमी बैठे हुए हैं किस के लिए कि दो किलो अनाज के लिए। यह जयपुर के अन्दर मैंने देखा है। एक एक मील लम्बी कतार में लोग लगे हुए हैं और चार-चार, पांच-पांच घन्टे तक खड़े हुए हैं किस के लिए ? एक या दो किलो अनाज के लिए। मेरे ख्याल में यह समाजवाद की व्यवस्था नहीं है। यह तो एक अराजकता उत्पन्न करने की व्यवस्था है और सरकार के बहरे कानों पर यह आवाज कुछ पड़ेगी ऐसी मैं आशा करता हूं और उससे सरकार कुछ लाभ उठा सकेगी। मेरा कोई सुझाव डेस्टक्टिव क्रिटिसिज्म के रूप में नहीं है बल्कि एक रचनात्मक रूप में है। अगर आपको उस पर विचार करना है तो आपकी मर्जी है।

मेरा यह भी सरकार से निवेदन करना है कि आपकी योजनायें हैं वह भी महत्वाकांक्षी योजनायें हैं, ओवर एम्बीशस योजनायें हैं। मैंने यहां भी कहा है और दल के लोगों ने लोकसभा में भी यह कहा 'कट दी कोट एकॉर्डिंग टू दी साइज़ आफ क्लोथ', आपकी हैसियत के अनुसार आप अपनी योजनाओं का निर्माण करिये। एक हद तक डेफिसिट फाइनेन्सिग करें। एक हद तक कर्जा भी ले तो भी चल सकता है लेकिन आपकी हैसियत तो मान लिया जाये १० रुपये खर्च करने की है आप योजना बनायेंगे १०० रुपये की तो मेरे ख्याल से अवश्यमेव आप दिवालिया होंगे और दिवालियापन बुलायेंगे। यह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी पटकना है और ओवर एम्बीशस आपकी योजनायें हैं। मैं समझता हूँ कि इससे भी सरकार को लाभ नहीं होगा। इससे सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं फल आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है आप भिलाई आदि जैसे बड़े कारखाने खोलते हैं लेकिन आपके पास पूंजी ही नहीं है और बिल्कुल नहीं है और ऐसे बड़े-बड़े कारखाने केवल मात्र कर्जा लेकर ही खोल रहे हैं मेरे ख्याल से तत्काल तो क्या कई वर्ष तक आपको लाभ नहीं मिल सकता है। २० वर्षों तक आपने जो कुछ योजनायें निर्माण की, मनमानी आपने की, किसी की एक नहीं सुनी और देश को बहुत ही बदतर दिशा में आपने डाल दिया है। विकास मेरे ख्याल से देश का नहीं किया है। हमारे देश की स्थिति को विकास की स्थिति मैं नहीं मानता बल्कि यह मानता, हूँ कि यह विनाश की स्थिति है।

राजस्थान के उत्पादन के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द निवेदन करना चाहूँगा। सीरियल्स का भी आपका उत्पादन नहीं बढ़ा है और आपके जो आंकड़े हैं वह भी मैं तो समझता हूँ कि विश्वस्त आंकड़े नहीं हैं। लेकिन जो कुछ आपने आपने आंकड़े दिये हैं उन तथ्यों की ओर भी मैं आपका ध्यान इन आंकड़ों के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहूँगा। सन् १९६२-६३ में आपका उत्पादन ३८.८४ लाख टन हुआ वह १९६३-६४ में घटकर ३१.४० लाख टन रह गया। दालों के सम्बन्ध में १९६२-६३ में आपका उत्पादन ११.६५ लाख टन था वह घट कर १९६३-६४ में ८.२३ लाख टन रह गया। इसके बाद आपने कोई आंकड़े नहीं दिये हैं। एक आपके नोट के सम्बन्ध में प्रकाश डालता

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हूँ। किन्तु मैं इतना कह सकता हूँ कि इसके बाद के जो दो साल थे वह अच्छे साल नहीं थे और निश्चित रूप से उत्पादन नहीं बढ़ा है। अगर आपके पास कोई आंकड़े हैं तो खाद्य मन्त्री जी से कहता हूँ कि आपने उन आंकड़ों को अगर छिपाया है तो आपने इस सदन के प्रति गुनाह किया है। अगर आपके पास आंकड़े ही नहीं है तो मेरे ख्याल से आपका नाजोगापन इससे साफ साबित होता है।

जहां तक कि कैश क्रॉप्स का, अध्यक्ष महोदय सम्बन्ध है, व्यवसायी खेती से संबंध है, सिवाय कपास के चाहे तिलहन हो, चाहे गन्ना हो, चाहे मिर्च हो, चाहे आलू हो सब के उत्पादन में कमी हुई है। १९६४–६५ और १९६५–६६ में तो कैश क्रॉप्स में तो कोई बढ़ावा हो ही नहीं सकता, यह स्पष्ट है। इसलिए मुझे आपके आंकड़े भी आपके इस तथ्य को साबित करने के लिए नहीं चाहिये। सरकार का यह भी दावा है कि अधिक से अधिक भूमि पर पैदा कर उत्पादन बढ़ावें किन्तु यह दावा भी मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। १९६२–६३ में ७९.५८ लाख हेक्टिक एकड़ में आपने सीरियल्स उगाये ... तो ६३–६४ में ७७.५४ हेक्टिक एकड़ रह गया है। जहां तक दालों का प्रश्न है १९६२-६३ में ३२.६१ लाख हेक्टिक एकड़ में आपने बुवाई की और ६३-६४ में ३१.६७ लाख हो गई है। तिलहनों के सम्बन्ध में भी यही दशा है। ६२-६३ में १२.३९ हेक्टिक एकड़ बोये गये और ६३–६४ में यह ११.११ लेक्स ही रह गये। तो आपके ही आंकड़ों के द्वारा यह सिद्ध हो गया कि कृषि का उत्पादन घटा है बढ़ा नहीं है। इस दूषित नीति का उत्तर-दायित्व मैं समझता हूँ कि आप ही के ऊपर है। आप बार-बार यहां पर खड़े होकर लम्बी-चौड़ी बातें कहते हैं, डींगे मारते हैं कि हमने लाखों एकड़ भूमि अलॉट कर दी, हरिजनों को अलॉट की और आदिवासियों को अलॉट की और इससे आपका उत्पादन बढ़ा। मेरे ख्याल से न तो पूरी तरह से अलॉटमेंट ही हुआ है और अगर अलॉटमेंट हुआ भी होगा तब भी कुछ हद तक मैं यह मजबूरन कहूंगा कि आप ही के आदमियों को अलॉटमेंट हुआ होगा। निष्पक्ष रूप से हजारों और चन्द लाख आदिवासियों और हरिजनों को लाभ पहुँचा हो यह तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ऐसी स्थिति के अन्दर यह जो आपका दावा है अलॉटमेंट का यह भी एक थोथा दावा है।

जहां तक सिचाई का सम्बन्ध है, मैं, डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में, यह निवेदन करूंगा कि सिचाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। आपको सिचाई की व्यवस्था में विस्तार करना चाहिए और बढ़ावा देने के अलावा निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में आपको व्यवस्था करनी चाहिए। अच्छे बीजों की व्यवस्था भी वहां पर नहीं है और उर्वरक, फर्टीलाइजर, भी वहां पर मेरे ख्याल में वितरण के लिए पर्याप्त रूप से नहीं हैं। यह व्यवस्था भी मैं समझता हूं कि आपको ठीक ढंग पर लानी होगी। आज की व्यवस्था को मैं अच्छी व्यवस्था नहीं मानता। यह एफिशियेंट व्यवस्था नहीं हैं। हमारे यहां कहावत है कि 'खेड़, खातर और पाणी तो देव लावे ताणी। तीन चीजें होना परम आवश्यक है। खेत होने चाहिए, खेत को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए, खाद होना चाहिये और पानी होना चाहिए। ये तीनों

Page No. 23

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

वस्तुएं होना अनिवार्य है, इनके बिना खेती का उत्पादन नहीं बढ़ सकता। आपको चाहिए कि इस सम्बन्ध में भी आप आधुनिक रूप से कोई न कोई परिवर्तन इसमें लायें। जो खेती आज भी रूढ़ीवाद के आधार पर हो रही है राजस्थान में अलबत्ता सिवाय गंगानगर के, उसमें भी आपको चाहिए कि आप परिवर्तन लावें। आपकी योजनायें अगर परिवर्तन ही नहीं ला सकतीं, धीरे २ स्टेज बाई स्टेज भी अगर परिवर्तन लावें तब भी मैं समझ सकता हूं कि कोई योजना है, किन्तु अब भी वही बेचारे दो मरे हुए बैल, टूटे फूटे हल, लकड़ी का ठिकाना नहीं, औजारों का ठिकाना नहीं। ऐसी स्थिति के अन्दर अगर आप किसानों को, आदिवासियों को कहेंगे कि तुम खेती करो तो उत्पादन कैसे बढ़े यह मेरी समझ में नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र के अन्दर सब-सॉइल वाटर लेवल है जो आपके आंकड़ों के अनुसार जहां पर था, अब नहीं है। मैं समझता हूं कि सब-सॉइल वाटर लेवल और गहरा जा चुका है। आपने यह बताया है कि बांसवाड़ा में सब-सॉइल वाटर लेवल ३२ फीट हैं और डूंगरपुर में भी सब सॉइल वाटर लेवल ३२ फीट ही है। बीकानेर में यह २३२ फीट है और जैसलमेर में २१७ फिट है। लेकिन यह ३२ फीट का जो आपका अनुमान है यह एक हद तक दो वर्ष पहले तक ठीक था, यह मैं मानता हूं, लेकिन आज वह अनुमान भी गलत साबित हो गया है। पक्का कुआं बनाने के लिए तीन हजार रुपये डूंगरपुर और बांसवाड़ा में चाहिए तो मैं समझता हूं कि बीकानेर में तीन हजार रुपये चाहिए। सरकार का यह दावा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने ६१, १६३ कुएं बनाए हैं। उन कुओं की क्या स्थिति है, इसके ऊपर भी आपको गम्भीरता पूर्वक जांच करनी चाहिए। आपको यह भी जांच करनी चाहिए कि पुराने कुएं अच्छे हैं या नए कुएं अच्छे हैं। नए कुओं का जो निर्माण किया गया है वे पुराने कुओं से कितने अच्छे हैं, यह भी आपको देखना चाहिए। मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं लगाता किन्तु २०-२५ कुएं मैंने ऐसे देखे होंगे जो तीन-तीन, चार-चार फीट के गड्ढे हैं उनमें लोग बैठ कर गन्दगी करते हैं, लघु शंका जाते हैं तो क्या वे कुएं बन गए हैं? यह आपके आदर्श कुओं की दुर्दशा है। नाम तो है उनका आदर्श कुआं लेकिन एक आदर्श कुए के अन्दर मेरी पंचायत समिति में पानी नहीं है। एक में भी पानी नहीं है और आप कहते हैं कि ३२ फीट सब-सॉइल वाटर लेवल है। मैंने कहा कि यह ठीक है कि ३२ फिट था पहले लेकिन वह बाज-बाज जगह तो ये आपके तथाकथित आदर्श कुएं चालीस-चालीस फिट भी गहरे हो गए हैं तब भी उनमें पानी नहीं है। तो जो आपने हमारे जिले के अन्दर लाखों रुपये खर्च किये, वह ठीक हैं, उस सम्बन्ध में भी मैं कुछ निवेदन करूंगा लेकिन इन कुओं की भी निवारणी कराने के सम्बन्ध में आपको गम्भीरता-पूर्वक विचार करना चाहिए। इन आदर्श कुओं को तो आप कम से कम अच्छा बनावें ताकि उनसे शुद्ध जल मिल सके। अगर यह नहीं होता है तो मेरे ख्याल में आपकी योजनाएं दूषित हैं। कुओं के मामले में बहुत गड़बड़ी है, कोई हिसाब नहीं है। आपने सरपंचों को बहुत सारी ढिलाइयां दे रखी हैं आपके हिसाबों का भी कोई

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ठिकाना नहीं है, तो अगर समय पर ऑडिट हो तब भी आप कुछ कर सकते हैं। अगर समय पर ऑडिट नहीं होता है, वर्षों के बाद ऑडिट हो जाता तो फिर आप उस पर क्या कार्यवाही करेंगे। मेरे ख्याल में जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है यह भी बहुत दूषित है।

तालावों के सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, खाद्य मंत्री और राजस्थान की सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। आप अपने इन नए तालावों को देखें और पुराने तालावों को भी देखें। खास मेरे जिले में देखिए, ऐसे पुराने तालाव हैं कि उनका कैच-मेंट एरिया ऐसा है कि दो इंच के अन्दर ही, एक रात के अन्दर ही भर जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर चालीस फीट, २५ फिट पानी आ जाता है फिर भी आपके तालाव भर ही नहीं पाते हैं। आपका कंस्ट्रक्शन, आपका सारा सर्वे मेरे ख्याल में डिफेक्टिव है। कम से कम आप अपने तालावों को अच्छा बनायें। मैं यह नहीं कहता कि पुरानी सभी चीजें अच्छी हैं लेकिन कम से कम सरकार को विचार करना चाहिए कि जो कुछ भी पुराना है वह सब ही रद्दी नहीं है, कुछ तो अच्छा है ही उसमें, उससे भी आप प्रेरणा लें तो बुरी चीज़ नहीं होगी, इससे आपकी प्रतिष्ठा को कोई हानि नहीं होगी।

तो मैंने जहां कुओं की स्थिति और उत्पादन की स्थिति के सम्बन्ध में जो कुछ बातें कहीं तो मैं उनके आधार पर इस परिणाम पर पहुंचता हूं कि जब अच्छे बीज की व्य-वस्था नहीं, जब फर्टीलाइजर्स की व्यवस्था नहीं, जब उनके वितरण की आपकी व्यव-स्था दूषित है, पानी के लिए आप पर्याप्त रूप से कोई बात नहीं कर सकते तो उत्पादन कहां से बढ़े। यह मेरी समझ में नहीं आ सकता है। यह हार्ड लोजिक है। आपने अपना अमला चार गुना बढ़ा रखा है और चार गुना बढ़ा कर सारी दुनिया में जीपों में पैट्रोल का धूंवा ही उडाते हैं, फुट-वर्क जैसी कोई चीज़ नहीं है। सब मोटरों में मौज करते हैं और उसका परिणाम ज़ीरो ही नहीं बल्कि माइनस है।

अध्यक्ष महोदय, गत १६ वर्षों में खाद्या-न्नों की कीमतें कोई कम नहीं बढ़ी हैं, तीस प्रतिशत बढ़ी हैं। और आपका उत्पादन घटा नहीं तो बढ़ा भी नहीं है और जन संख्या बढ़ी है। इन मुद्दों को आप मद्दे नजर रखते हुए उसके परिणाम निकाल सकते हैं कि उसका परिणाम क्या हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, अकाल राहत के सम्बन्ध में भी मैं दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। जहां तक कि मेरे डूंगरपुर जिले का सम्बन्ध है और उसके पड़ौसी जिले बांसवाड़ा का सम्बन्ध है मैं अवश्य यह कहूंगा कि सरकार ने हौसले के साथ जो कुछ भी काम किया है वह यद्यपि पर्याप्त नहीं है तो भी प्रशंसनीय है। प्राकृतिक दुर्घटनाओं से जो कमियां उत्पन्न होती हैं उनका कोई भी मनुष्य पर्याप्त रूपेण मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जो भी दुर्घटनाएं इन दो जिलों में मेरे देखने में आईं उसके मुकाबले में जो राजस्थान सरकार ने किया है वह एक हद तक प्रशंसनीय है। यह मैं कहे बिना नहीं रह सकता। १ करोड़ ६० लाख रुपया आपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों पर खर्च

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

किया है । उसमें से ६३ लाख बांसवाड़े में और ५६ लाख डूंगरपुर जिले में आपने खर्च किया । आपने अर्थवर्क कराकर कच्ची सड़कों का निर्माण किया । यह मैं मानता हूँ कि आप और क्या कर सकते थे । हजारों आदमियों को मजदूरी देना, रोजी-रोटी देने के लिए सिवाय सड़कों पर लगाने के और आपके पास कोई चारा नहीं है । किन्तु उसके साथ-साथ मैं यह भी मानता हूं कि आपने तालाबों और कुओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया । इतनी प्रचुरमात्रा में धनराशि जब आपने खर्च की तो आपको कम से कम जैसा कि मैंने अभी कहा आदर्श कुओं को वास्तविक आदर्श कुएं बनाना था । वह आपने नही किया । आपने तालाब नहीं बनाए । कम से कम ४ तालब तो आपको बनाने थे । खैर, वह जो पुराने जमाने में लाख-सवा लाख में जो तालाब बनते थे वे तो अब सवा बारह लाख में भी नहीं बन सकते । लेकिन कुछ भी करके आपको तालाब बनाने थे, कुएं बनाने थे, गांवई तालाब बनाने थे । इस तरफ आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया । और मैं सस्ती बातें तो नहीं कहना चाहता, लेकिन सस्ती और खस्ती बातें भी मेरे खयाल में कहना परमावश्यक है । मैं ५ मिनिट में वह भी कह डालूं आप सुन लें । लोगों के ऊपर बराबर दबाव डालकर ऐसा वातावरण उत्पन्न किया गया मानों कांग्रेस और कर्म-चारी एक ही हैं । अगर कांग्रेस और कर्म-चारी एक हैं तो विरोधीपक्ष उनका मुकाबला भी करे । यहां पर तो इस मुकाबले का कोई प्रश्न नहीं था, आम जनता का प्रश्न था और भूखमरी का प्रश्न था । उसके अन्दर बार बार-बार यह कहा गया कांग्रेस के द्वारा ही नहीं बल्कि बी डी. ओ. और कर्मचारी उसमें सबसे अग्रणी बनकर कहते थे, कांग्रेस वाले कुछ कहें तो ऐसी बातें सुनते आए हैं और उसका मुझे कुछ विशेष मलाल नहीं, किन्तु सरकारी कर्मचारी यह कहते हैं कि यह कांग्रेस करा रही है और कांग्रेस ही सच्चे रूप से अन्नदाता है इसलिए खाओ शपथ कि कांग्रेस को ही वोट दोगे । तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि अन्न-दाता और प्राणदाता कांग्रेस का अमेरिका है । अगर अमेरिकन एड के बिना यहां पर आप काम करते तो कभी का मेरे खयाल में आपका पट्टा ही उठ गया होता ।

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि विभिन्न रूप से आपका व्यवहार भी कितना बुरा है । बुरा ही नहीं बदतर है, यह चश्मदीद है । मैं तो पंचायतों का उदाहरण देता हूँ । एक पंचायत नांगली पंचायत है आसपुर पंचायत समिति के अन्त-र्गत । वहां पर न तो राहतकार्य और न विकास कार्य है । उन पर वहां एक छदाम भी आपने खर्च नहीं किया है । मैंने इस सम्बन्ध में कलेक्टर का भी ध्यान आकर्षित किया है, और शायद अब आपके पास तथ्य आये हों और उनमें "घिसपिस की घाणी आधा तेल और आधा पानी" की झूठ करके आपके पास आये हैं । उस वक्त बी० डी० ओ० ने कहा कि सरपंच बीमार हो गया । सरपंच कोई हो लेकिन यह जनता का प्रश्न है । वहां पर कुछ नहीं करते तो मैं इसका विरोध करता हूँ । आपको चाहिएकि कम से कम मिनिमम बेसिस पर, अगर आप अपनी पंचायत पर ५० हजार या १ लाख खर्च कर दें तो आपत्ति नहीं है, लेकिन मिनिमम बेसिस पर विकास कार्य और राहत कार्यों का हरेक

Page No. 26

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

पंचायत में बराबर रूप से वितरण होना चाहिए वह यहां पर नहीं हुआ।

एक दूसरी पंचायत जो सागवाड़ा पंचायत समिति के अन्तर्गत है। वह मेरे ख्याल से माननीय श्रम मन्त्रीजी, श्री भीखाभाई के कहने से उस करयाना नाम की पंचायत की यह स्थिति है कि वहां पर छदाम भी न विकास में और न राहत कार्य में खर्च हुआ। इन दोनों पंचायतों के सरपंच और उपसरपंच विरोधी पक्ष के हैं। क्या इस तरह का आपको व्यवहार करना चाहिये? अगर इस तरह का व्यवहार करते हैं तो यह जनतन्त्र नहीं हो सकता।

विरोधी पक्ष के लोगों की १०-१०, २०-२० फीट की थूर की बाड़ों को जिसके आर-पार हाथी नहीं हो सकता था उनको मिनटों में काट दिया, निर्दय रूप से काट दिया। क्या होता कि राहत कार्य के अन्दर आपकी सड़क १०-२० फीट इधर-उधर बना दी जाती? मैं आपके इंजीनियर की नीति को दूषित नहीं कहता, क्योंकि जब कभी भी उनके पास इस बात की शिकायत की गई तो उन्होंने सहानुभूति से बात की और जितनी भी वहां पर खराबियां हुई थीं उनको ठीक करने की चेष्टा की, लेकिन जो थूर की बाढ़ काटी गई थी वह कहां से वापिस उत्पन्न होगी। इस का मूल कारण कांग्रेस के छोटे-मोटे कर्मचारी, ओवरसियर लोग हैं। विरोधी पक्ष के लोगों को दबाने के लिए अगर इस तरह की दूषित नीति को अख्त्यार करते हैं तो एक निष्पक्ष इन्जीनियर कहां-कहां दौड़ता फिरेगा और कहां-कहां इस कुचोक को रोकता फिरेगा? यह बात आप स्वयं विचार कर सकते हैं। आपकी नीति दूषित है और आपका डिसिप्लिन, आपका नियन्त्रण जैसी कोई चीज वहां पर नहीं है। अवसरवादिता और अनुचित रूप से विरोधी पक्ष को दबाना यह एक स्वस्थ प्रणाली नहीं है। यह देश के लिए, मैं समझता हूँ, एक घातक नीति है।

जहां तक सरकारी दुकानात का प्रश्न है वहां पर मैंने यह अनुभव किया है कि आपका यह कोटा, परमिट, लाइसेंस, कन्ट्रोल-राज्य और किसी के लिए फायदे का होगा, लेकिन इस कोटा, परमिट, कन्ट्रोल और लाइसेंस राज्य में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो चुकी है, पक्षपात की पराकाष्टा हो चुकी है, और यह सरकारी दुकानों के जिन को लाइसेन्स दिये हैं उनमें दो दो विरोधी पक्ष वालों को लाइसेंस दिये। शोर्ट सेल किया तो हमारे पक्ष वालों ने कहा कि अगर इन्होंने शोर्ट सेल किया है तो इनको निकाल दो, लेकिन आप के जो लोग हैं वह तो सावला पड़ा सो ही लो, वहां तो जो कुछ भी हो वह ठीक है। उसकी कोई सुनवाई नहीं। आखिर कांग्रेस वाले भी तो मनुष्य हैं। मगर वे शार्ट सेल करते हैं और उनकी शॉर्ट सेल के सम्बन्ध में कोई शिकायत की जाती है तो कर्मचारीगण हम को यह आश्वासन देते हैं कि इन पर कार्यवाही की जायगी, लेकिन कब कार्यवाही की जायगी वह मेरी समझ में नहीं आता। तो मेरा यह निवेदन है कि आप यह जो तड़की तोलने वाले नकड़ी तानाशाह हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ विचार करें।

और मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वर्षा का अभी भी अभाव है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में यह स्थिति नहीं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

है कि वहां पर रबी की फसल भी अच्छी तरह से पक सके। तो मेरा मन्त्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि आप राहत-कार्य वहां पर बन्द न करें। अगर राहत कार्य में कुछ कमी करना चाहें तो कर सकते हैं। सरकार के साथ मेरी कुछ हद तक सहानुभूति है। छोटे जिलों के लिए डूंगरपुर के लिए

(१.०७ म. प.)

उनकी दूसरी भी व्यवस्था करनी है, यह आप भी नहीं चाहेंगे और मैं भी नहीं चाहूँगा कि वहां के लोग भूखों मरें। आपके जहां पर ५००० आदमी काम करते थे वहां पर ५०० या १००० आदमी रखें; आपको व्यवस्था करनी होगी और इस रूप में व्यवस्था करनी असंभव चीज नहीं हो सकती।

मैंने यह भी देखा कि राहत कार्य आपका जो कुछ भी हो रहा है वह पी. डब्ल्यू. डी. की मार्फत हो रहा है, पंचायत समितियों के द्वारा नहीं हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि सैकड़ों आदमियों को उजरत का वितरण जिला प्रमुख के घर पर क्यों हो साहब? यदि जिला प्रमुख के घर पर वितरण होता है तो सिद्धान्त के परे की चीज है। वहां पर स्थिति यह है, हम सुनते आये हैं, उन लोगों से कहा जाता है कि जो कुछ हो रहा है वह कांग्रेस के द्वारा ही हो रहा है, कांग्रेस ही अन्न दाता है। मैं समझता हूं सरकार का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह राहत कार्य करे और यदि वह नहीं करती है तो सरकार सरकार कहलाने योग्य नहीं है।

मस्टर रोल के फार्मस में गड़बड़ी रहती है तो हमेशा सिद्धान्त यह रहा है कि यदि किसी ने गलती की है तो उसको सजा दी जाय। एक हेलरेन नाम की पंचायत है। वहां का सरपंच कांग्रेसी नहीं है। उन्होंने लिख कर दिया है कि यहां पर कोई बैलगाड़ियों को काम में नहीं लिया गया है लेकिन मस्टर रोल में लिखा है कि २६-२७ बैल गाड़ियों से काम लिया गया और सैकड़ों रुपये बैलगाड़ियों के नाम से लिये हैं। इस संबंध में सरकार कुछ भी व्यवस्था करने को और सुनने को तैयार नहीं है।

मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण विषय पर दो शब्द कहना चाहूंगा। वह है उजरत का चुकारा। मैंने यह कहा था कि हर महीने १ तारीख को, १० तारीख को और २० वीं तारीख को चुकारा करें। यह भी नहीं हो सकता हो तो पहली और पन्द्रहवी तारीख को करें। पहली और पन्द्रहवीं तारीख को भी नहीं कर सकते तो मेरे खयाल से आपकी व्यवस्था और एडमिनिस्टेशन फाल्टी है और यह व्यवस्था एसी है जो गरीब आदमियों के लिये असुविधाजनक है। आप उनको क्या देते है? १ रु० २ आ. आदमी को, १४ आना औरत को १२ आना १० वर्ष से ऊपर के बच्चों को और देते हैं। आज के रुपये की क्रय शक्ति देखिये और भावों को देखिये क्योंकि भाव जो प्रतिज्ञा का सवाल है। कोई योजना कैसे चल सकती है जब कि आप भाव निर्धारित करते हैं, एलान करते हैं कि बाजरा, मिलो,

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मक्का के ये भाव होंगे, इस पर भी अमल नहीं होता तो क्या आपकी योजना और क्या आपका प्रशासन है, आपको सोचना चाहिये। अव्वल तो आप एलान नहीं करें और यदि एलान किन्हीं कारणों से करते हैं तो उस पर कायम रहिये। यदि आप कायम नहीं रहते हैं तो आप अनफिट हैं बिलकुल।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां से अनाज भी पर्याप्त मात्रा में गुजरात में जाता है। इस संबंध में भी मैंने डिस्ट्रिक्ट रिलिफ एडवाइजरी कमेटी में चर्चा की थी सुपरिन्टेन्डेन्ट ओफ पुलिस ने मेरी बातों पर गुस्सा प्रकट किया और कहा कि क्या आप के जमाने मे चोरी नहीं होती थी। मैंने कहा कि जी हां चोरी होती थी लेकिन चोरी दस गुणा ज्यादा होती है तो रुकावट के संबंध में क्या करते हैं। पुराने जमाने में यदि चोरी होती थी तो रुकावट भी की जाती थी, ५०.६० पुलिसमेन लगाये जाते और वे लोग पैदल घूमते थे। आज पैदल घूमने का क्या काम? आज खुले आम डाके पड़ते है। रतनपुर से बोरियों में भरकर अनाज बाहर जाता है पुलिसवालों को दे दिलाकर केस खत्म हो जाता है। इस तरह का बतीरा है। ६ महीनों पहले जो सामान्य आदमी थे उन्होंने लाखों रुपये बना लिये हैं उनके बारे में आप सोचिये। मैं किसी का नाम नहीं लेता लेकिन जनता-विरोधी एन्टी सोशियल तत्व हैं उनको काबू में नहीं ला सकते तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, आप स्वयं विचार करिये।

तो मेरा यह निवेदन करना है कि इस हद तक आपकी सहानुभूति उनके साथ रही है, यह वर्ष गुजरा है, चाहे डूंगरपुर को लीजिये, चाहे बांसवाड़ा को लीजिये ऐसा १०० वर्षों में भी नहीं गुजरा होगा यह मेरी मान्यता है। जो कुछ आपने किया, लेकिन जो कमियां हैं उनको आप पूरा करने की चेष्टा करेंगे तो मेरे खयाल से आप अच्छा करेंगे।

वर्षा की कमी के कारणों का अनुमान लगाते हैं तो डीफोरेस्ट्रेशन ही इसका कारण है। जंगल इस क्षेत्र में चाहे खेरवाड़ा हो, चाहे गोगुन्दा हो, चाहे धरियावद हो चाहे लसाड़िया हो, बांसवाड़ा हो, वहां पर करोड़ों रुपयों का जंगल कट चुका है और गरीब आदमियों को इससे रुपये में चार आना भी लाभ नहीं हुआ है, ठेकेदारों का भला हुआ है और इसके अंदर मेरे खयाल से वन मंत्री जैसे दब्बू महाशय क्या कर सकते हैं, इसमें भी मुख्य मंत्रीजी के कृपा पात्रों का लाखों रुपयों का फायदा हुआ है यह भी निर्विवादित बात है। बार बार हम कहते हैं।

(१.०७ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सरकार कुछ नहीं कर सकती। जो लकड़ी हल का काम करती थी, कूओं पर सिचाई का काम करती थी, जो गरीब आदिवासियों के घर के वास्ते अनिवार्य रूप से उपयोगी थी वे बुरी तरह से काट काट कर अहमदाबाद और अन्य स्थानों पर ले गये यह आपको शोभायमान नहीं होता।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

यह आपके दुर्व्यवस्था की पराकाष्टा है ऐसा मैं महसूस करता हूं।

बांसवाड़ा की वितरण व्यवस्था डूंगरपुर से बहुत ज्यादा खराब है। मैंने सुना है कि रतलाम और उदयगढ़ में हजारों बोरियें अनाज की पड़ी रहीं, उनको लोग उठा कर ले गये, हजारों कबूतर चुगते हैं, वहां पर एक भी चौकीदार नहीं रखा गया जो उन कबूतरों को उड़ा सके। आज अनाज का एक एक दाना बहुमूल्य हो रहा है उसका दुरुपयोग करेंगे तो मेरे पास, सिवाय उसका विरोध करने के क्या है। एक झुन्झुनूवाला कृपा पात्र कांग्रेस के थे उनको ठेका दिया गया। उनके पास ट्रक एक दो भी नहीं थे। बिना साधन के कहां से अनाज ला सकते थे। कलेक्टर को रिक्वेस्ट की तब बांसवाड़ा और अनाज मंगाया गया। कम से कम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अनाज जो मनुष्य के लिये देते हैं वह कबूतरों द्वारा चुगा जाय और जिस जगह उसको लाना चाहिये वहां समय पर नहीं ला सकें तो मैं यह कहूँगा कि शासन की व्यवस्था आपकी बहुत खराब है।

मुख्य मन्त्रीजी जब बांसवाड़ा गये तो दो दो दिन की मजदूरी का एडवान्स पेमेंट मजदूरों को देकर ५-५ मील हजारों की तादाद में मजदूरों को चलाकर भीड़ की भीड़ ले जायी गयी और उनके पीछे बी. डी. ओ. और सब की जीपें चलती थीं। वहां मीटिंग में उनको ले जाकर मुख्य मंत्रीजी की मीटिंग को सफल किया गया। मेरे खयाल से यह व्यवस्था आपकी बहुत बुरी है मैं इसका विरोध करता हूँ।

कुशलगढ़ बागीडोरा में एक आंदोलन शुरू किया गया। मैंने उस आंदोलन का नाम टोपी बदलो आंदोलन दिया। जस्ट टू बेड, लाल टोप उतार कर सफेद टोपी रखो। लाल टोपी रखोगे तो मारे जाओगे, भूखे मरोगे खबरदार। क्या प्रचार है? कुशलगढ़ और बागीडोरा के थानेदार और पुलिस के लोग जो वहाँ के बाशिन्दे थे उनको बाहर से बुला कर वहां रखा गया और रखने के पश्चात् तरह-तरह की बातें आपने कीं। मेरे खयाल से यह बहुत बड़ी पार्टी शासनारूढ़ दल के लिए सुशोभित करने वाली बात नहीं है।

खेरवाड़ा, सराड़ा, सलूम्बर में बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मुकाबले में आपके द्वारा राहत कार्य बिल्कुल नगण्य से हुए हैं—यह आपकी किताब से भी मालूम पड़ा। यह यह अलग रूप से दो मापदण्ड क्यों, साहब? मेरे खयाल से यह डिस्क्रिमिनेट्री पॉलिसी है। इसके अलावा एक तरह से खेरवाड़ा, सराड़ा, सलूम्बर के वन का जितना ह्रास हुआ है इस एक डेढ़ साल के अन्दर शायद गत पचास वर्ष के अन्दर भी उतना नुकसान नहीं हुआ है। क्या करें बेचारे आदिवासी? सिवाय इसके कि लकड़ी काट काट कर बेचें और अपना पेट भरें इसके अलावा उनके पास पेट भरने को और कोई चारा नहीं। खेरवाड़ा में खाद्यान्न के वितरण के विषय में रोष प्रकट किया गया है। हजारों की तादाद में जनता इकट्ठी हुई तो तहसीलदार साहब कुण्डी लगा कर दरवाजा बन्द करके अन्दर बैठ गये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खेरवाड़ा, सराड़ा, सलूम्बर के सम्बध में आपको उचित व्यवस्था करनी चाहिए और वहां भी राहत कार्य खोलने चाहिए।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मेरा यह भी निवेदन करना है खाद्यान्न का मूवमेंट जिला टू ज़िला होने में रुकावट नहीं होनी चाहिये। आप कहेंगे कि आज भी रुकावट नहीं है। लेकिन आपके यहां रेडटेप इतना है और ढिलंगाई इतनी है कि वह एक तरह से रुकावट ही है। महीनों तक अगर सुनवाई नह हो तो फिर टाइमली मूवमेंट ऑफ़ फूड ग्रेस नहीं हो सकता है। मेरा निवेदन है कि आप स्वयं इस सम्बन्ध में विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द डूंगरपुर के पेय जल के सम्बन्ध में आपको निवेदन करना चाहूंगा। सन् १९२५ से १९५० तक डूंगरपुर शहर की जनता को फिल्टर किया हुआ पानी दिये जाने की व्यवस्था थी। वह व्यवस्था सन् १९५० में समाप्त की गई। डूंगरपुर की जनता को जब फिल्टर का पानी दिया जाता था उस समय नल योजना उदयपुर में नहीं थी और कई जगह वर्तमान उदयपुर जिले में भी नहीं थी। लेकिन यह व्यवस्था भंग करके आपने क्या किया? आपने सिंचाई की योजनाओं का निर्माण किया। सिंचाई की योजना दक्षिण की ओर से बनाई और उत्तर की ओर लेजाई गई। लेकिन उत्तर की तरफ जो केनाल बनाई उसका सिरा ऊंचा रह गया और दक्षिण की ओर नीचा रह गया। उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो नजदीक पर बांध है उससे सिंचाई का पानी जब निकला तो वह उत्तर की ओर जाने के बजाय . . .

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह लिफ्ट इरिगशन का आइडिया तो नहीं था?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वही।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हर चीज के अन्दर लिफ्ट इरिगशन हो रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : वही है, २४ और १२ करोड़ का जो बताया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हर जगह रेगुलर फॉल से इरिगेशन के बजाय लिफ्ट इरिगेशन की योजना इस सरकार की है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सुनिये तो सही, इस योजना की खूब सूरती क्या है।

वह पानी थाना गांव में पहुँचा। वहां चांवल, पेडी, की खेती होती है, और उनके खेतों के चारों तरफ बड़े बड़े आम के वृक्ष हैं। आप सोचें उन आम के वृक्षों पर जो दस दस, पन्द्रह पन्द्रह हजार आम लगते थे वह सब के सब सड़ कर मर गये और उस जमीन के अन्दर पानी पहुंचा जहां अच्छे से अच्छे किस्म के साल और कनोद चांवल पक रहा था वह खत्म हो गया। तो पानी उत्तर की ओर नहीं गया। अब आप देखिये कि डूंगरपुर शहर की जनता को आप क्या पिला हैं? आप पिलाते हैं गन्दा और यूरीनेटेड वाटर और गोबर। वहां जो पानी भरा है, वहां पर पांच हजार मवेशी आकर गोबर करते हैं और गन्दगी फैलाते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपके साथ यह दुर्गति की। अब हमारे साथ यही दुर्गति करने वाले हैं। नागौर में पानी पहुंचाने के उत्साह में बीकानेर और लूणकरणसर को मारने वाले हैं भूखा और प्यासा। वहां भी पानी नहीं गोबर पिलाना चाहते हैं। वहां की हालत भी देखिये।

Page No. 31

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इन गुनहगार लोगों को अपन सब मिलकर ठोकर मार कर निकालें ।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अफसोस यह है कि बिल्ली के चाहने से छींका टूटता नहीं है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपका छींका है, आप ही उसे रखिये ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट मिल जायेंगे ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : ठीक है साहब, रहने दीजिये ।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हमारा काम तो आपको किसी तरह हटाना है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : दुबारा राजा महाराजा को लाना चाहते हो ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप से तो राजा महाराजा बहुत ठीक हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : खैर ! राजा महाराजा का समय तो बीत गया ।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक दूसरे को चाटो ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : राजा महाराजा का समय तो बीत गया। मैं उसकी बात नहीं करता । मैं तो आपके शासन की बात करता हूं । राजा महाराजा से मेरा ताल्लुक नहीं है । लेकिन राजा महाराजा के समय की व्यवस्था आप से बदतर नहीं थी । खैर ! छोड़िये इस बात को ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर की जनता के लिए, जो वहां पुराना तालाब बना हुआ है उसमें पानी भर गया है, वहां से सीमेन्ट के पाइप लगा कर आप पानी लायें । पहले भी आठ मील में से चार मील पाईप लाइन थी और डूंगरपुर शहर की जनता को फिल्टर्ड पानी मिलता था । दो इंच पानी से दो वर्ष के लिए आवश्यक पानी उसमें भर जाता था । आप भले ही आदिवासियों के वास्ते करोड़ों रुपया खर्च कीजिये मैं उसका स्वागत करता हूं । वहां बहुमत में आदिवासी हैं इसलिए उनके उत्थान के लिए आप खर्च करें, यह मैं मानता हूं । लेकिन डूंगरपुर में दूसरे जो नागरिक रहते हैं, उनमें एक पर्सेन्ट लोग भी आदिवासी नहीं हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि वहा कोई काम ही नहीं किया जाय और उनको गोबर पिलाया जाय । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने एक नोट भी दिया है कलेक्टर को इस सम्बन्ध में । अड़वाड़ा बांध का पानी जो १९२५ से १९५० तक डूंगरपुर की जनता को मिलता हुआ आया है उसी तरह फिल्टर्ड पानी आप उनको दीजिये । उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर जो फिल्टर का टैंक था उसमें एक गधा मर कर पड़ गया लेकिन उसको बाहर निकालने वाला कोई नहीं है । इसके अलावा जो पाइप लाइन थी चार मील उसको लोग लूट कर ले गये । वह कहां गये उसका कोई पता नहीं है । क्या शासन है यह ? यह तो शासन नहीं दुस्शासन की पराकाष्ठा है । इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि डूंगरपुर शहर की जनता के लिए शुद्ध पेय जल के सम्बन्ध में आप जल्दी से जल्दी व्यवस्था करें और

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

उसका जो अधिकार १९२५ से १९५० तक था उसको बदस्तूर रेस्टोर करें। मैं आशा करता हूँ, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की है, जो डेस्ट्रक्टिव हो, सब कन्स्ट्रक्टिव बेस्ड हैं और सब मैंने कन्स्ट्रक्टिव और रचनात्मक सुझाव दिये हैं। आपको इन पर विचार करना है तो करियेगा। मैं आशा करता हूँ, आप निष्पक्ष रूप से विचार करेंगे तो इसमें आपकी हानि नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री व्यास !

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्यान्न के सम्बन्ध में माननीय मन्त्रीजी ने जो अपनी रिपोर्ट रखी है और विरोधी दल के माननीय नेता ने जिस प्रकार से अपने विचार उसके सम्बन्ध में व्यक्त किए हैं, मैं भी निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान में तीन चार वर्ष से जब से पानी की कमी आ रही है उनके अन्दर सबसे अच्छा वर्ष खाद्यान्न के सम्बन्ध में अगर देखें तो १९६२-६३ का वर्ष था, जिस साल राजस्थान में पूरी तरह से पैदावार हुई....

श्री **चौसरसिंह बावेल** (वेगूं) : जब भीलवाड़ा में चुनाव हुआ था।

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : जी हां। १९६२–६३ के बाद के हर साल के आंकड़े उठा कर देखें तो कभी आठ जिलों में वर्षा कम हुई तो कभी दस जिलों में वर्षा कम हुई और पिछले साल तो २६ जिलों में से २४ जिलों में वर्षा कम थी। वर्षा में कमी होने की वजह से, जैसा विरोधीदल के माननीय नेता ने बताया कि पिछले सालों में १९६४-६५, १९६५-६६, १९६६-६७ के ये तीन साल निकले हैं जब कि बरसात की कमी होने की वजह से खाद्यान्न की पैदावार कम हुई है। इस प्रकार जो रिपोर्ट हमारे सामने प्रस्तुत की गई है उसमें भी जो १९६३-६४ तक आंकड़े दिए गए हैं, उसमें उन्होंने बताया है कि १९६२–६३ और १९६३–६४ तक इतने लाख पैदावार कम हुई है। उसके बाद के आकड़े नहीं दिए हैं। उनके लिए भी विरोधी दल के माननीय नेता ने मिनिस्टर महोदय से कहा है कि वह आंकड़े प्रस्तुत करें ताकि सारे सदस्यों को सही प्रकार की स्थिति मालूम हो जाय कि हम किस स्थिति में है और इन वर्षों में हमारे खाद्यान्न में क्या कमी आई है। विरोधी दल के माननीय नेता ने यह भी कहा कि खाद्यान्न में कमी का मूल कारण है हमारी योजना में कमी होना या जो योजनायें हमने बनाई हैं उनके अन्दर डिफेक्ट होने की वजह से कमी आई है। इसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक योजना की बात है, हमने तरह तरह की योजनायें खाद्यान्न को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अपनाई हैं। मैं समझता हूं कि उनसे यह मतलब निकालना उचित नहीं है कि योजनाओं में कमी होने की वजह से खाद्यान्न के उत्पादन में कमी आई है। मैं कम से कम इस बात को नहीं मान सकता और जो यह उत्पादन में कमी आई उसका तो सही कारण सबको मालूम है कि तीन चार वर्ष से राजस्थान में बरसात की भारी कमी रही। जो मुख्य पैदावार हमारे राजस्थान में जो कुछ होती है वह बरसात पर डिपेन्ड करती है। इसलिए जो योजनायें हमने बनाई हैं वह तो उत्पादन

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

में सहायक होती हैं। जब बरसात अच्छी तरह से हो जाती है तो उसमें हमारी योजनायें सहायता करके अच्छी से अच्छी पैदावार करने में सहायक होती हैं जहां तक उत्पादन करने के सम्बन्ध में जो हमने योजनाएं बनाईं, बड़े बड़े बांध बनाये और कुए बनाये या नहरें बनाईं या लोगों को खाद और बीज देने का प्रबन्ध किया है उनमें तो कोई उस प्रकार की त्रुटि नजर नहीं आई जैसी अभी विरोधी दल के नेता ने कहा कि कहीं खाद नहीं मिली और कहीं बीज नहीं मिलते। यह बात नहीं है। मगर मैं यह कह सकता हूँ कि जो भी खाद्यान्नों की कमी आई है वह दो तीन वर्ष से लगातार वर्षा की कमी के कारण आई है। सैकड़ों वर्षो में, मैं कह सकता हूँ कि जब विरोधी दल के नेता का राज्य था उस समय भी ९६ के साल अकाल पड़ा और २००८ की साल अकाल पडा उस समय में किस प्रकार की पैदावार हुई यह भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि राजस्थान का ज्यादातर एरिया ऐसा एरिया है जो मरूस्थल है और जहां पर वर्षा की कमी है और इस कारण से कमी आती रहती है। मैं राजस्थान सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पिछले दो तीन वर्षो से भारत सरकार से मिलकर हमारे यहां पर जो नीति अपनाई या जिस प्रकार से अन्न की व्यवस्था की, हमारे यहां से खाद्यान्नों को बाहर नहीं जाने की व्यवस्था की और बाहर से भारत सरकार से लेकर लोगों को नाज देने की व्यवस्था की है उससे लोगों को काफी राहत मिली है। यह सही है कि कमी के कारण कुछ लोगों को जैसा हमें महसूस होता है लाइन में खड़े होकर अनाज लेना पड़ता है और देशी अनाज जिसे हम चाहते हैं वह नहीं मिल पाता क्योंकि अकाल की स्थिति है इसलिये यह हालत है।

हमारे यहां खाद्यान्नों की स्थिति सन् १९६२ और ६३ में थी वह दो तीन वर्षो से वर्षा नहीं होने से खराब रही है। ६५-६६ के वर्ष तो काफी जिलों में अकाल की स्थिति से अन्न की स्थिति खराब हो गई और हर जिले और गांव में जगह जगह दुकानें खोल कर अनाज की सप्लाई करते रहे। और उसकी वजह से लोगों को जहां ९८)रु० और १००) कि. के भाव के गेहूँ या जौ या मक्का बाजार में मिलता था, उसके बजाय सरकारी दुकानों से कम भाव पर मिलने की व्यवस्था सरकार ने की। सरकार ने इस प्रकार गेहूँ और ज्वार और मक्की वितरण करके पिछले दो तीन वर्षों के लिए राहत पहुंचाई है इसलिए इसके लिये तो सरकार धन्यवाद की पात्र है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले साल में जहां जहां अकाल की स्थिति थी वहां वहां पर सरकार ने दुकान खोल कर आयातित नाज का वितरण करने की व्यवस्था की है। और जो भी फेमिन में लोग काम करने वाले हैं उनके लिये ८ से १२ या १५ किलो जैसा कि आपके नोट में है, अनाज देने के लिए कहा मगर आपकी निगरानी नहीं होने से इसमें कुछ न कुछ ढिलाई आई है। क्योंकि उनको ८ किलो से १२ या १५ किलो अनाज जैसा कि आपने तय किया था मिलना चाहिये वह नहीं मिल सका। आज पिछले तीन चार महीनों से

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

उनको ५ किलो मिल रहा है। इसके अलावा सितम्बर के महीने में भीलवाड़ा जिले को बिल्कुल कोटा नहीं मिला और उसके फलस्वरूप किसी भी दुकान पर मिलो या मक्की आदि, जिसकी आपके द्वारा व्यवस्था की गई थी, नहीं पहुंची है। क्योंकि वहां दो तीन साल से भीलवाड़ा में बराबर अकाल की स्थिति रही है। जहां पिछले साल ५०० या ४०० गांव अकाल पीड़ित थे वहां आज १२०० गाँवों में अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। खरीफ की फसल नहीं पक पाई है। और जहां कहीं कुछ फसल थी जो हमने पैदा की वह भी वर्षा नहीं होने से करीब करीब आधी भी नहीं रही है। रबी की फसल भी होने की संभावना नहीं पाई जाती है क्योंकि अगस्त के महीने तक बिल्कुल वर्षा अगस्त के पहले नहीं हुई और अगस्त के महीने तक भीलवाड़ा में १०० या १५० गांव ऐसे हैं और खास कर मेरे जिले में तो २५–३० गांव ऐसे हैं जहां अगस्त के पहले एक वर्षा नहीं हुई और जब वर्षा नहीं हुई तो बोवाई नहीं हुई जिससे वहां हल नहीं हांका गया और बीज नहीं डाले। अतः वहां पर उन गांवों में अकाल की स्थिति फिर भी बनी हुई है। मगर वहां पर न तो कोई राहत कार्य चलाने की व्यवस्था की है न वहां पर अनाज पहुंचाने की व्यवस्था की गई है।

सरकार ने बहुत से स्थानों पर राहत कार्य १५ अगस्त के बाद बन्द कर दिये। जब कि कलेक्टर से आपको रिपोर्ट आ गई कि यहां पर वर्षा नहीं हुई है और वहां पर कार्य चलना नितान्त आवश्यक है। हालांकि सरकार ने बहुत से काम किये हैं और अच्छे काम किये हैं, मगर इस वर्ष जिन गांवों में अभी तक वर्षा नहीं हुई है और कोई फसल नहीं बोई गई है, ऐसे गांवों की रिपोर्ट आपके पास पहुंच चुकी है वहां पर तो राहत कार्य करने चाहिये और व्यवस्था करनी चाहिये ताकि जो व्यवस्था आपने समय समय पर की है उससे उनको संतोष हो सके।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली साल आपकी सबसे बड़ी कमी रही है तो वह यह कि आप समय पर मजदूरों का पेमेंट नहीं कर पाये। इसके लिये बार बार निवेदन किया गया था कि समय पर उन लोगों को पेमेंट किया जाना चाहिये और वह पेमेंट बराबर उनको समय पर नहीं हो रहा है। कभी दो दो महीने में जाकर उन लोगों को पेमेंट हुआ और कई लोगों को अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। जिस समय इसके लिये अफसरों से कहा जाता है तो वे कहते हैं कि उनके पास न तो जीप है न उनके पास इसके लिये पूरा स्टाफ है। जितना स्टॉफ है उससे उतना ही काम हो सकता है जो संभव होता है। हम कोई मशीन नहीं है जिससे आपके कहने के मुताबिक काम पूरा कर सकें। और वास्तव में यह उनका कहना ठीक है। रोज उनको खाने को अनाज चाहिये। इसलिये वैसे मजदूर लोगों को पेमेंट समय पर अवश्य मिलना चाहिये चाहिये। अगर आप उन गरीब लोगों की समय पर पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका यह करोड़ों रुपया जो उनके राहत के लिए खर्च किया जाता है उसका कोई नतीजा नहीं निकलता और जो संतोष उनको मिलना

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

चाहिये नहीं मिलता और आपने जिस भावना से काम किया कि कोई भी आदमी बेकार अकाल के समय में नहीं रहे और भूख से नहीं मरे, उसकी कमी रहती है। इसलिये मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि आपने ५ या ६ करोड़ रुपया खर्च करके लोगों को अकाल के समय राहत पहुँचाई है तो इस प्रकार का कार्य करें कि उनको समय पर पैसा मिल जाए और इसके लिये ऐसे कर्मचारियों को रखा जावे जो उनको समय पर पैसा दिला सकें तो आपका यह कार्य सोने में सुहागा हो जाता है और जो काम आपने किया है उसके चार चांद और लग जाते हैं। राजस्थान सरकार ने जो काम किया है उसमें और ज्यादा ख्याति मिल सकती है।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि ३१ जुलाई तक हमारे यहां पर राहत कार्य था। इसके लिए शुरू में आदेश थे उसके बाद में जब वर्षा की कमी रही और सरकार ने यह मुनासिब समझा कि जब तक दूसरी फसल नहीं आ जाती है और अच्छी वर्षा नहीं हो जाती है तो उनको १५ सितम्बर तक चालु रखें।

३१ जुलाई के बाद में १५ सितम्बर तक के बीच के अर्से में महीने डेढ़ महीने का टाइम निकला इसमें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लोगों ने मन माना किया। जो लोगों को मस्टर रोल मिलने चाहिये वह नहीं मिले। १५ अगस्त को लोग मजदूरी पर आते थे उनके लिये था कि उनको काम पर लगाया जाय पर उन्हें काम पर नहीं लगाया। लोगों ने काम किया फिर भी उन लोगों को मस्टर रोल नहीं दिये और ऐसे हजारों लोगों का काम खटाई में पड़ा है। असिस्टेन्ट इन्जीनियर, इन्जीनियर और कलेक्टर के नोटिस में लाये, स्पोट पर इन्स्पेक्शन कराया फिर भी इन्तजाम नहीं हुआ। इस लिये मैं उपमन्त्रिणी महोदया का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस सम्बन्ध में उचित कदम उठावें ताकि जिन लोगों ने काम किया है, उनको पैसा मिले। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे राजस्थान में बराबर दूसरे तीसरे साल अकाल पड़ते रहते हैं और हर साल व्यवस्था करनी पड़ती है। यह देखा गया है कि खास तौर से चारे के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार किसी प्रकार के फोडर बैंक्स स्थापित नहीं करती जिससे कि मवेशियों को समय पर चारा मिल सके।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : ऐसी महत्वपूर्ण फूड डिबेट हो रही है और ट्रेजेरी बैंच पर कोई नहीं है।

एक माननीय सदस्य : उप मंत्री महोदया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि फोडर बैंक का इन्तजाम करना चाहिये जिससे कि ऐसे संकट के समय में हमें कठिनाई नहीं झेलनी पड़े। कई बार ऐसी कठिनाई देखी गई है कि किसानों को पन्द्रह पन्द्रह बीस बीस मील दूर जाकर अपने मवेशियों के लिये बीस बीस, रुपये मन तक के भाव से चारा लाना पड़ा है। तो मेरा निवेदन है कि फोडर बैंक्स स्थापित करने चाहिये, जिससे कि इस प्रकार

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

के अकाल के समय में लोगों को सस्ता चारा सप्लाई किया जा सके, उनके मवेशियों को पाला जा सके, मरने नहीं दें।

पंचायतों को बीड़ दे दिये जाते हैं, उन बीड़ों में मवेशी चरा दिये जाते हैं, घास इकट्ठा नहीं किया जाता। जब पानी नहीं बरसता और घास नहीं होता तो उस समय बड़ी कठिनाई होती है चारा नहीं मिलता है, इस लिये मेरा सुझाव हैं कि जितने बीड़ जंगलात के पास हैं उनको नीलाम करा के पंचायसों को नहीं देना चाहिये बल्कि घास काट कर इकट्ठा करना चाहिये जिससे कि ऐसी विपत्ति में काम आ सके।

इसके साथ ही साथ में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि जो एनीक्ट्स पंचायत समितियों द्वारा पिछले अकाल के समय बनाये गये उनमें इस प्रकार का प्रावधान था कि इनमें किये गये श्रमदान का पैसा फेमीन डिपार्टमेंट देगा पर जितना तालाबों का, एनीकट्स का काम हुआ उनमें जो श्रमदान से काम हुआ उसका पैसा अभी तक फेमीन डिपार्टमेंट द्वारा नहीं दिया गया है। इसी प्रकार कुओं का काम हुआ है, उसमें जो श्रमदान किया गया उसका पैसा नहीं मिला है। जो काम पंचायत समितियों द्वारा करवाये गये हैं उसके लिये फेमीन डिपार्टमेंट द्वारा पूर्ति करने का कहा गया था वह फेमीन डिपार्टमेंट द्वारा नहीं दिया गया है, मजदूरों का पैसा बाकी है इसलिये यह पैसा जल्दी दिलवाया जाय ताकि मजदूर लोगों को पेमेंट हो सके और व्यवस्थित ढंग से यह काम चल सके।

एक और सुझाव मैं देना चाहता हूं। जैसा कि खाद्य मंत्री ने अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित किया है कि हम इस साल रबी और खरीफ की फसलों पर सात, आठ जिलों को छोड़ कर बाकी सब जिलों में अच्छी फसलें हुई हैं उनमें कुछ अनाज प्रोक्योर करेंगे। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि गये दो तीन सालों में देखा है कि आप जो रेट्स अनाज की प्रोक्योर करने के लिए निर्धारित करते हैं, उनसे अनाज मिलना मुश्किल है। जैसा कि आप रिपोर्ट में देते हैं कि आपके द्वारा निर्धारित रेट्स पर आपको कहीं से चना नहीं मिला, किसी ने आपकी निर्धारित रेट्स पर चना देने के लिए टेन्डर्स नहीं दिये और आखिर बाजार रेट पर आपको चना खरीदना पड़ा। तो मेरा सुझाव है कि अगर आप अनाज प्रोक्योर करना चाहते हैं, अगर अनाज के बफर स्टॉक कायम करना चाहते हैं तो बाजार की रेट्स देख कर इस प्रकार रेट्स निर्धारित करिये जिससे कि काश्तकार एट्रैक्ट हों, वे रेट्स काश्तकारों के लिए प्रोफिटेबल हों, ऐसी रेट्स निर्धारित कर के खरीदेंगे तो आपको काश्तकारों से अनाज मिल सकेगा। अगर आपकी मार्केट रेट के मुकाबले में लोएस्ट रेट्स होती हैं तो आप अनाज के स्टॉक नहीं बना सकेंगे। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था करें कि लोगों को पैसा भी मिले और एट्रैक्ट भी हों कि सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा अनाज स्टॉक करवायें। इस प्रकार की व्यवस्था होगी तभी हमारा काम ठीक प्रकार से चलेगा।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

Page No. 37

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल!

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय,.... ...

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मन्त्री) : जज साहब को बोलने दो पहले।

श्री उपाध्यक्ष : Yes.

रावल श्री अमरसिंह (जासोल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, य? सर्व विदित सत्य है कि राजस्थान के अन्दर पिछले कई सालों से दुर्भाग्यवश अकाल हो रहा है। बाड़मेर जिले की दुर्भाग्य से विशेषता है कि पिछले ४ वर्षों से लगातार अकाल की परिस्थिति रही है और यह इस साल ५ वां वर्ष है कि एक भयंकर अकाल के फंदे में बाड़मेर की जनता पड़ गई है। सिवाना और पचपदरा तहसीलों के गांवों को छोड़ कर बाकी ५००, ६०० गांवों के बड़े क्षेत्र के अन्दर यह हाल हो रहा है कि आज दिन तक बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी है। वहां की परिस्थिति ऐसी है कि मानो अप्रेल या मई का महीना हो, जमीन के ऊपर एक भी हरा तृण देखने को नहीं मिलता, लोगो के हल ज्यों के त्यों तैयार किये हुए पड़े हैं, हल जोतने की नौबत नहीं आई है। इस परिस्थिति का सामना करते हुए लोगों की व्यवस्था इस तरह की हो रही है कि हजारों की संख्या के अन्दर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट का ध्यान इस तरफ आकर्षित हो, जो मैं कहना चाहता हूँ आप इसमें एक्जेजरेशन का लवलेश भी नहीं पायेंगे, वास्तविक परिस्थिति से मैं सदन को और आपको अवगत कराना चाहता हूं, लोग हजारों की तादाद में मवेशी ले कर घर छोड़-छोड़ कर बाहर चले हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, स्वयं को पता नहीं। सुनते हैं जिस तरफ बारिश है, उसी तरफ रवाना हो गये, आगे चारागाह है या नहीं, चराई की परिस्थिति मिलेगी या नहीं, उनको कोई इल्म नहीं। परिवार के आधे जन तो मवेशी के साथ जा रहे हैं कुछ आधे लोग अपने घरों पर बैठे हुए हैं बच्चों को लेकर। बालोतरा से बाड़मेर जाते हुए मैंने कई जगह ठहर ठहर कर लोगों के हालात समझने की कोशिश की। मालूम यह हुआ कि करीबन १५-२५ प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने के लिए घर पर सीधा नहीं है, लोग ऐसी परिस्थिति में हैं जिनके पास खाने के साधन नहीं हैं। मैं १६ अगस्त को गया था, उस समय तक लोगों को आशा थी कि भगवान की हम पर कृपा होगी, वर्षा होगी, हम भी खेती करेंगे तो इसी भरोसे से कहीं धान मिल सका तो लोग उधार लाकर अपना कारोबार चलाते रहे। आज क्या हालत है उनकी, वह सही रूप से मैं नहीं बता सकता। परन्तु परिस्थिति इन लोगों की बहुत खराब है। मैंने कलेक्टर महोदय को यह सुझाव दिया था २० तारीख को कि आप सरकार को यह लिखित रूप में भेजें कि धान-वान की तो पीछे बात करें लेकिन फिलहाल मवेशियों का प्रश्न पैदा होता है, हजारों की संख्या में मवेशी है, हमारा क्षेत्र पशु-पालक क्षेत्र है। अगर ये मवेशी नष्ट हो गए तो लोगों के पास कमाई का कोई साधन नहीं रहेगा, उनकी आर्थिक स्थिति खराब होगी, आप सरकार को लिखें कि किस जगह मवेशी माइग्रेट कर सकते हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि इतनी बड़ी तादाद में मवेशियों को हम बाहर से घास मंगाकर नहीं खिला

(रावल श्री अमरसिंह)

सकते, हम आपको विषम परिस्थिति में नहीं डाल सकते कि बाहर से चारा मंगाओ न ही लोगों के पास इतना पैसा है कि घास खरीद कर मवेशियों का पालन कर सकें। हम तो चाहते हैं कि किसी ऐसी जगह इनको ले जायं, जहांपर इनका निर्वाह हो सके। फिर मैंने यह भी सुझाव दिया था कि क्षेत्रवाइज डाइरेक्शन्स दिए जायं कि सांचोर के मवेशी कहां जा सकते हैं और बाड़मेर की अन्य तहसीलों के मवेशी कहां जा सकते हैं, नजदीक कौन सा पड़ता है, कितने मवेशीयों के लिए कौन सी जगह कितने समय तक टिकाऊ हो सकती है। यह सब मैंने निवेदन किया उस मीटिंग में। मुझे यह प्रतीत होता है कि कलेक्टर करे तो क्या करे? मैंने जब पहले की मीटिंग्स की प्रोसीडिंग्स पढ़ी तो मालूम हुआ, सरकार को बहुत से रेफरेन्सेज किए गए, उनका विवरण मुझे याद नहीं है लेकिन सरकार की तरफ से जवाब भी नहीं आया। मेरे एक साथी ने कहा कि जवाब ही नहीं है, उनका कोई निर्णय नहीं है तो हमारी बकवास करना फिजूल है। मेरा सुझाव था कि बकवास तो करलें नहीं तो आगे विधान सभा में बकवास करेंगे। मैंने सुझाव दिया था, कोई एक्शन नहीं लिया गया।

मैं २१ तारीख को अपने गांव से जोधपुर आते हुए कई जगह ठहरा तो मालूम हुआ कि कई मवेशी आ रहे हैं और कई वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या करें, हमें मालूम नहीं कि हमको कहां जाना है और आगे किस के लिए घास है या नहीं। पता नहीं घर वालों का समाचार नहीं है इसलिए जहां भविष्य होगा वहां जाते हैं। मारे-मारे ये लोग इधर से उधर बगैर किसी की गाइडेन्स के जाते हैं। मुझे दुख के साथ निवेदन करना पड़ेगा कि गाइडेन्स तो दर-किनार रही, उन लोगों के साथ किसी की सहानूभूति नहीं। मैंने अभी चेम्बर में अपने माननीय नेता से बात की, तो उन्होंने मिसाल दी "रोम बर्न्स व्हाइल नीरो फिडिल्स"। मैं समझता हूं, यह बिल्कुल ठीक है। कृषि मंत्री ने कहा कि हम सब प्रबन्ध करेंगे लेकिन मुझे आपके आश्वासनों पर कोई विश्वास नहीं आता और मैं समझता हूं कि यदि आपका संकल्प होता, तो कुछ न कुछ प्रबंध करते। मैं फिर भी आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस मामले को सीरियसली लें। अब भी it is not too late. अभी भी समय है, समझदार आदमी वह है, जो समय रहते लोगों के दुखों को समझ सके। आप यह सोचें कि कितनी जगह, कौनसी जगह, कितने मवेशी, कितने समय तक टिकाऊ हो सकते हैं। ऐसे १०-१५ दिन के अंदर यह जानकारी दें कि कौनसी जगह मवेशियों को किस तरफ जाना है, जिसको गाइडेड, माइग्रेशन कहते हैं, जिसकी परमावश्यकता है। ऐसा न करने पर मवेशी मर जायेंगे, देश का धन नष्ट हो जायगा और इर्रेपेरेबुल लॉस होगा जिसके लिए सरकार कम्पेन्सेशन तो क्या, उस नुकसान को पूरा करना सरकार के लिए संभव नहीं होगा।

एक तरफ यह हुआ कि अन्न की बड़ी भयंकर स्थिति हो रही है। बहुत से लोगों को, बहुत से तो क्या, ८० प्रतिशत लोग आपकी चीप ग्रेन शॉप्स पर निर्भर हैं। अगर चीप ग्रेन शॉप्स बंद हो जायं या

(रावल श्री अमरसिंह)

इनकी व्यवस्था खराब हो जाय, तो उनके लिए बड़ी समस्या पैदा होती है । इन शॉप्स के लिए मेरा निवेदन है कि इनकी परिस्थिति बड़ी खराब है । पहले तो ऐसे क्षेत्र में एक एक चीप ग्रेन शॉप के पीछे २०–२० गांव लगा दिए । दूर–दूर से ये लोग धान के लिए वहां पर आते हैं, आने पर उनको जवाब दिया जाता है कि अब धान नहीं है । सप्लाई की व्यवस्था अत्यन्त दूषित है और अगर यह व्यवस्था ठीक नहीं की गई तो इसके परिणाम दिन प्रति दिन भयंकर रूप धारण करेंगे और लोग हिंसा पर आजायं तो भी आश्चर्य नहीं ।

मेरा सुझाव है कि हर पंचायतसमिति के हैडक्वार्टर पर एक चीप ग्रेन शॉप का होना परमावश्यक है । अगर किसी जगह जरूरी हो तो दो भी खोल सकते हैं । लेकिन इनका सप्लाई रेग्युलर होना परमावश्यक है । एक उदाहरण मैं यहां पेश करता हूँ । हमारे पास तिलवाड़ा गांव में चीप ग्रेन शॉप है । १५–२० गांव उस पर लगते हैं । अनाज खत्म हुए २० दिन हो गये । एक वैगन गेहूं का कहते हैं स्टेशन पर आया । वह १५–२० दिन से पड़ा है । बिल्टी नहीं आई लोग भूख से मरते-मरते वापस लौट गये और अब कहा जाता है कि यह अनाज जोधपुर डिवीजन का नहीं है, जोधपुर डीविजन के बाहर के लिए है यह वैगन । तो आपकी अव्यवस्था की कोई पराकाष्ठा होती है ? मुझे यह भी शिकायत है कि आप सही–सही हालात को जानने की कोशिश नहीं करते । मैं आशा करता हूं कि विषम समस्या को देखते हुए, हमारे मन्त्री महोदय सतर्कता, से अपने टेलेंट्स इसके अन्दर एप्लाई करेंगे और लोगों के प्रति जो सद्भावना आज तक दिखाई है, मैं समझता हूं कि १०० गुना ज्यादा दिखाने की कृपा करेंगे । आज तक सद्भावना सिवा वोट के लिए भीख मांगने और अपना स्वार्थ सीधा करने के, लोगों के प्रति सच्ची सद्भावना की कोई छाया भी नहीं मैंने देखी ।

अब सरकार ने ऐसी भुखमरी की हालत में क्या प्रबन्ध किया, सद्भावना की ? हमारा दुखदर्द पूछा इसके बजाय क्या मिला ? इसका एक उदाहरण मैं देता हूं । श्रावण बीता वर्षा नहीं हुई, मैं बाहर था, पीछे वर्षा हुई थोड़ी बहुत । तो मैं देखता हूं वापिस आकर कि चालीस–पचास आदमी घर के बाहर आकर बैठे हुए हैं । पूछने पर पता चला कि तहसील से कुर्की आयी है और हमारी मवेशियों को कुर्क कर दिया गया है । यह सब तकावी की वसूली के लिये किया गया है और हमें बाध्य किया जा रहा है कि हम हल न चलायें । बड़ी आश्चर्यजनक बात है । मवेशी, बैल ये सब खेती करने के साधन हैं । जो सिविल प्रोसिजर कोड ऐसे मामलों में कुर्की से एक्जेम्प्ट करती है वहां सरकारी मतालबे के लिये कुर्की की जा रही है । कुर्की का समय कब मिला, जब पहली बारिश होती है । बारिश न हो, अकाल की स्थिति हो और बड़ी प्रतीक्षा के बाद तो बारिश हुई और आगे हम यह नहीं कह सकते कि बारिश नहीं होगी । पूरी बारिश होगी । उस वक्त मैं सरकारी मशीनरी के द्वारा उस खेती को रोकना मैं समझता हूं यह इस राज्य की ही खासियत है । और उन लोगों की मवेशियों को इसलिये कुर्क की गई कि तकावी की वसूली करनी थी । तकावी के लिये ही क्यों?

(रावल श्री अमरसिंह)

गये साल भीषण अकाल था। साथ में आपसे यह भी निवेदन करूं कि दुर्भाग्यवश उस गांव को अकाल के अन्दर गये साल शुमार नहीं किया गया। अकाल घोषित करना, नहीं करना, यह सब पटवारी की महरबानी पर है। मैंने सुना है कि किसी जगह अगर ६ फुट बाजरी खड़ी है और वहां पर कृपा दृष्टि पटवारी साहब की हो जाय और मिनिस्टर साहब की हो जाय, मिनिस्टर साहब की बगैर कृपा-दृष्टि के तो नहीं हो सकता, तो वहां पर अकाल घोषित हो जाता है और यदि अकाल वास्तव में हो और मिनिस्टर साहब की कृपा-दृष्टि न हो तो दुर्भिक्ष घोषित नहीं होता है। चार सौ आदमियों के गांव हों और वहां यह स्थिति हो कि उनको सीधा अनाज लाकर खाना पड़े फिर अकाल किसको कहेंगे यह मेरी सलझ में नहीं आता ? हमारे पचपदरा तहसील में लूणी नदी के दक्षिण के हिस्से में इस वर्ष दुर्भिक्ष है। साखें एक एक फुट तक खड़ी हैं। घास की परिस्थिति ऐसी यहां पर है कि आज मवेशी भूखी आती है और उस कांकड़ में कोई चारा नहीं है। राज्य कर्मचारियों से बात की। वे कहते हैं आठ आना जमाना है। मैंने कहा कि आठ आना यह जमाना हो गया तो दुर्भिक्ष किसको कहेंगे ? उस गांव को इस तरह से दुर्भिक्ष में नहीं लिया गया। टेलीफोन किया, बड़ी मुश्किल से मालूम हुआ कि तहसीलदार, एस, डी, ओ. साहब मिनिस्टर साहब का दौरा हुआ है उनकी मालिश में लगे हुए हैं। वे तो मालिश कर रहे हैं। वे यह नहीं देखते कि यहां यह स्थिति हो रही है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कौन से गांव की बात फरमा रहे हैं ?

रावल श्री अमरसिंह : बालोत्तरा के पास मेवानगर के गांव में यह कुर्की हुई। दूसरा जागसा करके गांव है। वहां पर लोगों से बारह बारह-साल की बीघोड़ी वसूल करके का प्रश्न है। फोर्ट नाइट पास्ट की अर्ज करता हूं उसमें क्या कुर्क किया गया ? बैल, बैलगाड़ी और कुछ दूध देने वाली मवेशियान। वह किस समय कुर्क किया गया ? उपाध्यक्ष महोदय, पहली फसल हुई थी। बारिश न होने के बाद वह नष्ट हो गई। नयी फसल बोई वह भी एक-एक फुट से अधिक नहीं। मवेशियों के लिये चरा नहीं था। वहां के अधिकारियों से यह निवेदन था कि कृपा करके चार महीने की मोहलत बक्शिये। सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर, और दिसम्बर के बाद आपकी वसूली की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अगर दुर्भिक्ष न हुआ तो वसूली करेंगे और अगर दुर्भिक्ष हो गया तो कानूनी वसूली बन्द हो जावेगी। माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन करना करना चाहता हूं कि यह कमिश्नर जोधपुर डिविजन से कहा, इसके लिये कलेक्टर बाड़मेर से टेलीफोन किया। एस. डी. ओ वालोत्तरा और तहसीलदार से कहा। सब आकर हिच इस बात पर पड़ी कि कलेक्टर के पास चार दिन पहले आदेश आये कि वसूली में सतर्कता की जाय। मै समझता हूं यह जनरल सरक्युंलर था। यह आदेश कदापि नहीं हो हो सकते थे कि लोग अकालग्रस्त हैं और उनसे वसूली की जाय। आश्चर्य की बात यह है, मुझे आश्चर्य और रहम है कि हमारी सर्विसेज का इनिशियेटिव इतना मर चुका

(रावल श्री अमरसिंह)

है और वह है आज कल के पोलिटिशियन्स की वजह से। उन्होंने आज कल सर्विसेज को बिल्कुल गुलाम बना रखा है। वह यह एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी सर्विसेज जो स्टेट सर्विसेज नही हैं सेन्ट्रल सर्विसेज में आती हैं, ऊंची तनख्वाह पाते हैं, उनके दिमाग में यह ठूस ठूस कर भरा जाता है कि तुम हमारे गुलाम हो और तुम हमारी गुलामी नहीं करते हो तो तुम्हारा कोई सहारा नहीं है। वास्तविकता यही है। कोई महानुभाव बुरा न माने। ऐसी परिस्थितियों में हमारी सर्विसेज यह समझती है कि जैसा होता है वह ठीक है हमारी बला से। हुक्म की तामील करो। कलेक्टर को यह नहीं सूझा कि रेवेन्यू बोर्ड को लिख दिया जाय कि परिस्थितियां यह हैं और वसूली बन्द कर दी जाय। मैं समझता हूँ इस प्रकार की वसूली नहीं होनी चाहिये।

इस गरीब ने दो दुनिया देखी है। एक तो आज की दुनिया भी देखी है और एक इससे पहले की दुनिया भी देखी है। हमारे सामने यह कायरता कभी नहीं आयी कि जन हित में कोई एक्शन लेने में संकोच किया हो जब कि आज हमारी सर्विसेज का यह हाल हो गया है कि उन को सही बात कहने में भी संकोच हो रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है, साहस नहीं हो रहा है।

(२.०० म० प०)

फलस्वरूप यह हुआ, माननीय उपाध्यक्षजी, कि एक दिन नायब तहसीलदार वहां जाता है और पांच हजार की वसूली कर लाता है और कहता है अगर फसल नहीं हुई तो मैं क्या करूं, सरकार का हुक्म है, बच्चे बेचो कुछ भी करो, मैं तो वसूली करूंगा। सरकार इस पर गौर करे।

जालसा में कुछ जमीन बन्जर पड़ी थी काबिले काश्त होगी। पर गैर खातेदारी की थी। कुछ वहां के पटेलियों ने उस पर काश्त कर ली। पिछले छः साल से काश्त करता आ रहा है। इस साल नायब तहसीलदार गए और उसे फतवा सुनाया कि चूंकि तुमने छः साल तक काश्त की है तो दस गुना बीघोड़ी वसूल की जावेगी। और यह फसल जो खड़ी है, उसको छोड़ जाओ। मैं निवेदन करूं कि इन पिछले छः सालों में चार-पांच साल कहते तो साली के ही थे अब अगर दस गुना की बात करते हैं तो जो नोटिस आपने इस साल किया, पहले साल ही क्यों नहीं किया और दफा ६१ के माफिक नोटिस क्यों नहीं दिया ?

मुझे खेद है कि राजस्व मन्त्रीजी यहां नहीं है आज। आपने नौ-दस गुना जुर्माना का कानून बनाया। ठीक है। पर दूसरा लॉजिक भी सरकार के फायदे के लिए पेश करता हूँ। आखिर इस जमीन का है क्या ? What do you want to do with it ? एक तरफ तो हाय तोबा मचा रहे हैं खाद्यान्न के लिए। कहते हैं अधिक अन्न पैदा करो। दूसरी तरफ अब कोई गरीब अगर वहां पर जीरा नहीं बोता है, बाजरा बोता है, कोई धान पैदा करता है। पर चूंकि गैर-खातेदारी जमीन पर बो दिया इसलिए आप

(रावल श्री अमरसिंह)

कहते हैं उसने कोई बड़ा भारी कसूर कर दिया। ए सार्ट आफ मर्डर जैसा कसूर कर दिया। यह क्या तमाशा हो रहा है ? साथ ही आप किसानों के हिमायती कहलाने का दम भरते हैं।

(समय-समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं माफी चाहता हूं कि I don't want to take much of your valuable time, but I feel I must get some time, and with due respects I pray to the Chair that I may be permitted to speak some time more,

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कि राजस्व मन्त्रीजी इस ओर सतर्कता से कदम बढ़ावें। 'का वर्षा जब कृषि सुखाने'। जब वह चौपट हो जावेगा किसान तब आपकी कृपा क्या काम आवेगी ?

किसान को तबाह करके वसूली न की जावे। यह मेरी अर्नेस्ट प्रेयर है। उनसे नौ-दस गुना न लेकर अधिक से अधिक जो शिड्यूल कन्ट्रोल रेन्ट रेट है दो गुना तक ले लो। उसने अन्न पैदा करके कोई गुनाह नहीं किया है। और जिनके पास भूमि नहीं है और खाली पड़ी जमीन ले ली है और अरसे से जोत रहा है तो उसे आप रेग्युलेराइज कर रहे हैं तो रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट से आप रेग्युलेराइज इनको भी करें। उनको खातेदारी हक मिल जाने चाहियें। वे अनपढ़ हैं। आपके कानून-कायदे वे ज्यादा समझते नहीं। वकील कर नहीं सकते। आज तक वे शासकों को ही राजा समझते हैं और राजा को ही वे मां बाप समझते हैं। जिस दिन वह यह कहना सीख जावेगा कि हम मालिक हैं, आप नौकर हैं, तब की बाद छोड़ें। उस दिन फिर उनके साथ न्याय होने भी लग जावेगा।

आज आपकी डिस्ट्रिक्ट और तहसील की एजेन्सी तो पूरे अन्याय पर उतारू है। उनको इस तरह का अन्याय करने से रोका जावे। इसके लिए तो कम से कम जल्दी से हुक्म फरमाया जावे। और जिनके केस रेग्युलेराइज होने के काबिल हैं उनको जल्दी से जल्दी रेग्युलेराइज किया जावे।

जहां तक अन्न–उत्पादन का प्रश्न है किसान अपने बूते के माफिक कोई कसर नहीं छोड़ता। पर मेरी शिकायत सरकार से है कि जो सरकार प्रोत्साहन देने की बात यहां कागजों में करती है वह प्रेक्टिकली नहीं करती। इसकी सर्वत्र कमी है। उपयुक्त मात्रा में उपयुक्त समय पर उनको बीज, खाद और दूसरे यन्त्र नहीं मिलते। मेरे क्षेत्र की बात बताऊं। चार साल हो गए बिजली की इन्तजार करते। इसकी आवश्यकता है। इससे प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। पर अब कुछ सुना है कि खम्भे आये हैं। टैक्निकल सलाह की भी सर्वत्र कमी है।

इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंटस् के बारे में यह हाल है कि मेरी पंचायत समिति में एक भी ऐसा यन्त्र नहीं है, जिसे देखकर लोग खरीदने का विचार कर सकें।

मेरी यह भी शिकायत है, उपाध्यक्ष महोदय, कि पंचायत समिति का जो स्टाफ है

Page No. 43

(रावल श्री अमरसिंह)

वह केवल पोलिटिकल पार्टी के, सतारूढ़ दल के और इन मन्त्रियों के एजेन्ट मात्र हैं। उनको इन पार्टियों के और मन्त्रियों के लिए प्रोपेगण्डा करने से ही फुरसत नहीं है। वे क्या लोगों को बतायेंगे कि पंचायती राज क्या है ? उसके पीछे क्या भावना काम कर रही है और उसमें किस तरह से उनको अपना योगदान देना चाहिए ? सरकार इस ओर ध्यान दे।

आज आवश्यकता है प्रॉपर डाइरेक्टिव की, प्रॉपर गाइडेन्स की, प्रॉपर कन्ट्रोल और प्रॉपर इनीशियेटिव की। आज सरकारी तन्त्र में न इनीशियेटिव है, न कोई कन्ट्रोल है, न कोई गाइडेन्स है। राम भरोसे खेती चल रही है। किसी को फुर्सत नहीं है, इन मन्त्रियों में, कि जो इसको ठीक तरह से पकड़ कर के सुपरवाइज कर सके और देख सकें कि सारा काम किस तरह से चल रहा है। उनको अपने स्वार्थ-साधन से ही फुर्सत नहीं है।

(समय-समाप्ति सूचक-घण्टी)

मैं आपका विशेष समय नहीं लूंगा। मैं कृषि मन्त्रीजी से इन सारी सीधी बातों को कहने के लिए क्षमा याचना करूंगा। कहना तो मुझे बहुत था, पर समयाभाव से अधिक नहीं कहकर और आसन की इज्जत करते हुए अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल !

श्री जुझारसिंह (खेचट) : उपाध्यक्ष महोदय, अब के तो कांग्रेस पार्टी का नम्बर है।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : अबकी तो हमारी बारी है, उपाध्यक्ष महोदय !

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, इनको तो पार्टी मीटिंग में भी कहने का टाइम मिल जावेगा तो इनका काम चल जावेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : मैं पहले आपको सम्बोधित कर चुका हूँ इसलिए....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों से मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वे थोड़ा थोड़ा समय लें। ताकि और भी अधिक व्यक्ति इस पर बोल सकें।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : आज का तो स्पेशल तौर सूं दिन राखियो है....

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, तीन योजनाओं के समाप्त होने के बाद आज देश की स्थिति यह है कि खाद्यान्न के मामले में आज भी हम प्रकृति की दया पर पड़े हुए हैं। और सारे प्रदेश को आश्चर्य तो उस समय हुआ जब हमारे प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री मोहनलालजी सुखाड़िया ने पत्रकार सम्मेलन के अन्दर यह कहा कि राजस्थान प्रदेश के अन्दर कांग्रेस की जीत और हार वर्षा के ऊपर निर्भर करती है। वह इस बात का द्योतक है कि आज सरकार ने जो तीन पंच-वर्षीय योजनायें अपने प्रदेश के अन्दर बनाई

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

उनके कारण भी विश्वास नहीं है जितना की प्रकृति के ऊपर वह विश्वास रखते हैं। और यह वस्तु स्थिति है कि हमारी सरकार इस प्रदेश के अन्दर इस १६ साल के शासन के पश्चात भी अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करके प्रकृति पर काबू नहीं पा सकी। जब कभी सत्र आरम्भ होता है तो हमेशा इस खाद्य-स्थिति पर विचार किया जाता है और सरकार की ओर से भिन्न-भिन्न आश्वासन दिये जाते हैं और खाद्य-स्थिति विकट होने के कारण कभी तो वर्षा के अधिक होने का कारण लिया जाता है और कभी अकाल का कारण लिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति इस प्रकार की बन गई है कि आज भी हमारा शासन प्रदेश के अन्दर अकाल का कारण बन करके, अकाल की बात बता करके जो कुछ वह अपने विभाग के द्वारा कर रहा है उससे प्रदेश की जनता को संतुष्ट करना चाहते हैं। यह ठीक है कि आज प्रदेश के ऊपर अकाल की छाया है। अधिकतर जिलों के अन्दर अकाल की स्थिति बनी हुई है लेकिन उसके उपरान्त भी मेरी मान्यता यह है कि जिस प्रकार की बात और जिस प्रकार का भूत सरकार प्रदेश की जनता को बता रही है वैसी स्थिति प्रदेश के अन्दर नहीं है। आज सरकार यह कहे कि अकाल इतना भयंकर है कि जिसके कारण राजस्थान की जनता को पेटभर कर अन्न नहीं दे सकते तो मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आज राज्य सरकार किसी प्रकार से भी अपनी वितरण-व्यवस्था के द्वारा इस प्रकार की व्यवस्था प्रदेश के अन्दर नहीं करना चाहती है कि जो जिले सेल्फ सफिशियेन्ट हैं या सरप्लस हैं उनको अन्न ठीक प्रकार से वितरित करके उन इलाकों में पहुँचाया जाकर वहां अकाल की स्थिति नहीं बने इस प्रकार का प्रयत्न करे। उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि खाद्य स्थिति के निवारण के लिए आज राज्य सरकार को अपने उत्पादन से उत्पन्न जो अन्न है उसके वितरण पर और वितरण के द्वारा किसी मूल्य के ऊपर वह सारी जनता तक अन्न पहुँचा सकती है-इसकी समस्या पर विचार करना पड़ेगा।

जहां तक उत्पादन का प्रश्न है मुझसे पूर्व वक्ता ने ध्यान आकर्षित किया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो आंकड़े दिये हैं वह आंकड़े इतने आकर्षक नहीं हैं लेकिन उसके पश्चात मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जब शासन कांग्रेस ने प्रदेश के अन्दर सम्भाला उसके बाद से लेकर आज तक जिस अनुपात में आबादी बढ़ी है उस अनुपात में क्या सरकार ने जमीनों का एलॉटमेंट किया है? उस अनुपात में क्या सरकार हमारे प्रदेश के अन्दर अन्न के उत्पादन में भी उन्नति कर पाई या नहीं और इस सम्बन्ध में मेरी मान्यता यह है कि सरकार जिस अनुपात के अन्दर प्रदेश के अन्दर अन्न का उत्पादन होना चाहिये था उसको नहीं बढ़ा पाई है और प्रदेश के अन्दर तो हालत यह है कि अन्न का उत्पादन घटा ही हो ऐसी बात नहीं है बल्कि जो कैश क्रॉप है उसके उत्पादन को भी सरकार प्रोत्साहित नहीं कर पाई है। अनुपात के अन्दर आज उत्पादन दिनों दिन प्रदेश के अन्दर गिरा है और आज अन्न उत्पादन के अन्दर सरकार को जो प्रोत्साहन किसानों को देना चाहिए था उनको प्रोत्साहन देने के अन्दर राजस्थान सरकार

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

पूर्णतया असफल रही है। धीरे धीरे कृषक समाज अन्न-उत्पादन के स्थान पर कैश क्रॉप की ओर बढ़ता जा रहा है। मैं सरकार से केटेगोरीकली यह पूछना चाहता हूँ कि किसानों के अन्दर जो यह मनोवृत्ति बनती जा रही है कि वह अन्न का उत्पादन नहीं करके अपने खेतों के ऊपर कैश क्रॉप जोतकर चलें और अन्न को डिसकरेज करके जो कैश क्रॉप की ओर प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है इसके लिए सरकार ने ऐसे कौन से मेजर्स अपनाये जिसके कारण कि किसान हमारे प्रदेश के अन्दर कैश क्रॉप को नहीं उगाकर अधिक से अधिक अपने खेत के अन्दर वह अन्न का उत्पादन करे? और इसके अन्दर मेरी मान्यता यह है कि सरकार ने केवल किसानों को प्रोत्साहित किया हो यह तो बहुत दूरकी बात है, बल्कि मेरी मान्यता यह है कि आज किसान के दिमाग में एक इस प्रकार की अनिश्चितता बैठ गई है कि वह यह नहीं समझ पाते हैं कि अमुक संख्या के अन्दर या अमुक मात्रा में जो खेत हैं उसके पास वह खेत कितने समय तक उसके पास रहने वाला है, और आज मैं खाद्य मन्त्रीजी से जानना चाहूँगा कि आज किसानों के अन्दर जो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है सीलिंग के कारण कि सीलिंग के बाद उसके पास कितनी जमीन बचने वाली है आज इस अनिश्चितता को मिटाने के लिए सरकार ने क्या किया है? ऐसे कौन से कारण हैं कि जिनके कारण सरकार ने घोषणा की थी कि हम सीलिंग ले आयेंगे, उसको लाने में क्या रुकावटें आ रही हैं? आज इस सीलिंग के प्रश्न को लेकर मन्त्री मण्डल के अन्दर दरार पैदा हो गयी। उसका परिणाम यह है कि आज किसान अनिश्चित है कि पता नहीं किस समय तक कितनी जमीन उसके पास रहने वाली है।

आज सरकार को चाहिए था कि प्रदेश के अन्दर इन्टेन्सिव कल्टीवेशन को प्रोत्साहन दे। लेकिन इसको करना तो दूर रहा जो बड़े-बड़े किसान हैं वह जमीन को स्वयं काश्त नहीं करते हैं बल्कि बीच के लोग काश्त करते चले आ रहे हैं—आज सरकार का कानून अपनी जगह पर रुका हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी बड़े-बड़े किसान हैं और जो होशियार हैं वह अपनी जमीनों को ट्रान्सफर करते जा रहे हैं। उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। खरीदने वाले अनिश्चित हैं, बेचने वाले अनिश्चित हैं। इस प्रकार से अनिश्चितता सारे किसानों के अन्दर बनी हुई है। यह ठीक है कि सीलिंग के प्रश्न को लेकर हमारी पार्टी की कुछ मान्यतायें हैं। हम सीलिंग के सिद्धान्त को स्वीकार करने के बाद सीलिंग को मानते हैं कि इसका होना जरूरी है। यह ठीक है कि सीलिंग के लिए सारे प्रदेश में सामान्य सिद्धान्त स्वीकार किये जाने चाहिये जो कि सरकार ने नहीं किया। कुछ हद तक सीमा बढ़नी चाहिए ताकि किसान गांवों के अन्दर रह कर खेत के ऊपर उत्पादन करें और ऐसा नहीं हो कि खेतों को छोड़कर शहर की ओर बढ़ें। यह सरकार के लिए आवश्यक था कि सरकार तुरन्त से तुरन्त अपने सिद्धांत को स्वीकार करके सीलिंग को लागू करती लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर पाई है। एक ओर सरकार का नारा है कि हम सीलिंग लायेंगे और ऐसा करके किसानों से वोट लेना चाहते हैं और दूसरी ओर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

मन्त्री-मण्डल के अन्दर दरार बताई गई है उस आधार पर बड़े-बड़े किसानों को यह बताकर कि तुम्हें चिन्ता करने की जरूरत नहीं है और सीलिंग आने वाला नहीं है–बड़े बड़े किसानों से पैसा बटोरना चाहते हैं। दूसरी ओर आप किसानों से वोट लेना चाहते हैं और इस प्रकार की नीति अपनाकर के सरकार ने सारे प्रदेश के अन्दर एक अनिश्चितता पैदा कर दी है। किसान अपनी जमीन के लिए अनिश्चित होता जा रहा है और जब तक सीलिंग नहीं होगा वह किसी प्रकार से इन्ट्रेस्ट लेकर, रुचि लेकर भूमि के अन्दर पैदावार करने वाला नहीं है। यह स्थिति तो, उपाध्यक्ष महोदय, टेन्योर सिस्टम की है।

इसके अलावा आज स्थिति यह है कि किसान जिसको बीज और खाद चाहिए आज विषम स्थिति होने के कारण किसानों को समय पर बीज नहीं मिल पाता है। वह किसान समय पर बैल प्राप्त नहीं कर पाता है और अन्य वस्तुयें जो चाहिए वह प्राप्त नहीं कर पाता है। आज सरकार अपने कृषि विभाग के द्वारा काफी पैसा लुटा रही है पंचायत समितियों के माध्यम से, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि सरकार ने जो कुछ आज तक भिन्न-भिन्न पहलुओं पर और भिन्न-भिन्न मदों के लिए जो रुपया पंचायत समितियों को दिया है उसके कितने यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट सरकार को प्राप्त हुए हैं ? आज यूटीलाइजेशन के बारे में कृषि विभाग पंचायत विभाग के ऊपर जोर देता है और पंचायत विभाग कृषि विभाग के ऊपर डालता है और जो रुपया फेंका गया है पंचायत समितियों को आज तक उसका उपयोग नहीं। किसानों को जो कि वास्तविक रूप से किसान हैं और जिसको आज अपने कुओं के लिए रुपया चाहिये तो उसको कुए के लिए रुपया नहीं मिलता है। उस किसान को अगर अपने बैलों के लिए रुपया चाहिये तो आज उसको बैलों के लिए रुपया नहीं मिल पाता है। जो लोग वेस्टेड इन्ट्रेस्ट के हैं, जिनके वेस्टेड इन्ट्रेस्ट हैं पंचायत समिति के अन्दर, जिनका प्रभाव है उनमें, ऐसे लोग जो कि प्रभावशाली हैं, समृद्धिशाली हैं, आज ऐसे ही लोगों को पैसा अनुदान और ऋण के रूप में सरकार से प्राप्त हो रहा है। आज भी किसान, आपके द्वारा सहकारी ऋण की व्यवस्था कर देने के बाद भी, आज भी पंचायत समिति के द्वारा ऋण देने की व्यवस्था करने के पश्चात् भी बोहरों के चंगुल में फंसा हुआ है। आज भी बड़े २ बोहरे और बड़े २ व्यापारी उस किसान को कर्ज के नीचे दबाए हुए बैठा है। आज जब तक आप गांव-गांव में इकाई-इकाई में पंचायती बैंक के रूप में नहीं पहुंचते हैं, किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था नहीं कर सकते तब तक किसी भी प्रकार से किसान ऊपर उठ कर नहीं आ सकता।

आज किसान को खाद नहीं मिल पाता है। आज जो खाद-वितरण की व्यवस्था है, मैं जानना चाहूँगा कि जो फर्टीलाइज़र की व्यवस्था आपने की है उसमें कितने किसानों को कितनी मात्रा में फर्टिलाइज़र आप दे पा रहे हैं ? आज तक, उपाध्यक्ष महोदय, जिला-स्तर पर कृषि अधिकारियों के पास इस प्रकार के आंकड़े नहीं हैं कि किस गांव में किस प्रकार की भूमि है और उस भूमि में

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

किस अनुपात में कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए। आज तक भी इस प्रकार की सूचना आपके कृषि अधिकारियों के पास नहीं है। एक आंकड़ों के फॉर्मूले को आपने बना रखा है और उस फार्मूले के आधार पर आप फर्टिलाइजर बांट देते हैं, वह भी पूरे नहीं बांट पाते हैं। आज भी आपके पास में गांव २ की भूमि का एनेलेसिस नहीं है। जिसके आधार पर कि इन रासायनिक पदार्थों को बांट कर आप अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। आज आपके कारण ही पानी की समस्या है। आपने बड़ी २ योजनायें बनाईं। ठीक है उन योजनाओं को भी पूर्ण किया जाना चाहिए, लेकिन जो सीपेज और लॉगिंग के कारण समस्यायें हैं उनका समाधान आज तक सरकार नहीं कर पाई है। वहाँ के किसानों को आप विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं। नहरी पानी के कारण किसान में अनिश्चितता चली आ रही है। ड्रेनेज सिस्टम पूरे नहीं कर पाये हैं और मैं खास कर चम्बल के कमाण्डेड एरिया के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि वहां पर नहरी व्यवस्था करने के पश्चात् प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ा है। मेरी मान्यता है कि जो कुछ उत्पादन बढ़ा है वह भी बिल्कुल नगण्य है और उसका कारण यह है कि वहां के किसान को जो उस पानी का उपयोग करना चाहिए था वह आज सीपेज और लॉगिंग के कारण नहीं कर पाया है। उस पानी का जिस मात्रा में उपयोग करना चाहिए वह उपयोग नहीं कर पाया है। आज स्थिति यह है कि किसान जिससे कि हम आशा कर सकते हैं कि वह हमारे राष्ट्र का कर्णधार बन कर जिस प्रकार से फौजें सीमा पर लड़ती हैं उसी प्रकार की प्रेरणा अपने सामने रख कर वह खेतों में उत्पादन करेगा और अपने प्रदेश को खाद्यान्नों के बारे में पैरों पर खड़ा करने में सहायक होगा, उसको इस प्रकार की प्रेरणा देने में भी यह सरकार हर प्रकार से असफल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जब भी अन्न की समस्या का प्रश्न आया सरकार ने केवल एक रास्ता पकड़ा। राजस्थान की सरकार ने इस अन्न की समस्या से उभरने के लिए केवल कानूनों का सहारा लिया। वितरण की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाने के लिए केवल कानून का आधार लिया। आपने ग्रेन लाइसेंसिग ऑर्डर, राजस्थान में लागू किया। मैं पूछना चाहता हूँ खाद्य मंत्री जी से कि इस ग्रेन लाईसेंसिंग ऑर्डर के लागू करने के बाद सरकार को कितनी सुविधा प्राप्त हुई? कितना अनाज इसकी वजह से मण्डियों में आया? आपने मैक्जिमम प्राईसेज जिस समय फिक्स की थीं तो उसके कारण भी आप कितनी राहत दे पाये हैं? विधान सभा में जब इसका विरोध किया गया, कई प्रकार से इन ग्रेन लाईसेंसिंग ऑर्डर का विरोध किया गया, इन मैक्जिमम प्राईसेज को लेकर विरोध किया गया, लेकिन उस समय भी खाद्य मंत्री जी ने विधान सभा में कोई विचार नहीं किया इन पर और उसके पश्चात् मजबूर होकर उनको अपने इस ऑर्डर के अन्दर कई प्रकार के रिलेक्सेशन करने पड़े, कई संशोधन करने पड़े और जब सरकार ने देखा कि Grain Licencing Order as such लागू नहीं रखा जा सकता और इसके कारण जो अन्न की, खाद्यान्न की समस्या है उसका समाधान नहीं

Page No. 48

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

कर पाते तो आपने दूसरा मंच पकड़ा और वह दूसरा मंच यह था कि आपने जिलों को कोर्डन आॅफ कर दिया, आपने जिला-बन्दी कर दी और इसके कारण प्रदेश की जनता को आप बता देना चाहते हैं कि जिन जिलों को आपने बन्द किया है, जिन जिलों को कोर्डन आॅफ आपने किया है राजस्थान के, वहां के सरप्लस अनाज को उनका फूड कार्पोरेशन खरीद करेगा और जो स्केयरसिटी एरियाज हैं वहां पर उसका वितरण करेगा। मैं खाद्य मंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिन जिलों को आपने कोर्डन आॅफ

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

किया है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़ और गंगानगर, उन जिलों से आपने कितना सरप्लस अनाज वसूल किया, कितना सरप्लस अनाज आपके पास आया और उस सरप्लस अनाज की कितनी मात्रा, किस किस स्केयरसिटी एरिया में, कहां कहां पर भेजी है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज कोटा सरीखे क्षेत्र में जिसको कि आपने कोर्डन आॅफ कर दिया था, वहां पर आज स्थिति इस प्रकार की हुई कि ११५) रुपया क्विन्टल तक कोटा में गेहूँ गया है। आपने कोटा के साथ साथ झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट को कोर्डन आॅफ किया और आज भी झालावाड़ में सौ रुपया क्विन्टल गेहूं का भाव है। आखिर आपने इन जिलों को कोर्डन आॅफ किया और आपके ही आंकड़े और सूचनाएं बताती हैं कि ये क्षेत्र सरप्लस नहीं हैं तो सेल्फ सफिशियेंट तो हैं ही। तो जब ये क्षेत्र सेल्फ सफिशियेंट हैं तो आज क्या कारण हैं कि कोटा में ६५) रुपये और झालावाड़ में १००) रुपया क्विन्टल गेहूँ बिकता है और यही अनाज के भाव राजस्थान के दूसरे क्षेत्रों में भी हैं। अनाज के ये भाव दूसरे क्षेत्रों से ज्यादा ही होंगे, किसी प्रकार से कम नहीं होंगे। आपने इनको कोर्डन आॅफ तो कर दिया लेकिन कोर्डन आॅफ करने के बाद जो स्मगलिंग होकर चोरी छुपे अनाज बाहर नहीं जाना चाहिए लगे हुए प्रदेशों में, वह स्मगलिंग होकर चला गया है और जा रहा है, लगातार पहुंच रहा है। आज इस प्रकार से आपने उस क्षेत्र के किसानों के साथ ज्यादती की है और इस प्रकार की किसानों के साथ ज्यादती करने के बाद भी आप राजस्थान के दूसरे प्रदेशों को जो राहत देनी चाहिए थी वह नहीं दे पाये हैं।

मैं समझता हूं कि यह जो कुछ भी आपने किया है वह आपने केवल राजनैतिक आधार पर किया है, उस क्षेत्र के किसानों पर कुठाराघात किया है। उस क्षेत्र के किसानों को जो उचित मूल्य अपने उत्पादन का मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया है। आपने उन दूसरे छोटे बड़े व्यापारियों को, कालाबाजारी करने वाले और स्मगलिंग करने वालों को प्रोत्साहन दिया है, दूसरी और जो राजस्थान के किसानों को उचित मूल्य मिलना चाहिए था वह नहीं दिला पाए और राजस्थान के दूसरे प्रदेशों को जो अनाज की राहत मिलनी चाहिए थी वह भी नहीं पहुंचा पाए हैं। आपने जिलाबन्दी कर रखी है, कोर्डन आॅफ कर रखा है लेकिन अनाज के भाव आज उन क्षेत्रों में भी व हैं जो दूसरे क्षेत्रों में हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि आज सरप्लस एरियाज के अन्दर और

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

कोटा सरीखे सरप्लस एरिया के अन्दर और दूसरे स्केयरसिटी एरिया के अन्दर भाव बराबर क्यों हैं ? आपने जिला बन्दी करदी परन्तु उसके पश्चात् भी उस क्षेत्र के अन्दर अनाज के भाव बढ़ते जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि आपके पास उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

उपाध्यक्षजी, केवल इतना ही नहीं है, आज मोटे अनाज को लेकर और चने को लेकर जिस प्रकार की आंख मिचौनी राजस्थान सरकार ने की है, मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार इस प्रकार की खिलवाड़ राजस्थान की जनता के साथ नहीं कर सकती। जब आपकी इच्छा हुई आपने मोटे अनाज की निकासी बन्द कर दी, जब आपकी इच्छा हुई आपने चने की निकासी बन्द कर दी और जब आपकी इच्छा हुई आपने निकासी के अन्दर रिलेक्सेशन कर दिया। आपने एक आदेश निकाल दिया कि २५ प्रतिशत हमको तुलाओ बाकी माल बाहर ले जाओ। आपने जो इस प्रकार से निकासी बन्द करने और फिर उसमें रिलेक्सेशन करने का कार्य किया उसके कारण, मैं आप से जानना चाहता हूं कि आपने किसान वर्ग को कितना फायदा पहुंचाया। हमने जब भी पाबन्दियां लगाई, किसान की फसल, किसान का अनाज व्यापारी के पास आ गया। जब कभी भी आपने रिलेक्सेशन किया कि २५-५० प्रतिशत हमें बेचो और बाकी का बाहर ले जाओ तो वही समय था जब किसान की फसल, किसान का चना और मोटा अनाज उसके पास से निकल कर व्यापारी के गल्ले में आ गया और उपाध्यक्षजी जो कालाबाजारी करने का, ब्लैक मार्केटिंग करने का हम व्यापारी को दोष देते हैं, तो इस बारे में भी मेरी मान्यता है कि वे दोषी हों या नहीं लेकिन अगर सबसे बड़ी कालाबाजारी किसी ने की है मोटे अनाज को लेकर और चने को लेकर तो वह कालाबाजारी इस राजस्थान सरकार ने की है। बाजार के अन्दर मक्का का भाव क्या है, चने का भाव क्या है ? चना ५०-६० रुपया क्विन्टल बाजार में मिलता है उस समय सरकार रिलेक्सेशन करती है और कहती है कि २५ प्रतिशत हमको तुलाओ चालीस रुपये क्विटल के भाव में। बाजार का भाव है ६०) रु०, ५०) रु० क्विन्टल का और व्यापारी को कहा जाता है कि २५ प्रतिशत अपने स्टॉक का अगर चालीस रुपये के भाव में तुलाओगे तो बाकी का ७५ प्रतिशत बाहर ले जा सकते हो।

६० के भाव के नाज को आपने ४० के भाव में खरीदा। इधर व्यापारियों ने तो अनाज को बाहर भेजकर कमाया और उधर सरकार ने ६० का चना ४० में लेकर अपने स्टॉक की भर्ती की और कालाबाजारी की और दूसरे प्रदेशों को जो नाज भेजा है उसमें मनमाने ढंग से मुनाफा कमाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो इस प्रकार का कानून बनाया था, जो इस प्रकार की जिलाबन्दी की थी, प्रदेश के बाहर नाज जाने की रोक लगाई थी तो राजस्थान की जनता को यह कहा था कि जो कुछ भी पाबन्दी लगा रहे हैं वह राजस्थान की जनता के हित में ही लगा रहे हैं। एक क्षेत्र का नाज लाकर दूसरे क्षेत्र में पहुंचायेंगे जहां कि नाज की कमी है, नाज महंगा है, लेकिन स्थिति यह

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

है कि आपने जो सस्ता नाज खरीदा तो एक तरफ तो व्यापारी को मुनाफा पहुंचाया और दूसरी ओर किसान का गला घोंटा और दूसरी ओर इस प्रदेश के जो दूसरे हिस्से हैं उनमें सस्ता नाज, सस्ता चना और सस्ती मक्का नहीं पहुंचाई। आपने सस्ते खरीदे हुए नाज पर दूसरे प्रदेशों को नाज भेजकर मनमाने ढंग से मुनाफा कमाया। इस तरह से करने का आपको क्या अधिकार था ?

उपाध्यक्ष महोदय, स्थिति यह हुई कि चना पड़ा पड़ा सड़ने लगा। उसके अन्दर डंक लग गया, कीड़ा पड़ने लगा, छीपा बड़ौद तहसील में नाज के अन्दर डंक लगना आरंभ हो गया, कीड़ा पड़ना आरम्भ हो गया तो आपने जो नाज खरीदने के लिए नियम बना रखे है कि ३ पर्सेन्ट स ५ पर्सेन्ट डंक होगा तो भी हम माल खरीद लेंगे तो कहीं पर ६ पर्सेन्ट और कहीं पर ७ पर्सेन्ट डंक पड़ गया और वह नाज नहीं खरीदा गया। वह नाज सड़ता रहा। स्थिति यह हुई कि एक ओर तो खरीदा हुआ नाज सड़ता रहा और जिसका खरीदा उसका नुकसान होता रहा और दूसरी ओर प्रदेश के दूसरे भागों में नाज नहीं पहुंच पाया। जो कुछ पाबन्दियां लगाईं समय २ पर चने और मोटे नाज पर तो उसके कारण यह स्थिति हुई कि सरकार ने कालाबाजारी की और किसान को नुकसान हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जब राजस्थान के अन्दर राइस प्रोक्योरमेंट आॅर्डर आरम्भ किया तो उसके अनुसार जो चावल बनाने वाले कारखाने थे जो कि दो प्रकार के होते हैं–एक तो हालर्स थे और दूसरे मिल ओनर्स। हालर्स वे लोग हैं जो कि छोटी छोटी मशीनें लगाकर मुश्किल से दिन भर के अन्दर ३५ क्विन्टल चावल तैयार कर पाते हैं। दूसरी ओर राजस्थान के अन्दर बड़े २ मिल ओनर्स थे जो दिन भर में ५००–६०० क्विन्टल तैयार कर सकते हैं। जब आपने राइस प्रोक्योरमेंट आॅर्डर लागू किया उसके अनुसार हरेक को चाहे वह हालर हो, चाहे मिल ओनर हो उसके यहां जितना उसके मिल में माल तैयार होता है चावल का उसको उसका ५० पर्सेन्ट सरकार को देना पड़ता था लेवी के अन्तर्गत। उस समय स्थिति यह हुई कि बाजार के अन्दर चावल का भाव था १५० रुपया क्विन्टल। तो १५० रु० क्विन्टल का भाव था चावल का उस समय जिस समय कि सरकार ने राइस प्रोक्योरमेंट आॅर्डर लागू किया तो उसके अनुसार ५० पर्सेंट एक आदमी को लेवी देनी पड़ती थी। उस समय चावल का भाव बाजार के अन्दर १५० रु० क्विन्टल था लेकिन सरकार ने अपने आॅर्डर के अनुसार केवल ७३–७५ रु० क्विन्टल में चावल खरीदा ५० परसेन्ट जो उन्होंने अपने कारखाने में चावल तयार किया उसका। लेकिन इस समाजवादी सरकार के अन्दर जो कानून बना वह यह था उसके अनुसार जो गरीब हालर्स थे जिनके छोटे–छोटे कारखाने थे जो कि दिन भर में ३५ बोरी तैयार कर पाते थे उनसे ५० परसेंट के अनुसार लेवी वसूल कर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

ली। लेकिन मैं खाद्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के दूसरे हिस्सों में खास तौर से गंगापुर और उदयपुर के क्षेत्र में जहां कि चावलों के बड़े बड़े मिल हैं वहां पर आपने प्रोक्योरमेंट ऑर्डर के अन्दर कितना चावल लिया ? उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी सुनकर ताज्जुब करेंगे कि इन बड़े बड़े कारखाने वालों से एक दाना चावल का लेवी के अन्तर्गत इस सरकार ने नहीं लिया जब कि उन गरीब हालर्स से जो कि दिन भर में ३५ बोरी पैदा करते थे, उनसे ५० परसेंट लेवी के हिसाब से लिया और जब कि बाजार में १५०) क्विन्टल का भाव था उस समय सरकार ने उनसे ७६.७५ रु० के हिसाब से चावल खरीदा। और आज स्थिति यह हुई कि सरकार ने उस ऑर्डर को वापिस ले लिया और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उस ऑर्डर को वापिस ले लिया, लेकिन उन हालर्स को जिन्होंने कि आपको चावल लेवी के अन्तर्गत दिया था उनको उनका चावल वापिस नहीं लौटाया जा रहा है। इस समाजवादी सरकार के अन्दर स्थिति यह है कि उसको किसान की कोई चिन्ता नहीं। बड़े बड़े व्यापारियों और खास तौर से उन व्यापारियों को जो खाद्य विभाग की गतिविधियों से परिचित हैं समय समय पर कि कब नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और कब रिलेक्सेशन होने वाला है और कब सरकार पर अपना दबाव डालकर काम करा लेंगे, उन लोगों ने सरकार से अवश्य फायदा उठाया है, लेकिन जो किसान थे उन किसानों को इस समाजवादी सरकार के अन्दर नुकसान हुआ और आज तक वे नुकसान पाते रहे हैं और जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वे सरकार के कानून के शिकार बनते चले जा रहे हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मेरे दल की ओर से मैं अकेला ही व्यक्ति बोल रहा हूं और दिन भर से खाद्य-स्थिति पर विचार करने के लिए दिया है अभी तक खाद्य स्थिति पर जो कुछ विचार व्यक्त किये हैं वे आलोचनात्मक हैं। मैं कुछ सुझाव और देना चाहूँगा और आशा है कि खाद्य मन्त्रीजी ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको कन्टीन्यू करें, परन्तु मैं यह चाहूंगा कि सदन में समय निर्धारित हो जाय। सदन में सारी बहस किस वक्त तक करना चाहेंगे क्योंकि वैसे नियमित समय तो ५ बजे के हिसाब से २॥ घण्टा और है, और अब जो भी सदन की मन्शा हो उस प्रकार से समय निर्धारित कर दिया जाय ताकि उसके बाद सरकार का भी जो जवाब होगा वह घण्टे डेढ़ घण्टे में होगा। उस दृष्टिकोण से समय निर्धारित करना होगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सवा बारह बजे तो डिबेट शुरू हुई है तो कम से कम ५ बजे तक का समय तो मिलना चाहिए। सवा पांच बजे माननीय मन्त्रीजी जवाब दे दें और घण्टा या डेढ़ घण्टा जितना आप लें उस समय तक के लिए सदन की कार्यवाही बढ़ा दें।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : समय का डिस्ट्रब्यूशन नहीं होने के कारण से उधर

(श्री जुझारसिंह)

वाले टाइम ज्यादा लेलेते हैं और इधर (कांग्रेस) बैठने वालों को चान्स ही नहीं मिलता है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तय कर लें कि कितना टाइम लगेगा तो उस समय में बोलने वालों को जितना ज्यादे से ज्यादा सन्तोष हो सके उतना टाइम रेग्युलेट हो जाय । आप जितनी देर बैठना चाहें उतना टाइम बता दें क्योंकि जवाब में दो मन्त्रियों को बोलना पड़ेगा अकाल सहायता मन्त्री और मुझे तो घण्टा-डेढ़ घण्टा यह मानकर चलिए कि वह हमको चाहिए । कितना टाइम लगेगा और कितनी देर बैठना चाहेंगे वह पहले ही निश्चित कर लें तो सब लोग समय पर बोल लें और सब को बोलने का मौका मिल जायगा । इससे टाइम का आपको भी ध्यान रहेगा और हमको भी रहेगा । मेरें इस निवेदन से उपाध्यक्षजी आपका ध्यान इस ओर खींचा है । तो समय तय कर लें ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ५ बजे तक माननीय सदस्य बोल लें और उसके बाद डेढ़ घण्टे में उसका रिप्लाई हो जायगा और ७ बजे सदन की कार्यवाही समाप्त हो जायगी ।

श्री उपाध्यक्ष : साढ़े पांच बजे तक आप बोल लें लेकिन बोलने में भी समय का संयम रखेंगे तो सभी पार्टियों के सभी व्यक्ति बोल सकेंगे, या ऐसा निर्णय कर लिया जाय कि किसी एक पार्टी में किसी एक ने समय ज्यादा ले लिया तो दूसरा न बोले । तो मैं समझता हूं कि विवाद चलता रहे साढ़े पांच बजे तक और उसके बाद में सरकारी पक्ष जवाब देगा । यह स्वीकार है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हाँ ।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसमें उसी प्रकार से करें कि साढ़े पांच बजे तक बोल लें । स्वतन्त्र पार्टी ने काफी समय ले लिया है और जनसंघ के माननीय सदस्य बोल रहे हैं ।

श्री चौसरसिंह बावेल (बैंगू) : केवल दो आदमी बोले हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : समय का आप देख लें । समय जितना उपलब्ध है उसके अन्दर १ घन्टे से ज्यादा हो गया है । थोड़ा समय मिल जायेगा तो दे देंगे लेकिन १ घण्टे से ज्यादा पहले लिया जा चुका है । जनसंघ की पार्टी को समय लगेगा और एस० एस० पी० भी समय लेगी और कांग्रेस के भी कई व्यक्ति बोलेंगे ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : निर्दलयी भी बोलेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : निर्दलीय भी बोलेंगे ।

यदि इस दृष्टि से समय निर्धारित करना है तो ५, ५।। बजे तक किस प्रकार बोल सकते है यह देख लें ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : एक एक दल को आधा घण्टा तो कम से कम दे दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : १ घण्टा और ३३ मिनिट स्वतन्त्र पार्टी ले चुकी है ।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन-सु०) : ऐसा है कि छोटे छोटे मसलों पर रात को ६ बजे तक बैठ सकते हैं तो यह तो बड़ा गम्भीर मसला है इसलिए भाषण के लिए सब को मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : जो निर्णय कर रहे हैं वह इसीलिए तो कर रहे हैं। स्वतन्त्र पार्टी १०, २० मिनिट और ले ले। १ घण्टा ३३ मिनिट वे ले चुके हैं। मैं इस दृष्टि से यह निवेदन कर रहा हूं कि इस अनुपात से सभी अपना समय समझ लें और साढ़े पांच बजे तक और अधिक से अधिक ६ बजे तक बोल लें।

श्री अब्दुल जब्बार : अनुपात आप ही फिक्स कर दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : It will be on the Cooperation of hon' ble members.

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : इसमें यह भी तय कर दिया जाय कि जितने कांग्रेस के सदस्य बोलेंगे वह पार्टी के समय में जायगा।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी) : कांग्रेस वालों को भी तो समय चाहिये।

श्री भैरोंसिह : उनकी तरफ से तो मंत्री महोदय बोलेंगे ही।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारा समय इसमें क्यों मिलाते हो ?

श्री उपाध्यक्ष : मोटे तौर पर मैं देख लूंगा।

श्री गोबिन्दसिंह (पिड़ावा) : हमें भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमवा रामगढ़) : जैसा कि आपने फरमाया स्वतन्त्र पार्टी को १० मिनिट देंगे, यह हमारे लिए बहुत कम रहेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था अन्न के वितरण के सम्बन्ध में सरकार ने जो व्यवस्था अपनाई है उन व्यवस्थाओं के कारण प्रदेश में विषमताएं उत्पन्न होने से सरकार कानून, व्यवस्था और आदेशों के द्वारा प्रदेश की समस्याओं का समाधान कर पाई हो ऐसी बात नजर नहीं आती, बल्कि किसानों और छोटे व्यापारियों के मूल्य पर सरकार ने स्वयं व्यापार किया और बड़ी भारी कमाई की है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी मान्यता यह है कि जो जोन्स बने हुए है वे समाप्त किये जाने चाहिये। जो जिला बन्दी है वह समाप्त की जानी चाहिए। और उसके विपरीत सरकार को ऐसा एकप्रक्टिकल दृष्टिकोण बनाना चाहिए वास्तविकता का जो देखने में कम आता है। प्रश्न पैदा होता है कि जो अन्न के मसले को लेकर काला बाजारी और स्मगलिंग को प्रोत्साहन मिलता है उसकी आधारभूत समस्याएं क्या हैं। आज यह जो अन्न का प्रश्न पैदा होता है यह अन्न का प्रश्न उन बड़े बड़े शहरों से पैदा होता है जिनकी आबादी आज निरंतर बढ़ती चली

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जा रही है और इस प्रकार के जो शहर हैं राजस्थान में वे इनेगिने हो सकते हैं। लेकिन इन इनेगिने शहरों के कारण आज समस्या अन्न की भयंकर रूप से सारे प्रदेश में आई है। कुछ क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां पर अकाल है। अकाल के क्षेत्र को छोड़ दीजिये, लेकिन बकाया क्षेत्र में सारी समस्या केवल शहरों की उत्पादित है। इसलिये सरकार सारे शहरों को जिला बंदी के रूप में बांटे यह उचित नहीं होगा बल्कि सरकार को चाहिये कि वे बड़े बड़े शहर जिनकी आबादी १ लाख से अधिक है उन शहरों को कोरडन अप किया जाय, उनकी हदबंदी की जाय और उनमें सरकार फेयर प्राइस शोप्स लगावें और उनके ऊपर हदबंदी होकर राशनिंग के जरिये सप्लाई करे। एक लाख से ऊपर आबादी है उनमें राशनिंग की जाय और राशन की मात्रा समुचित हो। यह नहीं कि प्रचार के रूप में की जाय, बल्कि मात्रा उतनी हो कि एक व्यक्ति अपने परिवार का पेट भर सके और कम से कम ६ छटांक अनाज हर व्यक्ति को हर रोज दिया जाय। यदि सरकार यह करती है १ लाख की आबादी वाले शहरों को कोरडन करके अनाज की वितरण व्यवस्था बनावे। शहरों में राशन व्यवस्था बनाकर दूसरे इलाके को छूट दी जाय, मुक्त किया जाय। ऐसी व्यवस्था बनाकर सारे बंधनों को मुक्त करदें तो सही तौर से समस्या का हल हो सकता है........

श्री नाथूराम मिर्धा : कितनी बड़ी जन-संख्या के लिये आपका खयाल है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : १ लाख की आबादी पर बताया। आंकड़ों से कर सकते हैं।

यह जब हो जाय तो सारी जगह जिला बंदी करके मनमाने ढंग से मोटे अनाज पर और दूसरी चीजों पर रोक लगाते हैं उसकी आवश्यकता नहीं होगी। यह समस्या बड़े बड़े शहरों की है।

इसी प्रकार अकालग्रस्त क्षेत्र में भी फेयर प्राइस शोप्स लगा सकते हैं। आज सरकार यह मानकर चले कि समस्या का समाधान केवल पी. एल. ४८० को लेकर किया जा सकता है तो मैं सोचता हूँ कि जैसे पी. एल. ४८० का अनाज देश में और प्रदेश में मंगायेंगे वैसे वैसे आत्मनिर्भर होने की जो भावना किसानों में होनी चाहिये वह समाप्त हो जायगी। आपको याद होगा कि जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री शास्त्रीजी ने जय किसान का नारा दिया था और पी. एल. ४८० के आने का हमने हर प्रकार से बायकॉट किया था उस समय देश में और प्रदेश में अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनने की भावना आई थी। वही दुबारा जब पी. एल. ४८० देश और प्रदेश में मंगाकर आप देने लगे हैं तब से वह भावना समाप्त होती चली गई है। पी. एल. ४८० हिन्दुस्तान के लिये न कभी हितकर हुआ है और न होगा। आज हिन्दुस्तान की सरकार जिस प्रकार अमेरिका की मोहताज हो गई है मैं उन सारी समस्याओं पर नहीं जाना चाहता। लेकिन आज हमको जहाजों का भाड़ा कितना देना पड़ता है। आज पी. एल. ४८० और दूसरा सामान खेती का आता है वह हमको कितना मंहगा पड़ता है, डिफरेन्स के रुपये आज

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

हिन्दुस्तान सरकार को रिजर्व बैंक में अमेरिकन सरकार के नाम लगाने पड़ते हैं वह कितने मंहगे पड़ते हैं, आज सरकार जो ऋण और सबसिडी देती है वह ब्याज के रूप में कितनी मंहगी पड़ती है इसका सरकार अंदाज लगा सकती है। पी. एल. ४८० के कारण हिन्दुस्तान की सरकार या राज्य सरकारें अमेरिका की मोहताज हैं। यह अमेरिका के लिए हितकर हो सकता है लेकिन हमारे लिये नहीं। आज पी. एल. ४८० जो ऊपर आया है वह हिन्दुस्तान की सरकार के हित में नहीं आया बल्कि स्वयं अमेरिका के किसानों की पैदावार दूसरे स्थानों के बाजारों में अपना स्थान बना ले इस दृष्टि से यह सौदा हमारे साथ किया गया है। मैं समझता हूं आज पी. एल. ४८० का सौदा जो निगोशियेट किया गया है वह हमारी परवाह करने के कारण नहीं किया गया है बल्कि उसके पीछे जो प्रेरणा और भावना है वह वहां के किसानों के लिये हितकर है। आज सरकार को मानना होगा कि यह समस्या हिन्दुस्तान के लिये बढ़ती चली जा रही है। जैसे देश में उद्योगीकरण चालू किया जा रहा है, जैसे जैसे खाने की आदत बदलती जा रही है, आवागमन के साधन बढ़ते जा रहे हैं, किसानों की होल्डिंग केपेसिटी बढ़ती जा रही है, आज उद्योगीकरण के समय हम किसानों से आशा करें कि किसान अपने हित को भुलाकर देश के हित में अन्न उत्पादित करें, मैं समझता हूं सरकार ने जो नीति अपनाई है उससे किसानों को प्रोत्साहित नहीं कर पायेंगे।

आज पी. एल. ४८० पहली बार हिन्दुस्तान में आया हो ऐसी बात नहीं है। प्रेसीडेन्ट रुजवेल्ट ने भी इसी नीति को अपनाया था और वहां पर प्राइस पोलिसी को अपनाया था, उस किसान को जो किसान अन्न उत्पादन के लिये निराश हो चुका था, उसके भाव औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं के मुकाबले में मिल नहीं पा रहे थे, उत्पादन घटने लगा था उस समय प्रेसीडेन्ड रुजवेल्ट ने प्राइस डिसाइड की थी। किसानों को सब्सिडी देकर, उनको सब्सीडाइज्ड रेट देकर उनका अनाज स्वयं सरकार ने खरीदा। इस प्रकार अनाज खरीदने से वहां की सरकार को काफी नुकसान हुआ लेकिन किसानों को अन्न उत्पादन के मामले में प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने उस नुकसान को भुगता। वही नीति हमारी हिन्दुस्तान की सरकार को और प्रदेश की सरकार को अन्न के उत्पादन के मामले में हिन्दुस्तान और राजस्थान में अपनानी पड़ेगी। हिन्दुस्तान के किसान, राजस्थान प्रदेश के किसान रूई उत्पादन की ओर नहीं जायं, गन्ना उत्पादन की ओर नहीं जायं, इसके अलावा और चीज के उत्पादन की ओर नहीं जायं—इसके लिए आवश्यक है कि उनका ध्यान अन्न उत्पादन की ओर आकर्षित हो। और अन्न उत्पादन की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए किसान को फूड क्रॉप के लिए भी उतना ही पैसा मिलना चाहिए जितना कि उसको केशक्रॉप के लिए मिल सकता है। केशक्रॉप के अनुपात में जब तक फूड क्रॉप के लिए पैसा उसको नहीं दिया जा सकेगा तब तक किसान फूड क्रॉप पैदा नहीं करेगा। इसलिए सरकार को यह नीति अपनानी चाहिए कि सबसे पहले तो वह सब्सीडाइज्ड रेट पर किसानों से अनाज खरीदे, दूसरे

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

उस अनुपात में पैसा देकर अनाज खरीदा जाय जिस अनुपात में उसे पैसा केश क्रॉप के लिए मिल सकता है। यदि आप इस नीति को अपनायेंगे तो अन्न के मामले के अन्दर हमारा प्रदेश और देश आत्मनिर्भर बन सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि किसानों को अन्न उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आप केशक्रॉप के मुकाबले में फूड क्रॉप के लिए पैसा देने की नीति को अपनाकर चलें। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरा यह सुझाव है वह इसलिए आवश्यक है कि आप छोटे छोटे शहरों में फेअर प्राइस शॉप्स खोलते हैं, उन पर सब्सीडाइज्ड रेट के ऊपर उन व्यक्तियों को जिनकी आमदनी तीन सौ रुपये या उससे नीचे है, चीजें उपलब्ध हो सकती हैं। इस प्रकार की व्यवस्था आज शहर शहर के अन्दर और गांव गांव के अन्दर आपको करनी पड़ेगी। आज सरकारी कर्मचारियों की बार बार मांग आती है कि उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाय। मेरी मान्यता है कि मंहगाई भत्ता चाहे किसी प्रकार का हो वह कोई समस्या का समाधान नहीं है। अगर आप मंहगाई भत्ता कीमतों के अनुसार बढ़ायेंगे तो आप देश के अन्दर इन्फलेशन को प्रोत्साहन देंगे, मुद्रा स्फीति उससे फैलेगी देश में। इसलिए आवश्यक यह है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं और कारखाने आदि के मजदूर हैं जिनको वेजेज मिलती है, पगार मिलती है उसके लिए आप व्यवस्था करें कि मंहगाई के अनुपात में उनको सब्सीडाइज्ड रेट्स के ऊपर असेंशियल कामोडिटीज, जो वस्तुएं जीवन के लिए आवश्यक हैं, उपलब्ध हो सकें। इस प्रकार की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा जो बैंक इन व्यापारियों को रुपया एडवांस करती हैं, इसके लिए आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वह बैंक रुपया एडवांस व्यापारियों को कम से कम अनाज की खरीद के मामले में नहीं कर पायें। अगर इस प्रकार की नीति सरकार ने अपनाई और ठोस कदम सरकार ने उठाये तो मैं नहीं समझता कि यह अन्न की समस्या का समाधान हमारी सरकार प्रदेश के अन्दर नहीं कर पायेगी। अगर आप समझते हैं कि आप केवल नारेबाजी के आधार पर....

श्री उपाध्यक्ष : आप....

श्री कृष्णकुमार गोयल : केवल कानून के आधार पर मंहगाई की समस्या को, अन्न की समस्या को हल कर पायेंगे, तो मैं समझता हूं कि आप नहीं कर पायेंगे। इसलिए सरकार को इस प्रकार के आदेश लागू करने चाहिए जो प्रेक्टिकल हों। आप होर्डिंग कर सकते हैं जिससे किसानों के अन्दर ज्यादा अन्न पैदा करने के लिए प्रोत्साहन की भावना पैदा हो, दूसरे व्यापारी जो अन्न के स्टाक अपने पास कर सकते हैं इसके लिए बैंक से उनको पैसा न मिल सके और मंहगाई भत्ता न देकर आप सब्जीडाइज्ड रेट पर अन्न और जीवन के लिये आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करें—इस प्रकार आप शहरों में राशनिंग के द्वारा ही इस समस्या के ऊपर काबू कर पायेंगे और मैं समझता हूं इससे अन्न की समस्या का समाधान आप प्रदेश के अन्दर कर पायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवेन्द्रकुमार।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (सहाड़ा सु.) उपाध्यक्ष महोदय

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है मेरा तो थोड़ा सा, यह समय आपने दे दिया इसमें तो आपत्ति नहीं है, लेकिन आज फुर्सत का टाइम है इसलिये दस पांच मिनिट का समय मिल जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, हां, इसमें क्या बात है ।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या एडवांस बुकिंग हो रहा है ।

श्री दुर्गालाल बाढदार : एडवांस बुकिंग नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : एडवांस बुकिंग आप भी कर सकते हैं ।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य के अंदर यह समस्या दो साल से बराबर आ रही है यह हम सबको अच्छी तरह मालूम है । दो साल से वर्षा का अभाव होने से कई जिलों में अकाल पड़ रहा है । आज जो परिस्थिति है उसमें लोगों के सामने बड़ी जटिल समस्या है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि डिवीजन उदयपुर में दो तीन चार तहसील ऐसी हैं जहां पर दो साल से अकाल है और दो साल से इस साल भयंकर अकाल है । वहां वर्षा कम होने की वजह से फसल नष्ट हो गई है । और जो बची थी, उसमें दूसरी बात यह है कि उसमें टिड्डी लग जाने से वह खत्म हो गई है, जिससे किसानों में असंतोष फैला हुआ है । बहुत सी जगह पी. डब्ल्यू. डी. की मार्फत काम चलाये गये थे, उनमें काम करने के लिए किसान जाते थे । वह मजदूरी करते थे और किसी तरह काम चलाते थे । लेकिन पर्याप्त मजदूरी न मिलने से किसानों की स्थिति ऐसी है कि वह खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं । दूसरी बात यह है कि जहां हमारी पंचायत समितियों की मार्फत काम चल रहा है वह तारीख पंद्रह से बंद हो गया है । इस कारण लोगों में असन्तोष फैला हुआ है । उनके पास में कोई खाने का साधन नहीं है और उनके यहां ऐसी फसल भी नहीं हुई है जिससे वह खाने की व्यवस्था कर सकें । मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि जहां जहां काम बन्द किये गये हैं वहां जल्दी से जल्दी काम फिर शुरू किये जायं । और हमारे यहां जो काम करने वाले मजदूर हैं और दूसरे लोग हैं उन सबके लिए काम की व्यवस्था की जाये । उपाध्यक्ष महोदय, गत साल भी जहां जहां काम शुरू हुआ, बहुत सी जगहों पर काम शुरू हुआ जो कि दस दस मील दूर थे । इतनी दूर मजदूरी करने के लिए वह लोग जाते थे और टाइम पर पहूंचते थे । उसके बाद वह शाम को वापिस लौट कर आते थे । उनके लिए बहुत ही जटिल समस्या पैदा हो गई थी । इसलिए आवश्यक यह है कि गांव के नजदीक ही काम खोले जायं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि खेरवाड़ा तहसील में दो जगह काम चल रहा था, एक तो अमरपुरा और दूसरा कटेव । इन दोनों जगहों पर काम चल रहा था लेकिन वह पन्द्रह तारीख

(श्री देवेन्द्रकुमार मीणा)

से बन्द हो गया है । इस एरिया में खेती में टिड्डी लग जाने से फसल नष्ट हो गई है और इस कारण जो तीन हजार मजदूर उन कामों में काम कर रहे थे वह आज तक बेकार हैं । आज कल उनके सामने बहुत जटिल समस्या है । इसलिए उनके लिए कोई न कोई व्यवस्था की जाये ।

दूसरी बात मैं खाद्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं आपकी मार्फत कि हमारे यहां जो तालाब कुओं की व्यवस्था होती है वह व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चलती हैं । आज जितने कुओं की आप व्यवस्था करेंगे, जितने तालाब आप बनायेंगे उतना ही किसान को आगे चल कर फायदा होगा क्योंकि वर्षा न होने पर भी उन कुओं के अन्दर पानी होगा जिससे किसान अपनी खेती कर सकेंगे और पैदावार बढ़ा सकेंगे । इसलिए मेरा सुझाव है कि सराड़ा, खेरवाड़ा और सलूम्बर, गिरवा-इन तहसीलों में काम खुलवायें जिससे लोगों को संतोष मिल सके और वह मेहनत मजदूरी करके अपना काम चला सकें ।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी पांच मिनिट दिये जायं ।

श्री दुर्गालाल वाढदार : मैं बहुत थोड़े समय में निवेदन करना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर !

श्री जुझारसिंह : केवल पांच मिनिट हमारे स्पीकर को मिले हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी समय दे देंगे ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य समस्या पर इस सदन में बहस चल रही है । मेरा निवेदन है कि यह जो खाद्य समस्या का सवाल है यह देश व्यापी है । इसका निदान करने के लिए जब हम इस समस्या की गहराई में यदि जाते हैं तो जब तक कोई देश व्यापी समाधान नहीं किया जायेगा तब तक इस समस्या का निदान नहीं होगा । दूसरी तरफ खाद्य समस्या के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज हमको समझ लेनी चाहिए कि हमारा उत्तरदायित्व है कि आम जनता को अनाज हम दें । मेरा निवेदन है कि खाद्य की समस्या आज उतनी नहीं जितनी मंहगाई की समस्या है । आज कोई भी व्यक्ति किसी भी गांव में चला जाय और उसको कोई भी चीज यदि चाहिए, यदि उसके पास में पैसा है तो जो भी चीज उसे चाहिए वह उसे मिल सकती है लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि उनके पास पैसा नहीं है और दूसरी तरफ मंहगाई बहुत ज्यादा है

(३.०० म.प.)

आज जहां तक अनाज की समस्या का प्रश्न है, अभी जो आंकड़े हमारे खाद्य मंत्री जी ने दिये हैं उनसे स्पष्ट है कि सन् ६५-६६ में ३४.५८ लाख टन अनाज हुआ और ४।। लाख टन हमने हमारे यहां विदेशी अनाज मंगाया । उन्होंने जो आंकड़े दिये है उनमें उन्होंने थोड़ी सी बात गलत लिख दी है और मेरी समझ में नहीं आया कि कैसे उन्होंने लिख दिया है । उन्होंने कहा है कि पहले ४८ लाख टन की जगह ३४ लाख टन रहा उसमें १४ लाख की कमी रही जिसमें से वर्ष १९६४-६५ में २ लाख टन खाद्यान्नों का

(श्री मुरलीधर व्यास)

राज्य के बाहर किया गया निर्यात घटा देने पर शुद्ध कमी लगभग १२ लाख टन की रहती है।

यह उसमें से घटाने पर १२ लाख टन नहीं होता है। जब आप १४ लाख में से २ लाख घटा देते हैं तो वह १२ लाख रहता है। या तो आपके आंकड़े हैं ये उल्टे हैं जो हमेशा उल्टे ही रहते है तो क्या बात है।

श्री नाथूराम मिर्धा : ये उल्टे नही सुल्टे हैं। ४८ लाख टन पैदा हुआ उससे लास्ट ईयर ३४ लाख टन हुआ उसका डिफरेन्स हुआ १४। दो लाख हमने एक्सपोर्ट कर दिया। दो लाख ४८ लाख में घटा दो तो ४६ लाख रहा इस साल में। इस तरह से हमारा कहना है कि वह १२ लाख रहा।

श्री मुरलीधर व्यास : जैसा आपने लिखा है, इस तरह लगभग १४ लाख टन की कमी रही जिसमें से वर्ष ६४-६५ में २ लाख टन खाद्यान्नों का राज्य के बाहर किया गया निर्यात घटा देने पर कमी लगभग १२ लाख टन की रहती है। जब आप १४ में से दो घटा देंगे तो....

श्री नाथूराम मिर्धा : इसलिये नेट कमी लास्ट ईयर के मुकाबले में १२ लाख है।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने जो आंकड़े दिये है उससे स्पष्ट है कि ३४ लाख टन अनाज हुआ और ४॥ लाख टन अनाज आपने बाहर से मंगाया। इस प्रकार करीब ४० लाख टन हमारे यहां अनाज होता है। अगर राजस्थान की जनता दो करोड़ हो तो भी यह उसके लिये काफी होता है। दो करोड़ जनता राजस्थान में और ५ आदमियों का एक परिवार तो भी ४० लाख परिवार हो गये और एक परिवार के लिये एक टन अनाज इस तरह से हो जाता है। तो आपके इस हिसाब से भी ५ आदमियों को करीब ५॥ मन अनाज उपलब्ध हो सकता है और फिर उसकी तुलना छटांकों में करें तो भी १२ से १४ छटांक अन्न मिल सकता है। तो जहां तक अनाज के आंकड़ों का सवाल है और जो आंकड़े आपने दिये हैं उससे तो अन्न की कमी नहीं है।

अब प्रश्न यह है कि हमारे यहां पर अनाज इतना होते हुए भी अनाज लोगों को नहीं मिलता है इसका कारण है कि मंहगाई बहुत बढ़ी हुई है। और वह मैं यह मानता हूं कि मुद्रा स्फीति होने की वजह से और नोट अधिक छपने की वजह से हम निर्यात नहीं कर पाये। इस कारण हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और हमारे रूपये का हो गया अवमूल्यन।
यह सारा मामला देश में महंगाई बढ़ने का कारण है। अगर इस बढ़ती हुई महंगाई को आपको रोकना है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आपको अपने पास अनाज रिजर्व में रखना होगा। आपके पास रिजर्व में अनाज होना चाहिए। अगर यह नहीं है तो उन लोगों को जो छोटे मोटे कर्मचारी हैं और काम करते है और जिनको थोड़ी रोजी मिलती है अपना काम नहीं चला पाएंगे। सरकारी कर्मचारियों का तो आज कुछ महंगाई भत्ता बढ़ गया है। मगर कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे

(श्री मुरलीधर व्यास)

इस महंगाई के कारण चक्की में पिस रहे हैं।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका में भी २० करोड टन हमेशा अनाज स्टॉक में रहता है। आप कनाडा आदि देशों में चले जावें तो आपको मालूम होगा कि वहां पर भी इसी प्रकार अन्न रिज़र्व में रहता है। इंगलैन्ड में आबादी बहुत ज्यादा है, वहां पर भी राशनिंग करना पड़ा है। इसलिए आपको देश की बुनियादी और मूलभूत समस्या है उसको समझना होगा और इसके लिए आपको, सरकार के पास हमेशा अन्न का रिज़र्व स्टॉक रहना चाहिए और सरकार को रखना होगा तभी यह समस्या हल होगी अन्यथा यह समस्या हल नहीं हो सकती। आज आपने १५ वर्ष निकाल दिये, २० वर्ष निकल जायेंगे और आपकी समस्या का कोई हल नहीं होगा और न आप इस प्रकार चल कर कोई समस्या का हल कर पावेंगे।

दूसरी बात यह है कि अन्न कहां से लिया जावे, अन्न कहां से लावें। आप चाहें उसको लेवी के रूप में लें या और किसी ढंग से लें। प्रोक्योरमेंट करें, कुछ भी आप करना चाहें करें। मगर हम देखते हैं कि आपकी नीतियें हमेशा बदलती रहती हैं। जहां तक हमारे यहां आर्थिक हालत का सवाल है वह बराबर खराब होती जा रही है और महंगाई बराबर दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए जो जनता महंगाई से पीड़ित है उसको राहत देनी होगी और अगर आप उसको राहत देना चाहते हैं और आपको आर्थिक बैलेन्स को बनाये रखना है तो आपको बड़े भारी फैसले इस सम्बन्ध में लेने होंगे कि या तो लेवी के रूप में, प्रोक्योरमेंट के रूप में अनाज भर कर रखना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो देश में हमेशा यह कमी रहेगी। इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आपका निर्णय देश-व्यापी होना चाहिये और अगर देश-व्यापी नहीं हो तो राज्य व्यापी तो होना ही चाहिए। अपने डिस्ट्रिक्ट में लेवी लेकर दे सकेंगे। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब हिन्दुस्तान के लिये कहा जाता है कि सारे हिन्दुस्तान के लिए नाज के लिए कोई पाबन्दी नहीं रहे और अनाज एक जगह से दूसरी जगह आना जाना चाहिये, मगर आप यहां पर क्या करते हैं, आपने एक जिले से दूसरे जिले में अन्न ले जाने के लिए भी पाबन्दी लगा दी है। अगर हमारे यहां पर कहीं से चीजें आ सकती हैं तो वह गंगानगर से आ सकती हैं। आपने उस पर भी रोक लगादी। तो फिर कहां से खाएंगे? मैं यह समझता हूँ कि बीकानेर के लोग यह महसूस करते हैं कि बीकानेर और आस-पास के लोगों के प्रयत्न से गंगानगर बना है, मगर आज दुर्भाग्य की बात है कि वहां का अन्न और चना हमको प्राप्त नहीं होता। हम वहां का गेहूं और चना प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की पाबन्दियें राज्य से तो हट जानी चाहिए और इसके लिये आपको घोषणा करनी चाहिये। इसके साथ साथ आपको यह भी घोषणा करनी चाहिये कि जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन है, बड़ी बड़ी जमीनों वाले लोग हैं उनसे हम अनाज लेंगे और प्रोक्योरमेंट करेंगे। आप किसानों के बारे में यह

(श्री मुरलीधर व्यास)

सोचते हैं कि अगर आप उनसे लेवी लेंगे तो किसान आपसे नाराज हो जावेगा। मैं निवेदन करूंगा कि आपको यह मानना पड़ेगा कि जिनके पास ज्यादा जमीन है उनको धान देना होगा और आपको प्रोक्योर करना होगा। इसलिए आपको यह नहीं देखना होगा कि कोई नाराज हो जावेगा। आपको जो बुनियादी चीज है उसको करना होगा और आपको रिजर्व अन्न का रखना होगा, चाहे प्रोक्योरमेंट से लेवें और लेवी से लेवें किसी प्रकार से आप कर सकते हैं उसके जरिये से लेकर आपको बैलेन्स रखना चाहिए जिससे आम लोगों को अनाज के मामले में संतोष दिला सकें।

कानून का जहां तक प्रश्न है। मैं यह कहूंगा कि जितने लम्बे कानूनों के जाल में आप फंसाने की कोशिश करते हैं उतनी ही बुराइयें पैदा होती हैं। आपके यहां कानूनी मसले को लेकर प्रश्न आये थे। उसका लम्बा उत्तर है। मैं प्रश्न पढ़ रहा था तो मेरे ध्यान में आया। वह भैरोंसिहजी का प्रश्न था और मैंने उसको गहराई से देखा तो इस नतीजे पर पहुंचा कि उसमें इस प्रकार की कमी माननीय मंत्री ने रखी है कि उसको एक जगह ६३ में चावल और मक्का के परमिट देने को थे उसमें किसी को भी परमिट दिया उसके पीछे राजनैतिक कारण था। मैं उन राजनैतिक कारणों पर जाना नहीं चाहता, मगर यह कहना चाहता हूं कि जब कोई मंत्री परमिट देता है और उससे सौदा करता है और परमिट सौदे पर देता है कि यहां से ४०' लाख टन या कुछ भी यहां से बाहर जावेगा तो आपको एक क्विन्टल के पीछे १।।) या दो रुपये देने होंगे। तो जो चावलों का निर्यात किया गया उसमें मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यह सौदा किया गया था और यह हुकूमत का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था कि एक क्विन्टल के पीछे एक रुपया या दो रुपये लेकर उसका निर्यात किया गया। मैंने इसको बहुत गहराई से देखा और इस बारे में श्री भैरोंसिहजी से भी बातचीत हुई। मैंने कहा कि मंत्री महोदय ने इन सारे तथ्यों को छिपाने की कोशिश की है और गलत जवाब देने की कोशिश की है।

अगर हुकूमत ने इस प्रकार से भ्रष्टाचार नहीं किया है तो मुझे दंड दिया जावे और अगर परमिट दिया गया तो वह साफ भ्रष्टाचार का मामला था कि १) प्रति क्विन्टल या दो रुपये प्रति क्विन्टल देकर चाहें आप दो लाख क्विन्टल भेजो या चाहे जितना भेजो। मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार चाहे कितना भी भेजा हो, मैं इसको भ्रष्टाचार समझता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि किसी व्यक्ति से जुडिशियल एन्क्वायरी करा ली जाय मालूम पड़ेगा कि मुख्य मंत्री ने कहा है कि मेरे पास दूसरे आदमी आये थे और उन्होंने कहा कि हमारे पास ज्यादा माल है, बाहर भेजना चाहते हैं तो, कहा कि इतने क्विन्टल दे दो और इतने क्विन्टल बाहर भेज दो और पहले २५ परसेंट और बाद में ५० परसेंट लेकर परमिट दे दिये। मेरी समझ में नहीं आता कि परमिट देने में इस प्रकार की सौदेबाजी क्या भ्रष्टाचार नहीं है? किसी जुडिशियल एन्क्वायरी में भेज दो इस प्रकार सौदा किया वह स्पष्ट भ्रष्टाचार में होना जुडिशियल जांच से हो सकता है।

(श्री मुरलीधर व्यास)

अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन समस्याओं की ओर ध्यान खींचना चाहता हूं। अकाल के सम्बन्ध में मंत्री महोदय के वक्तव्य हुए उनके आधार पर कहूंगा, इसमें एक रिपोर्ट दी गई है कि ५ करोड़ रुपया हमारे यहां खर्च हुआ, यह कम हुआ, मैं आपके आंकड़ों से कहना चाहूंगा। अभी बाड़मेर के सम्माननीय सदस्य कह रहे थे कि वहां बड़ी खराब स्थिति हुई और अब भी वैसी ही स्थिति है। मैं जैसलमेर गया था तो मैंने मुख्य मंत्री को लिखा कि जैसलमेर में लाखों गायें घास नहीं मिलने से मर गई हैं। मुख्य मंत्री ने जवाब लिखा कि वह घास नहीं मिलने की वजह से नहीं बल्कि गायों को पूरा खाने को नहीं मिला जिससे कमजोर हो गईं, मरी नहीं। मैं कहना चाहता हूं, कृषि मंत्रीजी तो इसके बहुत जानकार हैं, गायों को लगातार कम खाने को मिलता है तो वे बैठ जाती हैं, उठ नहीं सकतीं। मैंने हजारों गायों को जैसलमेर इलाके में देखा कि वे उठ नहीं सकती थीं, इस तरह लाखों गायें वहां मर गईं। आप अगर दावा करते हैं कि यह बात गलत है तो आज ऐसे निष्पक्ष व्यक्ति से जांच करवा लें कि जैसलमेर के इलाके में लाखों गायें घास की कमी की वजह से मरी या नहीं मरीं। इसको साबित करने के लिये आपके द्वारा दिये गये आंकड़े ही प्रमाण हैं, जैसलमेर में आपने कितना घास भेजा। ६५-६६ में जैसलमेर, बाड़मेर ७२४.७६ इतना चारे का प्रबन्ध हुआ, अब मैं अन्दाज लगाता हूं कि क्या प्रबन्ध हुआ क्या नहीं, पर इतना कहना चाहता हूं कि राज्य में उस समय कई जगह घास के डिपोज थे, आज भी लाखों मन घास पड़ा हुआ सड़ गया है, जिसको पहुंचा नहीं पाये आपकी लापरवाही के कारण जैसलमेर में घास नहीं पहुंच सका, इसलिये मवेशी मर गये। बाड़मेर का दर्दनाक चित्रण अभी जज सहाब ने किया। दूसरी जगह अच्छा घास है वहां से आज घास भेज कर उन गायों को आप बचा सकते हैं, आपके डिपोज में लाखों मन घास पड़ा हुआ है, वह खराब हो जायगा।

अकाल के कारण लोग भूख से मरते हैं, आप जवाब देते हैं कि कोई भूख से नहीं मरा। मैं कहता हूं आप स्वयं कल्पना कर लीजिए ११ हजार गांवों में अकाल पड़ा है, ५५ लाख लोग अकाल से पीड़ित हैं, आपने कहा कि ५ करोड़ रुपया अकाल में लगाया। ५५ लाख लोग अकाल से पीड़ित हैं आपकी ही दलील के जरिए बताता हूं कि एक दिन में ८ आना एक व्यक्ति को दें तो ५५ लाख रुपया पड़ता है, एक दिन में एक करोड़ रुपया खर्च होगा।

एक माननीय सदस्य : यह कैसा कैल्कुलेशन है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कहने दो, यह इनका अपना ढंग है।

श्री मुरलीधर व्यास : ४ दिन में एक करोड़ रुपया खर्च हो जायगा। इतनी बड़ी तादाद जिसको आप स्वयं मानते हैं कि इतने अकाल पड़ते हैं आपने राहत दी तो इस तरह से कितने लोगों को राहत दे पाए हैं, इसको आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं।

(श्री मुरलीधर व्यास)

राजस्थान में अकाल के इलाके हैं, उन इलाकों में लोगों को काम नहीं मिले, आपको कहा जाता है तो आप कहते हैं कि राजस्थान कैनाल पर चले जायें। पर कोड के मुताबिक ५-१० मील पास में काम होता है तो आदमी जा सकता है पर आस-पास में काम नहीं मिलने से जिस तरह बिना चारे के गायें थक-थक कर मर गई उसी तरह इस राज्य में लाखों बच्चे समय पर राहत नहीं मिलने से कमजोर होकर मरे हैं। आप कमजोर कह दें, बीमारी कह दें, पर मैं बीमारी नहीं कहता। आज इस हालत में हम उन लोगों को अनाज नहीं दे सके, हमारा दुर्भाग्य था कि झोंपड़ी में अनाज नहीं मिलने से लोग कमजोर होकर मर गए, उसकी गिनती नहीं की जा सकती, उनके नाम नहीं आ सकते। पर आपको सोचना पड़ेगा कि आज देश में गरीबों के बच्चे इन हालात में मरते हैं। आपने रेड क्रस सोसायटी से बच्चों के लिए दूध बंटवाया, दवाईयां बंटवाई, कहां पहुंची, कहां नहीं पहुंची यह मैं नहीं कह सकता, आपके सोचने की बात है, आप कहते हैं दवाइयां गई, बिस्कुट गए, पर गांवों में बिस्कुट तो कहीं गए ही नहीं। दवाइयों से काम नहीं चलता इस मामले में। आपने इसमें लिखा है मिल्क क्रीम, बिस्कुट, शुगर, राइस, यह सारी चीजें लिखी हैं, यह चीजें आती हैं पर कोई चीज आती है और उसका मिसयूज होता है, तो आप इसकी जांच करवाइए।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पार्टी का पूरा समय लेना चाहें तो ले सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : एक ही हैं, ये ही हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : एक और दो का तो सवाल नहीं है, जो परिस्थिति है उसको रख रहा हूं। रेडक्रोस सोसायटी से जो चीजें मिली हैं, उनके बारे में मैंने लोगों से पूछा है, आप जांच करें कि ये चीजें उन लोगों के पास पहुंची या नहीं पहुंची नेफा में जयप्रकाशजी देखने के लिए गए तो वहां पर फौजियों ने उनसे कहा कि हमने सुना है कि हमारे लिए स्वेटर आते हैं पर हमने तो आंखों नहीं देखा। तो इतने बड़े आंकड़े दिए हैं, कहां ये चीजें पहुंची, कहां नहीं पहुंची इसकी जांच करवाइये। बीकानेर में मैंने देखा कि रेडक्रोस सोसायटी के जरिए दूध बांटने जाते थे जिस बात को मैंने देखा उसको स्वीकार करता हूं, लेकिन दूसरी बातें जो इसमें लिखी हैं, वे चीजें वहां पहुंची या नहीं, इसको आप देखलें।

दूसरा जो खाद्य आम लोगों को मिलता है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि मैं यह नमूना अनाज का लाया हूं। यह अनाज रतनगढ़ की जनता को दिया जाता है, यह गोदाम का नमूना नहीं है। यह अनाज रतनगढ़ के डिपोज के अन्दर दिया गया, डिपो वालों ने यह अनाज जनता में बांटा और उसमें जो शिकायत थी, अधिकारी ने डिपो में जाकर नमूना लिया, यह हमने मैडीकल जांच के लिए भेजा है। अगर आपका अनाज ऐसा खराब हो गया, वर्षा में गीला हो गया, तो आप उसको अलग रखते लेकिन खराब अनाज को आपने जनता में वितरित किया, यह राष्ट्रीय अपराध है।

दूसरा यह एक बोरी है इसमें अनाज दिया गया, लोहे का जंग चढ़ा हुआ है, अनाज बोरी में भरते हैं। इस प्रकार का

Page No. 64

(श्री मुरलीधर व्यास)

लोहे का जंग चढ़ा हुआ है, देते हैं तो सिवाय मृत्यु के और कुछ नहीं हो सकता।

मिलावट के मामले में बीकानेर में ऐसे मामले हुए और कई लोगों ने डालडा के नाम पर मरे हुए ऊंट की चर्बी मिलाकर आम लोगों को दे दी, केसेज पकड़े गए, परन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतना बड़ा अपराध होने के बाद भी हुकूमत कुछ नहीं करती।

कल मैंने राजस्थान पत्रिका में समाचार पढ़ा कि बीकानेर के अन्दर कुछ बिस्कुट मिलावटी देखने में आए। उनको कुछ बच्चों और जानवरों को दिया गया, वे बीमार पड़ गए और उनको अस्पताल में पहुंचाया गया, गाय मर गई। तो आप इन चीजों की जांच करवाएं कि कैसा अनाज वितरित होता है?

चने के मामले में आपने घोषणा की थी उसके अनुसार नहीं मिला। वह रखा पड़ा रहा, आपने सीज़ किया इसके लिए तो बधाई देता हूँ। अगर कोई आदमी माल को दबाए रखे और मौके की इन्तजार करे तो उसके माल को सीज़ करना ही चाहिए। राजस्थान में बहुत चना है, जहां जहां चना मिल सकता है आपको प्राप्त करना चाहिए, चना बहुत जल्दी खराब हो जाता है। हमारे इलाके में इसकी बहुत मांग है, क्योंकि गंगानगर का नहीं आता है, महंगा होता जाता है, हालत खराब है। खास तौर से कृषि मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस चीज को नोट करलें। इस प्रकार का चना है तो वह बीकानेर भेजें। यह ऐसी चीज है जो जनता को राहत दे सकती है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मंहगाई को रोकने के लिए मूलभूत बुनियादी कदम उठाएं नहीं तो जैसे १५ साल निकल गए हैं, ५ साल और निकल जायेंगे, इस तरह निकलते रहेंगे और जनता को राहत नहीं मिलेगी। यह देश का सवाल है, राज्य का सवाल है, जनता का सवाल है। आपको इन मामलों में दृढ़ होकर कदम उठाने पड़ेंगे नहीं तो हालत हमेशा इसी प्रकार की रहेगी।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खाद्य समस्या के बारे में सदन को कुछ तथ्यों से परिचित कराना चाहता हूँ, और खास तौर से कोटा जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। खाद्य समस्या के कई पहलू हैं, सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन है। उसके बारे में मन्त्री महोदय ने बताया कि इस साल पिछले साल के मुकाबले १४ लाख टन कम पैदा हुआ है। दूसरी समस्या प्रोक्योरमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की है। जब आपकी खाद्य समस्या जटिल है और अनाज जनता में वितरण के लिये नहीं है, तो जो अनाज आपके पास उपलब्ध है उसको ही अच्छी तरह से प्रोक्योर किया जाय और वितरित किया जाय। अगर इसको अच्छी तरह से पूरा करते हैं तो कमी के कारण जितने कष्ट जनता को देखने पड़ रहे हैं, वे कम हो सकते हैं। आपने प्रोक्योरमेंट और वितरण संबंधी जो उपाय किए हैं, वे हमारे जिले की दृष्टि से बहुत डिफेक्टिव हैं।

(श्री जुझारसिंह)

आपने जिलाबन्दी कर रखी है। कोटा, झालावाड़ और बूंदी में खाद्य समस्या करीबर एक सी है। अगर सरप्लस है तो तीनों सरप्लस हैं। जिलाबन्दी करने से जनता को दिक्कतें आती हैं। फूड कमिश्नर, जो कोटा के कमिश्नर रह चुके हैं, वहां की समस्याओं से अच्छी तरह अवगत हैं। मेरे खुद के क्षेत्र सांगोद तहसील में जो खानपुर से लगी हुई है और दूसरे जिले में है, वहां खानपुर के लोग हाट करने के लिए आते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ; कुछ लोग एक गांव में गेहूं काटने के लिए वहां आए और उनको जो पेमेंट हुआ, वह काइंड में हुआ। पेमेंट लेकर जब १०-१२ मजदूर खानपुर को चले तो रास्ते में उनको पकड़ा गया और उनका चालान हो गया। इस तरह के केसेज़ कई हैं, क्योंकि वह जिला इन्टरकनेक्टेड है, इन जिलों की समस्याएं करीब आइडेन्टीकल हैं, इसलिए जिलाबन्दी करने से जनता को कठिनाई होती है। इसलिए जिलाबन्दी न करके, जोन बनाया जाय।

दूसरी समस्या इन्टरनल बोर्डर एरिया ज़ोन की है जो हर १० मील में दूसरे राज्य से लगती है, जैसे रामगंजमण्डी within ten Miles of madhya Pradesh State है, उसमें १० मील के बाहर का राजस्थान का कोई गल्ला नहीं जायगा, यह अच्छी नीति नहीं है; क्योंकि उसमे बहुत से गांव जो तहसील के गांव हैं वे भी अपना गल्ला तहसील में नहीं ले जा सकते। इन पहलुओं पर वहां की लोकल ऑथॉरिटीज से मिलें, उन्होंने कुछ सिफारिशें की और बताया यहां पर स्मगलिंग के चान्सेज नहीं हैं। पहले भी ५ मील बोर्डर ज़ोन था। अब १० मील होने से लोगों को दिक्कत हो गई है। आप इस पर गम्भीरता से विचार करें क्योंकि मध्य प्रदेश और पंजाब के बारे में आपने रिपोर्ट में कहा है कि मध्य प्रदेश में राजस्थान से भाव अच्छे हैं इसलिए राजस्थान से कोई गल्ला मध्य प्रदेश जाने की सम्भावना नहीं है। अगर गल्ला आएगा तो मध्यप्रदेश से आ सकता है; राजस्थान से मध्य प्रदेश जाने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए इस पाबंदी को रिलेक्स करके १० के बजाय ५ मील करें तो व्यापारियों को और जनता को बड़ी सुविधा होगी।

आपने इसी जिलाबन्दी के बारे में कहा है कि उदयपुर डिवीजन में (प्रतापगढ़ सब डिवीज़न को छोड़कर) जिलाबन्दी है और साथ साथ आपने बताया मक्का का ज़ोन है, जो निर्यात हुआ है, वापस इम्पोर्ट हुआ है तो यह कौनसी नीति है कि आप जिलाबन्दी करें, निर्यात करने की इजाजत दें, फिर अकालग्रस्त घोषित करें, आप इन कठिनाइयों को देखें।

इस किताब में जगह जगह पर मिसालें मिलती हैं जहां पर प्रशासन की बहुत सी कमियां मालूम पड़ती हैं। अभी मिसाल के तौर पर, जैसा मुरलीधरजी ने कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूं। आपने कुछ गेहूं और कुछ गेहूं का आटा निःशुल्क किसी जगह पर बांटा है। १६ पेज पर लिखा है कि कितने आदमी अपाहिज थे जिनको आटा बांटा गया है। आपने उदयपुर डिवीजन के ५८३ आदमी ऐसे बताये हैं जिनको आपने आटा या गेहूं फ्री बांटा है और उसकी तादाद है ४०० टन। अगर ५०० आदमियों में चार सौ टन आटा

(श्री जुझारसिंह)

बांट सकते हैं तो दो वर्ष में भी एक आदमी के द्वारा वह खत्म नहीं हो सकता जितना उसके हिस्से में आता है। इसी प्रकार २३३ अपाहिज आपने चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के बताये जिनको आपने ६६ टन आटा फ्री बांटा है। डूंगरपुर में ४५० टन बांटा है। २७।। मन का एक टन होता है। तीन वर्ष में भी जितना उसके हिस्से में आये उतना एक आदमी खत्म नहीं कर सकता है। २५० तो खाने वाले और ५०० टन आटा बांटा जाय यह देखने की बात है। १६ पेज पर आपने आदमियों के फिगर्स दिये हैं और पेज १०३ पर आटा और गेहूं जो आपने फ्री डिस्ट्रिब्यूट किया है वह फिगर्स दिये हैं। दो दो टन आटा पचास पचास आदमियों में भी बांटा है। यह तो हाइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव या गड़बड़ हुई है, इनएफिशियेन्सी है, या तो इस किताब में गलत लिखा हुआ है। यह एक सोचने का विषय है।

इसी प्रकार आपने फरमाया कि २४ जिलों में अकाल था। इस किताब को पढ़ने से मालूम पड़ता है कि पांच डिवीजन्स को ही इस का फायदा मिला है। उदयपुर डिवीजन में पांच डिस्ट्रिक्ट हैं। वहां २.७० करोड़ रुपया खर्च हुआ है। मैं उसके फिगर्स देना चाहता हूं। बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो पैसा निर्धारित हुआ था वह था ६५,०३, ५५०) रु० यह वहां पर सितम्बर के महीने तक ६० हजार आदमी जो मजदूर थे वे काम कर रहे थे। ऐसा लगता है कि सारी पॉपुलेशन को आटा बांटा जा रहा हो। यह भी देखने की बात है कि पिछले टाइम जो बांसवाड़ा के रेन के फिगर्स रेकार्ड किये हैं वे राजस्थान में हाइयेस्ट हैं, ६३. सेन्टीमीटर वहां पर राजस्थान में सबसे अधिक पानी हुआ है और फिर भी ६५ लाख रुपया दिया है। और दूसरी चीजें भी वहां पर कर रहे हैं। डूंगरपुर में भी रेनफॉल इतना कम नहीं है। कोटा के करीब २ बराबर ही रेन फॉल है। उसमें भी आपने ६१ लाख रुपया बांटा है। भीलवाड़ा में आपने ५० लाख रुपया बांटा है और उदयपुर के आपने बांटा है ५८ लाख रुपया। चितौडगढ़ में पांच सात लाख रुपया। कुल मिला कर २.७० करोड़ रुपया बांटा है।

इस सब बातों को देखने से ऐसा महसूस होता है कि आपने ५५ लाख आदमी फेमीन अफेक्टेड बताये उनमें से ३५ लाख आदमियों की Population में से क्या २५ लाख को आपने डिस्ट्रिब्यूट किया है? पंचायत समितियों को जो एड दी जाती है उसमें भी २० लाख में से ११.५० लाख उदयपुर की पंचायत समितियों को दी है। राजस्थान की २४ डिस्ट्रिक्ट्स में से इन पांच डिस्ट्रिक्ट्स में आउट ऑफ दी वे और आउट ऑफ प्रपोर्शन एक्सपेन्डीचर हुआ है।

इसी किताब में लिखा है। जहां तक पीने के पानी का सवाल है फेमिन अफेक्टेड एरिया में कोई फर्क नहीं बरता गया है। आंकड़ों को देखने से पता लगता है कि सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स में मोर दैन प्रपोर्शन रुपया दिया गया और हैल्थ डिपार्टमेन्ट में जो रुपया रखा गया है उसमें से तो २० हजार रुपया अजमेर के लिये छोड़कर बाकी सारा का सारा पैसा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में दिया है। फेमिन के नाम पर एकतरफ अनबैलेन्स्ड डिस्ट्रिब्यूशन हुआ है, ऐसा महसूस होता है कि कहीं पार्शियलिज्म तो अकाल के नाम से नहीं हो रहा है? पानी

(श्री जुझारसिंह)

के लिये निवेदन कर रहा हूं कि रामगंज-मंडी में जनता को पीने के पानी के लिये स्वयं पचास हजार रुपये का चन्दा करना पड़ा और उसका इन्तजाम करना पड़ा और सरकार किसी भी प्रकार से जनता को पानी नहीं दे सकी। कनवास, रामगंज मंडी में पीने के पानी की कमी है। राज्य सरकार को इस प्रोब्लम के लिये लिखा जाता है। पानी जैसी गम्भीर समस्या के लिये, अकाल तो दूर रहा, कोटा जिले में कुछ भी नहीं किया गया। जहां अकाल घोषित किया गया है और जानकारी चाही गयी है उसमें भी घोटाला है। कोटा जिले के लिये कहू कि वहां ऐसे पोर्शन थे जो छोटे २ पेचेज हैं उनका कतई ध्यान ही नहीं रखा गया। इलाका सरप्लस में डिक्लेयर किया जब कि वहां पर आदमियों के मरने की समस्या आ रही थी। एक तरफ जहां लोगों के मरने की समस्या आ रही है और दूसरी तरफ जरूरत से ज्यादा अननेसेसरी पैसे का डिस्ट्रिब्यूशन हो रहा है, यह न्याय संगत नहीं लगता।

मुरलीधरजी ने घास के लिये कहा है। सब को मालूम है कि बोर्डर एरिया और मारवाड़ की जो गायें हैं वह हमारे यहां सबसे अधिक उपयोगी पशु-धन है और उनको प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उनके यहां एक्सपोर्टेड घास के सिवाय कुछ भी पैदा नहीं हुआ था। उनके यहां घास जैसी चीज मंत्री महोदय जानते है, बहुत ही उपयोगी है और आवश्यक है। कोटा व उदयपुर में एनीमल हस्बेन्डरी की एक्सटेन्शन सर्विस को इसलिये हटा दिया गया कि वहां की मवेशी उपयोगी नहीं है. निकम्मी है। वहां से अभी डॉक्टर्स को हटा लिया है। लेकिन बोर्डर की गायों को जहां तक प्रिजर्व करके के लिये और अकाल में सहायता देने का सवाल बड़ा अहम है। परन्तु इसी उदयपुर एरिया में सबसे ज्यादा घास दिया गया है। फोडर स्केयरसिटी के लिये जैसा मुरली-धरजी ने बताया सोचने का विषय हो जाता है।

मेरे एरिया के बारे में मैं सुझाव संक्षेप में देना चाहता हूँ। दो-तीन वर्ष से यहाँ प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, गिरता जा रहा है और इसके लिये कोई परमानेन्ट सोल्युशन नहीं ढूंढा है। इस तरफ ध्यान देना चाहिये कि क्योंकि प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है हमारे कोटा डिस्ट्रिक्ट में सबसे बडी सोइल इरोजन की प्रोब्लम है और जब तक उसको नहीं रोका जावेगा सोइल की फर्टीलिटी कम होती जावेगी। आपकी पॉलिसी से तो कभी भी प्रोडक्शन नही बढ़ेगा। वहां सोइल इरोजन होता है, एग्रीकलचर डिपार्टमेन्ट ने एक किताब छपवा कर और माननीय नाथूरामजी से फोवर्ड लिखवा कर बताया है कि दो लाख एकड़ का रकबा ऐसा है अलॉटमेन्ट के लिये नही देना चाहिये। उससे फर्टीलिटी बिगड़ेगी और साइल इरोजन होगा। उस पेम्फलेट को इरिगेशन डिपार्टमेन्ट ने बांटा है और लाखों रुपया खर्च किया है, परन्तु Colonisation डिपार्टमेन्ट ने इसी जमीन को लाखों रुपये कमा कर बेचा है। प्रोडक्शन बढाने के तरीकों को तो आप फोलो नहीं करते हैं। ओन दी कोन्ट्रेरी उनको एक्स्प्लोइट करते हैं तो आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा और नुकसान होगा। जहां तक इन्टर डिपार्टमेन्टल कोऑर्डिनेशन का सवाल है आप आपस में बैठ कर विचार करें कि जिससे एक डिपार्टमेन्ट का

(श्री जुझारसिंह)

दूसरे से कोआॅर्डिनेशन हो सके । दस बीघा से ज्यादा का अलाॅटमेन्ट नहीं होना चाहिए। दो-दो-चार-चार बीघा का अलाॅटमेन्ट होता है । फ्रॉग्मेन्टेशन आफ लैंड से यील्ड नहीं बढ़ेगी । पुराने फ्रेग्मेन्टेशन को दूर करना तो दूर रहा मौजूदा सूरत में भी तीन चार बीघा के फ्रेग्मेन्ट्स उनको देते हैं, दूसरी फेसिलिटी साथ-साथ नहीं देते हैं ।

उनके लिये बीज और तकावी का इन्तजाम नहीं होता । छोटे छोटे जमीन के अनइकोनॉमिकल टुकड़े उनको देने के नाम से दे दिये जाते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । जिस भावना से आप भूमिहीनों को भूमि बांट रहे हैं यह प्रोडक्शन बढ़ाने का तरीका नहीं है । इस पर आप विचार करें। इकोनोमिकल यूनिट तो होना चाहिये । उनको राजी करने के लिये दो-दो-चार चार बीघा दे दिया तो इससे अन्न उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी । आपकी यह पॉलिसी डिफेक्टिव है ।

इसी तरह माइनर इर्रिगेशन के बारे में निवेदन करू कि कोटा में मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में पानी के पुल अथवा छोटे छोटे तालाब बने हुए हैं । नदी नाले भी हैं जिनमें पानी भरा है और उनसे लिफ्ट इर्रिगेशन द्वारा पानी खेतों को दिया जा सके तो बहुत लाभ हो सकता है । पिछले साल मेरी कॉन्स्टीट्यून्सी में १४ पम्पिंग सैट भी इसके लिये भेजे गये थे और उनसे ८) पर एकड़ की पिलाई की रेट वसूल की गई थी । इस साल रेट आठ रुपये से बढ़ाकर ४५) प्रति एकड़ करदी गई है । इस तरह से करना था तो पहले ही साल कह देना चाहिये था । जब आप ऐसा करते हैं तो आपका क्या विश्वास करेंगे इससे लाभ नहीं होने वाला है । ?

प्रोक्योरमेन्ट करके फूड का स्टॉक करने की पॉलिसी को इम्पलीमेन्ट करने में शासन पर भार आने वाला है । पिछली साल भी कहा गया था कि चने को ५०) और ४८) में खरीदा जावेगा । फिर सरकार ने भाव बढ़ाकर ५५) से लेकर ६१) कर दिया तब भी लोगों ने नहीं दिया । अब ३५ हजार क्विन्टल चार जिलों में पड़ा बताया है । बाकी के जिलों की सरकार को मालूम नहीं है । २२ जिलों की फूड सिचुएशन की जानकारी नहीं दे सकें, तो यह भी खेद का विषय है । यह समस्या अगले साल भी आ सकती है जब आप बफर स्टॉक बनाने की बात कहते हैं यह कैसे बनावेंगे और क्या आपकी एजेन्सी होगी और क्या आप समय पर यह सब कर सकेंगे ? लोगों के घरों में चना और अनाज पड़ा बिगड़ रहा है और आप उसे ले नहीं पा रहे हैं ।

तो आपके सामने फूड प्रोब्लम के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक बड़ा प्रोब्लम है । एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से, मजबूती से, ईमानदारी से और जुडिशियली भ्रष्टाचार के रहित होकर चला और इसी तरह से इस सर्विस ने काम किया तो फूड सिचुएशन भी सुधर सकती है ।

उम्मीद करता हूं नये फूड कमिश्नर साहब इसमें सफल होंगे और वे ईमानदारी, कड़ाई और जुडिशियली काम करेंगे । यह मेरी आकांक्षा है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : दो पार्टियों के लोग बिल्कुल नहीं बोले हैं। कम्युनिस्ट और एस.एस.पी. के लोग नहीं बोले हैं। जब कि दूसरी पार्टी के एक एक और दो दो बोल चुके हैं।

श्री दुर्गालाल बादृदार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच सात मिनिट बोलना चाहता हूं।

श्री देवीलाल (सराड़ा–सु.) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सराड़ा, सलूम्बर तहसीलों में अकाल की हालत है। घरों में खाना नहीं है। मजदूर लोग काम पर जाते हैं जो मिलता है उससे खाना जुटाते हैं। मजदूरी नहीं मिलती है तो रोते रोते चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ने काफी ध्यान देकर काम चलाया है। इसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने अकाल की स्थिति को देखकर वहां के मजदूरों को रोजी दिलवायी है, काफी प्रयत्न किया।

पर आज भी फसल अच्छी नहीं है। गांवों में आधा व ३ इंच वर्षा भी नहीं हुई। खेरवाड़ा, सराड़ा, सलूम्बर में किसी गांवों में पहले वर्षा १५ जून को हुई, फिर बाद में २२ जुलाई तक वर्षा हुई। तो इससे वहां फसलें भी सूख गईं। इसके बाद एक दिन और वर्षा हुई। उससे भी कुछ नहीं हुआ।

वहां के पहाड़ों में गत साल तो थोड़ी घास थी। उसके होते हुए भी काफी घास की आवश्यकता पड़ी। सरकार ने मदद की। बाहर की घास आई। उसको खाते हुऐ भी काफी संख्या में मवेशी मर गये, अगणित संख्या में मर गये क्योंकि वर्षा पहले हुई। वह भी मामूली हुई। उससे जो घास उगी वह एक महीने, डेढ़ महीने तक वर्षा न होने से सूख गई। पीछे वर्षा हुई उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा; घास जल गई थी। जो स्थिति गत साल थी उससे भी भयंकर स्थिति इस साल है।

मैं गिरवा, सराड़ा और खेरवाड़ा की तहसीलों के गांव गांव और घर घर में घूमा हूं। सब जगह यह स्थिति देखी है। सरकार को रिलीफ के काम करके वहां की स्थिति को सम्भालनी पड़ेगी। खाद्य और चारे की स्थिति सामने आने वाली है।

इसमें पहले दस किलो, आठ किलो अनाज देने की बात थी, अब पांच किलो कर दिया है। अब दो दो किलो हो गया है। यह पूरा नहीं है। जो लाइसेन्स वाले व्यापारी हैं इनसे भी लेकर लोगों ने पेट भरा।

(३.४८ म.प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पदासीन)

अब भी अनाज की कमी है। दो किलो की जगह ध्यान देकर दस किलो अनाज मिल सके, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिये। सरकार को आगे भी ध्यान रखना पड़ेगा। उदयपुर में ऐसी स्थिति है कि सब तहसीलों में अनाज की कमी से काफी लोगों को भूखे रहना पड़ा है। फिर भी कठिनाई से अनाज मिल जाता था। छूटकर व्यापारियों से लेकर समस्या पूरी कर लेते थे। पर इस

Page No. 70

(श्री देवीलाल)

वर्ष राजस्थान सरकार हमारे उधर रिलीफ के कार्य चलावें तो काफी तालाब ठीक हो सकते हैं। माइनर सिंचाई की योजनाओं की तरफ ध्यान दिया जाकर कार्य चलाया जावे तो ठीक रहेगा ।

उससे क्या होगा कि हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है वह पानी ले लेगा और वहां के कुओं में सेजा रहेगा ताकि कुओं से फसलें पैदा हो सकेंगी। राज्य सरकार ने इस बारे में काफी ध्यान दिया है इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं और आगे के लिए भी हमें इसी तरह से मदद सरकार करेगी ऐसी आशा है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मानिकचन्द सुराणा !

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभानेत्रीजी, आपके समक्ष जो यह बहस शुरू हुई है उस बहस में इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने भाग लिया है और इस खाद्य की बहस में कई मुद्दों को उन्होंने उठाया है। खास तौर से कोटा से आने वाले माननीय सदस्य और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर काफी विस्तार से प्रकाश डाला है।

माननीय खाद्य मंत्रीजी से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो हमें अभी इस सदन में एक नोट सक्युलेट किया है उसको भी बड़े गौर से पढ़ा और साथ ही आपने दो साल पहले जो खाद्य स्थिति का नोट सक्युलेट किया था उसको भी मैंने बड़ा संभाल कर रखा था और उसका शुरू से आखिर तक अध्ययन किया और उसके बाद में इस नतीजे पर पहुंचा कि राजस्थान में जितने अनाज की खपत राजस्थान की सरकार अपने आंकड़ों के अनुसार मानती है उतना अनाज राजस्थान में, राजस्थान के पिछले ५-६ वर्षों में प्रत्येक वर्ष में राजस्थान के अन्दर विद्यमान था। आपके आंकड़ों के आधार पर यह स्थिति बनती है-१९६१ ६२, १९६२-६३ का वर्ष आपकी सरकार मानती है कि सरप्लस ईयर थे। इन दो सालों में अनाज की कोई कमी नहीं थी। १९६३-६४ के साल में आपकी सरकार मानती है कि कमी हुई, इसमें करीब ३२ लाख टन अनाज की पैदावार हुई और ४० लाख टन की उस साल में खपत थी। याने ८ लाख टन की १९६३-६४ में कमी पड़ी। १९६४-६५ में आपकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार कोई कमी नहीं रहती और ८ लाख टन का सरप्लस १९६४-६५ के साल में आपकी सरकार मानती है। आपकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार १९६४-६५ का प्रोडक्शन करीब ४८.६३ लाख टन है और उसकी खपत जो जो है वह ४१ लाख टन के करीब आपकी सरकार ने मानी है। कहने का तात्पर्य यह है कि १९६४-६५ में करीब ७ लाख टन का सरप्लस राजस्थान की स्टेट में विद्यमान हुआ और अब १९६५-६६ की जो स्थिति आती है उस स्थिति में आपने अपने नोट में यह स्वीकार किया है कि इस साल करीब ३४ लाख टन अनाज की पैदावार राजस्थान में हुई है। ४॥ लाख टन भारत सरकार ने दे दिया है और इस तरह से ३८॥ लाख टन राजस्थान में विद्यमान हो जाता है। और यदि आप १९६४-६५ के सरप्लस का अन्दाजा लगायें तो जो आपके आंकड़े हैं

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कि १९६५–६६ के अन्दर जितनी हमारे राजस्थान की आवश्यकता है उसको भी आपने कूंता है और उस आवश्यकता को आपने १९६५–६६ में जो दो साल पहले नोट आपने भेजा था उसके अनुसार ४४.०५ लाख टन की आवश्यकता इस साल के अन्दर होती है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आवश्यकता आपने असेस की है पॉपुलेशन के आधार पर उसको देखते हुए ३८।। लाख टन तो-जिसमें से ३४ लाख टन पैदा हुआ, इस तरह से राजस्थान में कोई अनाज की कमी हो इस तरह की स्थिति नहीं रहती। यदि यह स्थिति नहीं है आंकड़ों के आधार पर, कोई कमी नाम की चीज नहीं है, जितना हमारा कन्ज़म्पशन है और जितनी हमारी रिक्वायर-मेन्ट्स हैं उसके हिसाब से अनाज पर्याप्त है तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो विचारणीय है वह यह है कि सारी कमी का वातावरण, सारी कमी का माहौल और सारी की सारी स्थिति और जो प्राइसेज बढ़ रही हैं उसका आखिर ताल्लुक क्या है? आपने पिछले नोट में तो यह दिया था कि १९६४ में राजस्थान में कीमतें कम थीं और आपने यह श्रेय भी लेना चाहा था कि पंजाब को छोड़कर सारे हिन्दुस्तान में जितने भी प्रान्त हैं उनके मुकाबिले में राजस्थान में अनाज की कीमतें कम बढ़ी हैं। यह श्रेय आपने लेना चाहा था और आपने इस बार भी कहा है कि पंजाब और मध्यप्रदेश को छोड़कर दूसरे प्रान्तों के मुकाबिले में राज-स्थान के अन्दर अनाज की कीमतें कम हैं। लेकिन खास तौर से आपने १९६४–६५ में यह कहा था कि अनाज की कीमतें दूसरे प्रान्तों के मुकाबिले राजस्थान में बहुत ही सस्ती हैं और आपने एक पूरा चार्ट हम लोगों को विधान सभा में सकर्युलेट किया था कि कीमतें राजस्थान में यह हैं। आपके कहने के अनुसार १९६४–६५ में गेहूं की कीमत ५१ से ६२ तक थी, जौ ४५ से ४७ तक, चना ५३ से ५४, ज्वार ५२ रु०, बाजरा ५१ रु. और मक्का का भाव ५३-५४ का था और १९६४ के बाद में जो भी स्थिति हमारे सामने है और जो भी आंकड़े आपके द्वारा दिये गये हैं और उनकी अवेले-बिलिटी है उसके आधार पर मैं जानना चाहता हूं कि सन् १९६४ की जनवरी से लेकर यदि आप प्राइज इन्डेक्स को देखें तो वह प्राइज इन्डेक्स दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और आज वह करीब १८० पोइन्ट पर सारा प्राइज इन्डेक्स है वह पहुंच गया है। यानि बिना अनाज की वास्तविक कमी के जो कीमतें बढ़ी हैं उसका कोई ताल्लुक नहीं है कि यह कीमतें बढ़ी हैं और अनाज की कमी नहीं रहती है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें दो नतीजों पर आना पड़ेगा। एक तो वितरण की व्यवस्था पूर्ण रूप से असंतोषजनक है और दूसरे यह कि जिस तरीके से आपने सरप्लस एरियाज और डेफिसिट एरियाज का बंटवारा किया है–जो आपने कानून बनाये हैं, जो रुकावटें अनाज के मूवमेन्ट में आपने पैदा की हैं उन सब का एक टोटल इम्पेक्ट यह है कि कीमतें बढ़ रही हैं। आपकी दलील यह हो सकती है कि हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में कीमतें बढ़ेंगी तो उसका कुछ न कुछ असर तो निश्चित रूप से राजस्थान में अनाज की कीमतों पर पड़ेगा। यह दलील जो आपकी है वह हम मानने के लिए तैयार

Page No. 72

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(४.०० म. प.)

हैं कि कीमतों पर कुछ असर पड़ेगा। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि गेहूं के मामले में राजस्थान एक कोर्डन-ग्रॉफ एरिया है, राजस्थान बिल्कुल अलग बना हुआ है और दूसरा अनाज कब राजस्थान से बाहर जाये और कब राजस्थान के अन्दर आये इसको आप बिल्कुल कम्पलीटली कन्ट्रोल करते हैं—हमारे बहुत से साथियों ने आलोचना की है कि आप मनमाने ढंग से किसी चीज के आने पर रोक लगा देते हैं और कभी खुला कर देते हैं। मैं नहीं कहता कि आपने मनमाने ढंग से किया है लेकिन उसके पीछे राज्य सरकार की जो नीति रही है कि हमने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फलां तारीख को यह रेगुलेशन लगाया और फलां तारीख को हटा दिया। मैं तो उसके जानने में दिलचस्पी रखता हूं कि राज्य सरकार उस पर क्या कहना चाहती है। आपने गेहूं के ५ जिले बना दिये-कोटा, झालावाड़, बूंदी, प्रतापगढ़ सब-डिवीजन और इधर गंगानगर। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आखिर इन पांच जिलों को कोर्डन-ग्रॉफ करके आपकी सरकार ने कितना गेहूँ वहां से खरीदा और उसको किस भाव से खरीदा, उसका वितरण किस किस जिले में, किस किस भाव से कर दिया ? यह जो आंकड़े दिये हैं कि इन ४-५ जिलों को कोर्डन-ग्रॉफ करने से आपने जो वहां पर मक्का खरीदी है वह बहुत ज्यादा तादाद में नहीं खरीदी, ज्वार भी नहीं खरीद पाये क्योंकि वह लीन ईयर था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि उस लीन ईयर में जो एरियाज को कोर्डन-ग्रॉफ किया उसका क्या रेशनल प्रिंसिपल था ? राजस्थान का अनाज राजस्थान से बाहर नहीं जाय, यह बात हमारी समझ में आती है, लेकिन गंगानगर का अनाज चूरू न आये, गंगानगर का अनाज बीकानेर न आये, या पास के पड़ोसी जिले में न जाय, नागौर न जाये, यह हमारी आज तक समझ में नहीं आता मंत्रीजी। इसी तरीके से कोटा, बूंदी, झालावाड़ का अनाज, गेहूँ, वहां से स्मगलिंग होकर मध्य प्रदेश में चला जाय, दूसरे प्रान्तों में चला जाय, लेकिन वह राजस्थान के दूसरे जिलों में न आए, इसके पीछे राज्य सरकार की कौन सी नीति है, यह हम जानना चाहते हैं मंत्रीजी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सभानेत्री महोदया, कि हिन्दुस्तान के मानचित्र को आप देखें और हिन्दुस्तान सरकार की नीति को आप देखें और उसमें जितने हिन्दुस्तान के जोन्स बना दिए हैं फूड के मामले में इस बात को देखें। दूसरी तरफ यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटि के द्वारा यूरोप के आठ देशों ने किस तरीके से मिल कर अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को तोड़ कर, सारे कस्टम्स के बैरियर्स हटा लिए हैं और उसका यूरोप की आर्थिक उन्नति पर क्या असर पड़ा है, इसको भी आप देखें। आज फ्रांस का अनाज बिना किसी रोकटोक के, बिना किसी कस्टम बैरियर के इटली तक जा सकता है। आज इटली में पैदा हुआ इण्डस्ट्रियल प्रोडक्ट बिना किसी प्रकार की रोक टोक के फ्रांस में जा सकता है, वेस्ट जर्मनी में जा सकता है। तो किस प्रकार से उन देशों ने यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का निर्माण किया है और उनका सारा

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

बेस, सारा दर्शन क्या है, सारी सीमाओं को तोड़ कर व्यापार और उद्योग में कम से कम बाधायें पैदा हों, इस बात को लेकर वे किस प्रकार आर्थिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हैं, इस बात को आप देखें। इसके विपरीत अपने देश में हिन्दुस्तान की सरकार ने देश को चार टुकड़ों में फूड ज़ोन्स के रूप में बना दिया है और उसी आधार पर आपने सरप्लस डिस्ट्रिक्ट और डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट्स बनायें और फिर उसमें संशोधन किया। और अब आपने चार जिलों और एक सब डिविजन को गेहूं के लिए घोषित कर दिया कि इससे गेहूं बाहर नहीं जा सकता है। आप उनसे अनाज खरीद रहे हैं, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन खरीद कर रहा है। पहले आपने चने को बन्द किया कि चना एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकता। मैं माननीय मंत्री जी आपसे यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो यह स्थिति पैदा की है उससे क्या सरकार उन सारे डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी आवश्यकता का सारा अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी लेती है। जो साढ़े चार लाख टन अनाज को लेकर, जो सारे राजस्थान की जितनी आवश्यकता है अनाज की और जिसे उपलब्ध कराने की राज्य की जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को आप पूरा नहीं कर सकते, यह बिल्कुल साफ है। यह जो साढ़े चार लाख टन अनाज आपको भारत सरकार देती है और इसमें भी कभी साढ़े तीन लाख टन और कभी ढाई लाख टन ही दे देती है। आपको अकाल की स्थिति में भी साढ़े चार लाख टन अनाज मिला और जहां तक मेरी सूचना है पिछले दो महीनों से भारत सरकार ने आपको कह दिया है कि गेहूं का जितना कोटा पिछले आठ दस महीनों में दिया गया है उतना कोटा भी बाद में नहीं मिल सकेगा। भारत सरकार ने उस कोटे को रिड्यूस्ड कर दिया है और उस रिडक्शन के परिणाम स्वरूप आपने अपने कलेक्टर्स को सूचित कर दिया है कि जिस जगह आठ किलो अनाज देते थे वहां पर अब पांच किलो अनाज देंगे और जहां पर दस हजार की आबादी से कम है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें अब आप तीन किलो गेहूं और दो किलो दूसरा मोटा अनाज मक्का, ज्वार, बाजरा, वगैरा एक महीने में देंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पांच किलो गेहूं गांवों में और सात किलो गेहूं शहरों में जो आप देते थे उसको जगह अब टोटल अनाज पांच किलो और सात किलो देंगे। शहरों में पांच किलो गेहूं और दो किलो दूसरा अनाज देंगे, कोर्स ग्रेन देंगे। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक सभ्य मनुष्य के लिए जीवन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो मानदण्ड बने हुए हैं उनके अनुसार प्रत्येक आदमी के लिए १५ औंस अनाज और तीन औंस दाल चाहिए उस सारे स्टैंडर्ड के अनुसार जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अब जो आपने राशनिंग का सिस्टम बनाया है और उसमें जितना अनाज आप देने जा रहे हैं वह किसी भी दृष्टि से उचित प्रतीत नहीं होता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की नीति जहां तक चने के मामले में सम्बन्ध रखती हो, वह बहुत ही डिफेक्टिव रही है और उस नीति के कोई अच्छे परिणाम हमको आज तक नजर नहीं आ रहे हैं।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माननीय मन्त्री महोदय कि राजस्थान में चाहे सरप्लस इयर हो और चाहे डेफिसिट इयर हो, आप इस बात को देखेंगे और आपके आंकड़े भी इस बात के गवाह है कि राजस्थान ने हमेशा बाजरे का एक्सपोर्ट किया है नेट और आपने ज्यादातर मक्का का एक्सपोर्ट किया है और ज्वार का एक्सपोर्ट किया है। गेहूं और चावल ही ऐसे दो खाद्य पदार्थ हैं जिनको राजस्थान ने इम्पोर्ट किया है। मैं आपको और इस सदन की जानकारी के लिए, सभापति महोदया, इस बात का हवाला देना चाहता हूं और माननीय मन्त्री जी मैं डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एण्ड स्टेटिस्टिक्स विभाग, राजस्थान की क्वार्टर्ली डायजेस्ट के खण्ड १० की तरफ और इसके पेज ३६ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा जिसमें साफ तौर पर १९५९–६० से लेकर १९६३ के आंकड़े दिए हैं उसमें बाजरे के मामले में सिवाय एक साल को छोड़ कर हमने एक्सपोर्ट किया है। अब इसमें ६३-६४ का साल ही सबसे खराब साल रहा है, डेफिसिट इयर रहा है लेकिन ६२-६३ के अन्दर भी राजस्थान ने २,०२,७०५ क्विन्टल बाजरा एक्सपोर्ट किया है, और बाकी में ३,५२,३२६ क्विन्टल एक्सपोर्ट किया है। इसी तरह से ज्वार को हमने ५९-६० से लेकर ६३-६४ तक नेट एक्सपोर्ट किया है। इम्पोर्ट भी किया है लेकिन हमारा एक्सपोर्ट का आंकड़ा ज्यादा रहा है ज्वार का। इसी तरह से मक्का का एक्सपोर्ट का आंकड़ा ज्यादा रहा है। लेकिन गेहूँ और चावल हमने हमेशा ज्यादा मंगाया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में चाहे अकाल हो या न हों चाहे राजस्थान में अनाज का उत्पादन कम हुआ हो फिर भी राजस्थान से बाजरा, मक्का और ज्वार एक्सपोर्ट करते रहे हैं और इसलिए यदि एक ब्लेंकेट बैन लगा देंगे कोर्स ग्रेन के एक्सपोर्ट पर तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सरकार को विशेष परिस्थिति में इस बात पर गौर करना चाहिए कि ऐसी स्थिति राजस्थान में न हो जाय कि एक विशेष तरह का अनाज पड़ा पड़ा सड़ जाय। न उसको दूसरे काश्तकार काम में ले सकें, न उसका व्यापारी उपयोग कर सकें और राष्ट्रीय आय के रूप में वह सम्पत्ति नष्ट हो जाय।

आज राजस्थान में ३४ हजार टन चना, आपके खुद के आंकड़ों के अनुसार ही, राजस्थान में ऐसा है जो व्यापारियों के पास डिक्लेयर्ड स्टॉक के रूप में है और यह आपके खुद के नोट में लिखा हुआ है। आपका स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन चना खरीदना चाहता है, उसका टेंडर भी मैंने देखा है उसमें साफ लिखा हुआ है कि इस क्वालिटी का चना होगा तो हम चना खरीदेंगे और इसमें ६ पर्सेन्ट भी वीव्ड यदि हुआ तो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन उस चने को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो जो चना व्यापारियों के गोदामों में पड़ा हुआ है, जो पड़ा–पड़ा सड़ गया है, घुन गया है, वीव्ड हो गया है उस चने को न तो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन खरीदने को तैयार है, न राज्य सरकार खरीदती है और न जनता खरीदती है और वह चना व्यापारियों के पास पड़ा–पड़ा सड़ता जा रहा है। व्यापारियों के पास से आप इसको लेकर

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

राजस्थान में दिकाते नहीं। पिछले आठ महीनों से स्टॉक बराबर बढ़ता चला आ रहा है और दूसरी तरफ राज्य सरकार इस चने को बाहर भेजने की परमिशन भी नहीं देती है, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि राज्य सरकार उस चने के लिए क्या व्यवस्था करना चाहती है ? अगर उस चने को राज्य सरकार बाहर नहीं जाने देना चाहती है तो कम से कम यह सारा चना जो व्यापारियों के कब्जे में है उसे राज्य सरकार अपने कब्जे में ले ले और उसका जिस तरह से भी राजस्थान की जनता के अन्दर बंटवारा करना हो, उसको कर दिया जाय ताकि यह ढाई करोड़ का चना राजस्थान के गोदामों में पड़ा हुआ सड़ रहा है उसको बचाया जा सके। देश में जब कि अनाज की कमी है और भारत सरकार भी आपसे चना बराबर मांग रही है ऐसी परिस्थिति में चना भी भारत सरकार को न मिले, दूसरे प्रान्तों की जनता को भी चना न मिले और वह राजस्थान के गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ जाय, ऐसी स्थिति न बन सके, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति बनती है मन्त्रीजी कि ढाई करोड़ रुपयों का चना बर्बाद होता है तो राजस्थान सरकार के लिए यह कोई शोभा की बात नहीं होगी। वह चना काफी खराब हो गया है और अभी भी समय है जब कि उसका उपयोग किया जा सकता है, नहीं तो कहीं ऐसी नौबत न आए कि उस सड़े हुए चने को किसी बड़े धोरे के नीचे डाल कर आपको रेत में उसे दबाना पड़े ताकि उस सड़े हुए चने की दुर्गन्ध से यहां की जनता का स्वास्थ्य खराब न हो।

तो एक तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी नीतियों के पीछे रेशनलाईजेशन नहीं है, उनमें कोई बुद्धिसंगतता नहीं है, इन नीतियों को फिर से एग्जामिन करने की जरूरत है। आपने एक फूड एडवाइजरी कमेटी राजस्थान के लेवल की बना रखी है; मैं नहीं जानता कि इस फूड एडवाइजरी कमेटी की साल में कितनी मीटिंगें होती हैं और इसमें क्या चर्चाएं होती हैं। लेकिन यदि कोई मीटिंग आपने कनवीन कर रखी है, बना रखा है एडवाइजरीबोर्ड, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उस सब में भी यह मसला बार-बार आना चाहिए और उस मसले पर उस बोर्ड के अन्दर भी बार-बार इसकी चर्चा होनी चाहिए।

खास तौर से मैं फूड इन्डेक्स के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता था। आपके दिए हुए आंकड़ों के अनुसार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनवरी ६४ में जो फूड इण्डेक्स था वह ११९.६० पर था। उसके बाद वह १३० पर पहुँच गया और दिसम्बर ६४ के अन्दर १७३.०३ पर पहुँच गया और मार्च ६५ में वह कुछ गिरा और १६५ पर पहुँचा, लेकिन आज उसकी स्थिति १८० पर है। तो यह सन् ५९-६० से जो कीमतें बढ़ रही है और जिस गति से बढ़ रही हैं, तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ और मेरी स्पीच का सारा कन्टेंशन यह है कि इसका कोई रिलेशन खाद्य की कमी से नहीं है, बल्कि उसका सीधा ताल्लुक राज्य सरकार की नीति से है, उसकी वितरण-व्यवस्था गलत होने से है। उसके कारण प्राइसेज राइज हुई हैं राजस्थान में। मैं मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप कृषि मन्त्री भी हैं और कृषि का बहुत कुछ ताल्लुक

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

खाद्य के उत्पादन से है। राजस्थान में सारे हिन्दुस्तान को देखा जाय तो लैण्ड की ऐवेलिबिटी दिन प्रति दिन, प्रति वर्ष घटती जा रही है। जैसे जैसे जन-समूह बढ़ रहा है तो प्रति व्यक्ति लैण्ड जो मिलती है, एवेलेबल है उसके कल्टीवेशन के लिए, उपयोग के लिए, तो उसकी जो स्फीति है वह कम हुई है। सन् ५६ में १.२३ एकड़ सारे हिन्दुस्तान का औसत है, लेकिन राजस्थान का जो औसत है वह सारे हिन्दुस्तान के औसत जमीन के मामले में बहुत अच्छा है और वह औसत कम से कम ढाई गुना हिन्दुस्तान के औसत से राजस्थान में है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कृषि–उत्पादन का बहुत कुछ आधार एक्स्टेन्सिव फार्म भी यदि लिया जाय तो राजस्थान में आपके रेवेन्यू मिनिस्टर की ओर से दिए हुए आंकड़ों के अनुसार एक करोड़ एकड़ जमीन ऐसी थी कि जिस पर खेती की जा सकती है जो कि फेलो लैण्ड थी लेकिन कल्टीवेशन के काबिल है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन सारी जमीनों का भी उपयोग यदि राजस्थान के लिए और हिन्दुस्तान के कृषि–उत्पादन को बढ़ाने के काम में लिया जाय तो सारे हिन्दुस्तान का जो डेफिसिट है वह कितना कम हो सकता है वह मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि राजस्थान में कोई जिलाबन्दी, तहसील–बन्दी या हद–बन्दी करने की जरूरत नहीं है और राजस्थान का नाज एक जगह से दूसरी जगह बेरोकटोक रूप से आ जा सकेगा और जितनी भी रोकटोक कम होगी उतनी भ्रष्टाचार की मात्रा आपके शासन से कम हो जायगी। इसलिए एक तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि राजस्थान में पड़त जमीन का एलॉटमेंट कृषि-उत्पादन के लिए शीघ्रता से करवाया जाय। उसमें इस बात का ध्यान रखा जाय कि जमीन उनको ही मिले जो भूमिहीन हों और ऐसे वैसे लोगों को नहीं मिल जाय जो कि आप के और मेरे रिश्तेदार हों और जो बड़े बड़े आफिसरों के रिश्तेदार हों। इस तरह के लोगों को दी जाय जो कि वास्तव में काश्तकार हों।

जहां तक सिंचाई का प्रश्न है आपके इस १७ साल के राज्य में भी आसमान की गुलामी सारा देश कर रहा है। मैं इस बारे में हमारे नेताओं ने क्या कहा पार्लियामेंट में इसका हवाला नहीं देना चाहता, लेकिन आपके नेता जो कामराजजी हैं उन्होंने ए० आई० सी० सी० के इकोनॉमिक रिव्यू में जो लिखा है मैं उसी की तीन लाइन आपके सामने कोट करना चाहूंगा—

"If after 15 years of planning Indian Agriculturist still continues to gamble in rains, a deeper heart-searching is necessary."

इस आसमान की गुलामी में १६ साल के बाद भी आज हमारा देश है और सभी आपका उत्पादन इस बात पर निर्भर है कि वर्षा होती है या नहीं तो हमारी योजनाएं कितनी सफल हुई हैं यह सीरियसली हार्ट सर्चिंग का प्रश्न है मैं नहीं कहना चाहता। कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा है कि कांग्रेस जीतेगी या हारेगी यह इस बात पर निर्भर है कि राजस्थान में अच्छी वर्षा होती

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

है या नहीं और राजस्थान के लोगों को नाज मुहैटया होता है या नहीं इस पर कांग्रेस की हार या जीत निर्भर है। वर्षा इस साल खूब हुई है, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह वर्षा पर सारा राजस्थान खेती के बारे में निर्भर है। यदि खेती के आपके आंकड़े सही हैं तो आज राजस्थान में ३.२० करोड़ एकड़ भूमि में खेती हो रही है। ३.२० करोड़ एकड़ लैण्ड पर खेती हो रही है यह आपने आंकड़े पेज १७, वाल्यूम १० के अन्दर जो दिये हैं उसमें हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ५६-६० में जो आंकड़े हैं इसमें साधारणतः साढ़े बारह लाख एकड़ भूमि खेती में बढ़ी है सात साल में। पहले जो जमीन थी वह ३ करोड़ साढ़े सात लाख है ५६-६० में वह जमीन ६४-६५ के अन्दर ३.२० करोड़ एकड़ हुइ है। इन ७ सालों के अन्दर साढ़े बारह लाख एकड़ नई जमीन पर खेती होने लगी है राजस्थान के अन्दर। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी प्रगति रिपोर्ट के एक एक साल के आंकड़े देखेंगे तो आपकी प्रगति रिपोर्ट तो यह है कि ५० लाख एकड़ नई जमीन पर खेती पिछले ७ साल में शुरु हो गई। परन्तु जो एन्युल प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइव इयर प्लान की जो आपके विभाग ने छापी है, आपके सार्वजनिक जन-सम्पर्क और डाइरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ने छापी है उसमें ४० लाख एकड़ तो आती है. इसमें है या नहीं। ये आंकड़े सच्चाई के ज्यादा नजदीक हैं क्योंकि यह कन्सोलिडेटेड फार्म में छापी गई है। इसमें ३.२० करोड़ एकड़ जमीन है। तो राजस्थान में सिंचित जमीन कितनी है, तो वह १५ लाख एकड़ से ज्यादा नहीं है। जो आंकड़े आपके डाइरेक्टर आफ इरिगेशन ने छापे हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा : थोड़ा करेक्ट कर दें, हाण्डा साहब, उनको।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह जो आपका सोवेनीर है उसमें जो आंकड़े हैं उसमें साढ़े १६ लाख एकड़ बताया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कह दें। मैं तो सही बता दूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मि. हांडा के आंकड़ों को सही भी मान लिया जाय तो १६.५ लाख सिंचित भूमि होती है। इस औसत से ६ पर्सेन्ट जमीन आज राजस्थान की सिंचित जमीन है। और हिन्दुस्तान के पैमाने पर यदि आप लें तो जहां २६.५ करोड़ एकड़ में हिन्दुस्तान में खेती होती है वहां ६.८० करोड़ जमीन ऐसी है जिसमें सिंचाई हो जाती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक राजस्थान में राजस्थान नहर बनेगी, भाखरा नहर बनेगी, गंग केनाल मोजूद है और हजारों-लाखों कुए हैं खेती के काम में उसके बाद भी अभी तक वह औसत हासिल नहीं किया गया है जो कि हिन्दुस्तान का एवरेज है। कम से कम २४-२५ पर्सेन्ट जमीन होगी वह सिंचित हो रही है। तो मैं यह आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि-उत्पादन के मामले में नाज का उत्पादन बढ़ाने का जहां सवाल है. यदि जमीन इर्रिगेटेड नहीं है और आपने सिंचाई के लिए कुए नहीं बनाये और कुओं में बिजली नहीं लगाई और कुओं से अच्छे ढंग के साधन, तालाब, रिज़रवायर अच्छे नहीं बनाते है और अच्छी

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कैनाल्स नहीं बनाते हैं तो निश्चित रूप से चाहे कितनी ही अच्छी भावना रखें कृषि-उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं और आसमान की गुलामी पर निर्भर रहना पड़ेगा । इसलिए इस बारे में मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं इस सदन के द्वारा कि राजस्थान की इस खाद्य-समस्या का जितना हल किया जा सकता हो और जितना भी सिंचित क्षेत्र का औसत बढ़ सकता हो उसके लिए राजस्थान सरकार को निरन्तर ध्यान देने की आवश्यकता है । अभी तक जो कुछ भी एचीवमेंट कर पाये हैं पिछले ८-१० सालों के अन्दर राजस्थान नहर के निर्माण से लगाकर, चम्बल बन गई, घग्घर के फ्लड कन्ट्रोल करने से लगाकर इसमें वे आंकड़े सब इकट्ठे करने के बाद राजस्थान का सिंचित क्षेत्र दूसरे प्रान्तों की तुलना में बहुत कम है । इसलिए इस बात पर काफी जोर देना चाहूंगा ।

और इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में ५-६ लाख आदमी बिल्कुल बेकार हैं । ये आपके आंकड़े हैं । इन ६ लाख आदमियों के बेकार होने के बावजूद १ करोड़ एकड़ में मैं ऐसा समझता हूं कि २० लाख एकड़ भूमि एलॉट कर दी गई है, और ८० लाख एकड़ का एलॉटमेंट पड़ा हुआ है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन ५-६ लाख आदमियों की आप फूड आर्मी बनाइये । उनका उपयोग करिये एक अन्य सेना की तरह । जो भी बेकार हैं उनको आप अपनी फूड आर्मी में रिक्रूट करें । जो भी काश्त लायक जमीन है राज्य सरकार अपने साधनों द्वारा उन जमीनों पर खेती करे, सिंचाई करके और सारा उत्पादन पब्लिक सेक्टर की तरह से काम में लाया जाय । यदि ५-६ लाख बेकारों को न तो बेकारी भत्ता देते हैं और न उनकी शक्ति का उपयोग करें, उनको बेकार रखें, जमीन को बेकार रखें और चाहें कि हमारा उत्पादन बढ़े, आर्थिक संतुलन आ जाय, अंग्रेजी में जिसको टेंक ऑफ कहते हैं वह स्थिति आ जाय तो इस तरह से स्थिति नहीं आ सकती । जब तक सारी जमीन को टेक ऑफ नहीं करें, सारे लोगों की सेना बना कर काम पर नहीं लगावें, उनकी शक्ति का उपयोग न करें तब तक आत्म-निर्भर नहीं हो सकते ।

मंत्रीजी मैं मूल भूत रूप से सारी चीजों को आपके सामने रख रहा हूं । दिन प्रति दिन की जो वितरण समस्याएं है उनकी ओर मैं ५ मिनिट में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और दूसरे जो शहर हैं उनमें जो राशन कार्ड बना रखे हैं, सन् ६१ की सेंसस के फिगर्स आपके पास हैं, प्रत्येक वर्ष में ढाई पर्सेन्ट पॉपुलेशन की ग्रोथ मान कर चलें तो आप देखेंगे कि प्रत्येक शहर में १ लाख राशन कार्ड या ५० हजार व्यक्तियों के राशन कार्ड फर्जी बने हुये हैं । इस प्रकार की स्थिति राजस्थान के १० बड़े-बड़े शहरों में निश्चित तौर से मिलेगी ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिये अर्ज करना चाहता हूं कि डीलर्स फर्जी कार्ड बनवाने में जितनी दिलचस्पी लेते हैं उनके साथ फूड इन्सपेक्टर्स भी मिले

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हुए होते हैं, फर्जी कार्डस् उनके संरक्षण से बनते हैं। यही कारण है कि जयपुर की आबादी ६ लाख की हैं तो राशनकार्ड ७ लाख व्यक्तियों के बने हुए हैं। इसी तरह से बीकानेर की जनसंख्या डेढ़ लाख की है और वहां पर राशन कार्ड सवा दो लाख व्यक्तियों के बने हुए हैं। अगर आप इनको चैक करें और फर्जी राशन कार्ड एलिमिनेट कर सकें, खत्म कर सकें तो चीजों की अवेलेबिलिटी में काफी फर्क पड़ सकता है। इसके साथ ही मैं यह अर्ज करूंगा .. ....

(समय–समाप्ति--सूचक घंटी)

हमारी पार्टी से और कोई नहीं बोलेगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : पार्टीज के लिये टाइम फिक्स है इसलिये हमारी पार्टी का जितना टाइम है वह इनको लेने दीजिये।

श्रीमती सभानेत्री : टाइम देख कर ही बता रही हूं। आप जल्दी भाषण समाप्त कर दें आपने ३.५२ पर बोलना शुरू किया था। मेरे पास सभी का टाइम नोट किया हुआ है बता दूंगी।

श्री मानिकचंद सुराणा : मैं तो आपका आदेश होते ही बैठ जाऊंगा। आप जैसा उचित समझें उसी तरह से व्यवस्था करें। मैं निवेदन करूंगा कि यदि मैं रिपिटीशन कर रहा हूं तो फौरन बंद कर दें।

श्रीमती सभानेत्री : आप बड़ासुन्दर बोल रहे हैं लेकिन समय को देखकर बोलें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरे बाद में बोलनेवाले भी ज्यादा अच्छे सुझाव देंगे इसलिये आपके घंटी लगाते ही बैठ जाऊंगा।

मैं निवेदन कर रहा था कि आप फर्जी राशन कार्ड्स को समाप्त करें।

दूसरी बात मैं फूड एक्ट के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। एक प्रश्न ढाबरियाजी ने पूछा था कि कितने व्यापारियों पर मुकदमें चले और उनका क्या हुआ उसका जवाब दिया था और यह बतलाया था कि १४३ व्यक्तियों के मामले पकड़े गये और उनमें से ११२ मामलों में चालान हुआ और उनकी सूची आपने दी है। मैंने इस सूची को देखा। किसी पर १०) रु० जुर्माना हुआ है, किसी पर १५) रु० हुआ है और किसी पर १००) जुर्माना हुआ है। एक आदमी पर २०००) का जुर्माना हुआ और एक आदमी पर ५००) का जुर्माना हुआ और एक को रिगरस इम्प्रिज़नमेंट हुआ। मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप मजिस्ट्रेट की जगह पर जाकर फैसले दीजिये, लेकिन यह १५), २०) और २५) और १००) रु. की पेनल्टी क्या मायने रखती है? मैं कहता हूँ कि फिर इसकी आवश्यकता ही ही क्या है? किसी अदालत में इतना फाइन हो तो इससे अच्छा तो यह है कि आप अपने डी. एस. ओ. को पॉवर देदो और वह व्यापारियों को बुलाकर कहदे कि मैं तुम पर इतना फाइन करता हूं। इस प्रकार से वह आपको ज्यादा फाइन इकट्ठा करके दे देगा। आपका पुलिस एन्फोर्समेंट विभाग काम करता है, सारी मशीनरी काम करती है, एक चालान पर आपको कितना खर्चा बैठता है इसका आप अन्दाज लगावें। मेरा मतलब यह नहीं है जितना खर्चा हुआ उतना वसूल किया जाय, लेकिन मैं समझता हूँ एडमिनि-

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

स्ट्रेटिव डॉइरेक्शन्स आपने शायद देदी है कि इससे ज्यादा फाइन नहीं करें। इस प्रकार की मनोवृत्ति उचित नहीं है। आपने जिस पर २००० रु० का जुर्माना किया वह हीतचन्द नाम का जयपुर का अभागा आदमी है जिसका पता चादपोल का लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ कि एक दूसरा व्यक्ति घनश्यामदास तांबी जिससे आप खूब परिचित हैं उसके मुकदमें में लिखा है :

"The case was closed un-occurred and FR was given as per instructions from the State Government." उसका मुकदमा स्टेट गवर्नमेंट के डॉइरेक्शन्स पर ३-६-६६ को क्लोज कर दिया गया। एफ. आई. आर. क्लोज करदी गई। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट क्यों किसी एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्टरफियेरेन्स करती है ? आप ऑफिशियल मशीनरी को कानून के रास्ते में रुकावट डालने के लिए काम में लें इस प्रकार अपने चहेते लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए। घनश्यामदास तांबी के बारे में प्रत्येक व्यक्ति में चर्चा है कि उससे आपका खास ताल्लुक है। मुझे नहीं मालूम कि आप उससे कितनी बार मिलते हैं लेकिन जयपुर के बाजार में किसी से भी अपनी आइडेन्टिफिकेशन छिपा कर पूछलें तो आपको सभी लोग कहेंगें कि वह नाथूराम जी का खास आदमी है। मंत्री की किसी खास आदमी पर कृपा हो तो इससे जनमानस बनता है। मंत्री के नाम से उस पर से मुकदमा उठा लिया जाय तो भी जनमानस बनता है कि या तो आपका उससे कोई रिश्ता है या कोई ताल्लुक है। या तो आप सदन में आश्वासन दें कि उसके मामले में आपने कोई डाइरेक्शन्स नहीं दिये हैं या दूसरे किसी दूसरे मंत्री ने दिया है तो उसको भी आप रोकें, अन्यथा वह १०) का फाइन, २०) का फाइन यह एक तरह का ढोंग है और यह उनका हैरेसमेन्ट है। या तो जो लोग जुर्म करते हैं उनको आप अच्छे ढंग से सजा दीजिये ताकि आयन्दा कभी जुर्म नहीं करें वर्ना इससे कोई फायदा नहीं है। इससे राज्य सरकार बदनाम होती है और लॉ की मशीनरी बदनाम होती है।

अंत में मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह अकाल राहत कार्य आपने कराया है ५ करोड़ ८० लाख रुपियों का, श्री जब्बार साहब ने एतराज किया था कि बांसवाड़ा में क्यों खर्च हो रहा है ? मैं कहना चाहता हूं कि बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र है वहां पर जितना खर्चा होता है उसको मैं वाजिब समझता हूं। उसके बावजूद भी शिकायत आई है कि बांसवाड़ा में लोग भूख से मरे हैं और मंत्रीजी ने आश्वासन दिया है कि उसकी जांच करायेंगे। जो नाम वे चाहते थे वे पहले नहीं मिले थे लेकिन रामकिशनजी ने नाम बता दिये हैं उनकी जांच करें। सवाल यह नहीं है कि ५ करोड़ ८० लाख का खर्चा किया, पर सवाल यह है कि सरकार सड़कें ही बनाना चाहती है कूए और तालाब नही बनाना चाहती। कहीं बनाये होंगे लेकिन उस गंभीरता और सक्रियता से नहीं बनाये जिस ढंग से आपने सड़कें बनाई। अकाल की रोक-थाम कूओं और तालाबों से की जा सकेगी सड़कों से नही इसलिये आप अपने फेमिन कोड को रिवाइज करदें। तालाब बनावें, कूए बनावें उनमें इलेक्ट्रिसिटी फिट करवाने के प्रावधान करदें ताकि जो रुपये

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

आपने खर्च किये हैं वे आंधियों में नहीं बह जावें। पी. डब्ल्यू. उनकी रक्षा नहीं कर सकती इसलिये रुपये लगा कर परमानेन्ट काम करावें जिससे कि नियमित तौर से उत्पादन बढ़ सके। कहीं पर पशुओं के लिये कुए और तालाब बनाकर पानी इकट्ठा करावें ताकि जानवरों के निष्क्रमण की आवश्यकता नहीं रहे। इसलिये फेमिन कोड को रिवाइज करने की आवश्यकता है। इसके साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे अफसोस इस बात का है कि किसानों के लिए तालाब और कुए सरकार को बनाने चाहिए परन्तु न तो सरकार उनके लिए कुए खोदे और न उनके लिए तालाब बनाये। यदि दूसरा कोई व्यक्ति, कोई प्रधान अमुक तालाब को बनाने की कोशिश करे तो सरकार उसमें रुकावट डाले और वह तालाब नहीं बने और बांध नहीं बने। खण्डेला के प्रधान ने कुंवारपुरा का जो गांव है उसमें बांध बनाने के लिए रुपया संक्शन किया। लेकिन मुझे अफसोस है कि राजस्थान में जो किसानों के लिए बांध बनाना चाहे और उसमें पानी इकट्ठा करना चाहे, उसके द्वारा जमीन की सिंचाई करना चाहे उसके सम्बन्ध में माननीय मन्त्री जी ऐसा आदेश दे दें कि यह बांध न बनाया जाय। मुझे अफसोस है कि पंचायत मन्त्री जी ने इस बांध के बनाने में रुकावट डाली है। यह राजनैतिक सत्ता का दुरुपयोग है और जो आपके अपने आदमियों में गुटबन्दी है वह इस हद तक दिखती है कि कोई बांध बनाना चाहे, कोई कुए बनाना चाहे और एक रचनात्मक दृष्टि से आपकी पार्टी का ही आदमी बनाना चाहे तो उसमें दूसरे मन्त्री महोदय इस प्रकार रुकावट डालें। इस तरह की जो खतरनाक स्थिति है जिसमें हमारे सामने अनाज की भयंकर समस्या है उससे बचने के लिए कोई बांध बनाना चाहे तो इसमें आपकी सरकार के लोग बाधा डालते हैं।

इसी तरह मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां इस तरह की शिकायत आती है कि दस पन्द्रह व्यक्तियों ने मिलकर नाली को तोड़ लिया है, या नहर को खोल दिया है, या नहर के गेट्स बन्द कर दिए हैं तो उस सम्बन्ध में पुलिस उचित कार्यवाही नहीं करती है चाहे उससे पांच सौ या एक हजार मन खेती ही खराब क्यों न हो जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भीलवाड़ा जिले के अन्दर जो तहसील कोटड़ी है उसमें एक जिग्यास गांव है, उसमें एक बांध बना हुआ है। यहां पर जो जमींदार है उस जमींदार के कुछ लोगों ने उस बांध के गेट्स के ऊपर दो फीट की दीवार लगा दी और वहां मिट्टी डाल दी जिससे जो पानी निकलने का सिस्टम था वह खराब हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि इस बांध के ऊपर जो चालीस बीघा की खेती थी, जो बहुत अच्छी खेती थी उसमें पानी भर गया और पानी भरने के बाद खेती नष्ट हो गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो ऑफेन्स हैं और जो इस प्रकार की कार्यवाही की जाय उसके प्रति राज्य सरकार या आपका सिंचाई मंत्रालय कॉम्प्लीसेन्ट एटीट्यूड नहीं ले सकते हैं और फौजदारी मुकदमे नहीं चला सकते, तो किसान के उत्पादन में जो लोग बाधा डालते हैं, मैं समझता हूं कि कृषि मन्त्री को और कृषि विभाग को उसमें दखलन्दाजी करनी चाहिये और ऐसा बन्दोबस्त

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

करना चाहिये जिससे कोई व्यक्ति ऐसा काम न कर सके जिससे कि खाद्य-उत्पादन में कोई रुकावट पड़ सके और खाद्य-उत्पादन में कमी हो सके। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार नियमों के अन्दर संशोधन करेगी, कानून में संशोधन करेगी और बड़े तौर पर ऐसी नीतियां अख्तियार करेगी जिससे राजस्थान में खाद्य–अभाव स्थिति पैदा नहीं हो।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): सभानेत्री महोदया, मुझे पांच मिनिट का समय दिया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : मैं समय बता देना चाहती हूं ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं रहे। आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

स्वतन्त्र पार्टी १ घण्टा ३३ मिनिट, पी. एस. पी. २५ मिनिट, जनसंघ ४५ मिनिट, कांग्रेस ५२ मिनिट और आपकी पार्टी बोली है ४२ मिनिट। इसलिए अब अब्दुल जब्बार बोलेंगे

श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदया,....

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आज तो दस बजे तक चलेगी आप मुझे भी समय दें।

श्रीमती सभानेत्री : बारह बजे तक भी भी चिन्ता नहीं है। आज समय का सवाल नहीं है।

श्री अब्दुल जब्बार खां : खाद्य-समस्या पर विचार करने के लिए आज विधान सभा की छुट्टी को कैंसल करके भी विधान सभा चल रही है। खुशी की बात यह है कि मन्त्री महोदय कम से कम हर विधान सभा के अधिवेशन में खाद्य-समस्या पर विचार करने का मोका अता फर्मा देते हैं। इसका मै शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी खाद्य-स्थिति के सम्बन्ध में कुछ छोटे-मोटे सुझाव देना चाहता हूं। मेरे यहां तो चालीस इन्च वर्षा हो गई है और किसी तरह की दिक्कत मैं महसूस नहीं करता हूँ। अगर साल दो साल तक भी अन्न पैदा नहीं होगा तो भी हमारा काम चलें जायगा मालिक की दुआ से। मेरा निवेदन यह है कि निम्बाहेड़ा की सिचुएशन ऐसी है कि पहले गनेड़ा सब तह-थी वह अब टूट गई है। लेकिन जब वहां से निम्बाहेड़ा आने के लिए चलते हैं तो मध्य प्रदेश की सीमा को पार करके आना पड़ता है। यह हमारे कृषि मन्त्री और सरकार को अच्छी तरह से मालूम है, नक्शा हमेशा उनके सामने रहते हैं, वह जानते हैं कि गनेड़ा कहा है और मध्य प्रदेश की सीमा को पार करके आने में कितनी तकलीफ आती है। इसके अलावा आपने वहां पर दो तीन चौकियां लगा दीं, और उधर से अनाज आने नहीं दिया, इसका नतीजा यह हुआ कि का अनाज वहीं पड़ा रह गया और किसानों को जो लाभ पहुंचना चाहिये वह नही पहुंचने पाया और न ही वह अनाज जनता को मिल सका। मैं निवेदन करू कि अनाज को लाने के लिये गनेड़ा से परमिट इश्यू कर दिया जाय और वहां से लाकर तहसीलदार को रिपोर्ट कर दे, साथ ही माल भी बता दिया जाय तो इससे

(श्री अब्दुल जब्बार खां)

बगैर रोक-टोक के माल आ सकता है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था आप करें।

दूसरी चीज यह है कि सरकार ने गजट में विज्ञप्ति निकाली कि मोटे अनाज का भाव ३५ रुपये से पचास रुपये प्रति क्विन्टल होगा जिसमें बाजरा भी शरीक है। यह भाव आपने निर्धारित किये लेकिन अगर वह बाजार में जायं तो किसान का पहला एक्साइटमेंट यह होता है कि उनको अच्छे से अच्छे पैसे मिले। इसलिए सरकार की जो नीति है भाव निर्धारित करने की उससे किसानों को धक्का लगता है। यह बात ध्यान देने की है कि मक्का ६६ रुपये के भाव से किसान कैसे बेच दे जब कि उसने स्वयं ने सत्तर, पिचहत्तर रुपये के भाव से खरीदी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप भाव निर्धारित करने में कोई जल्दबाजी न करें। इसके साथ ही साथ जब आप भाव निधारित करें तो सरकार स्वयं मैदान में उतरे अनाज खरीदने के लिए। मैं पहले भी कह चुका हूं सरकार को कि जब तक पूंजीपति के इशारे पर, उनके भरोसे पर, उनके रहम और करम पर आप छोड़ देंगे तब तक जनता की खुशहाली नहीं हो सकती है और यह खाद्य की समस्या हल भी नहीं हो सकती है। मै समझता हूं कि जब तक सरकार बोल्ड होकर सख्त कदम नहीं उठायेगी तब तक यह समस्या खत्म नहीं होगी। आपने पहले पर्चेजिंग ऑफिसर्स मुकर्रर किये थे, वह शायद अब तोड़ दिये गये हैं या उनका क्या किया है—यह भगवान जाने—लेकिन राजस्थान में पर्चेजिंग ऑफिसर्स की पलटन घूमने लगी थी लेकिन नतीजे में क्या मिला—केवल सिफर। मैं निवेदन करता हूं कि सरकार को मण्डियों में अपने पर्चेजिंग सेन्टर खोलने चाहिए और अनाज खरीदने की व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार को अनाज खरीदने के लिए अनाज के व्यापारियों के सामने आना चाहिए ताकि किसानों को लूटा नहीं जाय और व्यापारी लोग ज्यादा फायदा नहीं उठा सकें। यदि सरकार इच्छुक है भावों को दूसरे स्टेट के मुकाबले में करने के लिए तो मण्डियों में जाकर व्यापारी की तरह सरकार अनाज खरीदे। आज देश के अन्दर अनाज की कमी नहीं है, अगर कमी है तो वह है चरित्र की। किसी चीज की कमी नहीं, अनाज, सोना, दूध—सब सामान काफी है लेकिन हमारे अन्दर चरित्र नहीं है। तो यह जो चरित्र नाम की वस्तु है यह इस प्रकार ऊपर से खत्म हो जायगी और यही हाल आगे चलता रहा और चरित्र खत्म होता रहा तो हम निश्चित रूप से विनाश की ओर चले जायें। ऐसी सूरत में मेरा निवेदन है कि पर्चेजिंग सेन्टर कायम कीजिए और जानकार आदमियों के द्वारा पेरेलल के तरीके से अनाज खरीदिये, फिर देखिये कि किस तरह भाव ऊंचे जाते हैं। इसके अलावा अगर सरकार इच्छुक है भाव निर्धारित करने के लिए तो वह किसानों के लिए भी वैसी ही व्यवस्था करे जैसी व्यवस्था कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता भण्डार खोलने की बात करके की है। किसानों को आप लोहा दिलवायें, सीमेंट दिलवायें टिन शीट्स दिलवायें, खाद दिलवायें, बीज दिलवायें। जिस तरह से आप कन्ज्यूमर स्टोर्स खोल कर फेअर प्राइसेज़ के ऊपर कर्मचारियों को चीजें दिलवाना चाहते

Page No. 84

(श्री अब्दुल जब्बारखां)

हैं उसी तरह से आप किसानों को भी दिलवायें। लेकिन आज जो सहकारिता के अन्दर व्यवस्था कर रखी है वह केवल काम धन्धा चलाने का केन्द्र बनी हुई हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि सहकारी संस्थायें आज लूटने का अड्डा बनी हुई हैं। यह बात मैं यों ही नहीं कहता, आप ऑडिट रिपोर्ट उठा कर देख लीजिये, आज सहकारी संस्थायें गबन का भण्डार हो रही हैं। इसकी सीमा नहीं है कि कितना गबन होता है। ऐसी स्थिति में आप सहकारी संस्थाओं के भरोसे किसानों को मत छोड़िये। आप किसी एक डिस्ट्रिक्ट को उठा कर वाच करके देखिये, वहां पर करप्शन करने वाले हैं, वहां सब तरह की बातें करने वाले हैं। मैं मुख्तसिर में अर्ज करना चाहता हूं कि आप कम से कम इस बात को ध्यान में रखें कि शक्कर की मांग आज राजस्थान में बराबर बढ़ती चली जा रही है। वैसे भी यह एक इम्पोर्टेन्ट खाद्यान्न है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता आज मनुष्य की तन्दरुस्ती के लिए होती है। मैं आपको निवेदन करू कि राजस्थान में १६५७-५८ में १४ हजार टन शक्कर की पैदावार होती थी और अब खपत ७५ हजार टन की हो गई है। इस केलकुलेशन के आधार पर देखें तो १६७१ के अन्दर एक लाख टन से ऊपर शक्कर की आवश्यकता होगी। यह केस मैं इसलिए आपके सामने पुट अप कर रहा हूं कि निम्बाहेड़ा में गन्ने की काश्त मुख्यतया होती है और निम्बाहेड़ा में भोपाल सागर शुगर फैक्ट्री ही इसकी एकमात्र खरीददार है। राजस्थान सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाल कर यह पाबन्दी लगा दी है कि उसका पर्चेजिंग क्षेत्र बीस मील के अन्दर रहेगा और वहां पर जो किसान हैं वह अपनी पैदावार का ७५ प्रतिशत गन्ना इस मील को देंगे। लेकिन सरकार इस बात की गारन्टी नहीं देती है, मील भी इस बात की गारन्टी नहीं देती है कि किसानों का गन्ना सूखने नहीं दिया जायगा। मेरा निवेदन है कि सरकार इस बात की गारन्टी दे कि किसानों का गन्ना सूखने नहीं दिया जायगा और वह समय के ऊपर तोल कर ले लिया जायेगा।

इसके साथ साथ मेरा निवेदन है कि आपने चीप ग्रेन शॉप्स खोले हैं। इस समय हमारे यहां तीन दुकानें हैं। तीन दुकानों से आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं है। आपको निम्बाहेड़ा और बिनोता में दुकान रखनी पड़ेगी बाकी भले ही तोड़ दीजिये। आपको मेरा जैसा विधायक सारे राजस्थान मे नहीं मिलेगा जो यह कहता हो कि सिर्फ दो ही जगह आप दुकानें रखिये और बाकी जगह नहीं एक बिनोता और दूसरा निम्बाहेड़ा में। दोनों जगह आप रखिये, निम्बाहेड़ा में और बिनोता में लेबरर्स के लिये जहां उनकी आबादी है।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करूंगा कि ये आज आप अनाज कोऑपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा वितरण करते है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज लोगों को केश मीमो नहीं इश्यू करती हैं। इसलिए आप यह व्यवस्था करें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज उनको जो भी सामान उनसे लिया जावे उसका केश मीमो दे दें। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चित्तौड़ में है उसने ५२ पैसे के बजाय ५६ पैसे प्रति किलो

(श्री अब्दुल जब्बार)

गेहूँ बेचा है और उसकी छानबीन कलेक्टर के पास हुई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप इनको कोआॅपरेटिव के बेसिस पर चलाना चाहते हैं तो आप उनको केश मीमो इश्यू करने के लिए कहें अन्यथा इस प्रकार की हमेशा घटनाएं हुआ करती हैं और आप इनको पकड़ना चाहें तो आप उनको पकड़ भी नही पावेंगे क्योंकि ऐसी ऐसी कोआॅपरेटिव सोसाइटीज हैं जिनके लोग राजस्थान में रहते भी हैं या नहीं यह भी आपको मालूम नहीं है। मगर उन्होंने अपनी दुकान पर एक पाटिया लगा रखा है। आप उनसे वसूल भी क्या करेंगे? वे दुकाने बन्द करके चले जावेंगे। ठीक है आप उनके द्वारा सरकारी अनाज आदि बिकवाते हैं तो वे केश मीमो दें। इसके अलावा उनका व्यवहार बहुत खराब है। वे दुकान पर जो लोग अनाज देने के लिए आते हैं उनको बहुत बुरी तरह से जलील करते हैं जैसे वे अन्न उन लोगों को मुफ्त में देते हैं और वे ही उनके अन्नदाता हैं। इसके अलावा वे अच्छा सामान इधर उधर कर देते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि अगर आप उनको मौत भी बांटने के लिए कहेंगे तो वे इतने लाहोल हैं कि वे मौत भी अपने घर वालों को पहले बांटेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि सफेद गेहूं जो भी आता है वह तो उनके अच्छे मिलने वालों के यहां पर पहुँच जाता है। जब कि हिन्दुस्तान के भाइयों के चिपके हुए पेट को देख कर जर्मनी और दूसरे देशों में रहने वाले लोग हैं उन्होंने हमारे लिए चन्दा भेजा है। मैं आपसे निवेदन करूं कि आपने नबाब जादों से हमें राहत दिलाई मगर इन मुफाख़ोर नये नबाब ज़ादों से हमें बचाइये। इनसे हम बाज़ आए। उनसे पैसा देकर नाज लेते हैं। फिर भी वे किस तरह से लोगों को तंग करते हैं और जलील करते हैं इसके लिये मेरे पास फोटो है जिसको देखने से स्पष्ट होगा कि किस तरह से ये लोग लोगों को परेशान करते हैं और उनको किस प्रकार से डाट डपट करते हैं और अनाज नहीं देते हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर आप सहकारी समितियों के द्वारा अनाज बिकवाते हैं तो इसके लिए आप शीघ्र कार्यवाही करें ताकि लोगों को आराम से अनाज मिल सके और जलील नहीं किया जाय।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज इस बात की कोशिश चल रही है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े। मैं भी इस बात को मानता हूँ कि हमारे यहां प्रोडक्शन बढ़े ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अनाज मिल सके। लेकिन सरकार को अकलबन्दी की बात को समझने में देर लगती है और ना समझी की बात को समझने में बिल्कुल देर नहीं लगाती है।

निम्बाहेड़ा में गंभीरी का पेटा है जहां अन्न कई सालों से हो रहा है। इसके लिए मैंने फूड एडवाइज़री कमेटी को भी कहा कि इस अन्न की युटिलिटी क्या हो? मैं इस पक्ष का नहीं हूँ कि वहां के लोगों पर लेवी लगे मगर इस पक्ष का भी नहीं हूं कि किसानों को यों ही फायदा उठाने दिया जाए। मैंने यह कहा कि यह जो जमीन है उसमें जो अनाज पैदा होता है उसको ५० पर्सेन्ट लेवी के रूप में ले लिया जावे। यह पेटे काश्त की जमीन है जिस पर काफी अनाज पैदा होता है।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु.) : सदन में कौरम पूरा नहीं है इसलिये सदन की कार्यवाही को समाप्त किया जाए।

श्री नाथूराम मिर्धा : आज सदन में कोरम की जरूरत नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार : आप जब किसानों की जमीन डूब में आती है उनको खातेदारी राइट्स देते हैं और दिये हैं इसलिए आपको इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए।

इसके बाद में यह निवेदन करूंगा कि बोर्डर एरिया में चैकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मध्य प्रदेश के भाव ऊंचे थे और राजस्थान के भाव नीचे थे। मैं आपसे निवेदन करूं कि प्रतापगढ़ से चना।और गेहूं और मन्दसोर और नीमच से काफी अनाज बाहर गया है। हांला कि आपके चैक पोस्ट लगे हैं मगर वहां पर उचित व्यवस्था नहीं है। एक चैक पोस्ट का बाबू ७५०) का ट्रान्जिस्टर लगा कर अपनी टेबल पर ऊपर पैर रख कर आराम से चाहे जैसा करता रहता है और अनाज बाहर निकलता रहता है। राजस्थान सरकार इससे बदनाम होती है और उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं होती है यह अन्धेर है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इसके लिए कार्यवाही होनी चाहिये। आपने चित्तौड़ में चैक पोस्ट रखा है कराडा में और वह इसलिए कि राजस्थान का अन्न बाहर नहीं जावेगा। ठीक है राजस्थान का अन्न बाहर नहीं जावेगा अगर आप किसानों को ठीक उनका मुआवजा देंगे अन्यथा यह होगा कि किसान अन्न नहीं बोवेगा और अन्य केश क्रोप की खेती करेगा। जो बातें बोर्डर में कराड़ा के बारे में मैंने बताई हैं इनके लिए आप ध्यान दें। किसानों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं यह निवेदन करूंगा कि गरीबों की कोई नहीं सुनता है और बड़े आदमी चाहे जो कुछ कर लेते हैं। इसलिए करप्शन बढ़ता जा रहा है। मैं कहूंगा कि सरकार को जो भी करप्ट आदमी हैं उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिये और उसको इस प्रकार से आपको कुचलना चाहिये जिस प्रकार से सांप की ठोड़ी को कुचलते हैं। अगर आप ने ऐसे लोगों को जो करप्शन फैलाते हैं नहीं कुचला तो मैं यह निवेदन करूंगा कि आप आसमान की तरफ बढ़ना चाहते है नहीं बढ सकेंगे और उल्टे जमीन की तह में धंसते चले जावेंगे। आज पूंजीपति अपने पैसे के बल पर सरकार के आदेशों का उलंघन करते हैं और लोग यह समझते हैं कि इस तरह आज सरकार पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपति यह समझते हैं कि आज हम पूंजी के बल पर सरकार को अपनी जेब में रख कर चलते हैं। ऐसे पूंजीपति काले नाग की तरह से हैं और उनको आपको पकड़ कर ठीक करना होगा और अगर आपने उन काले नागों की ठोड़ी पकड़ कर नहीं रगड़ी और जब तक नहीं रगड़ेंगे तब तक सरकार कभी भी कामयाब नहीं होगी और अनाज जनता को मुहैया नहीं कर पाएगी। नतीजा यह होगा कि लोग बिल्डिगें तोड़ेगें और अराजकता फैलेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूँ।

(श्री अब्दुलजब्बार)

जिन दुकानदारों को आपने कन्ट्रोल की चीजें बेचने के लिए लाइसेन्स दिये हैं, जिस समय हड़तालें होती हैं तो ये लोग भी अपनी दुकानें बन्द कर देते हैं। आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया है? क्या आप उनके खिलाफ भी एक्शन लेते हैं या नहीं? मैं यह कहूँगा कि आपने जब कन्ट्रोल की चीजें बेचने के लिए लाइसेन्स दिया है चाहे वह चावलों का हो, चाहे शक्कर का हो या अनाज का हो, अगर वह हड़ताल के समय अपनी दुकान बन्द रखता है तो उसके खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिये और उसको सस्पेन्ड करना चाहिये। अन्यथा वे जनता के लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं और सरकार की मजाक करते हैं और बाजार बन्द करके बैठ जाते हैं। वे लोग सरकार को गाली देना जानते है मगर सरकार उनको जवाब नहीं देती और सरकार जब वे दुकानें बन्द कर देते हैं तो कुछ कहती नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के करप्ट लोगों को सरकार को निकाल बाहर करना चाहिये और उनके लाइसेन्स जब्त करके दूसरे लोगों को दे दिये जाने चाहिये। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि कम से कम कन्ट्रोल की दुकानें तो बन्द नहीं होनी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री अल्दाराम मीणा (सुमेरपुर): सभापति महोदया, मैं हमारे जानवरों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां पहली बार फसल बोई। बारिश नहीं होने से जल गई। फिर दूसरी बार फसल बोई पर बारिश नहीं होने से वह भी जल गई। इस तरह हमारे यहां पहले तो अच्छी बारिश हुई पर बाद में बारिश नहीं हुई और फसलें जल गईं, इसलिये दो तीन दफे फसलें बोईं। हमारे सांचोर, जालोर में मवेशी बहुत ज्यादा हैं, लोग मवेशी लेकर इधर उधर बाहर गये, कोई सिरोही सामीने गया, कोई बाड़मेर, कोई जैसलमेर कोई फलोदी की तरफ घूमते हैं। हम समझते हैं कि हमारे पास एक दो मवेशी हों तो उनके पालन में कितनी मुसीबत होती हैं, उन लोगों के पास तो हजारों मवेशी हैं, उनके लिये सरकार को घास का इन्तजाम करना चाहिये। घास की मुसीबत के साथ साथ हमारे यहां पर अनाज की भी बड़ी भारी मुसीबत है। गरीब लोग ३५ रुपया मण के भाव से गेहूं खरीद कर कैसे खावें हमारे यहां अनाज की बहुत कमी है इसलिये मैं सरकार से कहूंगा कि हमारे यहां अनाज की दुकानें खुलवाना बहुत जरूरी है।

मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि हमारे बागोड़ा में एक ट्यूब वैल लगाया है, एक ट्यूब वैल लगाने से कितनी अच्छी फसल हो सकती है यह उससे पता चलता है, हमारे वहां ज्यादा से ज्यादा ट्यूब वैल लगायें तो हजारों लाखों मन अनाज ज्यादा पैदा हो सकता है। हमारे यहां गेहूँ की फसल होती है, वहां क्रूड ऑइल का पूरा इन्तजाम किया जाय। गई साल क्रूड ऑइल नहीं मिला जिससे फसल में बड़ा नुकसान हुआ है। बाहर से गुजरात से लोग क्रूडेड ऑइल लाये। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमारे यहां क्रूडेड ऑइल का इन्तजाम होना चाहिये। बिजली है, जालोर से सायला सिवाना तक है, हमारे कुओं पर तीन फसलें हो सकती हैं। गरीब आदमियों के पास बैल वगैरह तो उतने नहीं

(श्री अल्दाराम मीणा)

होते हैं । वे लोग बिजली से ज्यादा पैदावार कर सकते हैं । हमारे कुओं पर जल्दी से जल्दी बिजली दिलावें तो हमारे उन कुओं पर तीन फसलें हो सकती हैं, गुजरात से बिजली आने वाली है हमारे सांचोर, भीनमाल हैं वहां हमको बिजली दिलवाई जाय ।

हमारे यहां छोटे छोटे बांध हैं, नारणावास है, भेटावा है देवता है, इन छोटे छोटे बांधों को बंधावें तो वहां अच्छी फसल हो सकती है, वहां पैदावार बढ़ेगी तो वहां की जनता आसानी से पेट भर सकेगी । नर्बदा नदी नहर योजना से हमारे यहां नहर कब आने वाली है, यह हमें बताया जाय, उससे हमारे यहां फायदा होगा, जनता आपको थोड़ा आशीष देती रहेगी । जहां जहां फेमीन है, वर्षा नहीं है वहां सरकार को चाहिये कि सड़कों को बनाने का काम चालू करे । सिरोंड़ा में ट्यूब वैल की योजना है पर सड़क नहीं है तो ट्यूब वैल की मशीनें वगैरह कैसे जावें । सायला से बावतरा, सिवाणा सड़क बना दें तो बाड़मेर के वास्ते भी यह रास्ता छोटा पड़ता है । मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार यह काम जल्दी से जल्दी करावे ।

बाकरा में जल योजना की स्कीम है, वहां वाटर वर्क्स योजना के लिये ट्यूब वैल, कुआ खोदा वह पानी पीने के लायक नहीं है बाकरा में रूपसी है वह कहते हैं कि मैं धन-राशि देने को तैयार हूं । तो सरकार से निवेदन है कि बाकरा में ट्यूब वैल खुदा कर जल व्यवस्था कर दें ।

हर साल छात्रावास के लिये प्रमाण पत्र लेने पड़ते हैं । गजेटेड अफसर या एम. एल. ए. के पास उनको हर साल जाना पड़ता है । उसी स्कूल में जाय तो हर साल प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता है, एक ही प्रमाण पत्र काफी है ।

हमारे यहां जोड़ हैं, जोड़ों में बावल लगा हुआ है काफी एरिया बावल ने घेर लिया है, इसे साफ कराया जाना चाहिए....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप तो नाथूरामजी को घर पर ही कह देना । नाथूराम जी जैसे महान मंत्री के होते हुए सारे काम पूरे होंगे ।

श्री अल्दाराम मीणा : हमको भी तो हमारी बात रखने दो ।

काश्तकार लोग बहुत गरीब हैं, अकाल पड़ जाता है तो उनके लिये बीघोड़ी देना बड़ा मुश्किल हो जाता है । इसलिये सरकार से निवेदन है कि जहां लगातार दो तीन काल पड़ जायं वहां किसानों को बीघोड़ी बिल्कुल माफ होनी चाहिये ।

श्री गोबिन्दसिंह (पिड़ावा) : यह साल गवर्नमेंट की परीक्षा का समय था । राजस्थान के २६ जिलों में से, झालावाड़, कोटा, बूंदी प्रतापगढ़ सब डिविजन को छोड़ कर करीब करीब सब जगह काल पड़ा । पीने को पानी नहीं, खाने को अनाज नहीं और मवेशी के लिए चारा नहीं, फिर भी किसी तरह राजस्थान गवर्नमेंट कामयाब हुई है । हो सकता है कि इतने जिलों का इन्तजाम करना था

(श्री गोविन्दसिंह)

कहीं इन्तजाम में ट्रान्सपोर्ट के कारण, गल्ले की समस्या के कारण कुछ कमी रही हो पर मैं समझता हूँ सब जगह अनाज पहुंचाया गया है और यह राजस्थान के लिए सराहनीय बात है कि राजस्थान में एक भी आदमी अकाल से नहीं मरा है। पर मैं यह कहना चाहूँगा कि झालावाड़, कोटा, बूंदी में काश्तकारों के पास गल्ला था, उसको कैसे डिस्पोज आॅफ किया जायगा इस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। कोटा बूंदी झालावाड़ के बारे में पहले कर दिया कि अनाज बाहर नहीं जायेगा; कोटा, बूंदी, झालावाड़ में अलग अलग भाव रखे, बूंदी में अलग भाव रखे, कोटा में अलग रखे और झालावाड़ में अलग रखे। मक्का का भाव कोटा के मुकाबले बूंदी में ३ रुपया कम रखा, मन्त्री महोदय से बार बार मिले और निवेदन किया तो बूंदी में और झालावाड़ में कोटा के मुकाबले में एक रुपया कम किया। भाव कम किए पर आपने क्या यह भी सोचा था कि मध्य–प्रदेश में क्या भाव थे, जब कि हमारे यहां आपने मक्का का भाव ४२, जवार का भाव ४४, ४० रखा उस समय मध्यप्रदेश में १५ रुपया, २० रुपया क्विन्टल पर ज्यादा भाव थे। ऐसी दशा में क्या आप यह उम्मीद करते थे कि काश्तकार आपको अनाज तोलेंगे, उन्होंने अपना सब गल्ला मध्यप्रदेश में भेजा। राज्य सरकार को बार बार कहा गया पर राज्य सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की और सरकार ने अपनी नीति बना ली कि इससे ज्यादा भाव नहीं होंगे। परचेजिंग स्टोर में आपने ऐसी व्यवस्था की है कि काश्तकार अपना गल्ला खुद नहीं बेचे, व्यापारियों की मार्फत बेचे और वहां यह हाल है कि काश्तकार अनाज की गाड़ी लेकर आता है तो तीन दिन तक उसका नम्बर नहीं आता है इसलिए काश्तकारों को झक मारकर व्यापारियों को अपना गल्ला बेचना पड़ा। अगर काश्तकार राज्य सरकार को खुद गल्ला बेचता है तो सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ता।

(५.०० म. प.)

और अगर वह गल्ला कोई व्यापारी की मार्फत बेचता है तो उसको सेल्स टैक्स देना पड़ता है। एक व्यापारी ने जिसने काश्तकार से गल्ला लिया, क्योंकि उनको सेल्स टैक्स देना पड़ता था, तो उसे कम भाव में गल्ला काश्तकार ने दिया तो एक तरफ अकाल पड़ता है, दूसरी तरफ काश्तकार के साथ जहां अकाल पड़ रहा है वहां आप क्या बरताव कर रहे हैं? उसको कम से कम भाव दे रहे हैं, उसको बाध्य कर रहे हैं कि वह गल्ला देना बंद करे। तो जो इलाका ज्यादा गल्ला दे रहा है, उसको आपको प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि उनकी निगाह कैश क्राप्स की तरफ न जाय।

इसके साथ मध्यप्रदेश या दूसरे राज्यों में क्या भाव हैं? अगर भावों में असमानता रही तो किसी तरह से भी किसी भी कानून के द्वारा गल्ले को इधर से उधर आने जाने से रोक नहीं सकेंगे। जहां जहां चैक पोस्ट्स बने हुए हैं, वे भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। बैलगाड़ी वाले ने १०) दे दिये, ट्रक वाले ने ५०) दे दिये, तो काम हो जाता है, वे ही लोग साहूकार बन गए। आप काश्तकारों को चोरी करना नहीं सिखाएं।

दूसरा आपने एक कानून बनाया था कि १० मील के अन्दर इधर उधर कोई

(श्री गोविन्दसिंह)

माल नहीं ले जा सकता। झालावाड़ का इलाका ऐसा है जो मध्यप्रदेश से घिरा हुआ है। ६ पंचायत समितियों में से ५ समितियां ऐसी हैं जो मध्यप्रदेश से घिरी हुई हैं। आपने नियम बनाए कि १० मील के अन्दर कोई मूवमेंट नहीं होगा। जो वहां मुख्य मण्डी थी उसका व्यापार ठप्प हो गया। आपने नोटिफिकेशन ७ जनवरी को निकाला वह १४-१५ को झालावाड़में पहुँचा और यह, १ जनवरी से लागू किया। जिसने १ या २ जनवरी में भवानीमंडी में व्यापार किया था,उनकी लिस्ट बन गई। उसके बाद वे चोर बनाए गए। मुझे ताज्जुब होता है, आपका गजट नोटिफिकेशन ७ तारीख को निकलता है, वह हमारे यहां १४ तारीख को पहुँचता है तो वहां के व्यापारी और काश्तकार चोर कैसे बन.गए जिन्होंने १ या २ जनवरी को गल्ला बेचा था। तो राज्य सरकार को सोचना चाहिए। हालांकि उनके खिलाफ केसेज विथड्रा हुए, लेकिन उसमें कितना समय लगा। राज्य सरकार द्वारा नौटिफिकेशन देरी से निकालने की वजह से व्यापारियों और काश्तकारों का हैरसमेंट हुआ। पुलिस ने कितना पैसा कमाया होगा, सब समझ सकते हैं। इसलिए आप ऐसे कानून बनाएं जिससे जनता को नुकसान न हो, चोरियां न हों, भ्रष्टाचार न हो।

एक तरफ तो अकाल की भारी समस्या पैदा हो गई है, हमेशा किसी न किसी जिले में अकाल पड़ता रहता है लेकिन भगवान की दया से हमारे तीनों जिलों में, कोटा, झालावाड़ और बूंदी, में अकाल नहीं पड़ा है लेकिन आपने १६ साल में झालावाड़ जिले में कौनसा बांध बनाया। एक बाँध भीमसागर महाराव भीमसिंह ने अपने समय में बनाया था, उसको आपने पूरा नहीं कराया। कभी आप कहते हैं कि १२०० एकड़ में सिंचाई करेंगे, कभी कहते हैं कि २,००० एकड़ में सिंचाई करेंगे। अभी अभी घोषणा हुई है कि हमने जो पुराना एस्टीमेट रखा था उसके अनुसार १२,००० एकड़ में सिंचाई करेंगे। एक तरफ तो भीमसागर बांध नहीं बना और दूसरी तरफ़ नहरें बन चुकीं। तो आप हमारे इलाके के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, आप २०–२०, २५-२५ साल से चलाए हुए कामों को, रियासत के जमाने से चलाए हुए कामों को नहीं पूरा कर रहे हैं। आप जिला झालावाड़ के प्रति उदासीन क्यों हैं? जहां तक बांध का सवाल है झालावाड़ में एक भी बांध नहीं बनाया। अगर आप बांध बनाने में असमर्थ हैं तो आप कुएं बनाने में मदद करें, हमारा पहाड़ी इलाका है, कुए हो जायेंगे तो हरेक किसान सिंचाई अच्छी तरह से कर सकेगा। जो पंचायत समिति द्वारा तकावी दी जाती है वह थोड़ी है। इसका माइना, एक साल में एक पंचायत में एक कुआ बन सकता है। मैं समझता हूँ कि हम एक पंचायत क्षेत्र में मुश्किल से ४-५ कुएं बना पाए हैं। एक पंचायत में ५-६ गांव होते हैं, मुश्किल से ५-६ कुएं बन पा रहे हैं।

एक विषय और है, जिला झालावाड़ में कुछ गांवों में बिजली पहुंची हुई है। कृषि विभाग ने तकावी दे दी, काश्तकारों ने मजदूर लगाए, पंचायत समिति ने तकावी दे दी, काश्तकार ने सिक्युरिटी २५०) रु० जमा करादी लेकिन आज तक बिजली का

(श्री गोविन्दसिंह)

कनेक्शन नहीं मिल रहा है । पंचायत समिति पिड़ावा का डेप्यूटेशन आया था उसने बताया कि २५०) २५०) की सिक्युरिटी बहुत से काश्तकारों ने दे रखी है । ग्राम बकानी और ग्राम हेमा के काश्तकारों के व ग्राम गरफी के ५, सुनेल के ११, समाई के ४, काश्तकारों को तकावी दे चुके हैं । पंचायत समिति ८१ काश्तकारों को तकावी दे चुकी है जो २५०) जमा करा चुके हैं और अभी भी उनको कनेक्शन नहीं मिला है । इसके अलावा करोना और थारोनिया में ४२ काश्तकारों को तकावी दे चुके हैं लेकिन कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं । दूसरी पंचायत समिति के १४३ काश्तकारों को कृषि विभाग द्वारा तकावी दी जा चुकी है , जिनके रुपये आपने जमा कर लिए, सिक्युरिटी के २५०-२५० रुपये, लेकिन आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है । वे क्या पैदावार बढ़ाएंगे । पैदावार नहीं बढ़ रही है, बल्कि आपके प्रति अश्रद्धा बढ़ रही है और काश्तकार गल्ला पैदा नहीं कर पा रहा है । पंचायत समिति झालरापाटन में १७५ काश्तकार हैं जिन्होंने २५०) रु० की सिक्युरिटी जमा कराई है लेकिन उनको कनेक्शन नहीं मिल रहा है । जहाँ तक बिजली का कार्यक्रम है यह जून के महीने से हुआ है । इसलिए मैं कृषि मन्त्री से खास तौर से निवेदन करूंगा कि कम से कम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, जो लोग तकावी ले चुके हैं, दो दो साल हुए तकावी दिए हुए, ८-८, ९-९ महीने हो गये, बिजली का कनेक्शन नहीं दिया ।

जहां तक अकाल का प्रश्न है, झालावाड़ में कुछ ऐसे गांव हैं जो अकालग्रस्त हुए है, २८५ गांव थे, मैं समझता हूं वहां राज्य सरकार द्वारा काम किए गए, लोगों को राहत मिली, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं । पर कुछ ऐसे कार्य हैं जो मेरे क्षेत्र में पड़ते हैं, उनका उदाहरण देना चाहता हूं पंचायत समिति, पिड़ावा में इंजिनीयर से मैं करीब ५ बार मिला और उनसे कहा कि काम शुरु कर दो । उन्होंने मुश्किल से काम शुरु किया उसके बाद मजदूरों को २०-२५ दिन में पेमेंट हुआ । जो बुनियादी काम है उसके लिए उनको गिट्टी चाहिये थी । मैं वह जगह देखने गया तो मजदूर पत्थर से पत्थर को फोड़ रहे थे । मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि हमें अथोरिटी दे दी गई है । नतीजा यह हुआ कि काम पूरा नहीं हुआ । जहां ४,०००) खर्च होना चाहिये था वहां १०२५) हुआ है । अभी पंचायत समिति पिड़ावा की मीटिंग हुई, इंजीनियर ने कहा, मुझे सीमेंट नहीं मिला । इसलिए काम नहीं हो सकता है । इस तरह से काम होते हैं, उनको सीमेंट ले जाने के साधन नहीं मिले । इसलिए काम पूरा नहीं हो सका । मैं समझता हूं कि ऐसे इंजीनियर के विरुद्ध इन्क्वायरी होनी चाहिए, क्यों डिले करते हैं, जब राज्य सरकार लाखों करोड़ों रुपए बांट रही है । इसलिए जिन इंजीनियर्स ने ऐसा काम किया है उनके खिलाफ इन्क्वायरी की जाय ।

घिनाई एनीकट महारानी अहिल्याबाई के जमाने का है उसे बनाया जाय । ५-६ गांवों के मवेशी पानी पीते थे, कुओं में पानी पीते थे, कुओं में पानी अधिक होता था, ज्यों ज्यों बांध पुराना हो गया, वह टूट गया । एक धार्मिक स्थान है जहां महादेव का मन्दिर बनाया गया ।

(श्री गोविन्दसिंह)

क्योंकि वह महत्वपूर्ण स्थान था। सात आंठ गांवों की मवेशी वहां पानी पीती थी। स्टेट ने एनीकट बनाया। काम शुरु हुआ। कलेक्टर महोदय वहां जाते हैं और कहते हैं कि इसकी कोई महत्ता नहीं है। सिर्फ महादेवजी का मन्दिर है इसलिए यह बनाया जा रहा है। इसको बन्द कर दिया जाय। जब एनीकट बनाने के लिए दीवाल फोड़ दी, फोड़ी अच्छे इरादे से थी। कुछ मसजिदें वगैरा होतीं तो काम रोक देते क्या? इसको कलेक्टर ने जान बूझ कर बन्द करवाया है। जहां चार हजार रुपया खर्च होना था वहां १५०७) रु० खर्च हुआ है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : सवाल तो यह है कि दीवाल गिराई या नहीं? काम शुरु हुआ या नहीं? मन्दिर को नुकसान पहुंचाने का क्या हक था कलेक्टर को?

श्री गोविन्दसिंह : मन्दिर नहीं तोड़ा है।

मैं इसको उप मन्त्री को लिख कर दे चुका हूँ। यह बड़ा भारी प्रश्न बन चुका है। कभी न कभी धार्मिक रूप में यह आग न भड़क जाय। कलेक्टर ने मर्जी से बन्द कर दिया। जो काम बन्द हुआ है उसमें धार्मिक भावना उभर सकती है इसलिए उसको रोका नहीं जाय और शुरू किया जाय।

झालावाड़ में पानी तालाब से दिया जाता है। पिछले साल पानी कम होने के कारण ६०० काश्तकारों को पानी देना था। उनको नहीं दिया जा सका। इन्जीनियर कहने लगे थे कि एक दफा तो दे सकते हैं। लेकिन वह भी उन्होंने नहीं दिया। वे काश्तकार वर्षों से तालाब से सिंचाई करते आ रहे हैं। लेकिन उनको पानी नहीं दिया और नतीजा यह हुआ कि उनकी फसलें बिल्कुल खत्म हो गयीं। यदि तालाब नहीं भरेगा तो न झालावाड़ को पानी मिलेगा और न पाटन को और न ही काश्तकारों को। तीन चार लाख का खर्चा है। नदी के पानी की व्यवस्था करिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मेरे क्षेत्र का प्रश्न है। मुझे टाइम थोड़ा दीजिए।

श्रीमती सभानेत्री : मुझे क्षमा करें। आप जल्दी ही समाप्त कर दें।

श्री गोविन्दसिंह : आधा मिनिट। सुनेल में वाटर वर्क्स का काम शुरू हो चुका है। सात मील लाइन बन चुकी है। लेकिन आधे में काम छोड़ दिया है। सुनेल में मुश्किल से एक महीने का पानी हो। ८ हजार जनता कहां रहेगी? कहां से पानी मिलेगा? वाटर वर्क्स की योजना को शुरू किया और काम बीच में ही छोड़ दिया। उसको आप पूरा कीजिए। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कहूँगा।

श्रीमती सभानेत्री : श्री हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सभानेत्री महोदया, खाद्य समस्या के सम्बन्ध में वाद विवाद जिन स्थितियों में चल रहा है....

श्री डूंगाराम राजोरिया : सभापति महोदय, हमको समय दीजिए। स्वतन्त्र पार्टी का भी समय है।

श्रीमती सभानेत्री : स्वतन्त्र पार्टी के माननीय सदस्य १ घण्टा ३३ मिनिट बोले हैं कांग्रेस पार्टी के एक घण्टा १४ मिनिट और ४२ मिनिट जन संघ पार्टी के और दूसरी पार्टी के बोले हैं। कम्युनिस्ट पार्टी बोली नहीं है। इनको ३० मिनिट दिया है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : हमको समय तो दिया जाय और। हम भी अपनी बात कहें।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : कम से कम हमें तो बोलने की इजाजत दी जाय।

श्रीमती सभानेत्री : आपकी पार्टी से श्री मुरारजी बोल चुके हैं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मुरारजी बोल्या है तो बीकानेर का बारा में, मैं चूरू के बारा में बोलूंगा। मैं चूरू रोहूं वह बीकानेर रेवे।

श्रीमती सभानेत्री : उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी से एक बोलेगा।

श्री मोहनलाल सारस्वत : नहीं मैं बोलूंगा। दस बजे तक चले हाउस।

श्री डूंगाराम राजोरिया : आपने कहा कि स्वतन्त्र पार्टी १ घण्टा ३३ मिनिट बोली लेकिन उपाध्यक्ष जब आसन पर विराजमान थे तो उन्होंने कहा था कि आपको टाइम दिया जावेगा।

श्रीमती सभानेत्री : उपाध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि ५॥ बजे तक इस पर बहस होगी। उसके बाद गवर्नमेंट का रिप्लाई होगा। और पार्टीज बोल चुकी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का समय रहा है उनको दिया गया है। समय रहा तो आगे फिर व्यवस्था की जावेगी कि समय दिया जा सकता है या नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभानेत्री महोदया, आज जिस स्थिति में हम खाद्य स्थिति पर विवाद कर रहे हैं वह स्थिति सारे देश के लिए एक लज्जाजनक स्थिति है। इस रिपोर्ट में जहां सारे खाद्यान्न का इन्डेक्स नम्बर दिया है, मुझे बड़े खेद से कहना पड़ता है कि माननीय कृषि मन्त्री ने और खाद्य मन्त्री ने जून महीने के दिए बाकी के तीन महीनों के इन्डेक्स नम्बर प्रस्तुत नहीं किए। यदि उसके बाद के इन्डेक्स नम्बर माननीय मन्त्री महोदय सदन के समक्ष प्रस्तुत करते तो जो लज्जाजनक नाटक, जो लज्जाजनक स्थिति, जो अपमानजनक स्थिति राष्ट्र के लिए हमारी कांग्रेस सरकार ने पैदा कर दी है वह स्पष्ट उभर कर सामने आती रुपए की कीमत घटा कर जिस तरह से देश को मोर्टगेज कर दिया, जिस तरह से देश को कठिन स्थिति में डाल दिया वह स्थिति सामने आती है।

सभानेत्री महोदया, लाल बहादुरजी शास्त्री ने "जय जवान और जय किसान" का नारा दिया था, स्वदेशी और आत्म-निर्भरता की ध्वनि सारे देश के एक कौने से दूसरे कौने में फैला दी। महात्मा गांधी ने स्वदेशी की आवाज उठाई और जिस आवाज पर कांग्रेस ने विधान और नियमों को रखा

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

उसकी खिल्ली जिस तरह से इस राष्ट्र में उड़ाई गयी, जिस तरह उसको राष्ट्र के अन्दर जला दिया उसका सारा दृश्य सामने आ जाता है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : किसी लीडर का देहान्त हो जाता है तो आप उसकी जय बोलने लगते हो और उससे पहले गालियां देते हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपका देहान्त होगा तो आपकी जय बोलूंगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उनके सामने तो रोते रहते हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पिछले दस वर्ष में हमारे मंहगाई सूचक अंक जितने बढ़े हैं उतने कुल पिछले तीन महीनों में बढ़े हैं। हमारे मंहगाई सूचक अंक पिछले तीन महीने में ३२ अंक बढ़ चुके हैं। आज ८० और ६०) रु० क्विन्टल गेहूं नसीब नहीं होता है. आज ६ रुपया किलो ग्राम मिर्ची मिलती है एक किलो डालडा घी के लिए कतार लगा कर खड़ा होना पड़ता है। सभानेत्री महोदया, आज हमारे देश ने ३६०० करोड़ रुपए का अनाज खरीदा और उस पर १६०० करोड़ रुपया ब्याज का दिया और ५२०० करोड़ रुपए की कर्जदारी से देश गुजर रहा था, रुपये की कीमत घटा कर उसको ७०,०० करोड़ कर दिया गया। यह कहां से चुकायेंगे ? कह दिया कि खेतों में हल जुता देंगे। खाद के कारखाने देश में लगाते हैं तो कांग्रेस के प्रेसिडेन्ट लज्जा अनुभव करते हैं। मद्रास में फर्टीलाइजर फैक्ट्री लगी। उसका मुकाबला सिंदरी और नांगल से कर दिया। उत्तर भारत में हमारा मार्केट रहेगा और दक्षिण में अमेरिका का।

सभानेत्री महोदया, हमने अनाज के लिए भीख मांगी और भीख भी बहुत अपमान जनक तरीके से मांगी। हमने अमेरिका की उन सारी बातों को स्वीकार किया जो हमारी शिक्षा पर प्रभाव डालने वाली हैं। हमें यहां पर वॉइस ऑफ अमेरिका को हमारी पार्लियामेंट के चुने हुए लोगों ने बगावत करके दूर फेंक दिया था, आज हर डिस्ट्रिक्ट में वॉइस ऑफ अमेरिका लगाना स्वीकार कर लिया है।

हमारे देश की खाद्य नीति और राजस्थान की खाद्य नीति एक प्रकार की है। सुब्रमण्यम ने पहले पी. एल. ४८० के अन्तर्गत २० लाख टन बताया, फिर छलांग लगाई ४० लाख टन चाहिए. उनकी छलांग उससे बढ़कर ८० लाख हो गई और अब वह १२० लाख टन हो गई है। अमरिका भागे, अनाज लाओ वरना देश भूखों मर जावेगा। इतना गिड़गिड़ाने के पश्चात् हम देश की इज्जत बेच कर क्या सम्मान प्राप्त कर सके हैं ?

आज २५ जहाजों की लाइन कांडला में लगी हुई है और रेलवे लाइन से अनाज ढोया जा रहा है। हमारे कृषि मंत्री अगस्त-सितम्बर में चार लाख टन अनाज लाये और इस तरह कुल ६९.६१ लाख टन अनाज ले आये पर बीस हजार टन से ज्यादा नहीं ढो सकेंगे यह स्थिति उत्पन्न हो गई। अब तो अमेरिका ने भी देना बन्द कर दिया और कह दिया कि शोर्टेज है।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

इतनी अपमानजनक स्थिति के बाद भी हमने समाजवाद का नारा दिया। वास्तव में अगर समाजवाद का एक कण भी हमारे में होता तो हम वे सारी चीजें करते जिससे देश में अनाज उत्पन्न हो सकता। आज हिन्दुस्थान में जितनी जमीन चार प्रतिशत लोगों के पास है, उतनी बाकी के ६६ प्रतिशत के पास है। क्या आपने सख्ती से अपने भूमि सुधार कानूनों को लागू करने की कोशिश की? क्या सिचाई के साधनों को बढाने के लिए उनका प्रबन्ध करने के लिये ईमानदारी से कोशिश की भूमि सुधार के कानूनों को लागू करने की सच्चाई और ईमानदारी से कोशिश की? आज भी राजस्थान के अन्दर एक करोड़ एकड़ धरती ऐसी है जो अलॉट नहीं हुई। २० साल के अलॉटमेंट का आप दावा करते हैं तब भी ८० लाख एकड़ धरती ऐसी है जो हल के नीचे आये बिना पड़ी हुई है। राजस्थान की एग्रीकल्चरल लेबर हिन्दुस्थान के किसी भी हिस्से या स्टेट से कम नहीं है। बल्कि आठ दस स्टेटों से तो ज्यादा हमारे अन्दर एग्रीकल्चरल लेबर हैं। लाखों की संख्या में हैं। लाखो भूमिहीन किसान हैं। पर धरती नहीं दी आपने उनको। हल कील से टगे रहे, और धरती हल की इन्तजार करती रही। हल किसान और धरती के समन्वयकारी सम्बन्ध आप कायम नहीं करा सके।

सभानेत्री महोदया, गंगनहर में ५२ से पक्के अलॉटमेंट का दौर चल रहा है। पर भाखरा में ६० हजार एकड़ धरती अलॉटमेंट के बिना पड़ी है। गंगानहर में चालीस हजार एकड़ पक्के अलॉटमेंट के बिना पड़ी है। तीन लाख दर्खास्तें राजस्थान कैनॉल के लिये रद्दी की टोकरी में पड़ी पड़ी सिसक रही हैं पर आपने राजस्थान कैनाल के अलॉटमेंट रूल्स नहीं बनाये। अलॉटमेंट का कानून नहीं बनाया।

जागीरदारों से आपने जागीरें लीं तो कहा गया कि तालाब उनके नहीं होंगे। पर आज सारे राजस्थान के तालाब उन के हैं। जागीरदार आज उन तालाबों का बेमौसिम में पानी निकाल देते हैं और उनके पेटे में काश्त करते हैं। चाहे रामगढ़ का बन्धा हो, चाहे उदयपुर के तालाब हों या बाड़मेर के तालाब हों। आज जागीरदार उन पर डोली बनाता है, मुंडेर बान्धता है, किसानों की जमीनों को डुबो देता है और पेटे में काश्त करता है जब चाहे तब।

लैंड एक्वीजीशन बिल लाये हैं आप, पर महरबान हो गये राजा महाराजाओं पर। अचानक लाल बहादुरजी शास्त्री से बातें करा दीं सीलिंग कानून का आपने बार बार उल्लंघन किया। सीलिंग कमेटी की रिपोर्ट हो गई पर आप झिझकते रहे। आज कांग्रेस में आपस में ये लोग झगड़ रहे है। एक कहता है मैं प्रगतिशील हूँ। दूसरा कहता है मैं हूँ। मैं कहता हूं दोनों प्रतिगामी हैं। कोई प्रगतिशील नहीं है। इस सीलिंग के कानून को टालने का एक षडयन्त्र ये चला रहे हैं। इन्होंने तो राजस्थान के बड़े बड़े खातेदारों को, जागीरदारों को खुली छूट दे दी है कि वे अपनी अपनी जमीनों को बांट लें उनको छोटे छोटे खातों में तकसीम कर लें, खुर्द बुर्द कर दें, बेच दें। सीलिंग कानून को इस

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बीच वे टालते जा रहे हैं। पर सख्ती से सीलिंग लागू नहीं किया। एक लाख पचास हजार खाते अकेले गंगानगर में हैं। ६० हजार के लगभग तो ऐसे थे जो सीलिंग कानून के तहत आते थे। पर हमने कहीं पर भी रजिस्ट्रियां बन्द नहीं कीं। रजिस्ट्रियां खुले तौर से होने दीं। आज रहम खा रहे हैं उन किसानों पर जिन्होंने जमीनें खरीद लीं। कहते हैं वे कहां जावेंगे। अगर आप में आज भी ईमानदारी है तो जिसने करोड़ों कमा लिये उनसे पैसा छीन कर गरीब किसानों को दिलवा दीजिये। पर आज ये ऐसे किसान को गरीब कहते हैं जो पचास हजार का मुरब्बा खरीद लेता है। पचास हजार के मुरब्बे को खरीदने की जिसकी कैपेसिटी है, आज तरस की भावना उनके प्रति पैदा हो गई है इस सरकार में। जहां हिन्दुस्तान के प्रति व्यक्ति की औसत आमदनी १३ पैसा प्रति दिन कही जा रही है। १३ नये पैसों पर जो अपना गुजर बसर करता है वह तो गरीब नहीं है, उसके लिए इनके मन में तरस नहीं जागता, पर तरस आता है इनको उसके लिए जिसकी परचेजिंग पावर पचास हजार की है। कहते हैं हम उसके लिए रियायत चाहते हैं। इसके लिए केबिनेट में झगड़ा खड़ा कर देते हैं।

सभापति महोदया, राजस्थान के अन्दर इस रिपोर्ट के मुताबिक ६४-६५ में ४८ लाख टन अनाज पैदा हुआ। और १४ लाख टन की शार्टेज हो गई क्योंकि ६५-६६ में केवल ३४ लाख टन अनाज पैदा हुआ इस १४ लाख टन के अन्दर हम ने दो लाख टन इम्पोर्ट कर लिया और १२ लाख टन की शार्टेज हमने राजस्थान में कायम की।

लेकिन मैं निहायत अदब से ये आंकड़े कृषि मन्त्रीजी के सामने प्रस्तुत करूं कि जो सन् ६० से लेकर ६४ तक के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की हमारी पोजीशन को स्पष्ट करते हैं। हम किन किन चीजों में सरप्लस रहे हैं। मैं इन आंकड़ों में ज्यादा समय सदन का नष्ट नहीं करूंगा। कृषि मन्त्रीजी इन आंकड़ों का खुद भी अध्ययन कर सकते हैं। हम किन किन चीजों को फय्याज दिली से भेजते रहे। जरा गौर से पढ़ियेगा इनको।

श्री नाथूराम मिर्धा : आंकड़े तो मेरे ध्यान में हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सन् ५६ से लेकर ६४ तक बाजरा एक साल एक्सपोर्ट नहीं किया बाकी साल सब में किया। ज्वार लगातार एक्सपोर्ट की ५६ से ६४ तक। मक्का लगातार की ५६ से ६४ तक। चांवल हमने एक वर्ष एक्सपोर्ट किया ५६–६० में। गेहूँ हम इम्पोर्ट करते रहे। मक्का हमने इन पांचों वर्षों में बाहर एक्सपोर्ट की। एक वर्ष भी इम्पोर्ट नहीं की।

सभानेत्री महोदया, यह स्पष्ट है कि राजस्थान के निवासी ज्वार, बाजरा और मक्का खाते हैं। राजस्थान के अन्दर इनके मुकाबले में उनकी संख्या कम है जो गेहूँ खाते हैं। पर हमने राजस्थान में मुख्य

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

रूप से गेहूं को ही इम्पोर्ट किया है बाकी तो ५६ से लेकर ६४ तक सारे अनाज बाहर एक्सपोर्ट किये है ।

मैं स्वीकार करता हूँ कि राजस्थान के अन्दर अकाल है । २६ जिलों में से २४ में अकाल की स्थिति रही है और उसके लिए सरकार गौरव से कहती है कि उसने उसके लिए ५ करोड़ ८० लाख खर्च किये ।

सभानेत्री महोदया, लेकिन यह भी चीज स्पष्ट है कि हमारे कृषि मन्त्री उसी पथ पर चले हैं जिस पर सुब्रह्मण्यम् चले हैं । उन्होंने भी यह ध्वनि निकालने का प्रयत्न किया है जैसी कि सुब्रह्मण्यम् ने हिन्दुस्तान को अमेरिका का गुलाम बनाने से पहले जो वातावरण देश में पैदा किया है और इसमें हमारे खाद्य मन्त्री भी सहायक रहे हैं । उन्होंने भी उस वातावरण को बढ़ाया है । एक रफ कैलकुलेशन के मुताबिक ४६ लाख टन पैदा होता है तो बाजार में छः लाख टन आता है । अब ४६ लाख टन पैदा हुआ और आपके मार्केट में ६ लाख टन आया । इसमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है । आपने सदन में एक के बाद दूसरा कमिटमेंट दिया और चार साल से लगातार कमिटमेंट देते चले आये हैं कि अनाज के वितरण का राष्ट्रीयकरण तो क्या करेंगे पर आपने कहा था कि हम अनाज का बफर स्टॉक क्रीएट करेंगे ।

आज आपके दिए हुए आंकड़ों के हिसाब से अगर २० पर्सेन्ट भी आप खरीदते उसमें से जो बाजार में आया था तो दो लाख का बफर स्टॉक आप कर सकते थे । पर राजस्थान में आपने यह बफर स्टॉक नहीं किया । फल यह हुआ इसका कि बाजार में अनाज की कीमतें बढ़ती गईं । राजस्थान में लोगों को खाने को अनाज नहीं मिला । राजस्थान में शहरों की खाद्य स्थिति विषम हो गई । राजस्थान में गरीब क्लर्क, चपरासी और कर्मचारी की आंखों से खून के आंसू गिरते रहे । लोगों की खाने की दुर्लक्षपूर्ण स्थिति पैदा होती चली गई । पर आपने कमिटमेंट के अनुसार कोई बफर स्टॉक क्रीएट न करके राजस्थान को एक भयंकर खाद्य संकट की स्थिति में डाल दिया ।

सभापति महोदया, इसके अतिरिक्त यदि हम एक काम करते और सारे काम छोड़ देते, राजस्थान नहर का जग के पैमाने पर निर्माण करते तो हम देश की खाद्य स्थिति को समाप्त कर सकते थे । यह ४३० मील लम्बी नहर ३६ लाख एकड़ जमीन का सिंचन करती और इस अकेली नहर के ऊपर लाखों टन चना, गेहूं और दूसरा अनाज उत्पन्न हो सकता था । लेकिन मैं लज्जा से कह सकता हूँ कि ११० मील का टुकड़ा जो कि पंजाब के अन्दर निर्मित हुआ उतने ही समय के अन्दर हम राजस्थान के अन्दर ३० मील का ही निर्माण कर सके और जरा मुलाहिजा फरमाइये कि इस सदन के सदस्यों की एक कमेटी बना दी और ११० मील जो कि पंजाब के अन्दर निर्मित हुई उसका मुलाहिजा करिये और राजस्थान के टुकड़े को देखिये हजारों फीट हारीजेन्टल और वर्टीकल क्रैक्स उस ३० मील के टुकड़े के अन्दर मौजूद हैं । हम कहते हैं कि हमारा इलाका बड़ा भयानक है लेकिन हम किसी अक्लमन्द की बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

है। दुनिया के प्रकाण्ड पंडित श्री कंवरसेन की सजेशन्स हम मानने के लिए तैयार नहीं थे जिस सजेशन के ऊपर और जिस योजना के ऊपर एक सक्सेसफुल एक्सपेरीमेन्ट हो चुका है और उन सजेशन्स को शायद हमने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। गंग नहर का निर्माण हुआ, उस युग के अन्दर हुआ जब कि सारा मेसीनरी वर्क कन्धों पर किया गया, टोकरों से ढोकर किया गया। जब न तो क्रेन्स थीं और न वह फेसेलिटीज थीं, न यह मशीनरीज थीं। २ साल और कुछ महीनों के अन्दर दुनिया की सबसे बड़ी लाइन कैनाल ८० मील का निर्माण हो गया। क्यों निर्माण हो गया श्री कंवर सेन की वजह से। श्री कंवर सेन ने सजेशन दिया था कि सबसे पहले इस गंग कैनाल के साथ साथ रेलवे लाइन बनाई जाये और उसके आधार पर यह गंग कैनाल कामयाब होगी। श्री कंवर सेन ने सजेस्ट किया था कि इस कैनाल को बनाने के लिए आप ४०० मील का रन पूरा कर लें और आप रोड्स बना लीजिये क्योंकि नहर बोर्डर से ३० मील पर पैरेलल चलती है। अगर हमने इसका निर्माण कर लिया होता तो जहां एक और डिफेन्स लाईन तैयार हो जाती और इस कैनाल का निर्माण भी तीव्र गति से हो सकता था। आज हम क्या कर रहे हैं? हम जगह जगह स्टील पाईप ले करते हैं। ६० मील तक स्टील पाईप से हम पानी ले जाते हैं। ८ लाख रुपया स्टील पाईप्स के लिए एडवान्स कर दिया है। ३३ लाख की कुल प्राजेक्ट है और १ लाख ५० हजार रुपया पड़े हुए पाइपों को सीधा करने के लिए हमें खर्च करना पड़ता है। वहां करोड़ों रुपयों की मशीनें जो कि सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ की वर्कशाप में पड़ी हैं। वह एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर और एस०डी० ओ० जिनकी वजह से वह करोड़ों रुपये का खर्चा जो कि मेकेनीकल साइड में खर्चा करते हैं वह स्टील पाईप को सीधा नहीं कर सकते और १।। लाख रुपया एक कम्पनी को उनको सीधा करने के लिये हमें देना पड़ता है। मैं कहता हूं निकाल दो सुप्रिन्टेन्डिंग इन्जीनियर को, खतम कर दो मेकेनिकल डिवीजन को जो पाईप्स को सीधा नहीं कर सकते। जब वह पाईप्स को सीधा नहीं कर सकते तो वह क्या काम करेंगे?

सभापति महोदया, यह है वह दुर्लक्षपूर्ण नीति जिससे हम देश की महान योजनाओं को देख रहे हैं। अब सभापति महोदया अवमूल्यन हो गया और मन्त्री महोदय बयान देते हैं कि हम राजस्थान नहर के अन्दर कटौती नहीं करेंगे लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि राजस्थान नहर के अन्दर कटौती की घोषणा हो चुकी है। सचीन्द्र चौधरी और सुब्रमण्यम की तलवार इस महान योजना के ऊपर चल चुकी है। यह नागौर की योजनायें, हमारी लिफ्ट कैनाल की ओरीजिनल योजना को भी खत्म कर दिया जिसके तहत लूणकरणसर और बीकानेर को पानी देने वाले हैं उसका भी गला घुटने वाला है.... ..

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : आपकी सोर्स आफ इनफर्मेशन क्या है?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह मेरी भविष्यवाणी है, आप सुन लें।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा : तुम भी हवेलीराम हो क्या ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हवेलीराम तो नहीं पर यह मेरी भविष्यवाणी है–सब सत्य होगी।

आप सभापति महोदया, एक दुर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति देखिये कि सारा पंजाब डूबा हुआ है आज वाटर लौगिंग के कारण फाजिलका वाटर लौगिंग में सारा भीगा हुआ है। हमें पानी चाहिये। हमारी धरती प्यासी है, हमारा रेगिस्तान प्यासा है लेकिन राजस्थान की यह सरकार पंजाब और राजस्थान के इन्जीनियर्स का ज्वाइन्ट बोर्ड आज तक कायम नहीं रह सकी जो कि इसकी तजवीज करते कि पंजाब के वाटर लौगिंग के पानी को सारा का सारा राजस्थान के अन्दर यूटीलाइज कर लें। इससे पंजाब की धरती पानी से आजाद हो जाती, वहां खेती होती और हमारे प्यासे रेगिस्तान को पानी मिलता। यह तो क्या चार साल से मैं चिल्ला रहा हूँ। पंजाब और राजस्थान के हैड पर ज्वाइन्ट कन्ट्रोल सिस्टम बैठाओ लेकिन इसके लिये किसी ने नहीं सोचा। हमारा भाखरा बांध पर १५ पर्सेन्ट का शेयर है। आंकड़े छाप देते हैं कि ८ पर्सेन्ट प्राप्त हुआ, ७ पर्सेन्ट प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष से जब से भाखरा से इरिगेशन हुई है ८–६ प्रतिशत से ज्यादा शेयर प्राप्त नहीं हुआ। हमारी ईस्ट कैनाल जो कि पंजाब के इलाके के अन्दर जहां नान पैरेनियल कैनाल है जिसे कि १५ अक्टूबर के बाद चलाने की जरूरत नहीं है, बाद में भी चलती है और पंजाब हमारे हिस्से के पानी को ले जाता है। माननीय सभापति महोदया, जब हिन्दुस्तान के अन्दर हैंडरसन अवार्ड कायम हुआ था तब यह कहा था कि २७२० क्यूसेक्स पानी सारा आयेगा। कैनाल पूरी हो जाती थी लेकिन ६६ के अन्दर क्या हुआ सिंचाई मन्त्रीजी, ३०० क्यूसेक्स को यह दो नहरें खाली क्यों होती है। २८०० के करीब पूरा आता है और दो नहरें खाली होती हैं, यह पानी कहां चला जाता है क्या कहीं पाताल के अन्दर दाखिल हो जाता है ? इसलिए आप श्री कंवरसेन की रिपोर्ट को पढ़िये। अगर मिनिस्टर साहब ने उनकी रिपोर्ट को पढ़ा है तो वह समझे नहीं और फौलो ठीक तरह से नहीं किया। हमारे मीटर्स काम करने बन्द हो गए हैं। और तो और हमारी सरकार लाखों करोड़ों रुपयों का खर्च इस स्कीम पर करती है लेकिन कुछ हजार रुपयों का वैलोसिटी मीटर हमारे डिपार्टमेंट के पास नहीं है। गंग केनाल हमारी एक रनिंग केनाल है–लोग चन्द्रमा पर जा रहे है आज २० वीं सदी है लेकिन हम १६०० के तरीकों से पानी का फ्लो नापते है। तुम्हारे पास में एक वैलोसिटी मीटर नहीं है जिससे मालूम हो सके कि कितने पानी की सप्लाई मिल रही है। हमारे मीटर्स काम नहीं करते। सन् ५० में हुसेनीवाला को श्री कंवरसेन ने रेज किया था और सुबपुर को रेज करना था लेकिन १५ साल में लाखों क्यूसेक्स पानी जिससे लाखों करोड़ों टन अनाज पैदा होता है वह पानी हमारे डिपार्टमेन्ट ने नहीं लिया, तुम्हारे डिपार्टमेंट ने नहीं लिया। कितनी बड़ी हानि राजस्थान की और इससे कितना कम अनाज राजस्थान को प्राप्त हुआ।

समानेत्री महोदया, लैण्ड अलॉटमेंट की

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

स्थिति इतनी गम्भीर है। राजस्थान के १ करोड़ ५० लाख खातों में से ३० हजार खाते सरकारी हैं। हरिजनों को, भूमिहीनों को टेम्पोरेरी कल्टीवेशन रूल्स, परमानेन्ट अलॉटमेंट रूल्स और कोलोनाइजेशन एक्ट सन् ५४ के तहत लोगों को जमीनें दी गईं। १० हजार और १२ हजार नान-पैरेनियल मुरब्बे की कीमत रखी। आप फक्र के साथ कह सकते हैं कि हमने ३० हजार घरों को बसा दिया लेकिन क्या आपने कभी सर्वे कराया है कि कितने हरिजनों को वास्तविकता में जमीन प्राप्त हो गई? कितने हरिजनों के वास्तविकता में उन जमीनों पर कब्जे हैं और कितने हरिजन लोग काश्तकार रहे हैं? आपने हरिजनों के लिए क्या सहूलियतें दी हैं। आपने कर्जे दिये हैं? आपने उनको बैल दिए हैं? उनको एम्प्लीमेंट्स दिए हैं, कौन सी सहूलियतें आपने उनको दी हैं? आपकी कमेटी की रिपोर्टें, भारत सरकार की कमेटी की रिपोर्टें हैं कि जितने लोन्स आपकी को-आपरेटिव सोसायटीज और आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से डिस्ट्रिब्यूट हुए हैं भूमिहीन किसानों के पास उनका दो पर्सेंट भी नहीं पहुँचा है। हुआ क्या है? एक हजार रुपये सालाना की किश्त देनी पड़ती है, हरिजन के पास इसका साधन नहीं है और इसकी वजह से उसकी जमीनें बनिये और बड़े २ जमींदार और जागीरदार के पास रहन पड़ी हुई हैं। खेत उसके नाम है और उन जमीनों का असली मालिक बनिया है और आज भी भूमिहीन का काश्तकार नौकर की हैसियत में काम करता है और भूखों मर रहा है। मुझे शर्म आती है यह सारी हालत देखकर और आप बड़े गौरव के साथ और बड़े फक्र के साथ कहते हैं कि हमने यह कर दिया वह कर दिया, लेकिन आप इसकी इन्क्वायरी करा लें।

सभानेत्री महोदया, मैं एक चीज की ओर माननीय मंत्री का ध्यान और दिलाने का प्रयत्न करूंगा कि ए. आई. सी. सी. का जयपुर में सेशन मुझे भी अटेंड करने का मौका मिला और उस सेशन के अन्दर सबसे ऊंची आवाज उठी थी, वह उठी थी कि जोन्स को तोड़ डालो। केरल से लोग आए थे आंखों में आंसू लेकर। उन्होंने कहा था कि केरल में रहने वाला आदमी भी हिन्दुस्तानी है और पंजाब में रहने वाला भी हिन्दुस्तानी है। क्या कारण है कि केरल के गरीब को १० औंस चावल नसीब नहीं हो और पंजाब का आदमी तीस औंस चावल खाए। तोड़ दो इन जोन्स को। छोटे मोटे रूप में वही की वही रूपरेखा आपने राजस्थान में कायम कर रखी है। वैसे तो आज भी गंगानगर में गेहूँ ८०–६० रुपया क्विन्टल खाने को मिलता है लेकिन बीकानेर ने क्या गुनाह किया है? जिस बीकानेर ने हमेशा गंगानगर का गेहूँ खाया है, चूरू ने खाया है, आज तुम गंगानगर से चूरू और बीकानेर को गेहूँ नहीं जाने देते, जो अकाल ग्रस्त और अभावग्रस्त पिछले चार साल से चला आ रहा है। ये बेरियर्स लगाने का फायदा क्या है? आज आपने पांच सौ टन से अधिक होने पर सीज कर लिया है। यह आपने कह दिया कि ३३ पर्सेन्ट तक खरीदेंगे, बाकी ७० पर्सेन्ट का क्या करेंगे, यह घोषणा क्यों नहीं की। बीज के लिए

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

लोगों को चना चाहिए । कुदरत ने कृपा की है, सरकार ने कृपा नहीं की, बारिश बर्सी है । गंगानगर की धरती सेंट पर्सेंट बिजाई के लिए पुकार रही है और तुम्हारी नीति से ८०-९० रुपये क्विन्टल चने का बीज मिल रहा है । लोग एक्सप्लायट कर रहे हैं चूंकि आपने घोषित नहीं किया कि बाकी ६७ पर्सेंट का क्या करेंगे । जब आप ३३ परसेंट का प्रक्योरमेंट कर रहे हैं तो बाकी ६७ पर्सेंट का क्या हाल होगा ।

सभानेत्री महोदया, इसके अतिरिक्त मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा । मैं एक चीज और कहना चाहूंगा और वह इस सरकार की एक घोषणा के सम्बन्ध में । इस सरकार ने और इस राज्य के मुख्य मंत्री ने जब राजस्थान के दो लाख कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता मांगा था, जब उनके पेट की आंतें कुलबुलाई थी और उन्होंने सारे राजस्थान के अन्दर इस सम्बन्ध में आन्दोलन किया था तो एक आश्वासन उन दो लाख कर्मचारियों को दिया था । हम उपभोक्ता भण्डार खोलेंगे । सस्ती कीमतों पर राजस्थान के कर्मचारियों को हर एक चीज प्राप्त होगी । घोषणा को एक साल के करीब होने को आया । मुझे बताइए खाद्य मंत्रीजी, आपने इन छोटे कर्मचारियों के लिए कितने उपभोक्ता भण्डार खोले । कितने ऐसे डीपोज हैं जहां पर उनको सस्ती चीज मिल सके । यह तो वही ६) रुपये पर किलो का डालडा खा रहे हैं । और ये तो वही ६) रुपये की की मिर्च ला करके खा रहे हैं । ये तो आज भी डेढ रुपये,किलो की सब्जी ला करके खाते हैं । इनके मुंह पर आज आपने ताला दिया है । आप बताइए खाद्य मंत्री जी कि आपने अपनी की हुई घोषणा को कितना पूरा किया । कृषि मंत्री जी इस सदन में अनेकों बार कह गये हैं कि जब फसल बाजार में आए तब कर्मचारी को एक दो महीने की तनख्वाह एडवांस दे देंगे । इसमें कोई आपके एक्सचेकर पर लोड या बड़ा भारी भार नहीं पड़ने वाला है । कम से कम वह गरीब दो चार मन अनाज तो खरीद कर रखले आड़े वक्त के लिए, बच्चे भूख से न बिलबिलायें और वह उनको तड़फता हुआ न देखे, इसके लिए आपने कितना एडवांस उसको दे दिया है । अभी फसल आने वाली है बाजरे की, मक्का की । आप उपभोक्ता भण्डार खोलते नहीं, मंहगाई भत्ता बढाते नहीं, बोनस एक्ट के तहत पास किया हुआ बोनस देते नहीं । सुप्रिम कोर्ट कह दे तो आप मानें नहीं और एक दो महीने की तनख्वाह का एडवांस भी दें नहीं और आपकी नीति, सारी की सारी यह खाद्य नीति इस किस्म की है कि स्टाकिस्टों को पकड़ें नहीं । राजस्थान के खाद्य मंत्री महोदय, पंजाब ने आज आपका मजाक उड़ाया है । आज पंजाब के एक आई. सी. एस. आफिसर ने आपके प्रजातंत्र को चुनौती दी है । उसने यह साबित करके रख दिया है कि प्रजातंत्र बेकार है, नाकार है । आई. सी. एस. बड़ा है, गवर्नरशिप बड़ी है, डिक्टेटरशिप बड़ी है । आज पंजाब की किसी मण्डी में चले जाईए, वहां पर टायर मिल जायेंगे, वहां पर ट्यूब मिल जायेंगे । जो चाय का प्याला तीस पैसे में गंगानगर की सरहद पर मिलता है वही १२ पैसे में पंजाब में घुस कर पी लीजिए । आज वहां अनाज मिलता है, चना मिलता है, कपड़ा मिलता है, इस्तेमाल की हर चीज मिलती ;

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

अडल्ट्रेशन बन्द है। मैं नहीं कहता कि सारे पंजाब में अडल्ट्रेशन बन्द हो गया है लेकिन एक आई. सी. एस. आफिसर ने यह बता दिया है। आपके लिए इससे बड़ी लज्जा की बात क्या हो सकती है। आप बैठे रहें हाथ पर हाथ धर कर। आपने जयपुर में अडल्ट्रेटेड मिल्क पकड़ा तो दूध की कीमत दुगुनी हो गई। दूध बाजार से गायब हो जाय। सारे राजस्थान में १५६ व्यापारियों को पकड़ने की कोशिश करें तो उनमें से सौ रुपये से ज्यादा किसी पर जुर्माना न हो। कृषि मंत्रीजी पंजाब में चाहे सजा नहीं हुई हो अडल्ट्रेशन करने वालों को, ब्लेक मार्केटिंग करने वालों को प्रोफिटियरिंग करने वालों को लेकिन उनका मुंह काला करके जिस प्रकार उनका जुलूस मण्डियों में निकाला गया उससे सारे पंजाब के लोगों का सीना दहल गया। एक आई. सी. एस. ने यह करके दिखा दिया और यही आई. सी. एस. आफिसर जब देहली का कमिश्नर था तब देहली में कीमतें कम नहीं कर सका। देहली में मजबूरी थी। क्यों नहीं कुछ कर सका, मुझे खेद से कहना पड़ता है कि इसलिए नहीं कर सका क्योंकि देहली नेताओं की नगरी है। इस आई. सी. एस. आफिसर की छाती पर सेठों और मोनोपोलिस्टों के दलाल बैठे रहते हैं। अगर कोई कदम उठाता तो नतीजा यह कि टेलीफोन पहुँच जाते थे कि छोड़ दो इसको और वही आज गवर्नर धर्मवीर है जिसने पंजाब में प्रोफिटियरिंग रोक दिया है। मैं नहीं कहता कि यह आई० सी० एस० की क्लास कोई बहुत अच्छी क्लास है, मुझे इस बात का खेद है कि ये गवर्नर और ये आई० सी० एस० की क्लास आज भी कायम हैं जिसे ब्रिटिश काल में कायम किया था, आज भी वह उसी रूप में कायम है। आज भी उसका स्लेबस वही है जो कि ब्रिटिश काल में बना था। तुमने अपने राज्य के इन १५ सालों के अन्दर भी आई० सी० एस० का स्लेबस बदला नहीं है, कोई चेंज नहीं किया है। जो एण्टी पीपुल की फौज अंग्रेजों ने घड़ी थी हिन्दुस्तान के अन्दर राज्य करने के लिए, आज भी वह उसी रूप में कायम है, आज भी उसी किस्म की एजूकेशन और उसी किस्म का उसका स्लेबस है, वही एण्टी पीपुल एटीटयूड है, आज भी उसको आम आदमी से नफरत है, आज भी उसको आम आदमी से बदबू आती है। इससे गई गुजरी बात कोई हो नहीं सकती। बड़ा दुख होता है इसे देखकर। लेकिन फिर भी यह सब कर दिया उस आई सी. एस. आफिसर ने और यह साबित कर दिया कि डेमोक्रेटिक सिस्टम कम्पलीटली फेल्योर है। वह ब्लैक मार्केटिंग को नहीं बन्द कर सकता है, वह प्रोफिटेरिंग को नहीं बन्द कर सकता है, न वह अडलट्रेशन को बन्द कर सकता है, न वह स्टॉकिस्टों को बन्द कर सकता है।

अन्त में मैं कहूँ, ऐ मुल्क को बेचने वालों ये कीमतें कम नहीं होंगी, ये कीमतें बढ़ेंगी। तुम अनाज नहीं दे सकोगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

बस एक दो मिनिट में ही खत्म करता हूं। तुम अनाज नहीं दे सकोगे क्योंकि अनाज देने के लिए जिन बुनियादी नीतियों की जरूरत है वह तुमने नहीं अपनाई हैं। बैंकों

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

का राष्ट्रीयकरण करते, बैंक जो एडवांस सट्टे के लिये देता है, बैंक जो एडवांस अनाज का सट्टा और अनाज का स्टॉक करने के लिए देता है उनको क्लोज क्यों नहीं करते । ३६ करोड़ की पूंजी है और २२०० करोड़ का बैंक बिजनेस करता है, स्टाकिंग करवाते हैं और अनाज का सट्टा करवाते हैं । कैसे बन्द कर दोगे ? फिर मुद्रा का प्रसार जारी है । रिजर्व बैंक ने एक के बाद दूसरी वार्निंग दी है । जो सौ रुपये के नोट दस पर्सेन्ट छपा करते थे आज वे दी स ाठ पर्सेन्ट सौ सौ के नोट छपते हैं । ३००० करोड़ से भी ज्यादा डेफिसिट फाईनेंसिंग आपका पहुँच चुका है । प्रोडक्शन निल है । भूमि--सुधार गायब हैं । इन्फ्लेशन, मुद्रा-प्रसार बढ़ता जा रहा है उसको प्रोडक्शन से काउन्टर कर सकते थे, लेकिन प्रोडक्शन, आत्म-निर्भरता और स्वदेशी से काउन्टर नहीं करके देश को लेजाकर ४८० के चौखटे पर डाल दिया है, अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है । यह आपकी बुनियादी नीतियों की गलती है । आज तक आवडी, भुवनेश्वर, और नागपुर और कई जगहों के कमिट-मेंट्स पड़े हैं । आपका नया चुनाव घोषणा-पत्र आगया है लेकिन उसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण गायब है, तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण गायब है, नाज का राष्ट्रीय व्यापार नही करना चाहते । जापान करता है । वहां पर कोई सोशियेलिस्ट या काम्युनिस्ट हुकूमत नहीं है । बर्मा करता है नाज का व्यापार, लेकिन वहां पर कोई कम्युनिस्ट हुकूमत नहीं है, लेकिन ये समाजवाद की दुहाई देने वालों, तुम्हारी मूलभूत नीतियें जनता और जन-विरोधी है जिसके कारण बढ़ी हुई कीमतों को आप नहीं रोक सकते । इसलिए आज जनता के लिए एक ही रास्ता रह गया है कि हरेक को कपड़ा, नाज और रोजी मिल सके इसके लिए तुम को जनता हटाये ।

श्रीमती सभानेत्री : (कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) ऐसे समय तो पूरा हो चुका है । मंत्री महोदय का उत्तर होना चाहिए ।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : हमारी पार्टी का तो समय ही नहीं मिला ।

श्रीमती सभानेत्री : वैसे समय तो हो चुका है लेकिन आप पांच पांच मिनिट बोलें । लेकिन मोहनलाल जी सारस्वत आप राजस्थानी में बोलिये ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मैं राजस्थानी में तो बोलूंगा पर आप राजस्थानी का पक्ष तो करती नहीं ।

सभानेत्री जी, दो पोथियां तथा एक टिप्पणी खाद्य स्थिति पर दो कागद मिल्या खाद्य मंत्री की तरफ स्यूं एक अकाल सहायता विभाग की तरफ स्यूं । दोनों को पूरो अध्ययन करयो, सभानेत्री जी और जिको स्थिति आ दोन्या स्टेटमेंट में आ जानकारी एक पोथी के रूप में और दूसरी स्टेटमेंट के रूप में मिली बीके सम्बन्ध में निवेदन करनो चाहूं हूं । खाद्य मंत्री जी, आज खास कोई खोटी-खरी कहणो रो बिचार कोनी । बीकी स्थिति आपके सामने रखनो चाहूं बीने आप कयां ही मानकर चालो निवेदन करणो आ है के म्हारो जिलो जीको चूरू जिलो है

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

राजस्थान री सारी बातां आपके सामने कही गई और राजस्थान में जिकी स्थिति राजस्थान सरकार द्वारा पैदा करी गई बिसी कोई अनभिज्ञ आदमी के द्वारा भी नहीं हो सके । आप लोगां अन्न के सम्बन्ध में जगां जगां कानून कायदा ई ढंग स्यूं बणाया वीसूं जनता ने हर तरह री तकलीफ रही । गंगानगर जिस्या जिल्या सूं गेहूं की ग्रांट लगा दी के दूसरी जगां नहीं जा सके । मैं आपस्यूं निवेदन करणो चाहूं हूं कि ६७ पइसा किल्लो का भाव हा, ६५ रिपया क्विन्टल कर लो । आप भाव बान्ध्यो गंगानगर जिला में गेहूं को बीं वखत वहां ६०-६२ में गेहूँ मिलतो हो । सभानेत्री जी मैं आपके द्वारा अरज करणो चाहूँ खाद्य मन्त्री स्यूं कि ६५ रो भाव बान्ध्यो बीं वखत में ८०-६० को भाव हो । तो ६५ रिपया का भाव रो अंकुश हटायो तो मैं निवेदन करूं कि ई राज में जद ६५ रिपया क्विन्टल गेहूँ रो भाव हो जद लोगों ने ६०-८५ रिप्या रे बीच में गेहूं मिलतो हो । गेहूं रा भाव जिका ८०-६० रिप्या क्विन्टल तक हा गंगानगर में तो १०० रिप्या क्विन्टल जिका है बीकानेर और चूरू में । आ स्थिति गेहूँ की रही । और ई के साथ साथ मैं निवेदन करणो चाहूं के ईसी स्थिति रही और नाज की भी ज्वार, चणा और दूसरी जिकी चीजां हैं चावल वगैरह, खैर चावल तो मोटा आदम्यां रे खाणे री चीज है आज कल, लेकिन चणा और मोठ री ईसी स्थिति आप लोगां ना समझो स्युं करी सूझबूज कम होने रे कारणा, तो खाद्यमंत्रीजी मैं आपस्यूं निवेदन करणो चाहूं कि सवा सेर का मोठ और सवा सेर का चणा जिका है बी म्हारा इलाका में बिक्या है । तो मैं अरज करूं कि ईसी स्थिति सामने आई कि म्हारा इलाका में दो दिन रो अन्न बाजार में नहीं हो और आपस्यूं और आपरा मुख्य मंत्रीजी स्यूं निवेदन कर्यो कि दो दिन के बाद जिकी है भूखमरी आ जायगी । मूं के निवेदन करूं आपने वे बीं पर कोई गौर नहीं कर्यो । किस्या किस्या कानून कायदा बनाया, नाथूरामजी । वीं पर मैं निवेदन करूंगो कि जिणा के सम्बन्ध में कोई बात चीत करी के टाबर जिका है वे इस्या नियम कानून नहीं बणावे । बाने भी एक बात रटाकर याद करा दी जाय तो वे बीं पे अटल तो रहे पर आप वीं पर जम्या नहीं रहया । किता कानून जारी कर दिया ? कित्ता एन० ओ० सी० जारी करके रोक दिया कठेई पचास प्रतिशत रो नियम कर दियो, कठेई चालीस रो नियम कर दियो और कठे ही सेन्टर रा नियम स्यूं आप नाज बाहर काढ दियो । मैं निवेदन करणो चाहूं समाज वाद प्रचार करणे वाला लोगां स्यूं जिका राज चला रिया है । वानें ईस्या ढंगस्यूं कानून कायदो काढ़यो के वहुत बड़ी लिस्ट आपके द्वारा तैयार करी वाने जिका जिका आदमी ब्लैक मार्केटिंग करयों स्मगलिंग कर्यो बीं लिस्ट को टाल के है ? जिका आदमियां पर १५-२० रिप्या जुरमाना कर्या बीं मैं फूड एडल्ट्रेशन वाला भी होगा वीं के ऊपर १०-२० रिप्या जुरमाना हुया और सरकार का वींके ऊपर हजारों रिप्या खरचो आयो । इत्ता बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट कायम किया....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभानेत्रीजी, कित्ती सुन्दर बात के कह

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

रह्यो हूँ आप देखो तो सही। इत्तो बड़ो खर्चा करके चालान पेश कर्या बीमें हजारों रिप्या खर्चो आयो बीमें १५–२० रिप्या जुरमानो हुयो। वां पे केस कियां की बात के लिए चलायो गयो कम से कम सेन्टर में जिका लोग है वाने मु :खाने जोगा रहां ब्लैकमार्केट जिका लोग करे है बांके खिलाफ के करे ? मौन रहे और के नी करे।

मैं निवेदन करणो चाहूं, खाद्य मन्त्रीजी आपका राज में ईस्या ईस्या काम हुया है के मोठ जिका है वे आप सवा सेर रा बिकाया है जद मोठां री कमी ही वीं मोठां री हजारों गाड़ियां री तादाद कठे जाकर लगाई हो, अजमेर शहर के आगे कुछ स्टेशन पर जाकर बी मोठ लदाया और वीं मोठां ने राजस्थान से बाहर भेजिया। राजस्थान से मोठ भेजिया बीं आदमियां री लंबी चौड़ी सूची दे राखी है मुकदमा चलाणवालों की। सवासेर का मोंठ बिकरया हा वे ही मोंठ आगे जाकर तीन पाव को यां १४ छटांक का बेचिया। थे को नवी बात कर दोगा। अजमेर का पैसावाला लोग बड़ा लोग भेजणवाला हा वे ले गया सवा सेर डेढ़ सेर का और आगे जाकर १४ छटांक का बेचिया वे लोग तो मौज करे है मलीदा खावे है। खाद्य मन्त्रीजी कानून कायदा बनावो तो थोड़ो दिमाग राखो, विचार करो। इत्ती जिम्मेदारी है। ई ढंगरो हिसाब नहीं होणो चाहिए। फोडर के रूप में बिकण वाला ई भाव बेचिया।

मैं क्या निवेदन करूं समानेत्री महोदया, सारी की सारी बात रतनगढ़ की नहीं चूरू जिले की कहदूं। चूरू जिले में नाज किण किस्म रो देवो हो उणरी कुछ शकल दिखावूं लो। आप केवो हो कि ८ किलो रे हिसाब सूं देवणरो इन्तजाम करियो हो लेकिन मैं दावे के साथ कहूँ हूँ कि नागौर री जनता रे वास्ते, जोधपुर री जनता रे वास्ते और जयपुर में रेवो हो इणवास्ते उठा की जनता ने तो जरूर नाज इण हिसाब सूं देवता होला पर म्हारे अठे तो आप इतनो नाज नहीं दियो ५ किलो मिलणरी जगा २–३ किलो सूं ज्यादा नहीं मिलियो।

कोर्स धान रे बारे में मैं केणो चाहूँ हूं कि कोर्स धान भेजियो उणारो बड़ी बिक्री हुई बार बार चेतावनी दी ३८) रे भाव री जवार ५०) क्विन्टल रे भाव सूं बिकी। राहत कार्य जठे चलाया उठे आप केवो हो कि ८ किलो अनाज दियो मैं निवेदन करणो चाहूं हूं कि ८ किलो री बात कही है वह झूंठी है देहातां में कत्तई नहीं मिलियो। फिर आगे जाकर कह्यो कि १४–१५ किलो अनाज दियो। मैं निवेदन करनो चाहूं हूं कि कुंभारामजी होता तो और बात चीत करतो कमलाजी भी दो तीन बार म्हारी तरफ गया हा, अगर उठे १४ किलो अनाज श्रमिकों ने मिलियो होवे तो थे मारे खिलाफ कार्यवाही करो नहीं तो थांरे खिलाफ कार्यवाही होणी चाहिए। आज तो इन्दिराजी री राज है आज तो थे गलत स्टेटमेंट दे दो तो वो भी सही मान्यो जावे है। १४ किलो देवणरी बात गलत है, ८ किलो देवणरी बात कही वा भी गलत है।

कुछ अनाज अमेरिका सूं पी. एल. ४८० की तहत दान के रूप में भिक्षावृत्ति के रूप में मिलियो उणरे बारे में

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

क्या निवेदन करूं, बीं अनाज ने खाकर पशु भी मर गया। थांरे तो खाद्य मन्त्रीजी और मुख्य मन्त्रीजी अंगूर री खेती है। कमलाजी थांरा भी करम खुल गया है, कुंभा रामजी रे बहुत बड़ी खेती है पर वे इण अनाज ने खाकर देखें तो पतो लागे। म्हारे अठारा मिनिस्टर वण्या बैठा है चंदनमलजी उणो ने दिखाया कि ५०० बोरी अनाज सड़ियो पड़ियो है चंदनमलजी बोलिया कि पाबन्दी लगावो वो ५०० बोरी अनाज विकेला। थांरों कलेक्टर उठे मौजूद, एस. डी. ओ. मौजूद, आजकल सुखाड़ियाजीरो मेहरबान हो रयो है चंदनमलजी वे भी मौजूद वे सब जिणा वो सड़यो अनाज बिकायो। इणारो नमूनो मैं लायो हूँ ओ देखलो (नमूना पेश करते हैं)।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

अब सभानेत्रीजी ताकीद कर रया है नहीं तो मैं और घंटा भर बोलतो।

श्रीमती सभानेत्रीजी : आप सारी रात बोल सको हो पर मेहरबानी करो।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आ नाजरी स्थिति हो रही है, पशु और जानवर नहीं खावे वैसो अनाज जनता ने खिलावे हैं बीं ढंगरी स्थिति चूरू जिला की हो रही है। मैं तो दुर्भाग्य सूं इस्यो आदमी हूं जो इण तरफ बैठो हूँ नहीं तो कुछ आदमी मोहरसिंह जिस्या ब्लेक मेल करके कांग्रेस में बड़ गया लेकिन मैं थांरी छाती पर मूंग दलणने रह गयो हूँ। यदि दूसरा साथी होवे तो मारा खड़ा हो जावे इण में संदेह री बात नहीं।

कमला बहिनजी धीरज राखो थाँरांसूं भी बात करनी चाहूँ हूँ। ये बड़ी लम्बी चौड़ी पुस्तिका लिखी उणमे अकालरा आइटम दिया है। अनाज वाले काम में तो खाद्य मन्त्रीजी पूरा फेल हुआ। आपसूं निवेदन करणो चाहूं हूं। देश में पंचवर्षीय योजना चौथे स्तर पर जा रही है। चौथी योजना में बड़ा बड़ा काम करणरी बात दिखाई, किसानाँ रो भला चावो हो, अच्छी स्थिति बनालेवोला लेकिन थांरा करम किसाक है? थाँरी कथनी और करनी में सौ प्रतिशत अंतर है सौ पर्सेन्ट रो फर्क है! एक पाई-सारी तो तकावी ये लोगों ने देवो नहीं और यदि देवो भी तो थांरा ऐसा गुर्गा बैठा है जो ५० प्रतिशत तो ऊपर रा ऊपर ठोक जावे। उणरे साथ साथ कोऑपरेटिव ने काम देवो तो चोरां री मण्डली है कोइ काम नहीं करे। मैं निवेदन करणो चाहूं हूँ कि म्हारे उठे ३० या ५० कोऑपरेटिव होवेला उणमें सूं कोई ऐसी नहीं है जिणरा कार्यकर्त्ता १०६ दफा में नहीं पकड़िया जावे। पंचायत समितियां कुछ लोन दिलावे, कूवोंरे वास्ते और दूसरे काम रे वास्ते जो पैसा मिले उणसूं एक पैसा रो काम नहीं हुओ। किसान भोला भाला जो तकावी या लोन ले गया वे चाय पानी में खतम कर दिया। कुछ नेता लोग ले गया वे दूसरे कामों में खतम कर दिया। खाद्य मन्त्रीजी मैं निवेदन करणो चाहूं हूं कि कतरा दिन ओ राज्य चलावोला? दुनियारे साथ इण तरह री स्थिति करके आप बैठा हो भलो आदमी तो एक दिन भी खाद्य मन्त्री री जगह पर नहीं रेवे....

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

महाराणी साहबा मैं बहुत जरूरी बात कह रयो हूं। कोटा में ज्वार ३८) ४०)

Page No. 107

(श्री मोहनलाल सारस्वत)

क्विन्टल विक रही है वा म्हारले अठे ५०) रे भाव सूं बिके। खाद्य मन्त्रीजी अब तो लाखों रुपया हो गया, अंगूर री खेती हो गई तो जनता री तरफ ध्यान दो। बहुत उम्र हो गई है अब तो ढंगरे साथ काम करो थांरी देख रेख में इण तरे रो काम नहीं होणो चाहिये। इन्द्राजी शायद कान में बता दियो है शायद मुख्य मन्त्रीजो रो चांस आपने दे। समाजवाद करणो होवे तो लक्खण पकड़ो तो थारी कामयाबी हो जावे।

मैं केवणो चाऊं हूं बहिनजी किताब तो लम्बी लिखी, आंकड़ा दिया फेमिन में देश सेवा रा काम किया। राजस्थान में २ करोड़ आदमी हैं उणमों सूं लाखों आदमी फेमिन सूं इफेक्टेड हा। २४ जिलों में से कुछ जिलों में ही अकाल री छाया नहीं पड़ी बाकी करोब ५५ लाख आदमी उणोंरे वास्ते बहिनजी जिता रुपया थांने वेरो है के आधा परदा ही लागया। थांने उदाहरण बताऊं म्हारे अठे जिला राहत कमेटी री मीटिंग में आप पधारिया हा। म्हारे अठारो प्रधान किशनाराम आपन कही कि रतनगढ़ तहसील रा २१ गांव अकालग्रस्त घोषित करो, बाद में आप करिया भी आपरी इण किताब में वीं २१ गांवों री सूची दीवी है। फेमिन की के स्थिति रही वीं रे सम्बन्ध में मैं कहणो चाहूँ। म्हारे वठे ८४ गांव है, जी में सूं करीब करीब साठ-सत्तर गांव फेमिन सूं प्रभावित हा। वीं में सूं इक्कीस गांव थे फेमिन-ग्रस्त गांवा में लिया। यो थे क्यों कियो? वो ईं वास्ते कियो कि अठे मोहनलाल सारस्वत बैठ्यो है जो रोजाना थांरे ऊपर डंडो राखे है-इण वास्ते वा इक्कीस गांव फेमिन में राख्या। पण बीं गांवां की गति कांई हुई वो थाने अर्ज करूं। म्हारे अठे न तो अनाज बांट्यो, न फेमिन का काम चालू कर्या। आज थे जो मोटी सारी लिस्ट दी है वीं सूं थांकी कलई खुलगी है। थाँरे वठे मथुरादास जी माथुर के अठे काम हुओ, फूलचन्द जी रे अठे काम हुओ और रावतराम जी रे वठे काम हुओ। ई तरह काम थे करो हो क्योंकि ये थारी पार्टी में बैठ्या है, थांरा कान खींच सके है चार वार। मोहनलाल रे वास्ते तो टेडी नजर राखो थे नाथूराम जी, मने थे टेडी नजर सूं देखो हो, मैं थाँकी कांई खरी खोटी करी। इसी समाजवादी रचना थे करो हो। ये ही थारी समाजवादी रचना है? क्यों नाथूराम जी, मैं कोई गलत बात कही तो आप फर्मा देओ....

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो गलती उमर में कभी कर ही न सको। लेकिन नियम रो ख्याल तो राखनो चाहिजे।

श्री मोहनलाल सारस्वत : आप ही टाइम को ख्याल राख लो। मैं राजस्थान में समाजवाद री रचना री चर्चा री बात सुना रह्यो हूँ। मैं आ बात अर्ज करूं, वठे जो किशनाराम जी प्रधान है, वठै एक सड़क लसड़ासर सूं गोड्या बणाणी ही। वा सड़क थाने बणाणी ही। पण बहिन जी उत्तर दियो, यह तो पार्टीबाजी रो खेल है, पार्टी थारे अठे सड़क बणावा में भी होवे है। मूं निवेदन करूं, बहिन जी, अब थे थारो-म्हारो री बात छोड़ो....

श्रीमती कमला बेनीवाल : इतनो भूंठ ना बोलो।

श्री मोहनलाल सारस्वत : इतनी हेकड़ी कोई ठीक नहीं होवे है। चीफ मिनिस्टर और थे सारा मिनिस्टर भी म्हारे खिलाफ हो जाओ तो म्हारो कुछ न बिगड़ सके है। सब समाप्त हो जायेला पण मोहनलाल सारस्वत जीवित मिलेलो। आप म्हारे साथ ही इसी बात करो हो। मैं थारा दूसरा एक नेता रो उदाहरण देर कह सकूं कि बीस साल तक वां सूं राड़ करके भी मूं हट्टो-कट्टो बैठ्यो हूं। मैं निवेदन करणो चाहूँ, ई ढंग सूं आप अन्याय और अत्याचार ई देश के साथ कर रह्या हो ई वातां सूं देश में बेहवूदी आवा वाली बात नहीं है। आप लम्बा चौड़ा व्याख्यान भले ही देओ, भले ही बड़ी बड़ी टिप्पणियां भेजो, किताब भेजो लेकिन थांरो असली रूप यो ही है कि थे भाई भतीजावाद फैला रह्या हो, करप्शन और भ्रष्टाचार ई देश में फैला रह्या हो और राजस्थान री डेढ़ दो करोड़ जनता रो गलो काट रह्या हो। थारा जिसा, ई का जिसा ई गवर्नमेंट में बैठ्या है जद ही देश में अनाज की या विषम स्थिति आई है। म्हारे बठे तो रामजी बरस गया। नाथूरामजी रे हाथ में इसी स्थिति होती कि आधा सेर रो भी नाज नहीं मिलतो। राम जी देख्यो कि ई पापियां रे राज में इसो मौको करा दियो तो ये जनता ने मार देयला। ई तरह थे काम चलायो है और जो समाजवादी रचना हुई वी की तरफ थे ध्यान मती न दो। अब थे एन्फोर्समेंट री बात सुणो....

श्रीमती सभानेत्री : मैं अर्ज करूं अब आप विराज जाओ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : यह एन्फोर्समेंट ऑफिसर कमीशन खावे है सौ, पचास पच्चीस जो भी मिले वो खोस सके है। यह व्यवस्था थे चलाई हो, ई को उदाहरण मैं देऊं कि लम्बी चौड़ी फीस लगा राखी है वो फीस वह कमावे और चोरी छिपे काम चाल रह्यो है। झाला साहब ! थे अठे बैठ्या हो। मैं निवेदन करणों चाहूँ कि म्हारा आदमियां रो तो राम निकल गयो, थे ही कुछ करो। आज एन्फोर्समेंट ऑफिसर रोजाना पांच सौ, हजार रुपया कमार ले जावे है। झाला साहब, ई में हंसणे री बात नहीं है। यह म्हारा लोग तो हंस सके है थे तो म्हारे साथ रहो, थे ही कुछ करो। मैं निवेदन करणो चाहूं, आ तो भ्रष्टाचारी सरकार है, ई ने ठीक करणे को कोई उपाय हो सके है तो थे आई. ए. एस. ऑफिसर ही कर सको हो, ई सरकार रो तो बेड़ो गर्क हो गयो थे ही कोई उपाय करो।

एक माननीय सदस्य : हार्ट फेल हो जायगा शांति रखें।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदया....

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बिराजो।

श्रीमती सभानेत्री : मैं कह चुकी हूं कि सब पार्टियों को काफी वक्त दिया जा चुका है।

श्री श्रवणलाल : वह सब ठीक है लेकिन पाँच मिनिट केवल दे दिये जायं।

श्रीमती सभानेत्री : अब समय नहीं दिया जा सकता।

श्री श्रवणलाल : आपने कह दिया था कि पांच मिनिट के अन्दर सब बोल लें।

श्रीमती सभानेत्री : काफी सदस्य इस पर बोल चुके हैं। अब समय नहीं दिया जायगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : अगर पांच पांच मिनिट का समय दे दिया जाय तो हम संतोष कर लेंगे।

श्री श्रवणलाल : पांच पांच मिनिट और दे दीजिए।

श्रीमती सभानेत्री : सवाल यह होता है ...

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने व्यवस्था दे दी है।

श्रीमती सभानेत्री : पांच मिनिट होने पर बार बार घण्टी बजने के बाद भी बैठते नहीं हैं। आप पांच मिनिट में समाप्त करने का वायदा करें तो मैं समय दे सकती हूं।

श्री श्रवणलाल : सभानेत्री महोदया, माननीय सदस्य सभी अपने अपने विचार इस खाद्य समस्या पर रख चुके हैं। समय के अभाव के कारण मैं ज्यादा आंकड़ेबाजी में नहीं फसूंगा। मैं माननीय मन्त्रीजी का ध्यान डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर की तरफ दिलाने की कोशिश करूंगा। मैं तो जब इस जिले के बारे में विचार करता हूँ तो इसे सबसे ज्यादा भाग्यशाली इस बात के लिए समझता हूं कि कई सालों से लगातार हमारे यहां भगवान की अच्छी कृपा रहने के कारण इस अकाल की समस्या का हमको सामना नहीं करना पड़ा है। लेकिन कुछ मन्त्रियों के वहां चरण कमल पड़ने से जो अभाव और पीड़ा दूसरी जगहों पर थी वह अब हमारे यहां भी उत्पन्न हो गई है। हमने इस सदन में गत साल भी इस प्रश्न को लेकर जोर से इस विचार को रखा था कि हमारे यहां भी अकाल की समस्या है, वहां के लोग भी अकाल से पीड़ित हैं लेकिन माननीय मन्त्री महोदय ने उस जिले को एक निर्भीक जिला समझ कर किसी प्रकार की कोई चिन्ता न करते हुए वहां कोई राहत के कार्य प्रारम्भ नहीं किए। इसके साथ साथ गत साल वहां जब अकाल की भयंकर हालत पैदा हो गई तो वहां चारे के अभाव के कारण मवेशी मरना शुरु हो गए थे तब वहां की चार छः तहसीलों को अकालग्रस्त घोषित कर दिया गया था। सभानेत्री महोदया, सवाल इस बात का है कि जब जहां अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है वहां उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। और उस जिले की जिन तहसीलों को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया था उन तहसीलों में किसी प्रकार का कोई राहत का कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया गया। और तकलीफों को दूर करना तो दूर रहा वहां जो पीने के पानी की व्यवस्था करने का काम था, जो वहां के लोगों को छः मील दस मील जाकर पानी लाना पड़ता था, उसके लिए भी यह सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। यही नहीं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वहां मवेशियों की संख्या ४ लाख ५१ हजार है, उनकी इस बड़ी संख्या को देखते हुए भी वहां चारे का एक भी डिपो नहीं खोला और लोगों के लिए कोई राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किये। जिससे कि लोगों को और मवेशियों को, जो मर रहे थे बचाया जा सके। वहां की इन तहसीलों में करीब पौने तीन लाख की संख्या है उसके

(श्री श्रवणलाल)

लिए कोई राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किये। इससे वहां के गरीब मजदूर, और वहां रहने वाले गरीब किसान - जो मजदूर रोजाना की कमाई करके अपना पेट भरा करते थे, उन सबके सामने ऐसी समस्या पैदा हो गई कि वह अपने बच्चों को पालने के लिए दर दर भीख मांगने लगे। सभानेत्री महोदया, इसके साथ साथ क्या होता है कि पूरे जिले में, जिसमें कि करीब आठ लाख की जन संख्या है, इन्होंने सिर्फ २१ दुकानें खोल दी थीं जहां इम्पोर्टेड व्हीट मिलता था। हमारा निवेदन था कि जिस प्रकार शहरों में यह दुकानें होती हैं उसी तरह से विलेजेज में भी यह दुकानें हों हम सबकी बराबरी की बात की मांग करते हैं, और हम यह चाहते हैं कि जो गेहूं दिया जा रहा है वह विलेजेज में भी पहुंचाया जाय जिससे उन गरीब लोगों को थोड़ी सी राहत मिल सके। लेकिन हमारी यह सरकार तो कानों में रुई डाले हुए ऐसी गहरी नींद सोई हुई है कि हमारे इस जिले की ओर इसका ध्यान ही नहीं जा रहा है। इसके साथ साथ सभानेत्री महोदया, हमारे जिले के अन्दर क्या होता है कि किसी प्रकार से कोई करप्टेड व्यक्ति पकडा जाता है या अन्य प्रकार का कोई व्यक्ति पकड़ लिया जाता है अनाज के व्यापार के सम्बन्ध में या अन्य किसी जुर्म में तो उसके लिए उसको किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाता है और वैसे ही छोड़ दिया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपके सामने मिसाल के तौर पर निवेदन करूं कि १५ लाख मन चांवल गंगापुर के अन्दर सील किया था और उसी तरह से उदयपुर में भी सील किया था। लेकिन उदयपुर के अन्दर जो चांवल सील किया था उसको तो छोड़ दिया जाता है लेकिन गंगापुर के अन्दर जो चांवल सील किया गया है वह आज तक नहीं छोड़ा गया है और सील किया हुआ चांवल सड़ रहा है। इसके बाद में उन व्यक्तियों ने हाई कोर्ट में जाकर अपील की तो उस अपील को वापिस लेने को इस आधार पर बाध्य किया गया है कि जो तुम्हारा चांवल सील किया गया है, वह जिस प्रकार उदयपुर में छोड़ दिया गया है उसी प्रकार छोड़ दिया जायगा। समझ में नहीं आता, यह मालूम नहीं होता कि उदयपुर में सील किया हुआ चांवल तो छोड़ दिया जाता है लेकिन गंगापुर में सील किया हुआ चांवल आज तक नहीं छोड़ा जाता है-इसका कारण क्या है? इस तरह का दुहरा व्यवहार क्यों किया जाता है? इस तरह की पक्षपात की नीति क्यों अपनाई जाती है? इसके साथ साथ झालावाड़ जिले से तो मक्का खरीदी जाती है, वह थोड़ी बहुत नहीं खरीदी जाती है, वह खरीदी जाती है सात लाख रुपये की, और सात लाख रुपये की मक्का जो ३६ रुपये के भाव से खरीदी जाती है उसको ले जाकर इन खाद्य मंत्री महोदय ने बिहार के अन्दर ७१–७२ रुपये क्विन्टल के हिसाब से बेच दिया।

मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या यह मुनाफा नहीं है। यह सरकार कहती है कि मुनाफा खोरी उचित नहीं है तो फिर यह क्या है....

श्री जयनारायण सालोदिया : यह मुनाफा खोरी नहीं है यह तो काला बाजारी है।

श्री श्रवणलाल : आपने जिस मक्का को ३६) रु० के भाव से खरीदा था उसको बिहार में आपने ७२) रु० के भाव से बेचा है। आप कहते हैं कि जय जवान और जय किसान। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने किसानों के लिये क्या किया है और क्या कर रहे हैं। आज आप देखेंगे कि पंचायत समितियों में वे लोग महीनों तक चक्कर लगाते हैं। किसानों को लकड़ी की हल के लिये जरूरत पड़ती है तो जंगल में से वह लकड़ी उनको प्राप्त नहीं हो सकती। वहां होता क्या है, उनको जंगलात से अपने हल के लिये लकड़ी लाने की इजाजत नहीं होती। वह किसान आज हल के लिये, जमीन जोतने के लिये लकड़ी तक नहीं ले सकता है। किसानों को यह भी सुविधा नहीं। हमारे जिले में सबसे ज्यादा कुओं की संख्या है और वहां पर पानी अधिक है। वहां पर बिजली भी पहुंच चुकी है परन्तु किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। किसान बिजली मांगते है, उनको बिजली नहीं दी जाती है। इसका कारण यह है कि वहां से विरोधी जीत कर आता है। और वहां पर विरोधियों का गढ़ बना हुआ है। उसको खतम करने का यही एक तरीका है कि वहां के लोगों को परेशान किया जावे। उनको तकावी नहीं दी जावे। वहां पर कोई कार्य नहीं किया जावे। वहां पर पीने के पानी की समस्या है जिसके लिये कई साल से मैं कहता आ रहा हूं वह समस्या भी हल नहीं की जा रही है। अगर आप उनकी समस्याओं का निराकरण कर देते हैं तो हो सकता है कि हमको फिर से वहां पर मात खानी पड़े। आपने यह पक्षपात और मनमानी की नीति अपनाई है और आपने भाई, बेटे और कुटुम्बियों की नीति अपना रखी है मगर मैं यह कहूंगा कि आपकी इस नीति को अब जनता समझ चुकी है।

आप कहते हैं कि इम्पोर्टेड वीट हमने मंगा लिया है और उनको वितरण करने के लिये प्रयत्नशील हैं। मगर खास प्रश्न यह है कि जिस समय फसल का समय आता है तो उनको खाद नहीं मिलती है और जब बोने का समय आता है तो उनको बीज नहीं मिलता है। वे लोग इसके लिये पंचायत समितियों के सामने लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। उनको समय पर बीज और समय पर खाद नहीं मिलता है। उनको समय पर पानी भी नहीं दिया जाता है। इसके अलावा दूसरे लोगों को आप तकावी देते हैं मगर यहां पर आप किसी प्रकार की तकावी उनको नहीं देते हैं।

आपने इस पत्रिका में बताया है कि हमने ६८ क्विन्टल अपाहिजों को वितरण किया है। मैं खाद्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस जिले में कौनसी तहसील में अपाहिजों को दिया है। यह तो आपकी कागजी कार्यवाही है जिसको आप हमेशा सदन में प्रस्तुत करते आये हैं। उसके परिणाम क्या हुए है यह केवल आपके कागजों में मिल सकते हैं मगर जमीन पर जाकर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता है और वह निल मिलेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जिला परिषद की बैठक हुई उसमें ओवरसीयर के बारे में कहा कि हमारे यहां ऐसे मसले चल रहे है कि सार्वजनिक निर्माण के कार्य होते

(श्री श्रवणलाल)

है उसमें गड़बड़ी होती है और वे झूठे सर्टि-फिकेट प्राप्त करके देते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपके यहां पर कागजों में दिखा देते हैं कि आंकड़ों के अनुसार इतना उत्पादन बढ़ा है। इतनी हमने लोगों को सहायता दी, इतनी अन्य प्रकार की सहायता दी गई। इतनी जमीन लोगों को अलॉट की। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार ने कितनी जमीन लोगों को अलॉट की। आप कहते हैं कि हमने लाखों आदमियों को जमीन अलॉट कर दी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक मिनिट में समाप्त करता हूं।

मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि एक साल पहले या दो साल पहले या तीन साल पहले आपने जिन लोगों को जमीन अलॉट की, क्या उनको आपने अभी तक कब्जा दे दिया है? मैं कहूंगा कि अभी तक आपने उनको कब्जा नहीं दिया है। उनको उन जमीनों का कब्जा नहीं मिल पाया है और वे बेचारे उसके लिए इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। ओफिसेज में वे इधर से उधर परेड कर रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं। अभी तक उनको जमीन नहीं मिली है। वह जमीन अभी तक कागजों में ही है जो आपका एक ढोंग है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनको जमीन नहीं मिलती और वे चक्कर लगाते रहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

किसी प्रकार की योजना के द्वारा वहां पर कोई कार्य नहीं होते हैं। उनको पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता। जलाने को लकड़ी नहीं मिलती है और आप कहते हैं कि हम प्रगतिशील हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप नाथूरामजी साहब उनको अंगूर खिलाने की योजना बना रहे हैं। मैं कहूंगा कि उनको आप अंगूर को छोडिये अनाज ही दिलाइये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो अच्छे लक्खण सीखें नये नये में क्यों पड रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथहांडा : आप बाग में ले जाकर अंगूर खिला दें।

श्री श्रवणलाल : मैंने पेपर में पढ़ा था कि उत्तरप्रदेश के मन्त्री खाद्य संकट को दूर करने के लिए चूहे खाने की योजना बना रहे हैं। मुझे दुख हो रहा है कि हमारे मुख्य मन्त्री भी कहीं जनता को चूहे खिलाने की योजना न बनालें।

श्री मोहनलाल सारस्वत : सभानेत्रीजो, ऐसी स्थिति है कि खाद्य तो मिलेगा या नहीं अब यहां पर केन्टीन चलाते हैं उसमें खाने को क्या मिलता है? खाने को मोगर भी नहीं मिलता है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ६॥ बजे हैं में चाय का पानी भी नहीं है। अगर केन्टीन परमिट नहीं है तो उनको परमिट दिला दें।

एक माननीय सदस्य : आप बीमार हो जावेंगे।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप मन्त्री अकाल सहायता) : सभानेत्री महोदया, सदन में कुछ माननीय सदस्यों ने अकाल राहत कार्य के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किये। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान में सन् १९६५—६६ में जो अकाल पड़ा वह व्यापक और कठिनाई पूर्ण था। इसकी व्यापकता के बारे में आप स्वयं भी जानते हैं। वैसे तो एक आध साल ही ऐसा गुजरा होगा जिसमें अकाल की छाया नहीं पड़ी हो। वैसे आम तौर से सभी सालों में अकाल पड़ता रहा किसी न किसी साल में कहीं न कहीं। लेकिन ६५-६६ में भीषण और विस्तृत छाया अकाल की पडी। यह उसी से स्पष्ट है कि २४ जिलों में ५५ लाख की आबादी को अकाल ने प्रभावित किया। इतना बडा और कष्टपूर्ण इनको कष्टपूर्ण इसलिये कहती हूं कि बराबर तीन सालों से अधिकतर इन इलाकों में अकाल चला आ रहा है और इस बार जो अकाल पडा वह चौथे वर्ष में गुजर रहा है इसलिये मवेशियों और मनुष्यों की दृष्टि से और फसल की दृष्टि से भी यह दुखदायी समय निकला। इतना व्यापक और भयंकर स्थिति को महसूस करते हुए यह विचार किया गया कि इसका व्यापक पैमाने पर मुकाबला किया जावे और व्यापक पैमाने पर व्यवस्था करना जरूरी है। हर साल अकाल पड़ता है तो राहत कार्य सरकार द्वारा किये जाते हैं। इस वर्ष यह सोचा गया कि जब राजस्थान सरकार राहत कार्यों पर करोड़ों रुपया खर्च करती है तो कम से कम इस धन राशि को ज्यादा से ज्यादा उपयोगी अर्थात् उत्पादन कार्यों में लगा सकें उसकी व्यवस्था की जावे।

और इसके लिये यह विशेष तौर से सोचा गया कि राहत कार्य चलायें उसमें ज्यादा से ज्यादा तालाबों को, बांधों को और भू संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता दें। जिन इलाकों में तालाबों और बांधों की संभावनाएं अधिक पाई गई वहां प्रथम स्थानों में तालाबों और बांधों को लिया गया, जहां तालाबों और बांधों को बनाने की संभावनाएं नहीं थीं वहां भू संरक्षण कार्य लिया गया। जहां भू संरक्षण कार्य की संभावना नहीं होने से यह कार्य नहीं लिया जा सकता है वहां सड़कों का कार्य लिया जाय पर वे सड़क कार्य भी वे होने चाहियें जो योजनाओं में स्वीकृत कार्य है अथवा जो २० साला सड़क योजना बनी है, उसीमें से हो। इसमें नेशनल हाईवे हैं, स्टेट रोड्स, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स या आर्डीनरी डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं, उनको लिया जाय जिससे आने वाले समय में उन योजना कार्यों को निहित योजना में रख कर लाभ उठाया जा सके। इस बात को ध्यान में रख कर राज्य सरकार ने कार्य शुरू किये और जो व्यवस्था की उसके ऊपर ६५-६६ के वर्ष में करीब १ करोड़ ३१ लाख रु० खर्च हुए, जिसमें राहत कार्य, चारा पानी आदि की व्यवस्था भी दी गई। ६६-६७ के वर्ष में ५ करोड़ ७७ लाख रुपया खर्च हुआ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : ६६-६७ को साल तो चालू रखो है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : यही तो मैंने कहा कि ६६-६७ के वर्ष में ५ करोड़ ७७ लाख रुपया खर्च किया गया।

इस सारे खर्च के अन्दर सड़कें, भू संरक्षण के कार्य, तालावों के बांधों के कार्य किये गये, अनाज की व्यवस्था में खर्चा किया गया, चारे की व्यवस्था में खर्चा किया गया, पानी की व्यवस्था में खर्चा किया गया और जितनी व्यवस्था इसके अन्दर तकावी आदि की करनी पड़ी वह इसमें शामिल है। तालावों का कार्य खास तौर से लिया गया, आम तौर से कोशिश की कि जहां सर्वे हो चुकी है वहां तालावों के कार्य तुरन्त शुरू किये जायं, जहां सर्वे नहीं हुई है वहां जल्दी से जल्दी सर्वे करा के टेक अप किया जा सकता है तो उनको टेक अप करने में किसी इलाके में कमी नहीं रखी। किसी इलाके में रह गये हैं तो वह सर्वे के अभाव में, एस्टीमेट्स की कमी से या जो तकनीकी दृष्टि से बिल्कुल ही साउन्ड नहीं थे, या नजदीक में किसी का कैचमेंट एरिया है और तालाव बनाना सही नहीं समझते तो उनको नहीं लिया गया।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मैं एक बात पूछना चाहता हूं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : आप बीच में नहीं पूछें, बाद में पूछें।

श्री मोहनलाल सारस्वत : बांधों की बात चल रही है इसलिए मेरा निवेदन है कि सरदारशहर में पातलीसर गांव है, जहां सर्वे हुए एक साल हो गया। ७००० रु० एक धनी आदमी देने को तैयार हो गया, फेमीन रिलीफ कमेटी में आप वहां विराजमान थीं तो कहा कि ७ हजार रुपया ये दे रहे हैं, बाकी रुपया गवर्नमेंट से दिला कर कह कार्य करा दिया जाय, वह काम उस गांव का अभी तक नहीं हुआ है।

श्रीमती सभानेत्री : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगी कि जो प्रश्न पूछना हो बाद में पूछें क्योंकि बीच में टोकने से विचारधारा टूट जाती है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सदस्य को जवाब दे दूं। आपको भी पता है और मुझे भी पता है। उसने ७ हजार रुपया ऑफर किया मैं ७ हजार रुपया देने को तैयार हूं, उसके तुरन्त बाद ही हमने भी राज्य सरकार से रुपया देने की स्वीकृति दे दी। वह नहीं बना है तो जिसने ऑफर की थी ७ हजार देने की उसने ७ हजार रुपया नहीं दिया होगा इस वजह से वह पड़ा होगा।

श्री मोहनलाल सारस्वत : मैं निवेदन करना चाहता हूं।....

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं बीच में जवाब नहीं देना चाहती।

यह पहली दफा इतने विस्तृत पैमाने पर कृषि सम्बन्धी कार्यों को टेक अप किया और इसके अन्तर्गत ७३३ के लगभग बांधों पर कार्य किया गया, कहीं पुराने थे उनकी मरम्मत करवाई, कहीं नये बनवाये, भू संरक्षण के कार्य ३८ गांवों में टेक अप किये और

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

अच्छी तरह से काम हुआ, सड़क २७७३ मील के करीब ली गई, जिसमें से १७०५ के ऊपर ग्रेवल बिछाई जा चुकी है। कुछ बाकी और है, पर उसका भी कारण है। आम तौर पर ग्रेवल पड़ती है वह डिस्टेन्स से लानी पड़ती है, बिछाने के लिए अच्छी ग्रेवल पास में होती है तो उसी वक्त ग्रेवल बिछा दी जाती है, कहीं सख्त होती है तो उसको बिछाने के लिये पानी की जरूरत पड़ती है, उसके अभाव में नहीं किया जा सकता है। कुछ जगह नेग्लिजेंस भी हुई है, पर इस बात की कोशिश की गई कि योजना की सड़कें ली जायं, ज्यादा से ज्यादा लम्बाई में ग्रेवल की जाय जिससे कि आंधी, पानी से सड़कें खराब नहीं हों और राज्य का पैसा व्यर्थ नहीं जाय।

इन कामों पर ४ लाख मजदूर काम पर लगे हुए थे, इन मजदूरों को राहत कार्यों पर काम देने की राज्य सरकार ने पूरी चेष्टा की है। कुछ माननीय सदस्यों को आपत्ति रही है कि कुछ इलाकों में ज्यादा काम हुआ है, ज्यादा पैसा खर्च हुआ है और कुछ में कम हुआ है और उन्होंने पूछा कि कुछ इलाकों में कम क्यों हुआ है। मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहती हूं कि इस विभाग का ही एक रेकर्ड रहा है कि किसी इलाके के हिसाब से, किसी पार्टी के हिसाब से अथवा लाइक या डिस्लाइक के हिसाब से काम नहीं हुआ, बिना किसी भेद-भाव के राहत कार्य किये गये हैं, राहत कार्यों के ऊपर किसी भी एरिया का आदमी आया है चाहे अभावग्रस्त अथवा गैर अभावग्रस्त क्षेत्र का हो, तो उसको मजदूरी दी गई है और सबको राहत पहुंचाई गई है।

श्री मोहनलाल सारस्वत : सिवाय रतनगढ़ के।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जहां इतनी ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हुई वहां लेबर ज्यादा टर्न अप नहीं हो सका इसलिये खर्चा कम हुआ। तो जो आपके दिमाग में शंका है, आपको आंकड़ों से शंका नहीं बनानी चाहिये कि किसी क्षेत्र या विशेष रियायत के आधार पर यह कार्य किया गया है।

अनाज की कमी आपकी नजरों में गावों की और कुछ रही, इसमें ट्रान्सपोर्ट की दिक्कत का कारण हो सकता है, अनाज की कम अवेलेबिलिटी का कारण हो सकता है, कुछ और भी कारण हो सकता है, जिनको मैं नहीं जानती आप अधिक जानते हैं पर यह कोशिश की गई कि नान लेबर पोपुलेशन है उसको बराबर ८ किलो और लेबर पोपुलेशन को १० किलो दिया जाय, बाद में १५ किलो किया, वह वह अनाज मिलता रहा। सारस्वतजी ने बड़े जोरों से शिकायत की कि न तो निर्धारित मात्रा में और न निर्धारित मूल्य पर अनाज दिया जा सका। बहुत अंशों में यह बात सही है। मैं देखकर आई हूं, मैंने लिखा भी है, जांच पड़ताल जारी है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित भाव पर अनाज क्यों नहीं मिला।

आम तौर पर राहत कार्यों पर लेबर गया उसको अनाज की दिक्कत नहीं थी, गांवों के आदमियों को परेशानी हुई है, लेबर को कतई परेशानी नहीं हो पाये इसका पूरा ध्यान रखा गया, जिन लोगों को परेशानी हुई है वह अनाज की उपलब्धि में कमी के

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

कारण भी हुई है। कभी कोर्स ग्रेन आ जाता था तो गेहूं नहीं आता था, गेहूँ आ जाता था तो कोर्स ग्रेन नहीं आता था, इसलिए सात, तीन और तीन पांच के हिसाब से जो बांटना था वह नहीं हो सका। पर यह कोशिश की कि सब जगह चीप ग्रेन शॉप्स हों लगभग, ३५०० चीप ग्रेन शॉप्स इन इलाकों में खोली गई और लोगों को राहत देने की कोशिश की गई।

चारे के बारे में मैं निवेदन कर दूं कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट के पास चार, पांच लाख मन चारा था, ३२ हजार क्विन्टल के लगभग चारा गुजरात से मंगाया गया। जहां जहां जिस जिले के लिए महसूस किया गया कि बाहर के चारे की जरूरत है, लोकल चारा अवेलेबल नहीं है. वहां चारे की आम तौर पर हमने व्यवस्था की और फोडर डिपोज के जरिए हर इलाके के अन्दर मवेशियों को बचाने के लिए कोशिश की गई और साथ में जो सब्सीडाइज्ड एड का चारा दिया गया, उसके अलावा फोडर की तकावी कैटिल ब्रीडर्स को दी गई जिससे वे चारा खरीदकर मवेशियों का संरक्षण कर सकें लेकिन फिर भी जैसे बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचारों में प्रकट किया, जैसलमेर के अन्दर बहुत मवेशी मर गए। उन्होंने प्रेस में भी वक्तव्य दिया और सदन में भी कहा। उस बारे में विभाग से पूरी जांच कराई गई और उसके अलावा बोर्डर कमिश्नर से भी जांच करवाई। सारी जांच के उपरांत जो परिणाम हमारे सामने देखने में आए उनमें यह है कि नोरमली जितनी मृत्यु कैटिल की होती है उसके अलावा जो अकाल के समय में होती थी उसके बाद ५-७ प्रतिशत अधिक मृत्यु जरूर हुई है। इसका कारण यह नहीं है कि अनाज की व्यवस्था नहीं थी, चारे की व्यवस्था नहीं थी या तकावी की व्यवस्था नहीं थी। लोकल चारा वहां ११,००० मन घास मौजूद था। उसके अलावा गुजरात की घास मंगाई और वहां पर डिपोज कायम किए गए, तकावी कैटिल ब्रीडर्स को दी गई लेकिन चारा भी पूरा यूटिलाइज नहीं हुआ, तकावी भी पूरी यूटिलाइज नहीं की जा सकी। मवेशी तीन चार साल से बराबर अकाल पड़ने के कारण कमजोर होने की वजह से और छोटी छोटी घास उगी उसके चरने में मिट्टी खाने की वजह से और कैटिल को दूर तक ट्रेवल करना पड़ा, कुछ पानी की तंगी की वजह से और जो पुराने पक्के मवेशी हैं वे मरते भी हैं और जैसलमेर में सभी तरह के मवेशी हैं उसके कारण भी आम तौर पर ये मृत्यु हुई है, बीमारी भी हो गई थी तो इन सब कारणों से नोरमल पर्सेन्टेज से भी ज्यादा मृत्यु जरूर हुई है लेकिन यह साधनों की कमी से ही नहीं है बल्कि एक लम्बे समय से अकाल चला था और इस वर्ष पानी की बहुत ज्यादा तंगी महसूस की गई, वह बहुत ही परेशानी का कारण था। हमने कुओं को गहरा कराने के लिए धन राशि दी, नये कुओं के लिए भी तकावी दी, तमाम जगह जितना पानी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था किया गया म्युनिसपल एरियाज के लिए हमने एक डेढ़ लाख रुपये का अलग इंतजाम किया इसके बावजूद भी आज तक भी पानी की दिक्कत है। वह इसलिए है कि

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

पानी का स्तर, वर्षा न होने के कारण, नीचे चला गया लेकिन जितनी व्यवस्था की जा सकती थी पानी के लिये, तकावी देने के लिए, कुओं को गहरा करने की, कुओं को बनाने की, दूर से पानी भिजवाने की, पाइप लाइन डालने की, सारी की सारी व्यवस्थाएं राज्य सरकार की तरफ से की गई हैं। बाकी कुदरत की तरफ से अगर मेहरबानी नहीं हो पा रही है तो उसमें राज्य सरकार का बस नहीं है। उसके लिए ग्रेचूइस रिलीफ की व्यवस्था भी गई। यह सब आपके सामने है। उसके अलावा यह सब देखने, समझने और जानकारी होने के बावजूद कुछ माननीय सदस्यों ने जो एतराज उठाए, उनके बारे में मैं कहना चाहती हूँ।

सबसे पहले विरोधी दल के माननीय नेता, जो इस समय उपस्थित नहीं हैं, ने बताया कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर में राज्य सरकार ने काम तो बहुत किया लेकिन उसके बाद भी जितना करना चाहिए था, वह नहीं किया और वहां आज भी स्थिति खराब है। उन्होंने जो यह कहा कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। मैं तथ्यों से जाहिर करना चाहती हूँ कि जितनी व्यवस्था की जा सकती थी, पूरी तरह से कोशिश की गई है और उन्होंने जो यह बतलाया कि वहां सिर्फ सड़कों पर काम किया गया, तालाब वगैरह का काम नहीं हुआ, तो उन्होंने इस पुस्तक को देखने का कष्ट नहीं किया, हालात को जानने का कष्ट नहीं किया। उस इलाके के अन्दर १०२ तालाबों पर काम हुआ, बांसवाड़ा में ३२–३३ तालाब बने, सड़कों के काम पर उनके इलाके में ५८,००० लेबर, कहीं ५२,००० लेबर काम करता था। अभी तक लेबर को मजदूरी दी जा रही है। सारे राजस्थान में चाहे अकाल राहत के काम बन्द किए जा चुके हैं लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में तो अब भी कुछ अकाल के तहत काम चल रहे हैं।

कुओं के बारे में.......

श्री श्रवण लाल : लेकिन यह तो बताइए.......

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह आपसे ताल्लुक नहीं रखता, यह बांसवाड़ा और डूंगरपुर से ताल्लुक रखता है। आम तौर से अकाल विभाग के तहत वही व्यवस्था की जाती है जिस व्यवस्था से पानी चारे की व्यवस्था हो सके लेकिन इस बार यह भी कोशिश की गई कि सिचाई के कुएं हैं अगर अधूरे हैं तो उनके लिए भी तकावी दी गई और सिचाई के ऐसे कुएं थे जिनको गहरा करने से सिंचाई के साधन जुट सकते थे, तो उसके लिए पैसा दिया गया और इस तरह से तकावी के लिए बांसवाड़ा में ११,८६,०००) रु० दिए गए और डूंगरपुर में ६,१८,०००) रु० दिए गए और जो अन्य राहत कार्य इस इलाके के अन्दर किए गए उनमें बांसवाड़ा में ६५,००,०००) रु० खर्च किए गए और डूंगरपुर के अन्दर ६१,८६,८६७) रु० खर्च किए गए। इसके अलावा जो विकास विभाग ने तकावियां दी हैं वह कहीं ६ लाख तो कहीं ८ लाख हैं। इस प्रकार इस इलाके के अन्दर कोई व्यवस्था की कमी रखी गई हो, ऐसा नहीं है। यह कहने के लिए कि आने वाले समय में कोई कमी न रह जाय इसलिए पहले से

Page No. 118

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

हम पुल बांधे, उसकी भी शंका नहीं है क्योंकि आज भी वहां काम चल रहे हैं और इस इलाके में लेबर काम रहा है, उनको राहत दी जा रही है।

उन्होंने बताया कि सराड़ा, सलूम्बर और खैरवाड़ा तहसीलों में कोई काम नहीं कराया। आप जानते है कि उदयपुर में कोई कम खर्चा नहीं किया गया है, ५८,५०,०००) रु० खर्च किया गया है और अभी तक कार्य चल रहे हैं और तीनों तहसीलों के अन्दर कार्य हो रहा है। इसलिए बिना व्यवस्था को समझें, शंकाएं करना अपने आप को तकलीफ में डालना है और सदन को भी गुमराह करना है।

दूसरा भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में काम चला रखे हैं और हमारे यहां क्यों बंद किए हैं ? जहां जहां वर्षा कम थी या जहां पर मजदूरों की संख्या ५० प्रतिशत से कम हो गई और जहां महसूस किया गया कि यहां पर अकाल के काम चलाने की जरूरत नहीं है, वहां पर काम बन्द कर दिए गए हैं। खरीफ की फसल की असेसमेंट होकर जब आएगी, जैसी स्थिति राज्य सरकार के सामने आएगी, उसके अनुसार आगे कार्यवाही की जायगी।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : वह इलाका ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब से यह सदस्य चुन कर आए हैं, कोई ऐसा साल नहीं है कि अकाल नहीं पड़ा हो।

पांचों साल अकाल पड़ा है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : उन्होंने कहा कि मजदूरों को भुगतान की बकाया है। उसके लिए हम तकाजा कर रहे हैं। यह परेशानी सदा से होती रही है। बकाया के भुगतान के लिए राज्य सरकार व्यवस्था कराएगी। उनको शायद मालूम नहीं था कि हमेशा अकाल के तहत में जब काम होते हैं और जो पंचायतों से संबंधित होते हैं, पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन अकाल विभाग से दिया जाता है। किन्तु इस बार विकास विभाग और अकाल विभाग ने आपस में सलाह करके यह फैसला किया कि बजाय इसके कि अकाल विभाग विकास विभाग को यह राशि दे, विकास विभाग पूरी राशि को अगर बरदाश्त करे तो अकाउंटस के एडजस्टमेंट में परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। इसलिए पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन का कोई हिस्सा नहीं मांगा गया और न ही उनको सोचना चाहिए कि हमें जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। अगर यह गलत फहमी पैदा

(६.५० म. प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

हो रही है कि इस बार राहत कार्यो के अन्दर पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन अकाल विभाग से दिया जायगा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि पूरा भुगतान विकास विभाग की तरफ से किया गया था। यह आपके दिमाग में साफ होनी चाहिये बात।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

जहां तक फोडर बैंक का सवाल है, हर साल राज्य सरकार कोशिश करती है कि आने वाले दुर्भिक्ष की आशंका करके कुछ न कुछ चारा फोरेस्ट डिपार्टमेंट इकट्ठा करे और पिछली दफा रिलीफ डिपार्टमेंट से दो ढाई तीन लाख से ज्यादा रकम फोरेस्ट डिपार्टमेंट को इसलिए दी गई कि चारा कटवा कर इकट्ठा करे, जैसे जैसे इलाके में जरूरत हो वहां पहुँचाया जाय और बाकी फोडर बैंक के लिए इकट्ठा करते रहें। आज भी वह चालू है। चारे की मात्रा जो भी फोरेस्ट से उपलब्ध होगी उस मात्रा में पूर्ति हो जावेगी। उसके बावजूद भी लार्ज स्केल में दिक्कत होती है तो बाहर से भी मंगाना पड़ता है।

एक माननीय सदस्य बालोतरा से आते हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बहुत देर तक कही कि फेमिन के अन्दर होते हुए भी उन इलाकों में कुर्की करके तकाबियां वसूल की जा रही हैं। या तो उनकी जानकारी नहीं थी, जैसा उन्होंने बाद में कहा था कि वह इलाका अभावग्रस्त घोषित नहीं हुआ। गलती से या लापरवाही से नहीं हुआ यह दूसरी बात है। बहुत से इलाके जो अभावग्रस्त घोषित होने चाहिये थे वे नहीं हो पाये। बदकिस्मत से वह इलाके भी इस तरह के इलाके में निकल गया। गवर्नमेंट ड्यूज सस्पेन्ड नहीं की जा सकी और इस कारण कुर्की वगैरा सख्ती की गई। रिलीफ डिपार्टमेंट का तो इससे ताल्लुक नहीं है लेकिन किसानों की हालत ठीक नहीं थी और सख्ती उनके साथ फिर भी बरती गई इसके लिए राजस्व विभाग जरूर कुछ कर सकता है।

जहां तक माननीय सदस्य जुझारसिंह जी, जो कोटा की तरफ से आते हैं उन्होंने कहा था उसका मैंने आम तौर पर तो जवाब दे दिया, उनके इलाके में लेबर की संख्या कम थी और दूसरे इलाके में ज्यादा थी और इसीलिए वहां ज्यादा खर्चा हुआ। गेहूँ और आटा जो बांटा गया वह व्यक्तियों की संख्या बताकर उन्होंने जिस प्रकार से तुलना की कि इतने आदमियों के बीच में इतना दिया तो इतना होता है कितने साल तक काम आ सकता है, ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार ने कर दी है। हम खुदकिस्मत होते यदि इस प्रकार की हमारे यहां व्यवस्था हो जाती। जिन व्यक्तियों को दिया गया था उनके उस प्रोपोर्शन में नहीं था बल्कि मुफ्त इमदाद के लिए गेहूँ तथा आटा मिला था। जितने जिले जिस हिसाब से अफेक्टेड थे उनको दे दिया। यह जिले वालों के देखने की बात थी कि उनको कितना चाहिये था। अलॉटमेंट उतना पहुँच पाया या नहीं यह मैं नहीं बता सकती। यह भी मैं नहीं बता सकती कि जो अलॉटमेंट था उसमें कितना उन्होंने लिया और कितना डिस्ट्रीब्यूट वे कर सके या नहीं। यह आंकडे मेरे पास नहीं हैं। कुछ ऐसे भी जिले हैं जिनकी लिस्ट में एक भी व्यक्ति निशुल्क सहायता हेतु नहीं है। कोटा, बूंदी ऐसे हैं। फिर कोटा में भी ४ टन और बूंदी में १६ टन गेहूं अलाट कर रखा है उसका लाभ नहीं उठाया तो उसमें रिलीफ डिपार्टमेंट का क्या दोष है।

एक श्री मुरारजी ने कहा कि भरतपुर से आये एक माननीय सदस्य ने बांसवाड़ा में

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

कुछ लोगों की मृत्यु के बारे में नाम पेश किये। उसकी जांच होनी चाहिये यह भी कहा। वह नाम उन्होंने किसको दिए यह मेरी जानकारी में नहीं है। माननीय मन्त्री जी को दिए होंगे वे इसकी जांच करवा रहे होंगे लेकिन इतना जरूर बताना चाहती हूँ कि जहां इतनी विस्तृत व्यवस्था की गई हो, इतनी जांच पड़ताल रखी गयी हो और इतना लेबर काम करता हो, दो-दो चार-चार मील में, यहां तक कि डेढ़ दो मील पर काम चलते हों वहां पर कोई आदमी भूख से मर जाय यह नामुमकिन चीज है। फिर भी माननीय मन्त्री जी जांच करवा रहे हैं और वे आपको उसके नतीजे से अवगत करा देंगे।

इसके बाद सारस्वत जी ने यह पेश किया कि रतनगढ़ के २१ गांव थे उनको अकाल ग्रस्त घोषित कर दिया लेकिन वहां पर काम एक में भी नहीं किया और उप-मन्त्री महोदया से कहा तो उन्होंने कहा कि पार्टीबाजी का मामला है इसलिए नहीं हो सकता।

श्री मोहनलाल सारस्वत : किशनारामजी जो प्रधान है उन्होंने कहा।

श्रीमती कमला बेनीवाल : किशनाराम जी ने आपके काम में हजार बातें कहीं होंगी और आपने सुनी होंगी मुझे इससे कोई मतलब नहीं।

श्री मोहनलाल सारस्वत : जिला परिषद की मीटिंग में यह बात हुई थी।

श्रीमती कमला बेनीवाल : स्थानीय लोग रहते हैं, दिन में सौ बातें करते हैं, सीधी करते है और उल्टी करते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं साफ बताना चाहती हूँ कि उस मीटिंग में बताया था कि जो सड़क जिलाधीश से प्रोपोज होकर आयी थी वह अफेक्टेड एरिया में नहीं जाती थी इसलिए जिलाधीश से कहा कि नोन-अफेक्टेड एरिया में इसको टेक अप नहीं कर सकते इसलिए दूसरा काम बताया जाय। दूसरा कार्य उन्होंने कोई भेजा नहीं और जब मैं चूरू पहुंची तो बैठक में सदस्यों ने कहा कि इस सड़क पर हमारा लेबर आ सकता है दूसरे पर नहीं। मैंने कहा कि आप टेक अप कर सकते हैं तो करें, मैं स्वीकृति देती हूं यहीं पर। उन्होंने कहा कि फेमीन वर्क बन्द होने वाले हैं इससे फायदा नहीं है। जो स्थिति आपने देखी और मैंने देखी उसको सही कहना चाहिये। आपने पार्टीबाजी के बेसिस पर यह किया इस तरह का इस डिपार्टमेन्ट पर लान्छन नहीं लगाना चाहिये, दूसरों पर चाहे लगाओ।

दूसरा अनाज वगैरा का बताया। न इन्दिराजी के संरक्षण का सवाल है और न ही मुख्य मंत्री जी के संरक्षण का सवाल है। जो आंखों से देख कर आयी हूँ वैसी रिपोर्ट मैंने लिखी है और जैसी कार्यवाही बन सकेगी करूंगी। सारे जिले में बहुत गड़बड़ हुई है उसको आपने भी देखा है और मैंने भी देखा है। उसकी जैसी व्यवस्था होगी वैसी की जावेगी।

(७.०० म.प.)

इसलिये इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं तो इतना ही निवेदन कर

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

सकती हूं कि एक माननीय सदस्य जो सवाई माधोपुर से आते हैं, ने कहा कि हमारे जिले में तो काम नहीं कराया गया। पर आप इस पुस्तिका को देखें तो पता लगेगा कि आपके यहां पर भी कम से कम दो ढ़ाई लाख का तो काम हुआ। पर लेबर की संख्या भी देखिये, किसी महीने में दो सौ, किसी में २५० और किसी महीने में हजार से ज्यादा तो लेबर आये ही नहीं। आपके यहां से बराबर यह लिखकर आता रहा कि हमारे आदमी फेमिन को इन रेटों पर काम करने को तैयार नहीं हैं।

तो इतने मजदूर नहीं थे जितने और इलाकों में थे। इसके बावजूद भी किया जाने लायक तो कुछ काम हुआ है। अब जरूरत नहीं महसूस की जावे तो जबर्दस्ती तो हम भी खर्च नहीं करना चाहते।

श्री श्रवणलाल : आप लेबर की संख्या आंकड़ों के अनुसार १५०। २०० बता रहे हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : वही मैं भी कह रही हूँ। लेवरर्स ज्यादा नहीं हुए। तो हमें यह महसूस करना चाहिये कि अकाल का कष्ट का जो समय था वह जिस आसानी से या जिस किसी भी दुर्घटना के बिना निकाल दिया गया वह दरअसल में न आपकी और न मेरी, पर कुदरत की महरबानी कहनी चाहिये, से निकल गया। इसमें असन्तोष के लायक बात या शिकायत के लायक बात नहीं लगती। कुछ जगह पर हैं। पर इतने बड़े काम में थोड़ी कमी बेशी तो रह जाती है। मैं उम्मीद करती हूं कि इन सब से माननीय सदस्यों की शंकाओं का समाधान हो चुका होगा।

श्री श्रवणलाल : जानवरों के लिये चारे की व्यवस्था कितनी की ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : क्या मतलब ?

श्री श्रवणलाल : चारे के कितने डिपो खोले सवाई माधोपुर जिले में ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह संख्या दी हुई होगी। मुझे इस समय तो याद नहीं है। पर राजस्थान भर में लगभग २०० डिपो खोले गये। माइग्रेशन के लिये १५। १६ चारे के डिपो अलग थे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा प्रश्न है मन्त्री महोदय से कि आप क्या यह बता सकते हैं कि ५.८० लाख आपने अकाल में खर्चा किया बताया उसमें कितने प्रतिशत कृषि उत्पादन से सम्बन्धित था और कितने प्रतिशत उत्पादन से अलग सड़कों आदि पर था जिसका सीधा ताल्लुक कृषि उत्पादन से नहीं था।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं बता दूंगा यह, मेरे पास हैं ये आंकड़े।

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह तो मैं नहीं कह सकती पर जैसा बताया इन आइटमों पर चार करोड़ के करीब राहत कार्यों में लगे जिसमें तालाब पर कितना खर्चा हुआ, अभी नहीं बता सकती।

श्री नाथूराम मिर्धा : किताब देखकर यह निकाल सकते हैं । मेरे पास निकले हुए हैं ये आंकड़े, मैं बता दूंगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप बता दीजियेगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जरूर । मैं शुरू करूं ?

श्री मोहनलाल सारस्वत : मैं पूछ सकता हूं । ऐसा है पातलीसर गांव के बारे में कहा गया कि वहां सहायता की भी आवश्यकता नहीं थी । आपने जो पुस्तक दी है इसमें लिखा है कि सामान्य सहायता कार्य ३१-७-६६ तक हुए बताये परन्तु वर्षा के अभाव में और मजदूरों की कमी रहने के कारण कुछ जिलों में मुख्यतः अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, डूंगरपुर आदि में काम अभी भी चलेंगे । तो जो आप कहते हैं कि आपने उनको लिखकर भेज दिया तो क्या मैं आशा करूं कि यह काम भी अब होगा ।

दूसरी बात यह पूछ रहा था कि पातलीसर के सिवाय जो कलक्टर ने बताया यह सड़क अभावग्रस्त गांवों में से नहीं निकाली गई तो यह कतई गलत बात बताई गई है । हमने तो अभावग्रस्त गांवों में से ही लेकर अभावग्रस्त गांवों तक पहुंचाया है ।

आपने आगे कहा कि हमने इस तरह से राहत कार्यो में कहीं भी पक्षपात नहीं बरता । तो एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि मानिकचन्द सुराणा बीदासर आये थे फेमीन रिलीफ के काम से और श्री हांडा भी थे और इन दोनों ने आपको टेलीफोन करके उनको भेजा । आपने कहा वोट तो देते हैं मोहनलाल सारस्वत को और काम कराते हैं हमसे । यह दिमाग अब दुरुस्त हुआ है सुखाड़िया जी और आप में झगड़ा होने से । पहले तो हम जहर और तूंबे, कड़वे तूंबे की तरह हम लगते थे । अब सुधार हो गया है । अब इसका स्पष्टीकरण करें ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह बात शायद उन्होंने गलतफहमी पैदा करने के लिए अपने आप बनाकर कही है या आपको misuse करने को कही है क्योंकि ऐसी बात न मेरे आचरण में है । न कह सकती हूं । जो यह पूछा गया था कि तालाबों पर कितना खर्चा हुआ, दूसरों पर कितना खर्चा हुआ तो उसके आंकड़े इस स्टेटमेंट में दिये हुए हैं । वे देख लें पेज ६१–६२ पर ।

रेवेन्यू एजेन्सी से भी तालाबों पर काम कराया गया है । और सड़कें भी टेक अप की गई हैं इसलिए रेवेन्यू एजेन्सी के हैड में हो सकता है कुछ सड़कें भी हों । पर आम तौर से इसमें भी तालाब हैं । ६५-६६ में तालाबों पर खर्चे की रकम बताई है २ लाख ६४ हजार सिचाई विभाग के द्वारा तथा रेवेन्यू ऐजन्सी से करीब २६ लाख के लगभग, इसके बाद ६६–६७ में १६ लाख के करीब है । रेवेन्यू ऐजेन्सी से ४७, ३७ के लगभग है । सिचाई विभाग के जरिये ये सारे के सारे सिचाई और प्रोडक्शन से तालुक रखने वाले काम हैं जिन पर यह खर्चा किया गया है ।

श्री मोहनलाल सारस्वत : पातलसर के लिये तो बताएं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपने फरमाया कि अकाल के रुपयों में से जिन कामों के लिये पैसा दिया गया उसमें श्रमदान की आवश्यकता नहीं थी । या गांव वालों से कैश लेने की भी आवश्यकता नहीं थी। पूरा का पूरा पैसा आपने दिया है। मेरी जहां तक जानकारी में है मैं कहना चाहता हूँ कि बनेड़ा की पंचायत समिति ने जितना पैसा इसके लिये दिया उन्होंने उतना ही पैसा श्रमदान का मांगा। जिन्होंने नहीं दिया उनको उनके यहां के लिये मंजूर शुदा रकम नहीं दी गई । आप जांच कर सकते हैं ।

दूसरा प्रश्न, रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट से भी कुए खुदाने की तकावी दी गई है आपने पंचायत समिति को कुओं की तकावी के लिये रकम दी है । जो रेवेन्यू के अन्दर दी है वह तहसीलदार देता था ऊपर से ऊपर । तो मैं जानना चाहता हूं कि एक कुंए के लिये क्या मिकदार है देने की । यह जरा बता दें ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : चेयरमैन महोदय, जैसा बताया, बनेड़ा क्षेत्र में कोई राहत कार्य हुआ जिसमें पब्लिक कन्ट्रीब्यूशन मांगा जा रहा है । ऐसा कोई मामला हो तो स्पेसिफिकली वे जरूर बतावें । मैं जांच पड़ताल करके स्थिति की जानकारी दूंगी ।

जहां तक कुओं का सम्बन्ध है इसके लिये यह व्यवस्था थी कि बी. डी ओ, और प्रधान और तहसीलदार मिलकर इसका फैसला करके तकावी डिस्ट्रिब्यूट करते थे । पर आम तौर पर तहसीलदार के जिम्मे था कि वह स्वयं बंटवारा करे और जितनी आवश्यकता हो इनकम्पलीट वर्क के लिये भी दिया जा सकता है । अब मैग्जिमम लिमिट क्या है यह बाद में बता सकती हूं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सभापति महोदय, एक प्रश्न मेरा भी है, उसका भी उत्तर देने की कृपा करें ।

मैं यह जानकारी चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल का वर्द्धमान में बहुत बड़ा सेन्टर है, जहां हजारों की तादाद में ऊंट और मजदूर काम करते थे । वहां पर आपने किसी चारे के डिपो की या सस्ते अनाज की दुकानों का प्रबन्ध किया ?

यह भी जानना चाहूंगा कि आपको क्या यह जानकारी में है कि चारे के अभाव में जहां चने का नीरा दस रुपया पन्द्रह रुपया में बिका है वहां राजस्थान नहर ऊंटों का कब्रिस्तान बन चुका और अगर यह स्थिति जारी रही तो बीकानेर में एक अच्छी नस्ल का ऊंट नहीं मिल सकेगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं जवाब दे दूंगा इसका । उनको पता नहीं है इसका ।

श्री डूंगराम राजोरिया : मैं जानना चाहता हूं क्या सरकार ने अकाल राहत काम में क्षेत्रीय भावना से काम नहीं किया । उदयपुर में ६०० गांव अभाव ग्रस्त थे और जयपुर में भी लगभग ८०० थे जब कि ६०० गांवों के लिये उदयपुर में १ करोड़ १५ लाख रु० खर्चा किया गया जहां जयपुर जिले के ८०० गांवों के लिये केवल ६.७ लाख रुपया ही खर्च किया ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं बता चुकी हूं कि जयपुर जिले में अगर इससे भी ज्यादा खर्चा मांगा जाता तो राज्य सरकार कतई ना नहीं करती। पर डिमाण्ड ही नहीं थी।

श्री डूंगाराम राजोरिया : डिमाण्ड तो थी, यह आप नहीं सकते।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (मांडल) : अकाल कार्यों में दिलचस्पी लेकर सरकार ने काम किया इसके लिए तो उसको धन्यवाद देता हूँ।

लेकिन मैं पूछता हूँ ये काम कितने वर्षों तक चलते रहेंगे? क्या आप इसके लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं कि ये अकाल राजस्थान में खत्म ही हो जावें? इरिगेशन के साधनों को बढ़ाकर और नहरों को बनाकर तथा लिफ्ट इरिगेशन के भी साधन बढ़ा कर, आप इन साधनों के द्वारा कितने वर्षों में इसे राजस्थान से निर्मूल कर देंगे यह तै कर लें और एक ऐसी प्लान बना लें। आप फिर घोषणा कर दें कि हम इतने सालों में अकाल को राजस्थान से निर्मूल करे देंगे। बरसात तो नहीं होगी राजस्थानी इलाकों में। वर्षा के अभाव में तो ये अकाल यों ही होते रहेंगे और जब जब अकाल होंगे आप इसी तरह से टुकड़े डाल देंगे। यह धर्मादा खिलाना कतई ठीक नहीं है। यह कब तक आप धर्मादा देते रहेंगे और टुकड़े डालते रहेंगे। आप तै कर लीजिये एक बार कि पानी का इन्तजाम हम इतने सालों में कर देंगे और बरसात पर निर्भर नहीं रहेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको (श्री गोकुलप्रसाद शर्मा) मैं इसका जवाब दूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह तो कांग्रेस सरकार के खत्म होने पर ही हो सकेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : अच्छा, अब आप मेहरबानी करके बैठ जायें।

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी करें।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्य मन्त्री) : माननीय सभापति महोदय, सदन के माननीय सदस्यों ने, जहां खास तौर से आज का दिन छुट्टी का दिन रखा था, दिलचस्पी लेकर राज्य की खाद्य और अकाल की स्थिति पर विचार करने के लिए कल उन्होंने हां किया। मैं भी इसमें रुचि रखता हूं कि राज्य की और देश की जो सबसे बड़ी अहम समस्या है उस पर हमारे इस सदन का और देश के लोगों का ध्यान ज्यादा से ज्यादा केन्द्रित है और हम सचमुच में यह जो आज देश की स्थिति है जिसको कोई लज्जाजनक बताता है तो कोई और तीखे शब्दों में कह कर इसको पुकारता है। सचमुच में यह स्थिति हमें कैसे मिली, हम उस पर क्या आगे बढ़े और उस पर किस प्रकार से हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, यह प्रश्न आज देश के एक एक प्रजातन्त्र के नागरिक के सोचने का प्रश्न है और इस बारे में मैं सोचता हूं कि देश के सब लोग गम्भीरता से विचार करते होंगे और गम्भीरता से सोचते होंगे। खास तौर से हम जो सरकार चलाने वाले लोग हैं और

(श्री नाथूराम मिर्धा)

उसके साथ इस प्रजातन्त्र में जो विरोधी लोग हैं वे भी इसको एक देश की समस्या मानते हैं और उसके बाद इस समस्या को हल करने के लिए अपने अपने दृष्टिकोण भी सार्वजनिक रूप में, सभाओं में और इस सदन में या पार्लियामेंट में हमेशा से रखते हैं। मैंने उनका काफी गम्भीरता से अध्ययन किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने कहा यह समस्या देश के अन्दर कैसे हल हो सकती है और उसके बारे में हमको क्या करना चाहिए, उन्होंने इसके दो पहलू सदन के सामने रखे। देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसख्या और उसके साथ साथ देश के अन्दर उत्पादन जिस गति से बढ़ना चाहिए उसमें कमी, सचमुच में यह समस्या जो हमारे देश के सामने खड़ी है वह यही दो मुद्दे लिए हुए है जिसके ऊपर हमें विचार करने की और सोचने की आवश्यकता है। जहां तक देश की आजादी हुई उसके पहले यह समस्या देश के अन्दर थी या नहीं इसके बारे में मैं समझता हूं कि पहले भी मैंने काफी प्रकाश डाला है। पर जब से इस देश के अन्दर विदेशी राज्य था उस समय भी और पाकिस्तान और हिन्दुस्तान जब एक थे या जिस समय बर्मा भी साथ था उस समय पूरे साम्राज्य के इस इलाके की जो पैदावार थी और उस समय की जो जनसंख्या थी, उस समय विदेशी सरकार को इस सारे एरिया की जनता को, क्योंकि जो कुछ भी उस समय हिन्दुस्तान और इस इलाके में अनाज पैदा होता था उनके अन्दर कमी रहती थी, दुनियां के दूसरे देशों से वह अनाज लाकर हिन्दुस्तान की उस समय की जनता को खिला पाते थे। उसके कुछ आंकड़े मैंने समझता हूँ दो दफा सदन में रखे हैं और मैं सोचता हूं कि वह माननीय सदस्यों को याद होंगे। हिन्दुस्तान के कुल उत्पादन का आंकड़ा १९५०-५१ में जो अवेलेबल है उसके पहले आंकड़ों की पूरी अवेलेबिलिटी और उसकी जानकारी नहीं है। जो कुछ पीछे के रेकार्ड से इकट्ठा किया गया उस आंकड़े के अनुसार हमारे हिन्दुस्तान का कुल उत्पादन ५०० लाख टन खाद्यान्न का मानते हैं। उसके बाद हिन्दुस्तान में योजनायें बनने के बाद जब से हमारी योजनायें चालू हुई ३ पंचवर्षीय योजनाओं को हम पूरा कर चुके हैं और यह साल जो तीसरी योजना का एक साल आगे का कहें या चौथी पंचवर्षीय योजना का पहला साल कहें या बीच का एक साल बफर का कहें, जो भी इन १६ सालों में स्थिति गुजरी उस पर भी मैं सदन का ध्यान पहले भी आकर्षित कर चुका हूँ और अब फिर याद दिलाने के लिए कहना चाहता हूं कि देश के अन्दर इन पिछले १६ वर्षों में खाद्यान्न का उत्पादन और उस उत्पादन का पोटेन्शल जो कुछ भी योजनायें इस देश के अन्दर हमने अपनाई और जिनको लागू किया और जो देश की पहली योजना २॥ हजार करोड़ की थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना ४॥ करोड़ की और तीसरी योजना १०,२०० करोड़ की थी और यह जो धनराशि खर्च की गई और इसका काफी बड़ा हिस्सा बिजली, सिंचाई, कृषि की बढ़ोतरी में और देश की योजनाओं में कुल मिलाकर जो २० से ५० पर्सेन्ट के बीच में आती है उन खर्चों के फलस्वरूप

(श्री नाथूराम मिर्धा)

इस देश के उत्पादन में काफी बढ़ोतरी हुई और मैं समझता हूं कि हमें याद होगा कि १९६४-६५ के उत्पादन का आंकड़ा जो समूचे देश का हमारे सामने आया है वह करीब ८९० लाख टन का है। और इस प्रकार से हम सोचें तो जो ५ पर्सेन्ट उत्पादन की गति विरोधी पक्ष के नेता ने कही और उसके अनुसार ९०० लाख टन का उत्पादन होना चाहिए। मैं, सभापति महोदय, यह सदन इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के ५ ही वर्ष इस देश के लिए खास तौर से काफी मुसीबत के वर्ष रहे हैं। राजस्थान के लिए भी वही स्थिति है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का पहला साल जो राजस्थान के अन्दर १९६१ और ६२ का साल था उस साल के अन्दर जो राजस्थान का द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आखिरी साल जो १९६० और ६१ का साल था उस समय हमारे प्रान्त के कुल उत्पादन में जो भी आज तक १५ वर्षों की योजनाओं में फर्क हुआ है वह १९६० और ६१ का उत्पादन सबसे ज्यादा सीरियल्स का उत्पादन था ५४ लाख टन का उत्पादन राजस्थान में उस समय सीरियल्स का हुआ था। इसी तरह से प्रथम पंचवर्षीय योजना का पहला साल और अलग-अलग सालों के उत्पादन के आंकड़े बताये हैं। दो साल के तो माननीय विरोधी पक्ष के नेता ने बताये। उन्होंने कहा कि दो साल के आगे की जानकारी नहीं है। मैं समझता हूं कि यदि वे रेकार्ड को देखते तो उसमें योजनाओं के आंकड़े दिये हैं, फिर भी मैं सदन की जानकारी के लिए दे सकता हूं पिछले ५ वर्षों के अन्दर जब मैंने सेकण्ड फाईव ईयर प्लान के आखिरी वर्ष का उत्पादन बताया उस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले साल में उत्पादन, मुझे ठीक आंकड़ा तो याद नहीं और यह मैं अन्दाज से कहता हूं ४४ लाख टन के करीब था। पर उसके बाद में १९६२-६३ में ३८.८४ लाख टन था, १९६३-६४ में ३१.४० लाख टन था, १९६४-६५ से ४८.६३ लाख टन और १९६५-६६ में हमारा उत्पादन ३४.५८ लाख टन सीरियल्स का हुआ। इस प्रकार से अगर हम इन पिछले पांच सालों के उत्पादन का कुल जोड़ मिलाते हैं और जैसा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने....

श्री मानिकचन्द सुराणा : १९६१-६२ का जो नोट सरकुलेट किया था वही १९६४-६५ में ४९.४८ लाख टन है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उसके पहले का साल होगा। फिर मैंने १९६०-६१ का बताया तो यह साल हमारे उत्पादन का अच्छा साल था और इस हिसाब से मैंने ५ साल का उत्पादन बताया वह १९० लाख टन के लगभग होगा और जैसा बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जोड़कर फार्मूला रखा कि राजस्थान की हर साल की औसत खपत ३८ या ४० लाख टन है तो राजस्थान में खाद्यान्न की समस्या क्यों मानी जानी चाहिए? अगर हम पांच साल के अन्दर जो एक साल का ३८ लाख टन होता है उसको भाग दें तो बराबर ही सारे साल का उत्पादन हो जाता है। फिर तो महंगाई की समस्या और खाद्यान्न की समस्या पैदा ही नहीं होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं उनसे और सारे सदन से कि यह इतना सीधा फलावट का आंकड़ा नहीं है।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

जितना टोटल उत्पादन होता है वह सब लोगों में बराबर बंट जाय, सब लोगों को खाने के लिए मिल जाय और इसका लोगों की मानसिक स्थिति पर उनकी साईकोलॉजी पर असर न हो और समूचे देश के जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनका असर न हो, इतना सीधा-साधा सवाल मान कर अगर हम चलेंगे तो भयंकर भूल कर जायेंगे। हमको जो इंसान की वृत्ति है, जो इंसान का चरित्र है और जिसके बारे में माननीय सदस्य ने जिक्र किया है, यह कितने प्रोसेस से गुज़रता है, कहां अनाज पैदा होता है, पैदा करने वालों के अन्दर भी उनकी कितनी ही कैटेगरीज हैं, छोटे किसान है, मध्यम दर्जे के किसान हैं, बड़े दर्जे के किसान हैं और उसके बाद में व्यापारी हैं और फिर उपभोक्ता हैं। ये सब लोगों को पार कर अनाज जो पैदा होता है वह सही तौर से डिस्ट्रिब्यूट करके, लोगों को जिस भाव पर बेचने के लिए तैयार रखें तो मैं समझता हूँ कि समस्या न तो देश में खड़ी हो और न इस प्रान्त में खड़ी हो। तो यह बहुत आसान प्रश्न नहीं है। देश के अन्दर जैसा मैंने आपसे निवेदन किया ज्यादा से ज्यादा ८९० लाख टन के करीब उत्पादन हुआ। जैसी, सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को भी जानकारी होगी और मैं खुद भी अपनी तरफ से जानकारी रखना चाहता हूँ कि इस दफा मेरी भारत सरकार के फूड मिनिस्टर साहब से बात हुई और अलग अलग हिन्दुस्तान के इलाकों के समाचार पढ़े हैं उस हिसाब से अगर हम इस साल का उत्पादन, जो राईस की क्रॉप है साउथ, ईस्ट और दूसरे प्रान्तों में और जो खरीफ का प्रोडक्शन है, खरीफ की क्रॉप्स हैं और इस हिसाब से जो कुछ आगे बरसात हुई है और रबी का प्रोडक्शन होने की उम्मीद है, मैं समझता हूँ कि हिन्दुस्तान का प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले जो ६४-६५ का प्रोडक्शन हाईयेस्ट है उसके मुकाबले आस-पास या करीब २-३ मिलियन टन हिन्दुस्तान में ज्यादा पैदा कर सकेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर हम इस साल के अन्दर उत्पादन करीब ९२-९३ मिलियन टन यानी ९३० लाख टन के करीब उत्पादन करते हैं तो जो पहले पांच सौ लाख टन का उत्पादन होता था और उसके मुकाबले में कहीं ज्यादा है और यह इन्हीं योजनाओं के परिणाम स्वरूप है, देश के किसानों के द्वारा ज्यादा खेती करने के परिणाम स्वरूप और देश में जो सिंचाई की योजनाएं बनाई गई, उनके परिणाम स्वरूप और देश के अन्दर जो बिजली उपलब्ध कराई गई उसके परिणाम स्वरूप इन सारी चीजों का असर हुआ है हिन्दुस्तान में खाद्यान्नों के उत्पादन पर। पहले के मुकाबले करीब साढ़े चार सौ लाख टन ज्यादा उत्पादन बैठा है। तो इस तरह से देश के अन्दर उत्पादन बढ़ा है और इसके लिए नहीं कह सकते कि देश का उत्पादन नहीं बढ़ा। पर उसके साथ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी इस देश के अन्दर रही है। अभी प्रजातंत्र नया है। इस देश के अन्दर जहां कुछ उत्पादन बढ़ाया है वहां उसके साथ-साथ दूसरा इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ा है। इन योजनाओं की वजह से जो पैसा देश की जनता के पास में करोड़ों की तादाद में वितरित हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया कि तीन योजनाओं में करीब सोलह-सतरह हजार करोड़ रुपया देश के अन्दर बिखरा है। और आने वाली चौथी योजना का स्व-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

रूप भी आपने पढ़ा है और मैंने भी देखा है, २३,७५० करोड़ रुपयों की हम चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना देश में बना कर चलना चाहते हैं। जब इतने बड़े पैमाने पर देश के अन्दर धनराशि वितरित होती है और अलग-अलग लेवल पर धनराशि वितरित होती है तो कई बार पालियामेंट में भी और देश की अनेक आम सभाओं में कहा जाता है कि इस देश के अन्दर हमारी इन आर्थिक योजनाओं की वजह से ही और हम लोगों की दुर्लक्ष पूर्णनीति के कारण, रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य के इसी शब्द को काम में लूं तो उस दुर्लक्षपूर्ण नीति की वजह से देश के गरीब अधिक गरीब बनते जा रहे हैं और अमीर अधिक अमीर बनते जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं इस देश के इन लोगों के इस प्रकार के कथन से कतई सहमत नहीं हूँ। मैं इस बात से जरूर सहमत हूं कि इस देश में आजादी के बाद इन योजनाओं की गतिविधियों से जो लोग पहले....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आपने मानोपोली इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ने का कष्ट किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने उस रिपोर्ट को भी पढ़ा है और दूसरी रिपोर्टों को भी पढ़ा है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : डाक्टर महालनवीस की रिपोर्ट को भी जरा पढ़ने का कष्ट कीजिए।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इनके विभाग से कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य, मैं आपकी जानकारी के लिए अर्ज कर दूं कि जितना समय मिलता है, मैं अध्ययन करने की कोशिश करता हूं। पर इन रिपोर्टस् में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इस प्रकार के शब्द की गरीब अधिक गरीब हो गए हैं और अमीर अधिक अमीर हो गए हैं, इस प्रकार के शब्द और इस प्रकार के स्ट्रिक्चर्स अगर आप मुझे बता दें तो मैं मान जाऊंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी राष्ट्रीय इकोनॉमी कहती है कि ६० प्रतिशत आय आपकी २०० जेबों में चली गई और ४० प्रतिशत ४५ करोड़ लोगों में गई है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो आपकी पार्टी का प्रचार है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सभापति महोदय, यह किस तरह से कह रहे हैं कि गरीब-गरीब नहीं हो रहे हैं, आज लोगों की हालत खराब होती जा रही है....

(कुछ माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोरगुल-अश्रव्य)

श्री नाथूराम मिर्धा : आप इनको रोकिये साहब।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, इस प्रकार बीच में न बोलें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मेरे को सुनते जाइए और समझते जाइए।

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जो यह नारा देश के अन्दर कई बार पालि-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

पार्मेंट में और देश की अन्य विधान सभाओं में और सार्वजनिक सभाओं में लगाया जाता है कि गरीब अधिक गरीब हो गये हैं और अमीर अधिक अमीर हो गये हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं इसके एक हिस्से से सहमत हूं कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, मैं इससे सहमत हूं। पर इस देश में गरीब अधिक गरीब होते जा रहे हैं, मैं इस नारे का सख्त विरोध करता हूं और यह नारा केवल अपने स्वार्थों की वजह से उठाया जाता है। आज आप किसी भी लेवल पर चले जायं, इस देश के अन्दर जो बीस-पच्चीस साल पहले गरीबों की हालत थी....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आप भारत सरकार के इन आंकड़ों से भी इन्कार करेंगे कि इन योजना में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कम हुई है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : चालीस करोड़ आदमी आज जो ...

श्री सभापति : आपको जो कुछ पूछना हो बाद में पूछना।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मुझे बचाइये साहब।

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस तरह से तो कैसे भाषण जारी रखूं।

(विराम)

तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार का यह राजनैतिक नारा हो सकता है। कुछ लोग इसका लाभ उठाने के लिए नारा लगा सकते हैं। पर गांवों की और हिन्दुस्तान के अलग अलग इलाकों की आज से बीस पच्चीस साल पहले की गरीबी को मैंने बहुत अच्छी तरह से घूम २ कर देखा है। उस समय गांवों में घरों के अन्दर कितने लोगों के पास मेटल के बर्तन थे. कितने लोगों के पास खाने-पीने की जिस प्रकार की चीजें आज अवेलेबल हैं वे चीजें उस समय अवेलेबल थीं? उनके पास ओढ़ने-बिछाने के लिए, बैठने के लिए खाने के लिए आज जो चीजें हैं वे उनके पास पहले नहीं थीं। आज से दस साल पहले जो गांवों की हालत थी उनके मुकाबले चाहे वह गरीब मजदूर हो, चाहे हरिजन हो, चाहे आप किसी किसान को ले लीजिए, चाहे छोटा किसान हो या मोटा किसान को, किसी भी किसान को ले लीजिए, चाहे आप किसी भी आदिवासी को ले लीजिए इन लोगों के रहन-सहन के स्तर में निश्चित तौर पर इन योजनाओं से परिवर्तन आया है। आज भी इन घरों में बहुत सी चीजों की जरूरत हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन जो हालत उनकी आज से बीस वर्ष पहले थी, चाहे वह जमीनों के मालिक किसान हों या भूमिहीन किसान हों वह आज से अच्छी नहीं थी। जमीनों के मालिक किसानों की हालत तो सुधरी ही है लेकिन जो भूमिहीन किसान हैं उनकी हालत में भी इन वर्षों में निश्चित रूप से सुधार हुआ है, यह आपको मानना पड़ेगा।

श्री श्रवणलाल : क्या सुधार हुआ है ? जहां पहले शुद्ध खाना मिलता था वहां आज आपकी ये (उन्होंने हाथ में कुछ गोल गोल चीज दिखाई) सड़ी गली चीजें मिलती हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सुनिये मेरी बात को। जो कुछ लोगों के पास में खाने के लिए उस समय अगर आधी रोटी और उसके साथ मिर्च का टुकड़ा था तो आज उसके साथ छाछ की कुलड़ी और दाल भी खाने को मिलती है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मन्त्री महोदय, यह कैसे कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी गलत बातें कैसे कहते जा रहे हैं....

(शोरगुल)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, शांति रखें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप इन बातों से सहमत हों या न हों' आप मेरी बात सुनिये....

मैं जो बातें कहूं उनसे वे सहमत हों यह जरूरी नहीं है, मगर आप हल्ला करें तो यह ठीक नहीं है। मुझे मेरी बात सुनाने का हक है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं आपको अर्ज करता हूं....

श्री सभापति : माननीय श्री ढाबरिया जी, आपको कुछ पूछना हो तो बाद में पूछ लें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : पूछने का सवाल नहीं है। इन्होंने उस बात को कहा है उसकी बात करता हूँ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने बात साफ कही है। यह जरूरी नहीं है कि मैंने जो कुछ कहा है उस बात को ये मानें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या बात करते हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं आपके बीच में खड़ा नहीं हुआ। आप मेरे सीक्वेन्स को तोड़ते हैं तो यह अच्छा काम नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप फौरन अपने विषय पर आजायं। यह लम्बी-चौड़ी राष्ट्रीय भूमिका की आवश्यकता नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने जो तरीका देखा है उसको कहा है।

तो मैं निवेदन करता हूं....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : On a point of order, Sir, कोरम नहीं है इसलिए यह सारी बात खत्म कर देना चाहिए और घर चलें।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप पधारो, घर जाओ। आपने कुण मना कियो।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इस प्रकार की बातों का कोई लाभ नहीं। इस प्रकार की झूठी बातें कह कर हमारा समय क्यों खराब करें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप हमेशा झूठ कहते हैं और मैं रोज सुनता हूं। आप कम से कम आज तो सुनें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपको सुनना पड़ेगा गलत काम करते हैं इसलिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपको भी सुनना पड़ेगा। अगर मुझे सुनना पड़ेगा तो आपको भी सुनना पड़ेगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कोरम नहीं है तो आगे कार्यवाही को स्थगित करें। कोरम के अभाव में मीटिंग नहीं होनी चाहिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : जिनको नहीं सुनना है वे जायं।

(गण-पूरक घन्टी)

आज इस देश के अन्दर चाहे किसी प्रकार के राजनैतिक नारे लगाये जायं...

कुछ माननीय सदस्य : आप बैठ जायं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कोरम नहीं है इसलिए मीटिंग स्थगित कर दी जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप नहीं सुनना चाहते हैं तो,पधार जायं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : पधार जाने का सवाल नहीं है। मैं व्यवस्था चाहता हूं कि जब कोरम का अभाव है तो सदन की कार्यवाही स्थगित की जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सभापतिजी मेरा यह निवेदन है कि इस हाउस को यह अधिकार भी है कि किसी रूल को रिलेक्स कर दे। अगर हाउस चाहे तो रूल को रिलेक्स कर दे। मेरा निवेदन है कि कोरम के रूल को जब तक सभा की कार्यवाही चलती है उस समय तक के लिए रिलेक्स कर दिया जाय। हम माननीय मन्त्रीजी का जवाब सुनना चाहते हैं और बड़ी गम्भीरता से सुनना चाहते हैं, आखिर इनका जवाब इस सदन की मार्फत जायगा। घण्टों तक बहस हुई है। हम न अपना समय खराब करना चाहते हैं और न मन्त्रीजी का।

श्री नाथूराम मिर्धा : सभापतिजी, मैं राजस्थान और हिन्दुस्तान के खाद्यान्नों के उत्पादन के बारे में कह रहा था जो हमने विभिन्न योजनाओं में जो कुछ खर्चा उठाया है उसका फिजीकल परिणाम जो कुछ सामने आया, देश के सामने आया उस मामले को मैंने इस सदन को अवगत कराया। हिन्दुस्तान के अन्दर, इस देश के अन्दर आज भी और ज्यादा पैदावार बढ़ाने की गुन्जायश है। और फिर जो है आज के समय में जरूरत इस बात की है कि देश का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाय, और उस उत्पादन को बढ़ाने के लिए ज्यादे से ज्यादा खर्चा हम कर रहे हैं योजनाओं के अन्दर, सिंचाई की योजनाओं के अन्दर, देश के अन्दर बिजली देने की योजनाओं के अन्दर और जो तरीके हमारे एग्रीकलचर प्रोडक्शन से सम्बन्ध रखते हैं और वे योजनाएं जो फूड और खेती के लिए जरूरी हैं उनमें उत्पादन बढ़ाने में और खास तौर से खाद के कारखाने इस देश के आज बढ़ाने की जरूरत है। इस सदन के माननीय सदस्य जानते होंगे कि देश के सामने

(श्री नाथूराम मिर्धा)

काफी क्रांतिकारी प्रोग्राम जो हमारे उत्पादन शीघ्र बढ़ाने में सहायक हो सकता है वह हमारे देश के....

(७. ३२ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री मोहनलाल सारस्वत : बिना कोरम के चल रहा है हाउस।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया था कि इस सदन के अन्दर कोरम का अभाव है और एक माननीय सदस्य ने यह बात कही थी कि आप रूल्स को रिलेक्स कर सकते हैं अगर चाहें तो। जब सभापतिजी बिराजमान थे उस समय यह प्रश्न उठा था। कोरम बैल बज गई लेकिन कोरम पूरा नहीं हुआ। इसलिए प्रश्न इस रूप में प्रस्तुत हुआ कि कोरम के अभाव में सदन चलाया जाय कि नहीं चलाया जाय। आपकी तरफ से क्या व्यवस्था होती है ? आप कृपा करके इस सम्बन्ध में व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष : कोरम के अभाव में तो सदन चलता नहीं है, परन्तु यदि सदन चाहे तो वह चलता रहे। जैसी कि माननीय सदस्यों की भावना है तो वह चल सकता है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हम कोरम के अभाव में सदन नहीं चलाना चाहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्योंकि यह हम राजस्थान की जनता को बता देना चाहते हैं कि खाद्य मन्त्री के भाषण के समय माननीय सदस्यों की दिलचस्पी कितनी थी और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की दिलचस्पी कितनी थी। उस पार्टी के, जिसके १०५ सदस्य हैं, सदस्य राजस्थान की खाद्य-स्थिति पर बहस हो रही हो उपस्थित नहीं हैं और केवल ६ सदस्य बैठे हुए हैं। बाकी के सदस्यों को कोई चिन्ता नहीं है कि राजस्थान में क्या हो रहा है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दें ताकि राजस्थान की जनता को यह मालूम हो जाय कि शासन करने वाली पार्टी के अन्दर खाद्य के सम्बन्ध में कितनी दिलचस्पी मौजूद है। उपाध्यक्ष महोदय, हम नही चाहते हैं कि सदन कोरम के अभाव में चलाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : (कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) ऑर्डर प्लीज ! इस समय तो कोरम हो चुका है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कोरम कहां है, उपाध्यक्ष महोदय ? (यह कहकर वे उठकर चले गए)।

श्री नाथूराम मिर्धा : विरोधी दल की यह मन्शा है कि कोरम खत्म कर दें और एक एक उठकर चलते जायेंगे तो अगर आपको नहीं सुनना है तो आप पधारें। अगर कोई माननीय सदस्य उठकर चला जाय और यहां पर यह चर्चा करे कि जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं वे सुनना नहीं चाहते तो यह कैसी बात है ? मुझे कोई जरूरत नहीं है जवाब देने की।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसीलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि जब इतनी बहस हो चुकी है और माननीय सदस्यों ने इतना कहा है इस मामले में तो उसका नतीजा निकालना चाहिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर अपोजिशन वाले कोई नतीजा नहीं निकालना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप आराम से घर पधार सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य उत्सुक हों सुनने के वे बैठे रहें कृपया और उस चीज को होने दें।

श्री अब्दुल जब्बार खां : हम तो चाहते हैं कि इनको सुनें। लेकिन मन्त्री महोदय ने कहा कि विरोधी पक्ष के लोग निकलते जायेंगे तो कैसे होगा। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि रूलिंग पार्टी की स्ट्रेन्थ और हमारी स्ट्रेन्थ के रेश्यो से अगर देखा जाय तो अब भी हम ज्यादा हैं। हमें सुनना है कि इनकी क्या नीतियां हैं इसीलिए तो बैठे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं मानता हूँ और माननीय मन्त्रीजी आपका पूरा विचार करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हम, उपाध्यक्ष महोदय, रात के १२ बजे तक भी इनको सुनेंगे, लेकिन राजस्थान की जनता को यह जरूर बतायेंगे कि हुकूमत करने वाली पार्टी के लोगों की इस समस्या के बारे में कितनी दिलचस्पी है? उनको जनता से कितना प्यार है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : माननीय मंत्रीजी तथ्यों की बात नहीं करते हैं और हमेशा सदन को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। शायद इसी कारण से इनकी तरफ के लोग चले गए हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया (जमुवा-रामगढ़) : आंकड़ों से कैसे समस्या हल होगी? आंकडे ही आंकड़े हैं आपके पास। कोई तरीका बताइये।

श्री नाथूराम मिर्धा : आगे समस्या को हल करने का तरीका भी बता रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी चौथी पंच वर्षीय योजना में हम सब लोगों को ज्यादे से ज्यादा योजना के अन्दर कृषि-उत्पादन पर बल देकर चलाना होगा। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के अन्दर तीन पंचवर्षीय योजनाएं हुई हैं उनमें कुल सिंचाई का एरिया ११ लाख एकड़ बढ़ा है। वह एरिया और ज्यादा सिंचाई का बढ़ा है। एक माननीय सदस्य इस सदन में बोल रहे थे तो वह राजस्थान में कुल सिंचाई का रकबा पहले ११-१२ लाख एकड़ ही बता रहे थे फिर एक दूसरे माननीय सदस्य की सलाह से उन्होंने साढ़े सौलह लाख एकड़ बतलाया है। राजस्थान में कुल सिंचाई का रकबा ४०-४१ लाख एकड के लगभग है जिसमें कुओं का एरिया, छोटी सिंचाई योजना का एरिया, मध्यम दर्जे की सिंचाई का एरिया, और राजस्थान में जो बड़ी-बड़ी सिंचाई का एरिया है वह भी शामिल है। इस प्रकार राजस्थान में कुल काश्त की सिंचाई का एरिया १४ पर्सेन्ट के करीब आज राजस्थान में कुल सिंचाई का एरिया है। इस सिंचित

(श्री नाथूराम मिर्धा)

एरिया के मुकाबले में जैसा कि आपने कहा हिन्दुस्तान का औसत एवरेज तीसरी योजना के बाद जो आता है वह १७-१८ पर्सेन्ट है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : २४ परसेंन्ट है।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसमें राजस्थान अभी काफी पिछड़ा हुआ है। इसमें हमको अभी काफी प्रगति करनी है। इस सिंचाई के एरिया को बढ़ाने के लिए सिंचाई योजना चाहे बड़े दर्जे की हो, चाहे मध्यम दर्जे की हो, चाहे छोटी योजना हो, कुए हमारे यहां तीसरी योजना में करीब ७५००० की तादाद में बने हैं हमको और कुए राजस्थान में बनाने पड़ेंगे। जहां पर बहुत सी जगह गहरा पानी है वहां पर बोरिंग कराना पड़ेगा, जहां पर अंडर ग्राउन्ड वाटर है वहां नल कूपों के जरिये पानी बाहर निकालना पड़ेगा। इसके साथ-साथ जो तालाब के जरिये सिंचाई हो सकती है उसका सर्वे होकर पानी इकट्ठा करके खेती की जा सकती है ऐसी योजना छोटे अकाल राहत कार्यों के रूप में चाहे दूसरे रूप में हो उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा। राजस्थान में जितने कुए हैं उतनी तादाद करीब ६॥ लाख है उनमें से करीब १२-१३ हजार कुओं में बिजली है। जैसा कि लक्ष्य रखा है, आने वाली चौथी पंचवर्षीय योजना में ७५००० कुओं में बिजली फिट करवाना चाहते हैं। इसी तरह इस इलाके में ज्यादे से ज्यादा बिजली कुओं में उतार कर, सिंचाई का एरिया बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाना चाहता हूँ।

मैं यह भी जिक्र करना चाहता हूँ कि राजस्थान को बहुत बड़ा श्रेय मिला है वह संकर बीज का उत्पादन है। यह बीज उत्पादन के लिए बहुत ही उपयोगी है इसके उत्पादन एरिया को बढ़ाया जाय। आज भी राजस्थान का जो साधारण पैदावार का इलाका है वहां पर संकर बाजरा का बीज जो देश में पैदा किया गया है उस बीज से एक एकड़ सूखे से सूखे एरिया में इसकी उत्पादन क्षमता करीब ३५ मण प्रति एकड़ आंकी गई है। ज्यादा से ज्यादा संकर बीज से एक एकड़ में उत्पादन जहां पर अच्छी सुविधा इरिगेशन की मिली है वहां पर ४८ मण हुआ है....

श्री डूंगाराम राजोरिया : आप कह तो रहे हो कि संकर बीज आयगा आयगा लेकिन कभी आया नहीं....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं कहता हूँ वह सुनते जाइए, जानकारी तो कुछ है नहीं। संकर बीज की पोटेन्शियेलिटी बढ़ाई जा सकती है। हाइब्रीड मेज को लीजिए जिसके बीज का उत्पादन काफी बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं। संकर बीज के उत्पादन में राजस्थान सबसे ज्यादा आगे है। जो रण जीत मक्का निकली है उसका उत्पादन आज एक एकड़ में ५० मन है। इसी तरह से संकर ज्वार जो इस साल १० हजार एकड़ में बोया है उससे भी उत्पादन बढ़ेगा।

माननीय सदस्य कहते हैं कि संकर बीज बाजरा का अवेलेबल नहीं है यह सही है। जितनी मांग आज संकर बीज के लिए किसानों की है उस मांग को सारे देश में पूरा नहीं कर सकते क्योंकि यह बीज पिछले

(श्री नाथूराम मिर्धा)

साल हिन्दुस्तान में आया था और पहली बार दक्षिण के इलाकों में पैदा किया गया था। वह पैदा हुआ और फसल लेते ही बाहर भेजा जाने लगा। भारत सरकार ने हमें ५० हजार एकड़ के लिए बीज देने की बात कही थी लेकिन कुल ८-९ हजार एकड़ के लिये ही दे पाये। इसलिये जिन किसानों को हमने कहा था कि आप तैयार रहें, खेतों को तैयार रखें, बाजरे का बीज देंगे लेकिन वह सबको नहीं दे सके, क्योंकि भारत सरकार से नहीं मिल सका इसलिये जितने किसानों को कहा था कि जमीन तैयार रखिये देंगे उनको नहीं दे सके क्योंकि यह हमारे यहां तो पैदा होता नहीं, फीमेल्स अमेरिका से आते हैं, मेल्स यहां बनते हैं। देश की बड़ी बड़ी युनवर्सिटीज की लेबोरेट्रीज और बड़े बड़े फार्म्स हैं उन्होंने इस प्रोग्राम को हाथ में लिया है। राजस्थान में करीब ७५० एकड़ में हाईब्रीड प्रोग्राम को हाथ में लिया है, इस साल बहुत अच्छा उत्पादन होगा। अच्छी फसल है, मैंने जाकर किसानों के यहां देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले साल में हमारे यहां पर पैदा किये हुए इस प्रकार के संकर बाजरा का बीज १ लाख एकड़ भूमि के लिए हम दे सकेंगे। इसी तरह से हाइब्रीड मेज का बीज जिसका उत्पादन ४५-५० मण प्रति एकड़ है। चौथे प्लान पीरियड में भारत सरकार का निर्णय है कि राजस्थान सरकार ज्यादे से ज्यादा बीज उत्पादन प्रोग्राम किसानों के फार्म्स पर गवर्नमेंट फार्म्स पर टेक अप करके मक्का, बाजरा और खास करके मैक्सीकन व्हीट, जिसकी वैराइटी ज्यादा से ज्यादा खाद एब्जॉर्ब कर सकती है और जिसका एक एकड़ का उत्पादन ८०–९० मण आता है, हाथ में ले। हिन्दुस्थान में जो कुछ सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, जितना रेन फाल मिल पाता है उसके हिसाब से इस प्रोग्राम को हाथ में लें तो करीब २१ मिलियन टन अनाज का उत्पादन बढ़ सकता है। इसको आने वाली योजना में व्यापक तौर पर लेना चाहते है, और प्रान्तों की बनिस्बत राजस्थान में जोर देना चाहते हैं।

खाद की देश में कमी है, राजस्थान में भी कमी है। राजस्थान में दो तीन साल से चाहे नाइट्रोजन फरटिलाइजर हो, चाहे दूसरा हो इसकी जितनी मांग है उतना उपलब्ध नहीं है। ज्यादा से ज्यादा केपेसिटी करके, फर्टिलाइजर का उपयोग करके का उपयोग जो कुछ साधन हमारे पास कुए और तालाब आदि उपलब्ध हैं उनको काम में लाने के लिये समुचित तौर से किसानों में उत्साह पैदा करें। जो कुछ सिंचाई के साधन मिल सकें उन सब का उपयोग करने पर मुझे भरोसा है चौथी योजना में राजस्थान की उत्पादन पोटेन्शियेलिटी ७० लाख टन तक पहुंच सकती है। राजस्थान कैनाल एरिया भी बढ़ेगा। आलोचना का जवाब दूंगा तो लंबा हो जायगा और वे माननीय सदस्य भी चले गये हैं इसलिये मैं कहने की जरूरत नहीं समझता। उनकी शिकायत हमेशा रहती है और उल्टा लेकर चलते हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूँ कि उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार की तरफ से और जनता मिलकर टेक अप करे तो निश्चित तौर से फर्क आयेगा। दूसरी तरफ विरोधी पक्ष के नेता ने संकेत किया था कि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ यदि जन–संख्या की बढ़ोतरी की दिशा में भी समुचित तौर पर

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कंट्रोल करें तो फर्क पड़ेगा। आबादी बढ़ने की रफ्तार हमारे यहां पर २.५ है और दूसरी सिविलाइज्ड कंट्रीज में जन-संख्या बढ़ने की रफ्तार १ पर्सेंट है। यदि तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को धीमी गति पर लावें तो डेढ़ पर्सेंट तक लावें तो यह देश के लिये कल्याणकारी बात होगी। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिये सरकार ने जिन विधियों को अपनाया है उसके लिये सही वातावरण तैयार करना चाहिये। डेमोक्रेसी में जनमत तैयार करना होता है और जनमत तैयार होकर उसका उपयोग हो सके तो मैं समझता हूं आने वाले सालों में इस बात का वातावरण पैदा कर सकते हैं। जन संख्या कंट्रोल के लिये कानून की आवश्यकता हो, २,३ बच्चे हो जायं उसके बाद ज्यादा बच्चे न हों और जितने बच्चे पैदा हों उनके खाने, पीने, रहने व घर की व्यवस्था करनी है तो उस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। दुनिया में कोई सिविलाइज्ड मुल्क जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आप दुनिया का कोई ऐसा देश बतायेंगे जो अपने देश की आबादी की बढोत्तरी को कंट्रोल कर सका हो ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मेरी बात सुनिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कोई भी देश बताइये।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह समझदार लोग हैं जो अपने देश की आबादी को वन परसेंट से ज्यादा बढ़ने नहीं देते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आल इंडिया....

श्री नाथूराम मिर्धा : आप वाक आउट करके फिर वापिस आ गये। आप मेरी बात सुनिये।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मैं इस प्रॉबलम को बर्निंग प्रॉबलम मानता हूँ, इस समस्या को देश की एक ज्वलन्त समस्या मानता हूँ और इस समस्या को हल करने के लिये देश के सब लोगों को, चाहे वह किसी राजनैतिक विचारधारा के हों, जनसंख्या कम करने के लिए तरीके काम में लाने का ज्यादा से ज्यादा लोगों के अन्दर प्रचार करना पड़ेगा। लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। इसके अलावा इसके लिए जो फेसेलिटी चाहिए, जो लेडी डाक्टर्स चाहिए, जो डाक्टर्स चाहिए जिनके माध्यम से लूप लगाने के तरीके का लोगों में प्रचार हो सके उन सबकी व्यवस्था करनी है ताकि इनका प्रचार ज्यादा से ज्यादा एरिया में हो, शहरों और गांवों में हो। जन संख्या को कंट्रोल करने के बारे में और जनमानस बनाने में हमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग देना चाहिये मैं सोचता हूँ कि इस तरीके से हम इस समस्या को टेकल करने की कोशिश करेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : On a point of order, Sir. उपाध्यक्ष महोदय, !

श्री अलगलाल : इस योजना को आपने कब अपनाया आप यह बताइये ?

श्री उपाध्यक्ष : Order please,

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : On a point of order, Sir, माननीय खाद्य मंत्री जी आउट ऑफ पोइन्ट भाषण दे रहे हैं, बजाय खाद्य स्थिति पर प्रकाश डालने के वह बर्थ कंट्रोल पर भाषण दे रहे हैं और लूप लगाने की बात कर रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : खाद्य स्थिति से ही सबन्धित है, इसलिए थोड़ा सा बता दिया। देश के लिए यह एक बुनियादी बात है और इस बुनियादी बात को आप समझते नहीं हैं और गला फाड़ फाड कर चिल्लाते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : दुर्भाग्य यह है कि यह पूंजीवादी देशों का नारा है जिसको हमारे खाद्य मंत्री जी दुहरा रहे हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूं, किसी भी समाजवादी देश के अन्दर, चाहे उसकी आबादी कितनी ही बढ़ती हो उसको कंट्रोल करने की बात नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : समाजवादी देश तो पहले ही करोड़ों मनुष्यों को हजम कर गये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : हजम कर गये तब भी सत्तर करोड़ की आबादी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : सत्तर करोड़ की आबादी है, वहां आपके समाजवादी भूखे मर रहे है और उनके पास मुट्ठी भर खाने को नहीं है। समाजवाद की बात करते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे देख कर ही आये हों। ७२ करोड़ का कर्ज है इस देश पर जब कि समाजवादी देश पर एक पैसे का भी किसी का कर्ज नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : देखा है आपका समाजवाद। देखा हुआ है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : किसी का एक पैसा भी कर्ज नहीं है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा (मांडल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर रह कर भी दूसरे देशों की तारीफ करने वाले गद्दार भी यहां बैठे हुए हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह आ गये चवन्नी क्लास वाले।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा देश के साथ और गद्दारी नहीं हो सकती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्योंकि आप जवाब दे रहे हैं इसलिए चवन्नी क्लास वाले प्रचार के लिये आ गये।

श्री उपाध्यक्ष : Order Please !

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान जी के समाजवाद को और समाजवादी देश को मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूं, मुझे मालूम है कि आपके समाजवादी देश की क्या अवस्था है। आप उछल उछल कर गला फाड़ कर बोल रहे थे तो मैंने सोचा कि कहीं आप बेहोश न हो जायं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप सब मर जाओ, बेहोश हो जाओ तब भी हाण्डा बेहोश नही हो सकता है। आपके ऊपर कफन डाल कर मरूंगा। आपको बेहोश करके मैं बेहोश हो जाऊंगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बड़ा खूबसूरत बोलते हैं और आपकी जो वॉकेबुलरी है इस पर जनता नाज रखती है, मैं भी नाज रखता हूं। फिर फाड़िये गला और गला फाड़ फाड़ कर बोलिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जनता आप पर नाज करती है। मैं तो मस्ती से जी रहा हूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप अच्छा बोलते हैं वह रिकार्ड हो जायगा और जनता को पता लग जायगा....

श्री उपाध्यक्ष : Order Please !

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर रहा था कि देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। राजस्थान के खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो कुछ तथ्य आपके सामने आये हैं या आपके सामने रखे हैं उनको लागू करना जरूरी है। लेकिन उसके साथ साथ पोपूलेशन कंट्रोल के बारे में भी सोचना है। देश की जो हालत है और जिन तरीकों से देश की योजनायें चल रही हैं उनके साथ साथ पोपूलेशन कंट्रोल भी देश का एक महत्वपूर्ण और जरूरी प्रोग्राम है जिसे देश के एक एक इन्सान को समझाना है और हर एक व्यक्ति को समझना है। उसके ऊपर भी हमें ध्यान रखना है। यह बात आपके जरिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन को कहना चाहता हूं। उत्पादन की इन बुनियादी बातों को कहने के बाद खास तौर से जो खाद्य के वितरण की, राजकीय अन्न वितरण व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ माननीय सदस्यों ने मुद्दे उठाये हैं उनकी तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहूँगा। खास तौर से राज्य के अन्दर, जैसा मैंने कहा, पिछली पंचवर्षीय योजना के पांच वर्षों के अन्दर बरसात की कमी के कारण, उत्पादन में कमी होने के कारण काफी एरिया में अकाल की स्थिति उत्पन्न होगई थी। वर्षा की कमी के कारण ही हमारे प्रदेश में उत्पादन में कमी थी और यह कमी समूचे देश के अन्दर हुई। वर्षा में कमी थी इसलिए ही देश के अन्दर ज्यादा से ज्यादा फूड ग्रेन्स हमें इम्पोर्ट करना पड़ा और इम्पोर्ट बढ़ाना पड़ा। खास करके इम्पोर्ट के आंकड़े विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य ने दिये थे और उसके बाद हमारे रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़े जोर से और काफी जोर लगा कर तेज आवाज में कहा कि इस देश को गिरवी रख दिया है, देश को कर्जदार बना दिया है। सरकार की इम्पोर्ट पॉलिसी ने और अमेरिका की पी. एल. ४८० की योजना ने हमारे देश को और हमको गुलाम बना रखा है, लज्जाजनक स्थिति पैदा यह सरकार कर रही है। बड़े कठोर और तीखे शब्दों में, जो उनकी समझ में आया वैसे शब्दों में, उन्होंने यह बात कही। मैं बहुत नम्रता से, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि देश के किसी आदमी को, किसी सरकार को दुनिया के और देशों से नाज मंगा कर खिलाने का शौक नहीं है। इस बात से उल्टा कितना इस देश को

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नुकसान होता है, इसे यह सरकार न समझती हो, यह मान कर माननीय सदस्य चलते हैं। मैं सोचता हूं कि उनकी मानसिक स्थिति कमजोर अवश्य है। हम स्वीकार करते हैं कि देश के अन्दर खुद देश को इतना पैदा करना चाहिए जिससे वह अपने लोगों को खिला सके और देश की जनता को खिलाने के बाद दुनियां के दूसरे जो जरूरतमन्द देश मदद चाहते हैं उनको मदद दी जा सके। लेकिन हमारे पीछे जो लीगेसी है, जो अंग्रेजों के वक्त के शासन का, जो राजा महाराजाओं के वक्त के शासन का, राजस्थान की बाईस रियासतों का इतिहास है, उस सबको हम भुला कर नहीं चल सकते। इस देश के अन्दर और इस प्रान्त में, खास तौर से मैं प्रान्त की बात कहना चाहता हूँ, अलग अलग राज्यों में भूमि सुधार के कानून नहीं थे। भूमि सुधार की बात आज आप कहते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूं कि बाईस रियासतों में छः को छोड़ कर, जिनमें छोटे मोटे कानून थे, और रियासतों में कानून नहीं थे, उनमें किसानों को खेती के राइट नहीं थे, खेतों के पजेशन की सीक्योरिटी नहीं थी, उस सब पुराने बेक-ग्राउन्ड के अन्दर भूमि सुधार के जितने कानून इस सदन के बनाये हैं, और उन पर विचार किया है और उनको बाद में इम्प्लीमेंट भी किया गया है।

यहां पर यह भी कहा गया कि सीलिंग का कानून तो बना दिया लेकिन उसको यह सरकार लागू नहीं करना चाहती है। सीलिंग कानून की बात को लेकर यह खास तौर से कहा गया कि जो बड़े लोग हैं उनको सीलिंग कानून को लागू न करके खुश रखना हैं और जो छोटे लोग हैं उनको यह सब्ज बाग दिखा कर कि सीलिंग कानून आयेगा, सीलिंग कानून के द्वारा उनके कब्जे में जमीन आयेगी उनसे वोट लेते हैं। यह भी कहा कि सीलिंग कानून इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि बड़े लोगों से पैसा लेना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहूँगा कि सीलिंग का कानून इस सदन ने बनाया है। उसके बाद सीलिंग कानून के अन्तर्गत नियम बनाये गये हैं और उन नियमों के मुताबिक लोगों की सूचना के लिए सब लोगों को नोटिस दे दिये गये हैं कि सीलिंग कानून के मुताबिक हर इलाके के अन्दर सीलिंग में कितनी कितनी जमीन होगी। यहां यह कहा जाता है कि किसानों को इन सब बातों का ज्ञान नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो किसान जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके के सम्बन्ध में जानकारी उनको कराने की कोशिश की है और जो आज किसान हैं उन सबको इसका ज्ञान है कि किस इलाके में कितनी होल्डिंग पांच व्यक्तियों के परिवार में रहने वाली है। इसलिए कितनी जमीन एक परिवार के पास रहेगी, इसकी जानकारी उनको हो चुकी है। और जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है उनसे लेकर आने वाले थोड़े से समय में वह जमीन उन लोगों को, जिनके पास जमीन नहीं है, नियमानुसार जिनको जमीन मिलनी चाहिए, जो भूमिहीन हैं, और जो छोटी होल्डिंग वाले हैं, देने की कोशिश की जायेगी। लेकिन एक कानून बनता है तो उस कानून की सारी की सारी चीजें एक दिन में हो जाय-यह मुमकिन

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नहीं हैं क्योंकि एक कानूनी प्रोसीजर बना हुआ है उसको लागू करने के लिए। और उस प्रोसीजर के मुताबिक ही हम लागू करना चाहते हैं....

श्री अब्दुल जब्बार : मैं निवेदन करना चाहता हूँ ...

श्री नाथूराम मिर्धा : इस सदन का काम कानून बनाना है लेकिन उसको लागू करने में समय लगता है ...

श्री अब्दुल जब्बार : मैं निवेदन कर दूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप महरबानी करके बैठ जाइये।

श्री अब्दुल जब्बार : मैं निवेदन कर दूं कि आपने कहा, नोटिस दे दिये हैं, नोटिस आ गये हैं इसके लिए तो मैं आभारी हूँ लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण है अब भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है और आपके तहसीलदार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और नामांकन कर रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बैठ जाइये। थोड़ा सा मुझे भी सुनिये।

मैं इस पोइन्ट को कह रहा था, बहुत से लोग यह कहते हैं और एक दो माननीय सदस्यों ने भी कहा कि सीलिंग का कानून बना दिया तो भूमि का ट्रान्सफर क्यों नहीं रोका गया, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं रोका गया....

श्री अब्दुल जब्बार : रजिस्ट्रेशन नहीं रोकें लेकिन नामांकन क्यों भरते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं भरते हैं।

श्री अब्दुल जब्बार : भरते हैं। मैं आपको तहसील वाइज बता दूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं रोकते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रोका नहीं जा सकता। रजिस्ट्रेशन का कानून अलग है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अजी श्रीमान जी, रजिस्ट्रेशन एक्ट भारत सरकार का है लेकिन दो करोड़ किसानों को राहत देना चाहते हैं तो भारत सरकार भी तो आपकी पार्टी की है....

श्री नाथूराम मिर्धा : आप मेरी बात सुनिये। रजिस्ट्रेशन को रोकना जरूरी

(८.०० म. प.)

नहीं है। रजिस्ट्रेशन तो एक प्रकार का इविडेन्स में डोकूमेंट है। उसकी वकत है। हमने कानून में पाबन्द किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप इसको भी रोक सकते हैं। जिस प्रकार आप १५ ए को हाई कोर्ट में अलट्रावायर्स करार देने के बाद खातेदारी राइट्स को रोक सकते हैं उसी प्रकार इसको भी रोक सकते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : अपनी यह बहस तो फूड पर है। इस पर नहीं है। यह तो यों ही बाई पास करके चल रहे थे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ठीक है अपनी तो बहस आज फूड पर है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो मैं बाई पास करके चल रहा था।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि पिछले १२ वर्षों और १५ वर्षों में सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या प्रगति की और क्या क्या कानून सदन ने बनाये हैं इससे तो सभी आप परिचित हैं और जानते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि भूमि सुधार के जितने कानून राजस्थान में बने हैं हिन्दुस्तान की किसी भी दूसरी स्टेट में नहीं बने है। यदि आप राजस्थान की दूसरी स्टेटों से मुकाबला करेंगे तो राजस्थान का नम्बर पहला होगा और वह इसमें पहले नम्बर पर आपको खड़ा मिलेगा। तो यह धारणा रखना कि सरकार ने भूमि सुधार के कानून बनाये नहीं, यह गलत है, और यह भी धारणा रखना कि कानून बनाये तो उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गलत है। जो कानून बने हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। इसके बारे में जो कानून बने हैं उनका रेकॉर्ड है और मैं समझता हूं कि राजस्थान उसमें सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

अब खास तौर से राजस्थान और हिन्दुस्तान के जोन्स के बारे में बात उठाई गई। लोग कहते हैं कि जोन्स नहीं रहने चाहिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपकी पार्टी का भी तो यही ख्याल है कि जोन्स नहीं रहने चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारी पार्टी का यह ख्याल है कि जोन्स रहने चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पहले यह तय हुआ था कि जोन्स नहीं रहने चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस सम्बन्ध में एक्सपर्ट लोगों की कमेटी बैठी और उन लोगों ने रिपोर्ट दी है उसमें यह कहा गया है कि जोन्स रहने चाहिये और आज की खाद्यान्नों की परिस्थिति को देखते हुए जोन्स रहना जरूरी है। हिन्दुस्तान में पिछले वर्षों में जो हालत रही है उसको देखते हुए जोन्स का रहना बहुत जरूरी है। किसी भी कमी वाले इलाके में फूड कार्पोरेशन नाज को पहुंचा सकें और लोगों को राहत पहुंचा सकें तो यह हमारी सही नीति होगी। जो लोग यह कहते हैं कि जोन्स नहीं होने चाहिये और अगर जोन्स हों तो बड़े होने चाहिये। और कुछ लोगों का यह ख्याल हैं कि कुछ जो बड़े बड़े शहर हैं उनको कोर्डन अप कर दें और जो एक लाख से ऊपर की जन संख्या के शहर हैं उनमें राशनिंग कर दिया जावे। इस प्रकार को जनसंघ से आने वाले एक माननीय सदस्य ने सलाह दी कि एक लाख से ज्यादा की आबादी के शहरों में राशनिंग कर दिया जावे और जो इम्पोर्टेड वीट से स्टोक बनाया है वह दूसरे इलाकों को दे दिया जावे इससे दूसरे इलाकों की समस्या काफी हद तक ठीक हो जावेगी। इस पर हमारी पार्टी के लोगों ने विचार किया है। शहर में रहने

(श्री नाथूराम मिर्धा)

वाले लोगों को इम्पोर्टेड वीट देते हैं मगर अब तो वीट से काम नहीं चलता, मिलों भी लाना पड़ेगा । अगर हम उनको जो बाहर इलाकों में रहते हैं मिलो और वीट दें तो उनकी क्वालिटी में अन्तर होने का प्रश्न पैदा होता है । वे कहेंगे कि हमें क्यों घटिया किस्म का अनाज खिलाया जाता है । इस बात का प्रश्न सामने आता है....

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैंने कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया कि इम्पोर्टेड वीट जो है....

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने शहर में, जिनकी पापूलेशन एक लाख से ज्यादा हो वहां राशनिंग का प्रश्न तो उठाया है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप फेअर प्राइसेज शोप्स रखें और उनमें लोकल वीट आप सप्लाई करें जो बाहर से खरीद करने की जरूरत नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो सरप्लस धान प्रोक्योर किया जावे वह दिया जावे । आपने पूरे राशनिंग की बात कही है कि पूरा राशनिंग किया जावे तो फिर ओपन ग्रेन मिलने की कोई बात नहीं रहेगी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर आप यह व्यवस्था लागू करें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो हमारा अच्छा धान पैदा होता है वह सब समाज और देश की जरूरत के लिये, और जब अनाज की कमी रहती है उसके लिये रखते हैं....

श्री कृष्णकुमार गोयल : ओपन मार्केट से दिलादें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो आपका यह कहना है कि कुछ शहरों को कोर्डन कर दिया जावे । उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में आज अनाज की शोर्टेज है उसको यदि हम जोन्स के द्वारा कन्ट्रोल नहीं करेंगे और पूरा का पूरा ट्रेड व्यापारियों के हाथ में सौंप देते हैं तो करीब करीब महाराष्ट्र की सी हालत हमारे यहा भी हो जावेगी, महाराष्ट्र के भाव आज आप देखें तो ११२) क्विन्टल है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : देश में अनाज का कितना शोर्टेज है? एक करोड़ २० लाख टन । सिद्धान्त के तौर से आपकी सरकार कह सकती है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : देश में आज ८००–६०० लाख टन की शोर्टेज है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कितना पर्सेन्ट शोर्टेज है यह आप बता दें ।

श्री नाथूराम मिर्धा : ५ पर्सेन्ट और १० पर्सेन्ट के बीच में है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके फूड मिनिस्टर कहते हैं कि चूहे और टिड्डी १५

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पर्सेन्ट खा जाते हैं। यदि हम उनको मार दें तो यह शोर्टेज खत्म हो जाती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : उनको आप मार देंगे तो पेरट और चिड़ियां भी तो हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके लिए आपके फूड मिनिस्टर जिम्मेदार हैं। वे कहते हैं कि १५ पर्सेन्ट तो टिड्डी और चूहे खा जाते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी बहस मैंने बहुत सुन ली और अब आप मेरी बहस भी शांति से सुन लें। नहीं तो यह चार घन्टे में भी खत्म नहीं होगा और आपको बैठे रहना पड़ेगा। और आप बैठे बैठे थक जायेंगे। टिड्डी और चूहों से तो १० पर्सेन्ट या १५ पर्सेन्ट होता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पुरानी आदत लोगों की खाद्यान्न को पैदा करके उनको होर्डिंग करने की रही है और यह कई वर्षों से चली आ रही है। उसमें कानूनी तौर से परिवर्तन एक हद तक ला सकते हैं। मगर डन्डे के जोर से पूरा नहीं ला सकते। आप तो डन्डे के राज में कुछ भी कर सकते हैं। हमारे राज्य की व्यवस्था में और आपके राज्य की व्यवस्था में बहुत फर्क है।

श्री अब्दुल जब्बार : आप लाठियां लड़कों पर चलाते हैं और जनता पर चलाते हैं मगर व्यापारियों पर लाठी नहीं चलाएंगे। अगर आप किसी के भी खिलाफ एक्शन लें तो देखें कौन होर्डिंग करता है। आप उन पर लाठी चलावें और उनको खत्म करें तब ठीक हो। मगर यह आप कर नहीं सकते।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप भी उनकी पार्टी में शामिल हो जाओ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप वह भी नहीं कर सकते हैं जो धर्मवीर ने किया। हमारा डन्डा पड़े तो आपकी खोपड़ी कहां रहेगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : जोन्स को हटाने की बात पर और देश के कुछ बड़े बड़े शहरों को कोर्डन करने की बात पर सरकार और हमारे दल में विचार किया गया है और वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अनाज की कमी है। हमें कुछ इम्पोर्ट करना ही पड़ता है। चाहे आप उसको लज्जाजनक स्थिति कहें या और कुछ कहें। हम भी तो उसको अच्छा नहीं कहते। मगर मैं कहूंगा कि हमको वह भी तो मिल जाता है। यह हो सकता है कि आप जैसे लोगों की अगर सरकार बने तो उस राज्य को उधार देने के लिए भी कोई तैयार नहीं होगा। मगर आज प्रजातान्त्रिक शासन चल रहा है और हमारे प्रजातान्त्रिक शासन की प्रतिष्ठा आज दुनिया में ऐसी है कि जनता को तकलीफ से बचाने के लिए बहुत सा अनाज लोन्स पर मिलता है। और उसकी वजह से मदद लेकर हिन्दुस्तान की जनता को भूख से बचाना चाहते है और बचाते हैं पर यह स्थिति ज्यादा दिन तक रखना हमें अच्छा नहीं लगता, उसको तेजी से बन्द करना चाहते हैं, अपने यहां पर ही एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा कर, हमें बाहर से पी. एल. ४८० की आवश्यकता न पड़े, वह स्थिति लाना चाहते हैं, पर वह स्थिति एकदम

(श्री नाथूराम मिर्धा)

लाना सम्भव नहीं है । इसलिए दूसरे देशों से मैत्री रख कर, हमारी सरकार की जमी जमाई साख और पैठ पर कर्ज के तौर पर हमें बाहर के देशों से अनाज लाना पड़ता है और हिन्दुस्तान के अन्दर लोगों को जिन्दा रखना पड़ता है ।

तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत सदन के माननीय सदस्यों को कि जो विरोधी पक्ष की पार्टियां नीतियां लेकर चलती हैं उन पर बहुत सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूं कि विरोधी पक्ष की जितनी पार्टियाँ हैं उनमें से किसी के पास कोई पूरी योजना नहीं है । आपके दलों की विचारधारा है, हिन्दुस्तान की सरकार बना कर आप पोजिटिव तौर पर क्या करना चाहते हैं, क्या योजनाएं आपकी सरकार बनने पर देश के लिए होंगी, ऐसी योजना रखने का विरोधी पक्ष की किसी पार्टी या पक्ष ने दावा नहीं किया है कि हमारे पास हमारी सरकार बनने पर देश के लिए यह योजना है । ...

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हमने किया है, डेढ़ लाख आदमियों ने पार्लियामेंट के सामने जाकर कहा था कि अगर तुमसे बजट नहीं बनता तो हमें दो, हम सरप्लस बजट बनायेंगे। हिन्दुस्तान का डेफिसिट एरिया केरल है, वहां सरप्लस बजट बनाकर बताया....

श्री नाथूराम मिर्धा : आप तो ऐसी बात कहते हैं कि एक आदमी के नाखून नहीं हैं तो खोपड़ी खुजाये कैसे । न आपके नाखून आयेंगे और न खोपड़ी खुजा सकोगे । आपका इस देश में राज बनेगा ही नहीं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप जब यह कहते है कि कोई पार्टी की नीति नहीं है........

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि सम्पूर्ण नीति नहीं है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सम्पूर्ण नीति नहीं है इस प्रकार का ओब्जर्वेशन करने से पहले आपको जो डेढ़ हजार तनख्वाह मिलती है उसमें से १५० रुपया माहवार खर्च कर के समाजवादी पार्टी का साहित्य है उसको पढ़ने का प्रयत्न कीजिये ताकि आपकी समझ में आये कि हमारे पास क्या योजना है, क्या नीति है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने यह कहा कि अभी तक विरोधी पक्ष में ऐसा कोई दल नहीं, जिसने इस देश में यह दावा किया हो कि हम हमारी सरकार बनायेंगे और अमुक नीतियों से देश को यह रास्ता देंगे, ऐसा दावा विरोधी पक्ष की किसी पार्टी ने नहीं किया है ।

श्री श्रवणलाल : हर पार्टी ऐसा दावा करती है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ऐसा दावा सोशलिस्ट पार्टी करती है, कम्युनिस्ट पार्टी करती है, जनसंघ करता है, पर आप उन दावों को सुनो नहीं, किताबें पढ़ो नहीं और यों ही जो मन में आये वह कह दो तो इसका तो कोई इलाज नहीं ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका दावा जहां तक सुना है यह है कि देश के अन्दर हम विरोधी पक्ष के लोग सब मिल जुल कर कांग्रेस राज को खत्म करना चाहते हैं। यह दावा आपका सुना है। यह दावा अभी भी सुन रहा था, लक्ष्मणसिंहजी बोल रहे थे तो आप लोग कह रहे थे कि हम भी आपको चाहते हैं, कांग्रेस की बहुमत की हुकूमत इस देश में खत्म हो, इसमें, आप लोग कह रहे थे कि, हम सब एक हैं। मैं बहुत गहराई से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस दल को समाप्त करने से आपसी सहयोग से आप यदि ऐसा कर भी लें तो देश की समस्याएं सुलझायेंगे, इस देश को भूख से बचा लेंगे, ऐसी सरकार अभी तक तो बनी नहीं है. आगे अगर बनेगी और देश की जनता विश्वास कर लेगी और आप इधर होंगे तो हम भी देख लेंगे कि आप क्या चांदणा करना चाहते हो।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इन बातों से तो कोई फायदा नहीं, किस जिले में आपने जिलाबन्दी की है, कितने भाव बढ़े हैं, यह बता दो।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस पर भी अभी आता हूँ। जनरल नीतियों की बात कही, अपने राजस्थान की नहीं कही।

राजस्थान की जिलाबन्दी की नीतियों के बारे में कोटा से आने वाले माननीय सदस्य, और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि पिछले साल कोटा, बूंदी, झालावाड़ और गंगानगर, खास तौर से उदयपुर डिवीजन को एक मान कर प्रतापगढ़ सब डिवीजन को अलग किया इसका क्या कारण था। मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि इसके एड्वान्टेजेज क्या थे। जो मुसीबत राजस्थान में थी, ११,००० गांवों में अकाल की स्थिति थी, इम्पोर्टेड वीट एक मात्रा में आता था तो यह मान कर नहीं चल सकते थे कि इम्पोर्टेन्ट वीट से ही सारा का सारा काम कर लेंगे। अगर भारत सरकार यह कहती कि हम आवश्यकता के अनुसार वीट देंगे तो हम जिलाबन्दी नहीं करते। पर भारत सरकार ने कहा कि अलग अलग राज्य अपने पांवों पर खड़े होने के लिए, जिन इलाकों में जितनी अनाज की प्रोडक्शन है, उसके हिसाब से अनाज प्रोक्योर कर सकते हैं, करें। हमने प्रोक्योरमेंट की बात उस समय कही थी। काफी बड़े पैमाने पर अकाल पड़ा, २४ जिलों में गांव अकाल से त्रस्त थे, ११ हजार गांवों में अकाल था। एकरेज बेसिस मानकर चलते थे पर लोगों के विचारों को सुना और उत्पादन को देखा तो हमने प्रोक्योरमेंट को छोड़ा। फिर भी देखा कि जिन इलाकों में अच्छा अनाज पैदा हुआ है वहां एक्स्ट्रा खाद्यान्न पर्चेज कर के दूसरे इलाकों को दे सकें तो इसके सिवाय और रास्ता नहीं था कि उन सरप्लस इलाकों में कोर्डन-अप करें। खास तौर से जिन इलाकों को सरप्लस देखा, उनकी कोर्डन-अप किया। उसका परिणाम यह हुआ कि पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड में भी दूसरे इलाकों से वहां भाव नीचे थे और आज भी चल रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कोटा में ६५ रुपया क्विन्टल गेहूं का भाव है।

श्री नाथूराम मिर्धा : गेहूं तो कोटा से लिया ही नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : फिर भी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कारण क्या है ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : स्मगलिंग होता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ८०) रु० का भाव है गंगानगर में।

श्री नाथूराम मिर्धा : न तो गंगानगर का एक दाना निकला और न कोटा, बूंदी, झालावाड़ का एक दाना निकला, इसका कारण स्मगलिंग नहीं। इसका कारण यह है कि राजस्थान अच्छे सालों में बाजरा एक्सपोर्ट करता है, चना एक्सपोर्ट करता है, मक्का और ज्वार एक्सपोर्ट करता है पर वीट कभी एक्सपोर्ट नहीं करता। वीट ज्यादा से ज्यादा अच्छा साल रहा है तो भी राजस्थान ने १० लाख टन पैदा किया है। गत साल ७।। लाख टन वीट का उत्पादन था राजस्थान का, जहां कि राजस्थान के लोगों की नीड्स १४–१५ लाख टन है। तो पैदावार भी आधी ही थी। कोटा के इलाके के लोग हैं, वहां की जनसंख्या के लिहाज से जो खपत है, गंगानगर के लोगों की खपत है और फिर माल कम है, इस कारण भाव बढ़े, इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान के और और राज्यों के इलाकों में गेहूं की कीमतें ऊंची हैं, इसका भी साइकोलोजिकल इफेक्ट होता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसका मतलब यह है कि जिलाबन्दी से कोई फायदा नहीं नहीं हुआ ?

श्री नाथूराम मिर्धा : फायदा हुआ। गेहूं न लिया, न हटाया है, उसमें नहीं हुआ। पर ज्यों ज्यों अवेलेबिलिटी कम होती है, सीजन नजदीक आ रहा है, लोकल सप्लाई, डिमाण्ड से प्राइसेज गाइड हो रही हैं। जहां तक जोन्स के अन्दर हमारे यहां पर अनाज इकट्ठा करने की बात थी, हमने प्रयत्न किया। हमने कुछ शुरू शुरू के अन्दर राज्य सरकार की तरफ से, फूड कार्पोरेशन की तरफ से जो स्कीम बनाई कि २५ प्रतिशत हमें दिया जाय और ७५ प्रतिशत बाहर भेजो, इन सारे प्रयत्नों से करीब २७-२८ हजार टन अनाज इन कोईन्ड-अप एरिया में कोर्स ग्रेन के रूप में इकट्ठा किया। वह इम्पोर्टेड वीट और जो कुछ चना हमारे पास ५० प्रतिशत बाहर भेजने के समय डेढ़-दो लाख टन स्टाक था, वह और यह अनाज और भारत सरकार से आया हुआ अनाज सारे फैक्टर्स मिलाकर, हमारा करीब डेढ़-दो लाख टन स्टाक बना। इसके जरिये हमने इम्पोर्टेड वीट की सप्लाई के साथ साथ तथा कोर्स ग्रेन के जो कुछ स्टाक्स आए, उनके जरिए मदद लेकर राजस्थान के जिस किसी इलाके में अकाल की स्थिति थी, वहां इम्पोर्टेड वीट के साथ, इन धानों के साथ सप्लीमेंट करके, पिछले महीनों के अन्दर राजस्थान की जनता का काम चलाया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यदि आपको गेहूं वहां से नहीं खरीदना था और जैसा आपने कहा गेहूं वहां से नहीं लिया और दूसरे जिलों में नहीं भेजा, अभी भी जहां तक गेहूं का प्रश्न है, आपकी जिलाबन्दी बेकार हो गई है और नई फसल आने वाली है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि काश्तकार को उसकी उपज का इन ४ जिलों में भी अच्छा भाव मिले गेहूं का तो फिर आपको जिलाबन्दी,

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

जहां तक गेहूं का प्रश्न है, समाप्त करनी चाहिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : आगे के बारे में आश्वासन लेना चाहते हैं, मैं सदन में नहीं दूंगा पर यह भी बता देना चाहूंगा....

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने जो बयान दिया है उससे जाहिर है कि गेहूँ की जिलाबन्दी बेकार रही है। आपने काश्तकार को पोस्ट हारवेस्ट अर्से में कम भाव लेने के लिए मजबूर किया।

श्री नाथूराम मिर्धा : गेहूं का अलग मसला है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्री–दिसम्बर १९६५ में आपने बैन किया। आपने गेहूँ नहीं खरीदा, यह बैन बेकार है और काश्तकारों को व्यापारियों के हाथ लूटने के लिए बेन लगा रखी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : गेहूं पर बैन लगाया उस समय....

श्री कृष्णकुमार गोयल : उस समय मैक्सीमम प्राइसेज फिक्स कर रखे थे।

श्री नाथूराम मिर्धा : उससे पहले हटाया बैन को, आपको याद नहीं है। गेहूं के लिए मैंने जिलों की नाकाबन्दी भी नहीं की थी न गेहूँ खरीदने के इरादे से, न बाहर के इलाकों को भेजने के लिए। दूसरा अनाज बन्द हो और गेहूं बाहर जाता रहे, यह ठीक नहीं। गेहूँ वहां से बाहर नहीं गया उसके बावजूद ८०) गंगानगर में....

श्री कृष्णकुमार गोयल : गेहूँ बाहर जाता है, मध्यप्रदेश में जाता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आखिर चोरी से कितना जाता है? चोरी चोरी है। आप चोरी की हवा राजनैतिक तौर से भले बनाए लेकिन चोरी से लोग कितना ले जायेंगे?

श्री मानिकचन्द सुराणा : हम हवा नहीं बनना चाहते हैं। आपने फिगर्स में कहा कि इतनी चौकियां बनाईं उसमें कई हैड कॉन्सटेबुल, कॉन्सटेबुल और १७-१८ इन्सपेक्टर्स दिये हैं। आप सोचिए १०-१० चौकियों पर एक इन्सपेक्टर होगा, उस इन्सपेक्टर, हैड कॉन्सटेबुल और कान्सटेबुल की हैसियत क्या है?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप चाहते हैं कि हरेक चौकी पर सुपरिन्टेन्डेंट लगाए?

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिस तरह से आपने चौकियां लगाई हैं, उनका स्ट्रेंग्थ है उससे स्मगिलग नहीं रुक सकेगी और भ्रष्टाचार भी नहीं रुक सकता।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यही कह रहा हूं कि स्मग्लिंग नहीं रुकती होगी लेकिन कितना होता? ५० प्रतिशत होता है? ४० प्रतिशत होता है?

श्री मानिकचन्द सुराणा : २५ प्रतिशत होता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका विश्वास है ? आंकड़े इकट्ठे किए हैं ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मादरा और नोहर का मालूम किया है। मादरा का अनाज पंजाब में, भरतपुर का यू. पी. में और कोटा का मध्यप्रदेश में जाता है। चना जा रहा है, पंजाब का चने का भाव ज्यादा है। राजस्थान का चना पंजाब में जा रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक चीज और शामिल है। परसेंटेज तो इन्होंने बताई। लेकिन दूसरी बात है एडमिनिस्ट्रेशन की कम्पलीट बैंकरप्सी। अनाज का होर्डिग है। न स्टॉक्स को एक्सपोज कर सकें न होर्डिग को रोक सके।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी बात समझ में आ गई। होर्डिग है, स्टॉकिंग है, किसान के पास है। मैं नहीं कहता कि कहीं पर होर्डिग नहीं है, होर्डिग के बारे में कानून बना हुआ है, वह सबको मालूम है। उसके बाद जो सारी समस्याएं हैं स्मगलिंग या दूसरे प्रकार की जो बातें कह रहे हैं, मैं मानता हूं। उनको रोकने के लिए शासन को ज्यादा से ज्यादा कड़ाई से काम करना चाहिए। मै मानता हूं, लेकिन २५ प्रतिशत अनाज ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : २५ प्रतिशत को लेकर सैबोटेज मत करें। पंजाब की मिसाल है, कितनी कीमत होर्डिग को एक्स-पोज़ करने के बाद गिरी है और कितने ह्यूज स्टॉक्स........

श्री नाथूराम मिर्धा : पंजाब में क्या भाव थे और कितने भाव गिरे हैं. इन सारी चीजों की जानकारी मैं भी रखता हूं। मैं सब जानता हूं कि पंजाब ने क्या किया। आपका यह मानना हो सकता है। आप जैसी तोड़फोड़ की नीतियों को मैं नहीं मानता। ऐसी नीतियां तो तानाशाही राज में ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अभी भी प्रशासन के पंगुपन को स्वीकार नहीं करते ? आपको मानना चाहिए कि प्रशासन कमजोर है, पंगु है, जिसके कारण जनता को कष्ट उठाना पड़ रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी भाषा बोलने में मैं असमर्थ हूं। प्रशासन में सभी जगह खामियां हो सकती हैं और उनको दूर करने के लिए प्रजातांत्रिक तरीके हैं जिसके लिए प्रोसीजर्स बने हुए हैं, नियमों में व्यवस्था की हुई है, वे प्रजातांत्रिक रास्ते हैं, जिनके जरिए कदम उठाए गए हैं और आगे भी अमल किया जाता रहेगा, लेकिन आप जिस प्रकार की विचारधारा रखते हैं, उस प्रकार की तानाशाही इस राज्य के अंदर नहीं होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके कहने का मतलब कि पंजाब के अन्दर जो कदम उठाए गए हैं, वे कानून के अनुसार नहीं थे ? आपका बोर्डर कमिश्नर एक एस० डी० एम० की इन्क्वायरी करे और फाइंड आउट करे कि चने का स्मगलिंग करवाया है, आउट-डेटेड इन्क्वायरी की है, सस्पेन्शन के लिए सिफारिश करे बोर्डर कमिश्नर और आप कोई एक्शन न लें।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो जिन लोगों की नाकाबन्दी के बारे में जो कुछ आपने कहा उस पर हमारी कई मजबूरियां थी लेकिन उस समय जो थोड़ा-स्टॉक बन पाया, उस समय राजस्थान की अकाल पीड़ित जनता को राहत देने के लिए कुछ न कुछ इकट्ठा किया उससे हमको राहत मिली और इसलिए वहां किसानों को जो भाव हमने दिया ज्वार, बाजरा का ३३) और ४२) क्विटल का और व्यापारियों से खरीदा ४०)–४२) में । और वहां के करीब ८)–६) रु० जो चार्जेज स्टोरेज वगैरा के खर्च के रूप में हमारे बने उसको जोड़ कर वह अन्दाज ५४)–५५) रु० तक अकाल क्षेत्रों में बांटा ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने बताया कि मोटा अनाज २७-२८ हजार टन जिला बूंदी से इकट्ठा किया । कितना आपने बाहर भेजा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक दाना भी बाहर नहीं भेजा । सारे राजस्थान में काम में लिया । आप गलतफहमी मत रखिये । अकाल में बाहर कहां भेजना था ? आप इस प्रकार का भ्रम रख लेते हैं इसीलिये कठिनाइयां होती हैं । पिछले साल एक दाना भी बाहर नहीं भेजा ।

तो मैं निवेदन कर रहा था खास तौर से जिला बूंदी के बारे में । राइस के लिये मैं कह दूं कि राइस उत्पादन करने वाला राजस्थान नहीं है । पिछले साल राइस का उत्पादन ७० हजार टन के लगभग था उसमें से हमने सोचा कि हजार दो हजार टन लोकल के लिए मिल जाय तो यह कानून उस तरीके का लागू किया । पेडी उस समय काफी ऊंचे भाव पर थी और चांवल ऊंचे भाव पर बिक रहा था । जिस तारीख से कानून लागू किया उससे पहले जिनके पास पेडी का स्टॉक था, चांवल के व्यापारियों ने कहा था कि पहले के स्टॉक पर लेवी नहीं लगनी चाहिए और पेडी के लिये कानून लगाया तो बाद में लगाना चाहिये । पेडी का भाव उस समय ११२) रु० क्विन्टल और हमने तैयार कराया उसके ६२)–६३) और अच्छी क्वालिटी का ७०)–७५) क्विन्टल था । पुराने स्टॉक पर नहीं लगेगा और यह कानून लागू किया उसमें सफाई की । राइस हालर्स को ५० परसेन्ट लेवी देनी पड़ेगी । इसका हाई कोर्ट में विवाद चला । हाई कोर्ट में इसको चैलेन्ज किया कि ५० परसेन्ट लेवी व्यापारियों को काफी नुकसानप्रद रहेगी । पिछली हालत ध्यान में रखते हुए उस ऑर्डर को अमेण्ड किया कि २५ परसेन्ट लेवी लेंगे । उन्होंने हाई कोर्ट से रिट विदड्रॉ कर ली है और जेतसर की रह गई है वह भी विदड्रॉ हो जावेगी । २५ परसेंट जो मिल्स ने पैदा की और राइस सेलर्स से लेंगे ।

कोटा के लिये बात कही । बूंदी के लिये हालर्स को माफ कर दिया उनकी मात्रा ३०० क्विन्टल के करीब आती है । यह उस समय दे दी जब कानून में छूट नहीं थी । पर्टीकूलर लोग हों और लेवी तुलवा दें और कानून फिर बदल जाय और वे कहें कि ३०० क्विन्टल लेवी दे दी, उसको बदला जाय या वापिस दे दी जाय, लेवी तुलवा दी और कानून हल्का हो जाने से यह क्लेम

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कर रहे हैं कि वापिस दो तो यह न सदन और न कोई इजाजत देगा कि ऐसा करने दें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कलेक्टर्स से क्वेरीज मांगी थी उसमें लिखा है :

"whether levy should be recovered from the rice owners" for the period from.......to....... उसके उत्तर में लिखा है :

"I am desired to inform you that levy in the above said two cases should not be recovered from the hullers."

स्वयं मान कर चल रहे हैं। बाद में क्लेरिफिकेशन किया है। जो छोटे छोटे काश्तकार हैं जिन्होंने लेवी दे दी और आपने वसूल कर ली और मिल ओनर्स हाईकोर्ट की शरण लेकर कुछ नहीं दे पाये, आपको तो गरीब को राहत नहीं देना था, उनको देना था।

श्री नाथूराम मिर्धा : कानून लागू हुआ हलर्स नहीं थे। इन्फोर्मेशन करेक्ट कर लीजिये २७ हजार टन राइस का उत्पादन हुआ। मैंने ७० हजार टन बता दिया था। कानून के मुताबिक लेवी देनी चाहिये। रिवाइज्ड कानून के अनुसार उनकी माफ हो गई इसलिए दी नहीं। ली हुई लेवी वापिस दी जाय, यह उपयुक्त नहीं होगा, जो कुछ कानून था उसके अनुसार जो लिया दिया उस स्थिति को वापिस रिवर्ट होना उचित नहीं है। हाईकोर्ट से उन्होंने विद्ड्रॉ कर लिया रिट. और २५ पर्सेन्ट लेवी देने की बात है, एक हजार बोरी उपलब्ध हो सकेगी। मिल की मार्फत हालिंग हुआ मिल सकेगा और राइस खाने वालों को दिया जायगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : छोटे २ लोगों ने हाई कोर्ट में चैलेन्ज नहीं किया इसलिए आप उनको दबा रहे हो। उनको क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अच्छे नागरिक थे। कानून के मुताबिक लेवी दे दी। अब वह कानून बदल गया। उसके अन्तर्गत वह कहें कि हम तो अच्छे नागरिक थे, इस लिए हमको रिफन्ड कर दो। कानून का पालन किया वे अच्छे नागरिक थे। चूंकि कानून का पालन किया और वालिन्टीयरिली कानून की पाबन्दी की इसलिए वापिस उनको लेवी रिटर्न कर दी जाय, चूंकि कानून बदल गया है, यह दलील नहीं हो सकती है और कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं की जा सकती।

चने के बारे में कुछ बातें कहीं। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा। राजस्थान में चना सड़ न जाय। पिछले साल ४ लाख टन था। ६४–६५ में ७ लाख टन का उत्पादन हुआ। राजस्थान में चना था। ५० परसेन्ट बाहर जा चुका था। एक लाख टन हमारे पास था और चने का स्टॉक है उसकी स्थिति यह रही है कि अच्छी मात्रा में पैदा किया तब बाहर भेजने के लिए कहा और आधा हमने लिया जो अकाल में काम आया। व्यापारियों को यह बात

Page No. 151

(श्री नाथूराम मिर्धा)

अच्छी नहीं लगी। छोटे २ व्यापारी बाहर भेज कर लाभ कमा रहे थे, काफी अच्छा स्टॉक बनाया था और सडन्ली हमने बन्द कर दिया तो आर्थिक नुकसान से उनको गुजरना पड़ा। जुझारसिंहजी ने कहा कि ५०० क्विन्टल वालों को रिक्वीजल किया। छोटे स्टॉक वाले थे उनको एग्जेम्पट किया।

जो बड़े स्टॉक वाले हैं उनसे हम १–३ रिक्विजिट करने का इरादा रखते हैं। इससे १२–१३ हजार टन के करीब हमारे पास चना हो जावेगा। ३५–३६ हजार टन का स्टॉक व्यापारियों के पास है।

भारत सरकार ने दूसरे इलाकों को भेजने के लिये हमारा कोटा रखा था। इसके लिये भी बात कर रहे है। अब अपनी नीड को देखते हुए हम भारत सरकार को कितना दे सकेंगे, नहीं कह सकते, पर कुछ देना पड़ेगा क्योंकि पंजाब और राजस्थान जो ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया हैं, वहां से कुछ लेकर एफ. सी. आई. के मार्फत सरकार दक्षिण के राज्यों को देना चाहती है।

अब तक जो स्टॉक है १५–१६ हजार टन का उसमें दाल और चने की दूसरी स्टेटों को जरूरत होगी, वह देंगे।

पर राजस्थान के लोगों के पास जितना बचा हुआ पड़ा है, वह खरीदना चाह रहे हैं। इस तरह से २।३ चना जो बचेगा उसमें से मार्केट में देना या और खरीदना, यह एक दो दिनों में तै करके निर्णय लिया जावेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप जो और चना प्रोक्योर करना चाहते हैं। इसकी तादाद १३-१४ हजार टन की आपके अनुसार है और ३४ हजार टन व्यापारियों के पास है।

चने की उपज राजस्थान में जैसी हुई और जैसी होने का अन्देशा है हम भी समझते हैं कि फसल अबकी अच्छी होगी। ६४-६५ में साढ़े सात लाख टन हुई थी तो इस साल दस लाख टन हो सकती है। आज चना मुल रहा है लोगों के पास। आप या तो उसे खरीदये या एस. टी. सी. से खरीदवाइये। आपके पास कानून है। आप सेन्ट परसेन्ट प्रोक्योर कर लें। आज ओपन मार्केट में बिक नहीं रहा है, बाहर जा नहीं रहा है। हालां कि बाहर वालों की मांग है, तो आप उसे उचित रेट पर खरीद लें, उसे मुलने न दें। आपके मन में भी, मैं नहीं समझता कि जो चने का व्यापार करते हैं, वे ऐसा प्रण ले लें कि चने का व्यापार न करें। अगर आपने ऐसा सोच लिया हो और ऐसी स्थिति ले आएं तब तो ठीक है। पर ऐसी स्थिति आप लाना चाहेंगे यह मैं नहीं समझता, पर इसका सर्वोत्तम हल जो आप निकाल सकते हैं वह रास्ता आप निकालने की कोशिश करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने भी ध्यान आकर्षित किया था। सरकार ने स्टॉक सीज कर लिया है पर्टीकूलर टनेज पर। इसकी वजह से इस वक्त बीज के लिए मिलना मुश्किल हो गया है। आज गंगानगर में ८०) क्विन्टल में चना मिल रहा है।

श्री नाथूराम मिर्धा . मैं जवाब भी तो दे रहा हूँ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ३४ हजार टन चना लोगों के पास पड़ा पड़ा घुल रहा है, वह काम नहीं आ सकता।

श्री नाथूराम मिर्धा : नहीं आ सकता तो मैं कब कह रहा हूं कि घुला हुआ बीज के लिये दे रहा हूं। फिर बीज मैं कहां से लाऊंगा। बीज घर में पैदा करूंगा क्या ?

श्री मानिकचंद सुराणा : आप यह नहीं कह सकते, मैं क्या घर में पैदा करूंगा। खाद्य मन्त्री के नाते तो आपको कहीं से लाना ही पड़ेगा। आप घुला हुआ बीज के लिए नहीं दे सकते।

श्री नाथूराम मिर्धा : वही तो मैं कह रहा हूँ। बीज के कारण हमने इसे रोका है। अब आप कहते हैं कि वह घुल गया। ऐसा नहीं है। फिर ८० रुपया क्विन्टल के लिए कहा तो एक-दो दिन के लिए हो गया होगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप व्यापारियों के हित में हल्ला करवा रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : एफ. सी. आई. ने टेण्डर आमन्त्रित किये। इस पर व्यापारियों ने ऊंचे भाव दिये। ६५)-७०) के बीच में दाल के भाव और भी ऊंचे दिये। इन भावों पर चना खरीदे जाने की सरकार के पास गुंजाइश नहीं थी। इसलिये बाध्य होकर हमें स्टॉक सीज़ करना पड़ा। हम इसमें से १।३ लेना चाहते हैं और इसके बाद ट्रेडर्स और राजस्थान के लोगों को बताना चाहते हैं कि आगे से अनुनेसेसरिली ऊंचे टेण्डर देंगे तो सरकार को मजबूरन ऐसे कदम उठाने होंगे।

अब आपने यह भी कहा कि सड़ने का खतरा है। तो इसके लिये हमने इन्स्ट्रक्शन जारी की हैं कि जो ट्रेडर, हमने तरीका बताया है, उसके अनुसार जिस क्वालिटी का जो माल है उस भाव पर १।३ के अलावा भी बेचना चाहे तो उसे वे बेच सकते हैं।

मैं बता दूं फर्स्ट हार्वेस्ट के दिन जो भाव थे उन पर लेने का कानून बनाया था पालियामेंट ने। पर हमने मार्केट रेट तीन महीने की पिछली औसत लेकर उनसे यह भाव तै किया है और इस भाव पर लेना चाहा। उस भाव पर भी वे देना चाहें तो फूड कार्पोरेशन को बेच सकते हैं और स्टेण्डर्ड में फिट होने पर उनसे लिया जा सकता है।

श्री मानिकचंद सुराणा : आप तो अपने स्टेण्डर्ड में फिट होने की बात कहते हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा : स्टेण्डर्ड से कम होगा तो प्राइस कम करनी पड़ेगी।

श्री मानिकचंद सुराणा : मेरा तो एक ही कहना है, आप अपना कैसा ही स्टेण्डर्ड रखिये, पर इसे सड़ने मत दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : सरकार राजस्थान में अपनी भरसक गेहूं और चने आदि किसी खाद्यान्न को भी सड़ने नहीं देगी। यह स्थिति स्वयं व्यापारियों ने पैदा कर ली है। वे लोग इस खाद्यान्न पर बैठ कर या तो बाहर भेजने की रोक खुलवाना चाहते हैं, या रोक कर ज्यादा ऊंची रेट लेना चाहते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ६०–६५ में खरीदा है उसे वे ४४) और ५०) में कैसे बेच दें ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कितने में खरीदा है, यह मुझे मालूम है । उनके खरीद के भाव ४२) से ५०, ५१) तक हैं ।

श्री अब्दुल जब्बार : कोस्ट प्राइस पर भी बिकवा दें, वे आपके आभारी होंगे ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : एक निवेदन यह है कि जब चने की कमी नहीं थी तो राजस्थान के चने का एक्सपोर्ट रोका है, तो इसमें सरकार की क्या पॉलिसी है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : चने का एक्सपोर्ट तब बन्द किया गया था राजस्थान में जब पिछले साल अकाल की स्थितियां हमारे सिर मंडरा रही थीं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : पिछले तीन महीनों से चने की खराब होने की स्थिति आ रही है । आप जिद् करेंगे तो आज भुखमरी के दिनों में यह चना लोगों के काम नहीं आवेगा और व्यर्थ में सड़ जावेगा पड़ा पड़ा । आप अगर गंगानगर को दौरा करते पिछले तीन महीनों में तो आपको पता लगता कि वहां चने की क्या स्थिति है ।

हमें इससे कोई मतलब नहीं आप उनका २१)में बिकवाइए, पर यह चना नीडी लोगों को, देश के लोगों को मुहय्या करा दीजिए, सड़ने मत दीजिए ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने फूड कॉर्पोरेशन से कहा है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : फूड कॉर्पोरेशन निकम्मी है । उसके अधिकारी अत्यन्त निकम्मे हैं । वे ट्रेड करना जानते नहीं, टैक्निकल ऑब्जेक्शन उठाते रहते हैं । यह ६ परसेन्ट ऐसा है, वैसा है । उसका कोई ग्रेडेशन करना नहीं जानते । प्राइस कम करके भी नहीं लेना चाहते । तो यह व्यापार करना अब आपको भी सीखना पड़ेगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : हम व्यापारी नहीं हैं, तो आप घणे व्यापारी हैं ? आपने वकालत की है, व्यापार आपने भी नहीं किया । मैं भी दम नहीं भरता । मैं भी सीखूंगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं आपकी तरह व्यापारी होने का दम नहीं भरता जैसे आप दम भरते हैं कि आप काश्तकार हैं । आप न काश्तकार हैं, न मैं व्यापारी । आप तो अपने मुद्दे पर आइये ।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप व्यापारी नहीं हैं । आप नहीं जानते ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप यह कह कर क्या मुझे काऊ-डाउन करना चाहते हैं ? तो मैं होने वाला नहीं हूँ । इस तरह से काऊ डाउन । मैं व्यापारी नहीं हूं, मेरे बाप दादे व्यापारी थे । व्यापारी कहकर आप मेरी प्रतिष्ठा कम नहीं कर सकते । मेरे भाई-भतीजे व्यापारी हैं । पीढ़ियों से हम व्यापार करते आये हैं । आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं आपको काऊ-डाउन करूं । आपकी प्रतिष्ठा रात दिन ऊंची हो मेरी यह इच्छा है । आपने कहा फूड कॉर्पोरेशन निकम्मी है उससे मैंने कहा है ।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

भारत सरकार के फूड कॉर्पोरेशन के चेयरमैन साहब यहां आये। राज्य सरकार ने उनसे बात की और कहा कि राजस्थान में कुछ पुराना चना पड़ा है उसका अगर बेसन बनाकर कम कीमत पर खरीद कर भी दूसरे एरिया में उपयोग कर सकते हों तो हमें वह चना जो खस्ता हालत में है उसी हिसाब से प्राइस देकर रिक्वीजीशन कर लेना चाहिये। और इस पर इस बारे में आदेश दिया और उस आदेश के बारे में फूड कॉर्पोरेशन ने हमारे विभाग के इंस्पेक्टर और दूसरे अफसरों को हिदायत दी है कि राजस्थान के अन्दर कोई चना खराब नहीं होना चाहिये, हालांकि ये स्थितियां स्वयं व्यापारियों ने अपने रवैये से पैदा करली हैं तो भी अनाज खराब न हो, इस बात का ख्याल सरकार रख रही है।

मैं समझता हूं कि मेरी बातों के कहने के पहले ही आप खड़े हो जाते हैं इसलिए मुसीबत होती है।

बोर्डर एरिया के लिए सवाल उठा कि ५-१० मील के एरिया में अन्न की काफी समस्या रहती है और उसके लिए दिक्कत होती है, वहां धान नहीं जा सकता, तो मैं इसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जब कभी भी जोन्स हमारे देश में रहेंगे तो उनके बोर्डर एरियाज के ऊपर इस प्रकार का एक एरिया १० मील का भारत सरकार के कानून में प्रोवीजन है जिसको हमने भी राजस्थान में लागू कर रखा है, उसमें एक जगह कहीं रियायत करते हैं तो दूसरी जगह नहीं करें, तो यह चलने वाली बात नहीं है और इससे निभाव नहीं हो सकता। इसलिए उस एरिया के बारे में इतना ही निवेदन है कि कोई आदमी २० किलो वहां पर धान ले जा सकता है और उसमें बड़े पैमाने पर अनाज बफर एरिया में जाता है तो उसके स्मगलिंग होने की गुंजाइश होती है। इसलिए वहां के लिए हमने इस प्रकार का प्रावधान रखा है और इसको हम नहीं छोड़ सकते.... ...

श्री अब्दुल जब्बार : वहां पर लोग बड़ी परेशानी का शिकार हो रहे हैं....

श्री नाथूराम मिर्धा : अब आप बीच बीच में इस तरह से इसको क्वेश्चन आवर बनायेंगे तो मैं क्या करूंगा ?

श्री अब्दुल जब्बार : मैं यह नहीं कहता कि आप सख्त कानून मत बनायें। आप सख्त से सख्त कानून बनाओ न, कोई हम आपकी खुशामद थोड़े ही कर रहे हैं ? लेकिन वहां लोगों को बड़ी परेशानी का शिकार होना पड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : आप (श्री नाथूराम मिर्धा) जारी रखिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों के जो सवाल या शंकाएं हैं वे मेरे कहने के बाद उठायें, मेहरबानी करके मुझे बीच में डिस्टर्ब न करें। जब आप लोग बोलते हैं तो मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, तो आप लोग बीच में क्यों बोलते हैं ?

इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि खास तौर से कुछ माननीय सदस्यों ने यहां पर अनाज के नमूने पेश किए। गेहूँ

(नाथूराम मिर्धा)

खराब था, दलिए के रूप में था और किसी गेहूँ में लोहे के टुकड़े मिले हुए थे। माननीय उपाध्यक्षजी, इस राजस्थान में ४ लाख टन इम्पोर्टेन्ड व्हीट आया है और ओपन वैगन्स में भी आया है, बरसात के दिनों में भी आया है और इसके अलावा बन्द डिब्बों में भी अनाज आया है। अब जो अनाज इतनी दूर से चलकर आता है उसमें से कुछ भीग जाये, खराब हो जाये, रेत में बिखर जाये और लोहे के टुकड़े मिल जायें या कुछ और इम्प्योरिटी मिल जाये–मैं नहीं कहता कि खराबी नहीं आई, लेकिन जहां इस प्रकार की खराब बोरियां आई और जहां सूचना मिली, फलां जगह अनाज खराब है और अनाज बिकने वाला नहीं है तो हमने उस अनाज को जनता में नहीं बेचा और न चीप ग्रेन शॉप्स वाले इतने अन्धे हैं कि वह खराब गेहूँ को देते, लेकिन फिर भी कहीं गलत क्वालिटी का अनाज बिक गया हो और अब आगे कोई इस तरह की शिकायत हो तो हमें कहिये हम उसको दूर करेंगे। हम जनता को रद्दी अनाज खिलायें, इस प्रकार की मंशा न तो सरकार की थी और न आगे होने की गुंजाइश है।

माननीय उपाध्यक्षजी, इसके बाद महंगाई और हाई प्राइसेज़ के बारे में सवाल उठाये गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन-चार सालों से काफी तेजी के साथ महंगाई बढ़ी है इसको हम मानते हैं और हमारा जो प्राइस इन्डेक्स है वह भी काफी ऊंचा गया है और उसके बारे में सरकार का उसे कन्ट्रोल करने का और उस पर नियंत्रण करने का भी कई प्रकार का विचार है। यह महंगाई देश के अन्दर उत्पादन में जो चीजें कम हैं और पैसे की इफरात जो लोगों के पास काफी बड़े पैमाने पर है-चीजें कम हैं और लोगों की मांग ज्यादा है और पैसा लोगों के पास काफी मात्रा में है तो निश्चित तौर पर सम-टोटल उसकी महंगाई होती है। देश की योजनाओं से जो लोगों को पैसा मिला और देश के अन्दर अनाज और दूसरी चीजों का उत्पादन कम हुआ, लोगों की पर्चेजिंग कैपेसिटी बढ़ी-निश्चित रूप से इन सब चीजों का परिणाम महंगाई की तरफ आगे बढ़ने का होता है। लेकिन महंगाई के बारे में हमें सोचना है कि क्या इस हद तक महंगाई बढ़ गई है कि देश के लोग कुछ पर्चेज नहीं कर सकते और अगर पर्चेज नहीं कर सकते तो कितने लोग नहीं कर सकते, उसको भी सोचने की आवश्यकता है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस देश के अन्दर कुछ बड़े बड़े लोग जिनकी आमदनी आप मानते हैं कि काफी बड़ी है उनके ऊपर इस महंगाई का कोई असर नहीं है। गांवों के अन्दर रहने वाले लोग जो उत्पादन करते हैं, खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं या दूसरे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का उत्पादन करते हैं, या एनीमल हस्बेन्ड्री की प्रोड्यूस करते हैं उन लोगों की हालत में महंगाई की वजह से सुधार हुआ है और जिन चीजों के ऊपर खर्च उठता है उसमें इतनी बढ़ोत्तरी नहीं हुई है जितनी उत्पादन के पैसों से उनको लाभ मिला है........

श्री माणिकचन्द सुराणा : आपका थिंकिग बहुत अच्छा है समाजवाद की ओर।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो भूमिहीन किसान हैं या दूसरे किसान हैं या यहां पर रिक्शा या ठेला चलाने वाले लोग हैं उनकी इस मंहगाई के प्रपोर्शन में उनकी रेट्स और काम करने की अनिंग शक्ति भी बढ़ी है। इसलिए इस देश में ले देकर मंहगाई का अगर ज्यादा असर हुआ है तो छोटी इन्कम वाले, फिक्स्ड इन्कम ग्रुप के लोगों के ऊपर, जिनकी आमदनी १०० रुपये से लेकर ५०० रुपये एक है, हुआ है। ५०० रुपये से ऊपर वेतन पाने वाले हैं उनके ऊपर भी असर पड़ा है, उनका जो फैमिली बजट है उसमें उनको तकलीफ महसूस होती है, लेकिन वह बोझ को उठाने की क्षमता रखते हैं। खास तौर से छोटे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, और उनके काम करने का तरीका ईमानदारी का है ऐसे लोगों का आज कितना बड़ा परसेन्टेज है, मैं समझता हूं कि उसको कैलकुलेट नहीं किया..

श्री अब्दुल जब्बार : बॉम्बे हाईकोर्ट के जज का कैलकुलेशन है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप बता दें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हमको तो ज्ञान नहीं है। आप कैलकुलेट करें और जो उत्पादन गांवों में करते हैं उनके ऊपर वजन नहीं हैं तो उनकी संख्या भी कैलकुलेट करें कि कितनी है और साथ ही उनकी संख्या भी तो देखें कि जिनको अनाज लाकर, काश्त करके भी होल्डिंग इतनी कम है कि जिनको अनाज बाजार से लाकर पेट भरना पड़ता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप तो ८० रुपया पाने वाले गरीब कर्मचारियों का कन्ज्यूमर्स प्राइस इन्डेक्स के ऊपर बजट बना दीजिए। आपने तो ८०) रुपये में उसका घर पूरा कर दिया।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने यही तो कहा है कि ऐसे लोगों की मुश्किल है, लेकिन वह देश की जनता में कितने परसेन्ट लोग हैं ? यह बात सदन के माननीय सदस्यों को और देश के लोगों को सोचनी है। उन लोगों की मुसीबतों को हल करने के लिए राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने मंहगाई से बचने के लिए कन्ज्यूमर्स स्टोर्स खोले हैं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने कन्ज्यूमर्स स्टोर्स कितने खोले ? मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन के बाद कितने खोले ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं वही कह रहा हूं। सुनते तो नहीं हैं, हल्ला कर रहे हैं। आपने कहा कि स्टोर्स क्यों नहीं खोले, मैं बिल्कुल नम्रता से उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में जिस समय स्टोर्स खोलने की बात कही थी उस समय यह कहा था कि मंहगाई भत्ता फिर नहीं बढ़ायेंगे। लेकिन बाद में...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह कभी नहीं कहा था।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमने कहा था कि स्टोर्स खोलेंगे और उसके बाद मंहगाई भत्ता नहीं मिलेगा। यह बात फाइनेन्स मिनिस्टर ने बहुत क्लियरली इस सदन में कही थी और जब हमने माथुर कमेटी के ऊपर निर्णय लिया और प्राइस इन्डेक्स के बढ़ने से मंहगाई भत्ते को बढ़ाने की बात को तय किया तो मंहगाई

(श्री नाथूराम मिर्धा)

भत्ता बढ़ाया। उसके बाद में हर ६ महीने के बाद बढ़ाने की बात की जिसको हम इम्प्लीमेन्ट कर रहे हैं और उसके हिसाब से लोगों को और मंहगाई भत्ता मिलेगा।

(६.०० म. प.)

ऐसी सूरत में वह कंज्यूमर्स स्टोर जो बजट के भाषण में खोलने की बात कही गई थी, वह कहने के बाद जो मंहगाई भत्ता दे दिया गया तो मंहगाई भत्ता देने के बाद वह बात खत्म हो गई और अब नये तौर पर....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। माननीय मन्त्री महोदय को देश की भूखी मरती हुई जनता के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। माननीय मन्त्री का इस महगाई को रोकने का कोई इरादा भी नहीं है और न कोई उनके पास इसका विचार ही है। माननीय मुख्य मन्त्री इस मंहगाई में सिसकती हुई दुखी जनता के साथ कोई हमदर्दी नहीं रखते। माननीय खाद्य मत्री....

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले इनकी बात तो सुन लें।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह तो बीच में ही भाषण शुरू हो गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इनको लोगों के कष्टों की कोई चिन्ता नहीं है। इसके विरोध में मैं इस सदन से वाकआउट करता हूं, मैं इनका भाषण अधिक नहीं सुनूंगा।

(सदन से बहिर्गमन)

श्री नाथूराम मिर्धा : तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस देश के अन्दर, इस मंहगाई की वजह से देश के जिन लोगो की सीमित आमदनी है, उन लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए मंहगाई भत्ते में बढोत्तरी, जैसे २ सरकार के पास रिसोर्सेज होंगे, करेंगे। सरकार के पास में स्टोर खोलने की योजना है। ऐसा सुपर मार्केट हिन्दुस्तान के कई बड़े २ शहरों में खुला है, ऐसा ही सुपर मार्केट जयपुर, जोधपुर और अजमेर में खोल कर ऐसे लोगों को, जिनकी फिक्स्ड इन्कम है, उनको राहत पहुंचाने का इरादा है। इस बात की कोशिश की जा रही है कि इनसे उनको वास्तव में राहत पहुंचे। और मैं समझता हूं कि यह सही दिशा की ओर कदम है जिसके जरिये हम छोटी इन्कम वालों को और जिनकी फिक्स्ड इन्कम है उनको भी राहत पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपके...

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्रीजी का विश्लेषण यही है कि लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है और इसके साथ उनकी इन्कम भी बढ़ी है और इन्कम बढ़ने के साथ साथ मंहगाई बढ़ी है, दूसरी चीजों के भाव बढ़ गये है। रिक्शे वालों ने ज्यादा चार्जेज लेने शुरू कर दिए हैं और दूसरे लोगों ने ज्यादा पैसे लेने शुरू कर दिए हैं और इस तरह से छोटे लोगों की आमदनी बढ़ गई है और इसी तरह से सारी कीमतें बढ रही हैं और इनमें सबसे ज्यादा कष्ट है तो वह उनको है जिनकी आमदनी सौ रुपये से पांच

Page No. 158

(श्री मानिकचन्द सुराणा) . .

सौ रुपये तक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी सरकार ने उन कीमतों को, जो इन डेढ़ सालों में बढ़ गई हैं, ६४ के बाद से बढ़ गई हैं, यह आपने भी कहा है अपने भाषण में, ६४ से कितनी कीमतें बढ़ गई हैं, तो इन एक डेढ़ साल में बढ़ी हुई कीमतों को भी रोकने के लिए या उनको स्थिर रखने के लिए आपकी सरकार की कोई योजना है क्या, हम तो यह जानना चाहते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : योजना है, वही बता रहा हूँ। योजना ही बता रहा हूँ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ज्यों ज्यों कीमतें बढ़ी हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा है....

श्री नाथूराम मिर्धा : आप यह समझते हो कि जो प्राइसेज का स्ट्रक्चर इतनी योजनाओं के बाद आज देश में बना है उसको तुरन्त यह सरकार रोक दे या यहीं पर कीमतें रुक जांय या आगे चल कर कीमतों में बढ़ोत्तरी न हो, ये बातें नहीं हो सकतीं, इस बात को आप मान कर चलिए ....

श्री मानिकचन्द सुराणा : हमको भी आपसे यही कहलाना था।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो कुछ सच्चाई है उसको कहने में मैं नहीं झिझकता....

श्री मानिकचन्द सुराणा : यही तो आज कांग्रेस सरकार की नीति है....

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं इस नीति को सही नीति मानता हूं....

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह दिवालिया सरकार की नीति है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप को अधिकार हैं आप कुछ भी कह सकते हैं। आप दिवालिया कह लीजिए, कंगाल कह लीजिए....

श्री मानिकचन्द सुराणा : दिवालिया से मतलब मेंटल इन्सॉल्वेन्सी से है।

श्री नाथूराम मिर्धा : हां हां, आप कुछ भी कह लीजिए, जो कुछ आपको अच्छा लगे, दिवालिया, कंगाल, मेंटल इन्सॉल्वेंट, जो चाहें आप कह लें ..

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप ब्रिटेन की लेबरपार्टी की योजना को मंगा कर पढ़िए जिसमें उन्होंने इन्कम को फिक्स कर दिया है, डिविडेंड को फिक्स कर दिया है, प्रोफिट की सीलिंग कर दी है, जिसमें उन्होंने इन्कम की सीलिंग कर दी है. उस योजना को मंगा कर आप पढ़िए। वे इस योजना को किस तरह से क्रियान्वित कर रहे हैं इसका भी आप अध्ययन कीजिए।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपके विचार सुन लिए, मैं अपने विचार रख रहा हूं उनको भी आप सुन लीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आज की इन बढ़ती हुई योजनाओं में जब कि हमको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, कुछ इण्डस्ट्रियल प्रोडक्शन की वजह से जो देश के अन्दर सबसे जरूरी चीज है, उसके अन्दर पैसा भी खर्च करना पड़ेगा और इस प्रकार दूसरी २ योजनाओं

(श्री नाथूराम मिर्धा)

में भी पैसा खर्च करना पड़ेगा तो इन योजनाओं से लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी तो इन सब की वजह से कीमतों को स्टेशनरी रखना या घटाना, आज की चतुर्थ योजना जो काफी बड़ी होने जा रही है, मैं समझता हूं कि कुछ लोगों की जिनकी फिक्स इन्कम है और इस फिक्स इन्कम की वजह से जिन लोगों की कठिनाइयां हैं उनको स्पेशल व्यवस्था करते हुए, इन सारी चीजों को तुरन्त रोक सकें ऐसी स्थिति आने वाले सालों मे भी नहीं बनने वाली है. यह मेरी मान्यता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कम से कम आज की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि अगर आप अनाज के भावों को रोक नहीं सकते तो कम से कम अनाज के भावों से किसानों को किसी प्रकार से न बांधें। आप किसानों को बाध्य नहीं करें कि वह सस्ते दामों में अनाज दें ...

श्री मानिकचन्द सुराणा : हम किसानों को कभी बाध्य नहीं करेंगे। किसानों को रीजनेबल प्राईसेज देंगे, उनको सब्सीडाइज़ करेंगे...

श्री नाथूराम मिर्धा : आप ठहरिये, मैं आपकी दलीलों का जवाब देता हूं। अभी जो जनसंघ के कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने रूजवेल्ट की प्राइस पॉलिसी की बात की और अमेरिकी फूड पॉलिसी की बात करने के बाद हिन्दुस्तान के किसानों को भी हमको ज्यादा पैसा देना चाहिए और किसान को उत्पादन के कोस्ट को सब्सीडाइज करना चाहिए। तो एक तरफ तो हम उत्पादन में सब्सीडी दें, फिर प्राइसेज़ को स्टेबलाइज रखने के लिए, उपभोक्ताओं को सस्ते दामों में वितरण कराने के लिए सब्सीडी दें, यानि सरकार का काम तो सब्सीडाइज करने का ही रह गया सरकार उत्पादकों को सब्सीडी दे और उपभोक्ताओं को भी सब्सीडी दे, तो इसका परिणाम क्या होगा, मैं नहीं जानता कि उनके दिमाग में इस बारे में कितनी बात साफ है। अगर हम इन दोनों प्रकार के लोगों को, उत्पादकों और उपभोक्ताओं को, सब्सीडी देने लगें तो कितने करोड़ रुपयों की धन-राशि इतने बड़े अनाज के ट्रांजेक्शन के अन्दर चाहिएगी। जहां तक उत्पादकों को सब्सीडाइज़ करने का सवाल है, हम उनको बीज के रूप में सब्सीडी दें, उनके सिंचाई के साधन बढ़ाने में सब्सीडी दें, उनको तकाबियां ज्यादा दी जावें, उनको बैल खरीदने के लिए रुपया चाहिए तो वह हम दें, और यह सब कुछ आज भी हम कर रहे हैं। उसके बजाय उत्पादकों को प्राइस के अन्दर ज्यादा कीमतें बनाए रखने के लिए और सब्सीडाइज करें और उसके बाद उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए उनको भी सब्सीडाइज करें तो इसका मतलब यह होगा कि जितना भी हमने योजनाओं से पैसा इकट्ठा किया है, चाहे टैक्सेज़ के जरिये या दुनिया के दूसरे देशों से ठोस कर्ज के रूप में जो धनराशि हमने प्राप्त की है, उस सारे के सारे पैसे को इन दोनों को सब्सीडी के रूप में बांट दें और फिर आराम से योजनाओं को क्लोज़ करके बैठ जायं, इस प्रकार की भावना उनकी हो सकती

(श्री नाथूराम मिर्धा)

है, लेकिन यह इस सरकार की नीति नहीं हो सकती कि दोनों तरफ सब्सीडी देने में ही करोड़ों रुपयों को इस तरह से खर्च कर दें और इनके अन्दर ही सारे रुपयों को खर्च करके योजनाओं को बन्द कर दें जिससे उत्पादनों के स्रोत ही बन्द हो जायं, हम इस नीति को मानकर नहीं चल सकते।

उन्होंने अमेरिका की प्राइस पॉलिसी और रूज़वेल्ट की पॉलिसी की बातें करके कहा कि हमको भी वही पॉलिसी फोलो करनी चाहिए। मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि हम भी उस पॉलिसी को फोलो करते हैं और इसकी शुरूआत भी हमने की है। आज इस हिन्दुस्तान के काश्तकारों को दो साल पहले से इस बातकी गारंटी दी गई कि अगर तुम अमुक प्रकार का धान पैदा करोगे तो इससे नीचे भाव अगर होंगे, जिनकी मिनिमम प्राइसेज होंगी उसके नीचे अगर भाव होंगे और तुम उसे बाजार में बेचने जाओगे तो तुम्हें इनसे नीचे के भावों पर महाजन को अनाज बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा बल्कि हम तुम्हारा अनाज खरीद लेंगे। यह मिनिमम प्राइसेज की गारण्टी हिन्दुस्तान में देने का रवैया सबसे पहले दो साल पहले ...

श्री मानिकचन्द सुराणा : बाजार के भावों में और मिनिमम प्राइसेज में तालमेल ही कहां है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : किसानों को मिनिमम प्राइसेज की गारण्टी जो पहली दफा हिन्दुस्तान के अन्दर दी गई वह इसी नुक़ते-निगाह से दी गई है कि किसानों को भरोसा रहे कि उनको अपनी उपज का पूरा पैसा मिलेगा, जो आज तक कभी पहले नहीं दिया गया था। अब उसको और ज्यादा प्राइसेज दी जायं, तो एक तरफ तो आप किसानों को ज्यादा प्राइसेज देने की बात कहें और दूसरी तरफ कंज्यूमर्स को सब्सीडी देकर सस्ती दर पर अनाज दिलायें, ये दो तरह के दृष्टिकोण हैं जो कहने के लिए तो कह सकते हैं लेकिन प्रेक्टिकल बात नहीं है यह। आज हिन्दुस्तान में जिस तरह की बातें की जा रही हैं इसके लिए, जिस तरह के स्लोगन दिए जा रहे हैं, तो करिए, प्रदर्शन कीजिए, झण्डे दिखाइए, सारे काम कीजिए, भाषण दीजिए कड़वे खारे, बेवकूफ कहिए, ओछे कहिए, बुरा–भला जो भी आपको कहना हो कहिए, यह आप लोगों का तरीका है वह करिए, चाहे जैसा आप सोचें, यह आपका अधिकार है, क्योंकि प्रजातन्त्र में हम किसी को जो एक तरीके से आचरण करने का तरीका है उसको हम पाबन्द नहीं कर सकते एक सीमा तक। एक सीमा से अधिक जाने पर कानून आ जाता है। इसलिए आज देश में भाषण देने की आजादी है, अपने विचार रखने की आजादी है, लेकिन जो विचार आपने रखे है मैं समझता हूं कि वे प्रेक्टिकल विचार नहीं हैं। आज की परिस्थितियों में जो अमेरिका की हालत है उस पर भी गौर कीजिए, जब अमेरिका की जन संख्या कम है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लेकिन मंत्री महोदय....

श्री नाथूराम मिर्धा : इस समय जिस समय....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लेकिन मंत्री महोदय, बैंकों का राष्ट्रीयकरण....

श्री नाथूराम मिर्धा : बार बार इस तरह से करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करके, मोनोपोलिस्टों को कट डाउन करके अरबों, खरबों रुपया इकट्ठा करके आप अपनी योजनाओं को नहीं चलायेंगे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से आपको १०० अरब और तेल कम्पनियों से अरबों-खरबों की इन्कम होगी। एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट ट्रेड का राष्ट्रीयकरण कीजिये, मोनोपोलिस्टों को कट डाउन कीजिए तो आपको योजनाओं के लिए पैसा मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कीमतों को बढ़ा कर, डेफिसिट फाइनेन्सिंग करके आप यह कहते हैं कि योजनाओं को कैसे चलायें या सब्सिडी का पैसा नहीं देंगे तो योजनाएं फेल हो जायगी। लेकिन वह आपका इरादा नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : आप कभी चले जाते हैं, और कभी आ जाते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं पहले प्रोटेस्ट में वॉक-आउट कर गया और वॉक आउट करके फिर आ गया और फिर वॉक आउट करूंगा और आप किस मुंह से बोल रहे हैं। आपके मोनोपोलिस्टिक आइडियल्स हैं। उसको आप सपोर्ट करेंगे तो मैं उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करूंगा और हर पोइंट पर वॉक आउट करूंगा, आप उन लोगों को टैक्स करते हैं। आपकी नीति बड़ों बड़ों को टैक्स करने की नहीं है।

न आप उनको क्रश करना चाहते हैं और न सोशियल सिस्टम के अनुसार उनको नेशनलाइज़ करना चाहते हैं, उसके लिए आपका चुनाव प्रोग्राम है। इसलिए आपको योजना की चिन्ता नहीं है। आपके मोनोपोलिस्टों ने और अमेरिका ने सारे कन्ट्री को घेर रखा है। आपके मुंह से उनके शब्द निकल रहे हैं। आप उनकी एडवोकेसी कर रहे हैं। सुब्रह्मण्यम् उनकी एडवोकेसी कर रहे हैं, शचीन्द्र चौधरी उनकी एडवोकेसी करते हैं, अशोक मेहता उनकी एडवोकेसी करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज़ !

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय उपाध्यक्ष, मैं आप से निवेदन कर रहा था कि अमेरिका की परिस्थिति और है जो हमारी परिस्थिति से बहुत भिन्न है। वहां ज्यादा एरिया है, ज्यादा लैण्ड है और आबादी के बढ़ने की रेट कम है। सरकार के पास अनाप-शनाप पैसा है तो पहले प्राइस की पॉलिसी लागू की गई तो इससे उनका उत्पादन बढ़ा। वहां के किसान इतने शिक्षित हैं कि उसके बाद भी उसी फार्मूले पर आज तक चल रहे हैं। इसी का परिणाम है कि वहां पर इतना उत्पादन होता है कि दुनिया के बहुत बड़े हिस्से को अमेरिका फीड कर रहा है। हमारे यहां का बाजरा ६०–७० रुपए क्विन्टल में बिकता है और वहां का पैदा किया हुआ मीलो हिन्दुस्तान के हर गांव में ३८ रुपये क्विन्टल में पहुंचता है। हिन्दुस्तान की परिस्थितियों वहां से मेल नहीं खाती हैं। आज भी वहां की वही नीति वे फोलो कर रहे हैं। हमारे देश के एरिया में, हमारे देश की जनसंख्या में और हमारे देश के शासन चलाने के तरीके में बहुत बड़ा अन्तर है। इसलिए हम उनकी नीतियों को लागू नहीं कर सकते हैं। हम उनके अन्दर जो अच्छी बातें हैं कि किसान को उत्पादन के हिसाब से वाजिब पैसा मिलना चाहिए। मिनिमम प्राइस गारन्टी हिन्दुस्तान में दो साल पहले लागू की गई है। यह एक दिशा है जो सही है, जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिससे किसान को हम पैदावार का उचित मूल्य दे सकें। फिर उसकी बचत का उचित मार्जिन हो उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। इस दृष्टिकोण से चाहे सरकार डाइरेक्ट मार्केट से खरीदे या प्रोड्यूसर से लेवी के रूप में ले, अच्छा दाम देकर और अपना बफर स्टॉक करें। हिन्दुस्तान में जहां स्टॉक बनता है तो जो सरप्लस हमारे बाजार का है वह प्राइवेट हैंड में कम से कम जाय और ज्यादा से ज्यादा स्टेट के हाथ में आए। इस बात के प्रयत्न में एफ० सी० आई० जैसा आर्गेनाइजेशन बनाकर ज्यादा से ज्यादा किसानों के नजदीक पहुंचें। मार्केट में एफ० सी० आई० के जरिये ज्यादा से ज्यादा रीज़नेबल और उचित प्राइस किसानों को देकर जो उनके प्रोडक्शन का माल है वह खाने वालों को उचित दाम पर दे सकें।

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सीधा नहीं खरीदकर और बफर स्टॉक बनाकर वाजिब खर्चा जो है उस पर जोड़कर और किसान जो पैदा करता है उसका जो वाजिब प्रोफिट है वह देकर यह करना चाहते हैं। इस तरह से निश्चित तौर से आगे आने वाले ५ वर्षों में हम इतने मजबूत होंगे कि देश का जो ज्यादा से ज्यादा सरप्लस होगा वह प्राइवेट हैण्ड में न जाकर फूड कार्पोरेशन के मारफत सरकार के पास या फूड कॉर्पोरेशन के पास ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो। और स्टॉक हमारे पास सब अनाज का मिले और उसके जरिये उपभोक्ता को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके और लोगों की कठिनाइयों को कम किया जा सके। इस प्रकार की नीति खाद्यान्नों के बारे में फूड कार्पोरेशन की है।

मैं माननीय उपाध्यक्षजी, सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और एक-दो पांइट का जवाब देना है। खास तौर से बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेज फण्ड के बारे में कहा कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने उसको आर्बीट्रेरिली इकट्ठा कर लिया। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ और खास तौर से जवाब देना पसन्द करूंगा कि वह आर्बीट्रेरली चीफ मिनिस्टर ने सौदेबाजी व्यापारियों से नहीं की। उस समय हमारे यहां राजस्थान में मक्का थी। उदयपुर डिविजन में काफी अच्छा जमाना हुआ....

श्री अब्दुलजब्बार खां : वह रिप्लाई हो गया। It is also replied.

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं एक मिनिट में कह दूं। चीफ मिनिस्टर चाहते थे और उदयपुर डिविजन के लोग चाहते थे मक्का बाहर भेजना और हिन्दुस्तान के इलाके में बाहर भेजने के लिये गुन्जायश थी तो उन्होंने एक मेज फण्ड कायम किया और उसके नियम निकाले हैं उनमें यह कहा गया है कि जो मक्का बाहर भेजना चाहते हैं उनको एक क्विन्टल के पीछे डेढ़ रुपया देना पड़ेगा और वह डेढ़ रुपया उस फण्ड में जमा होगा। और उस फण्ड में जो रुपया जमा होगा वह उदयपुर डिविजन के एरिया में जन-हित के लिए खर्च किया जायगा........

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेज फण्ड के रूल्स है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उसको टेबिल ऑफ दी हाउस पर रख दें कल या परसों।

श्री नाथूराम मिर्धा : सारी चीजें हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेज फण्ड केवल एक बार काम आया फिर कभी काम नहीं आया।

श्री नाथूराम मिर्धा : आज भी वह फण्ड कायम है और एक साल ही काम आया, यह बात गलत है।

श्री मनिकचन्द सुराणा : वह फण्ड एक बार ही काम आया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह हमेशा के लिए फण्ड बना हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज !!

श्री श्रवणलाल : उदयपुर जिले को ही क्यों सिलेक्ट किया गया और अन्य जिलों को क्यों नहीं किया गया ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने गंगापुर वगैरहा के बारे में कह दिया हैं आपने सुना नहीं और अगर सुना है तो आप उसको समझे नहीं, तो मैं क्या करूं ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : खडेला का बान्ध जो बनवाना था उसको नहीं बना रहे हैं । कृषि-उत्पादन के कामों में इस तरह से रुकावट आती है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेज फण्ड के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि कायदे-कानून के अन्दर वह है । पहले का पैसा एक होस्टल के अन्दर खर्च हुआ है और होस्टल के अन्दर ६०--६२ हजार का अनुदान दिया गया है । उसमें मुख्य मंत्री का व्यक्तिगत या आर्बिट्रेरी कुछ नहीं था । वह सिर्फ एक डिविजन का मामला था । माननीय सदस्य उसकी चर्चा को बार बार नहीं उठायें । इससे विशेष लाभ नहीं होने वाला है ।

जो मुद्दे दूसरे विभाग से सम्बन्ध रखते हैं उसकी मुझे जानकारी नहीं है लेकिन फिर भी बांसवाड़े में जो भूखमरी के बारे में, २-३-६६ की बात के बारे में, कहा गया है उसके बारे में कहना चाहूंगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जांच हो गई क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सब हो गई, जांच-बांच । क्योंकि एक दिन काफी जोर से इस मुद्दे के बारे में कहा गया था । तो उसकी जांच के परिणाम मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं ; तीन नाम बताये थे । एक गजिया वल्द वीला निवासी ग्राम नाड़ा, तहसील कुशलगढ़ दूसरा बज्जा वल्द गढ़ा, निवासी ग्राम देरावासिया, तहसील कुशलगढ़ और तीसरा ऊमा भील ग्राम देरावासिया । तीनों नाम थे । इनको मैंने कलेक्टर के पास एन्क्वायरी के लिए समाचार आते ही भेजा ! और उनकी जांच रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है जो मैं आपको बता देता हूँ । मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति का नाम जो उस गांव का होना बताया जाता है उस नाम का व्यक्ति न तो उस गांव में है और न आज तक पैदा हुआ ।

३ नम्बर का ऊमा नाम का व्यक्ति न तो उस गांव में है नहीं और दो व्यक्तियों के बारे में जो रिपोर्ट आई है वह बता देता हूं ।

गजिया के बारे में लिखा है कि वह अकाल सहायता कार्य में कार्य करता था । २–३ माह पूर्व घर से भोजन करने के पश्चात् अकाल सहायता का काम करने आया शाम को वापिस घर पहुंचा । उसके पश्चात् पेट में और सिर दर्द होना घर वालों ने बताया । उसके पश्चात् रात में दस्त और उल्टी हुई । उस व्यक्ति का लड़का अपने मामा को बुलाने गया ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शहादत रेकॉर्ड की गई होगी जिसने उसको भोजन करते देखा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : अपने मामा को बुलाने गया उसके पश्चात् ये लोग उस

(श्री नाथूराम मिर्धा)

व्यक्ति को लेकर आमापाड़ा डिस्पेंसरी, जो मिशनरियों द्वारा चलाई जाती है वहां पहुंचे और वहां पहुंचते उसकी मृत्यु सुबह होते हो गई ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आदिवासी क्षेत्र में डिस्पेन्सरी मिशनरियों की है आपकी नहीं है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसके पुत्र, साला सरपंच और गांव के मौतबिरान के बयानों से विदित होता है कि खाद्यान्न की उपलब्धि की किसी प्रकार से कमी नहीं थी। जिस बीमारी से उसकी मृत्यु हुई उसको पिताई के नाम से पुकारते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उसके घर में पांच मण अनाज भी होना बताया होगा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी तो खोपड़ी खराब हो गई है आखिर में कहना पड़ता है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप सब का नहीं हांडा साहब का नाम लें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मानिकजी की खोपड़ी खराब नहीं है वे प्रसन्न हैं बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं सोचता हूं अगर किसी की खोपड़ी खराब है तो वह आपकी है (मन्त्रीजी से)।

श्री नाथूराम मिर्धा : बिजवा, यह अकाल सहायता कार्य करता था। एक दिन काम के पश्चात् कुशलगढ़ बाजार गया, खाना साथ ले गया। बाजार में चक्कर आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस व्यक्ति को चक्कर आने की बीमारी होना पाया गया है। परिवार में इसके चाचा को भी चक्कर आता था और उसकी मृत्यु भी चक्कर से हुई थी ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उसके दादा की मृत्यु कैसे हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उक्त सूचना उसके लड़के, भतीजे, वार्ड पंच और सरपंच के बयानों से प्राप्त हुई।

श्री मानिकचंद सुराणा : उसके चाचा को भी चक्कर आता था इसलिए उसको भी चक्कर आता था, आपके लिये यह मान्य हो सकता है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस सारी रिपोर्ट में यह कहीं नहीं है कि उनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया या उनके लिये कोई मेडिकल फेसिलिटीज थीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मुझे ताज्जुब होता है एक आदमी जिसके घर वाले यह बात कहते हैं, वार्ड पंच और सरपंच कहते हैं, बीमारी की हालत बताई गई है फिर भी आप जैसे व्यक्ति को शक होता है ....

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप कलेक्टर की रिपोर्ट और जिन जिन की शहादत हुई हैं उसको सदन की मेज पर रख दीजिये ताकि हम उसका अध्ययन कर सकें और बाद में जैसी भी उचित होगी कार्यवाही करेंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो मेरे पास फैक्ट्स आये हैं....

Page No. 165

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कलेक्टर ने रिपोर्ट जांच करके भेजी होगी उससे कागज मंगवाइये।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह जरूरी नहीं है कि आपके हुक्म की तामील करूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : उससे हम यह सिद्ध करेंगे कि जो बयान लिये गये उसके रिश्तेदारों को डरा धमका-कर लिये गये हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस सदन में तीन आदमियों के नाम बताये। एक तो गांव में था ही नहीं और दो आदमी जिन परिस्थितियों में मरे उनके रिश्तेदारों से और वार्ड पंच और सरपंच के बयानों से मालूम होता है कि वे काम पर जाते थे, काम करते थे, उनको धान मिलता था, पैसा मिलता था........

श्री मानिकचन्द सुराणा : उनको लास्ट पेमेन्ट कब हुआ?

श्री नाथूराम मिर्धा : I am not going to argue and I am simply going to give facts of the enquiry which the Collector has made.

इसके बारे में मैं सेटिस्फाइड हूँ कि वे काम पर जाते थे, उनको धान मिलता था, पैसा मिलता था। उनके भूख से मरने का सवाल ही नहीं है। जो तीन नाम बताये उनमें से एक आदमी उस नाम का उस गांव में कभी था ही नहीं। एक आदमी को फिट्स आते थे। उसकी वजह से उसकी डेथ हुई। उसके पूर्वजों का इतिहास है। तीसरे आदमी की बीमारी से मृत्यु हुई। भूख से किसी की मौत नहीं हुई। क्योंकि परिवार के आदमी एक-एक के तीन चार काम पर आते थे, पैसा कमाते थे, रोजी मिलती थी, नाज मिलता था, इसलिये भूख से मरने का सवाल नहीं है। भूख से मरने की बात कह कर राजनैतिक वातावरण जानबूझ कर बनाया जाता है, जिसका मैं खण्डन करता हूं।

इन बातों को कहने के बाद जो कुछ बातें कही हैं, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे आलोचना करें, प्रत्यालोचना करें, अच्छे शब्द बोलें, बुरे शब्द काम में लें, ज्ञान है वैसा करें। लेकिन मैं नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि यह समस्या देश की बड़ी समस्या है। उसको हल करने के लिए जिम्मेदारी के साथ संविधान के नीचे उसका परिपालन कर सकते हैं। प्रजातन्त्र से संविधान के नीचे योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने के लिए, मजबूती के साथ जनता को साधनों की जितनी जरूरत हैं उतने साधन जुटाने का काम अकेला देश नहीं कर सकता है तो दूसरे लोगों से कर्जा लेकर, ज्यादा टैक्स लगाकर, दूसरे देशों से मदद लेकर करना होगा....

श्री मानिकचन्द सुराणा : दूसरे देशों से मदद लेने का भूत कम हुआ या नहीं।

श्री नाथूराम मिर्धा : होगा नहीं, मदद लेनी पड़ेगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपको उन्होंने नोटिस दे दिया है। आपको कोई पी० एल० ४८० दो साल बाद नहीं देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : कम करने का सवाल नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने भिक्षा मांगने का रेकार्ड दुनिया में कायम किया है; विदेशों में छोटे छोटे बच्चे आपके लिए चन्दा इकट्ठा करते हैं, आपको इसके लिए लज्जा नहीं आती है ...

श्री नाथूराम मिर्धा : हमें यह मानकर चलना होगा कि कृषि उत्पादन योजना को सबसे पहले प्राथमिकता देनी होगी। इन योजनाओं में उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान रखकर, छोटी योजनाओं को और बडी योजनाओं को हाथ में लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिम्मत करके उत्पादन बढ़ाने के लिए तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा। जितने साधन जुटाने पडे....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चौथी योजना में कब्र में दाखिल होना पड़ेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : इस प्रकार की बात करके, इस प्रकार का नाटक करके, इस प्रकार का तमाशा करके, देश की, हिन्दुस्तान और राजस्थान की समस्याओं को हल करना मानते हैं उनको मैं समझता हूँ कम अक्ल से सोचने वाले लोग हैं। इस प्रकार के नाटकीय प्रदर्शन से देश की समस्या हल होती तो हांडा साहब आपका नंबर यहां पर एक या दो नहीं होता बल्कि सैकड़ों में होता। आप उछल उछल कर बैंगन की तरह कूदते हैं, ऐसे लोग जिनका प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप मेंढक की तरह टर्र-टर्र कर रहे हैं, आप देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, देश को भूखों मारते हो, चाहे टमाटर की तरह की लाल हो ओ लेकिन देश आपको छोड़ेगा नहीं, जनता के कटघरे में खड़ा करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही....

श्री अब्दुल जब्बार : मुझे जरूरी प्रश्न पूछना है ...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वह दिन दूर नहीं; वह दिन दूर नहीं है जब देश की जनता आपकी ट्राइल करेगी

श्री हरिराम धारू : जनता खुशहाल है। जनता कुछ नहीं करेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब देश की जनता आपसे पूछेगी ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री नाथूराम मिर्धा : अगर जनता आपको चाहती, हाण्डा साहब, तो यहां सैकड़ों आपकी पार्टी के एम. एल. ए. आते, केवल तीन एम. एल. ए. नहीं। क्या बात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please. one at a time.

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : सैकड़ों भले ही गुर्गे इकट्ठे कर लो। लेकिन जनता का एक नुमाइन्दा, जो किसान और मजदूरों में काम करने वाला हैं, आपके सौ के बराबर होगा। एक नुमाइन्दा सौ के बराबर है जो जनता की नुमाइन्दगी करता है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मानिकचन्द सुराणा : जब से आपने पाबन्दी की है तब से विभिन्न २६ जिलों के अन्दर जो प्राइस इन्डेक्स रहा है कोर्स ग्रेन का और व्हीट का, उसका ऐसा रिकार्ड आपके पास है जिसमें इन २६ जिलों का अलग अलग महीनेवार रिकार्ड हो ? अगर है तो सदन की टेबल पर आज ही रख दें। अगर नहीं है तो बाद में रखने का आश्वासन दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : कभी रखेंगे, देखेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक २६ सितम्बर के....

श्री नाथूराम मिर्धा : दे देंगे सूची। उसको रख देंगे। आज ही क्या जरूरत है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही ६.३२ म. प. सोमवार, दिनांक २६ सितम्बर, १९६६ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

शुद्धि-पत्र

(शनिवार, दिनांक २४ सितम्बर, १९६६)

स्कम्भ सं०	पंक्ति सं०	अशुद्धि	शुद्धि
१	अन्तिम से २	श्रबणलाल	श्रवणलाल
३–४	शीर्षक	श्रोफ	ऑफ
३	१३	पर्सन्ट	परसेन्ट
४	१५	अप्लाई	एप्लाई
७	शीर्षक	सितम्बर ६६	सितम्बर, ६६
,,	७	बादस्तूर	बदस्तूर
८	८	करोली	करौली
,,	,,	लुट	लूट-
,,	९	अपोइन्टमेंट्स	एपॉइन्टमेंट्स
,,	अन्तिम से ११	ब्यक्ति	व्यक्ति
९	८	आहवान	आह्वान
,,	२०	हैं	हैं
११–१२	शीर्षक	श्रोफ	ऑफ
११	अन्तिम से २	डिस्ट्रक्ट	डिस्ट्रिक्ट
१२	३	चाहुंगो	चाहुंगा
,,	३ व २०	सेन्टरल	सेन्ट्रल
,,	१९	आफ	ऑफ
,,	२३	करोली	करौली
१३–१४	शीर्षक	बेहरोड़	बहरोड़
,,	अन्तिम से ६	दो	दी
,,	अन्तिम से ५	काड्रिश	फाहिश
१४	१५	ब्यवहार	व्यवहार
,,	अन्तिम से ११	कान्स्टीट्यूशनल	कॉन्स्टीट्यूशनल
,	अन्तिम से ८	सुपरिंटेंडेंट	सुप्रिटेंडेंट

१	२	३	४
१५-१६	शीर्षक	बेहरोड़	बहरोड़
१५	२	है	हैं
,,	६	ब्याने	ब्यांने
,,	,,	अघ्यक्ष	अध्यक्ष
,,	१०	भेंस	भैंस
१७	अन्तिम से १३	गोकुल माद	गोकुलप्रसाद
,,	अन्तिम से ११	हैं	हैं
,,	अन्तिम से ६	नूकसान	नुकसान
१८	६	सौ	सी
,,	१६	गुमर ह	गुमराह
,,	अन्तिम से ६	कायंवाही	कार्यवाही
१६	अन्तिम से ६	समुचे	समूचे
२०	२	आश्यासन	आश्वासन
२१-२२	शीर्षक	बीकानेर वा० व० के मजदूरों की -२४ सितम्त्रर, ६६--भूख हड़ताल पर चर्चा	बीकानेर वा० व० के म० को भू० ह० पर चर्चा-२४ सितम्बर १६६६-मेडिकल कालेजों में सीटें बढ़ाने पर सहायता
२२	अन्तिम से ३	अत: एत्र	" अतएव
२३	,, ,, ८	अन्त में	" अन्त में
,,	,, ,, १	राष्ट्रदूत	राष्ट्रदूत
,,	,, ,, २	का	को
२४	१	संकी	सकीं
,,	अन्तिम से ५	नहां	नहीं
,,	अन्तिम से १	राज्यपंला के	राज्यपाल के
२६	शीर्षक	२०	२६
२७-२८) २६-३०) ३१-३२)	शीर्षक	वि० स० के प्रतिवेदन के स० में सूचना-२४ सितम्बर, ६६-व वि० प्र० पर अध्यक्षीय निर्णय	टीनेन्सी बिल पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन में नोट ऑफ डिसेन्ट नहीं लेने पर चर्चा
२७	४	जोइंट	जॉइंट
,,	अन्तिम से ४	किसी	किन्हीं

(१)

१	२	३	४
२८	४	शामिल करना	शामिल न करना
,,	अन्तिम से १०	रिवेन्यू	रेवेन्यू
२६	अन्तिम से ११	कन्सट्रू	कन्सट्रू
३३	२	यह समस्या	इस समस्या ने
,,	४	स्थिति इसने धारण	स्थिति धारण
,,	१७	हैं	है
,	२३	है	हैं
३४	१	भूखमरी	भुखमरी
,,	६	बढ	बढ़
,,	६	तव	तब
,,	१२	वब	बढ़
,,	१३	बढ	बढ़
,,	१६	भूखमरी	भुखमरी
,,	,,	स्पष्टतया	स्पष्टतया
,,	२५	है	हैं
३७	अन्तिम	झूंठे	झूठे
३८	५	मुदृढ	सुदृढ़
,,	१०	इफीसियें	एफिशियेन्सी
,,	अन्तिम से ८	फोडर	फॉडर
३६	शीर्षक	स्थितिएवं	स्थिति एवं
,,	७	इन्‌इ सियेन्सी	इनएफिशियेन्सी
४०	अन्तिम से १३	पोप्‌ गन	पॉपुलेशन
४१	१६	डेस टव	डेस्ट्रक्टिव
४५	१	अ ाय	अनिवार्य
,,	५	रूढ़ीवाद	रूढिवाद
४६	१६	तालब	तालाब
५१	३२	कुचोक्र	कुचक्र
५४	२५	एसी	ऐसी
५८	२०	हास	ह्रास

१	२	३	४
५८	३२	संम्वध	सम्बंध
५९	६	नह	नहीं
,,	७	ग्रे स	ग्रेन्स
,,	८	आपीं	आप
५९ व ६०	२४ व २	इंगिशन	इरिगेशन
६०	२०	पिला	पिलाते
६३	१२	सम्वन्म	सम्बंध
७३	७	(जासोल)	(पचपदरा)
७९	१७	सलझ	समझ
८०	३१	सरक्युरल	सरक्यूलर
८४	४	बाद	बात
८७	१	नही	नहीं
८७	१	की	कि
९६	१०	अह	वह
९९	१६	स	से
,,	अन्तिम से २	ल ाले	वाले
१००	७	तयार	तैयार
१०५	१७	Cooperation	co-operation
१०६	अन्तिम से ९	एकप्रक्टिकल	एक प्रॅक्टिकल
११०	,, ,, ९	कूड	फूड
१११	,, ,, ८	आबश्यक	आवश्यक
,,	,,	हे	है
,,	,, ,, ४	मैं	में
,,	,, ,, ३	असेंशियल	इसेंशियल
११२	,, ,, १४	होडिंग	होडिंग
११४	१४	नही	नहीं
११७	१०	नही	नहीं
११९	४	करोड	करोड़
,,	अन्तिम से ८	नीतियें	नीतियां
,,	,, ,, १	वैलेन्स	वैलेन्स

१	२	३	४
१२१	६	आपको रिजर्व अन्न का रखना होगा	आपको अन्न को रिजर्व रखना होगा
१२६	अन्तिम से ६	madhya Pradesh	Madhya Pradesh
१३४	२७ व २८	colonistion	colonisation
१३८	अन्तिम से १	छूटकर	छुटकर
१४२	अन्तिम से ८	रूकावटें	रुकावटें
१४३	५	राजस्जान	राजस्थान
१४४	३	अवाज	अनाज
१४८	१	न हों	न हो
१४८	६	स्थिति	स्थिति
१४६	३	रहा हैं	रहा है
१५३	१	नाज	अनाज
,,	२	मुहैटया	मुहैय्या
,,	१८	हुइ है	हुई है
,,	अन्तिम से ७	डिपाटंमेंट	डिपार्टमेन्ट
१५४	६	सोवेनीर	सोविनियर
,,	१२	सिचित	सिंचित
१५६	१८	है	हैं
१५६	६	चादपोल	चांदपोल
,,	११	FR	FIR
१६१	अन्तिम से २	दृप्टि	दृष्टि
१६३	३	उाद्य	खाद्य
१६४	१	अल्दुल	अब्दुल
,,	१४	चलें	चल
,,	अन्तिम से ८	कि का अनाज	कि अनाज
१६५	अन्तिम से १४	निधारित	निर्धारित
१६८	अन्तिम से १०	आय	आप
१६६	अन्तिम से २	मुफाखोर	मुनाफाखोर
१७४	६	सामीने	सीमाएं
,,	अन्तिम से ५व६	कूडेड	कूड

१	२	३	४
१७६	७	जोड़, हैं जोड़ों	जोहड़ हैं, जोहड़ों
१८७	१३	ठार्व	वर्ष
१९०	१	एकढ़	एकड़
,,	अन्तिम से १६	एये	गये
,,	१३	बान	वार
१९३	५	आकाल	अकाल
१९४	१६	जग	अंग
१९७	१४	रह	कर
,,	१५	करते	करता
१९९	६	हनमें	हमने
,,	अन्तिम से ६	पर्सेंट	पर्सेन्ट
२०१	२	बर्सी	बरसी
,,	६	परसेंट	पर्सेन्ट
,,	१६	कर्मचारीयों	कर्म चारियों
,,	२७	डीपोज	डिपोज़
,,	अन्तिम	ताला दिया	ताला लगा दिया
२०२	१७	सुप्रिम	सुप्रीम
,,	२३	अज	आज
,,	२७	नाकार	नाकारा
,,	२६	जाईए	जाइए
,,	३५	मिलत	मिलता
,,	३६	मिलती	मिलती है
२०३	५	वेठे	बैठे
,,	१६	मण्डियी	मण्डियों
,,	१७	सीना	दिल
,,	२१	वेह्ली	देहली
२०४	२२	प्रोफिटेरिंग	प्रोफिटियरिंग
,,	२३	अडलटेशन	अडल्ट्रेशन
२०५	१५	भूमि-सुघार	भूमि-सुधार
,,	२१	बूनियादी	बुनियादी

१	२	३	४
२०५	अन्तिम	नीतियें	नीतियां
२०६	१	है	हैं
,,	४	हरेक	हरएक
,,	११	का	को
,,	१२	क्षीमती	श्रीमती
२१२	६	वनालेवोला	वनावोला
,,	१६	कोइ	कोई
२१७	,,	क वायदा	का वायदा
२२५	२०	में चाय	केन्टीन में
,,	१३	पूर्ण	पूर्ण
,,	३३	चैमाने	पैमाने
२२६	३२	दी गई	की गई
२२७	२०	अमाव	अभाव
२२६	,,	आपति	आपत्ति
२३०	२२	गर	पर
,,	२६	करकार	सरकार
२३१	शीर्षक	स्थिति	स्थिति एवं
२३२	१६	ग्रीर	ग्रौर
,,	१७	ट्रोवल	ट्रैविल
२३७	८	क्रर	कर
,,	१४	स्कूल	स्केल
,,	२६	वदकिस्मत	बदकिस्मती
२३८	शीर्षक	प्रकाल	ग्रकाल
२३६	२६	काम	कान
२४४	५	तूँवे	तूंबे
,,	६	लगेते	लगते
२५०	४	मैंने समझता हूं	मैंने, समझता हूं
२५७	अन्तिम से ६	पछना	पूछना
२५८	,, १४	किसान को,	किसान हो,
२६५	४	हम इस	है इस

१	२	३	४
२६५	१६	जायॅगे	जायेंगे
२६७	४	परसॅन्ट	पर्सेन्ट
,,	अन्तिम से ६	उतनी	उनकी
२६६	शीर्ष	(श्रा	(श्री
,,	२३	यहा	यहां
,,	२४	बाज	बीज
२७०	१	ह	है
,,	२	हिन्दुस्थान·······सिचाई	हिन्दुस्तान........सिचाई
,,	१३-१४	उपलव्ध	उपलब्ध
,,	१४	केपोसिटी	केपेसिटी
,,	१५	उपयोग करके का उपयोग	उपयोग करके
२७१	४	य दि तीव्र	यदि तीव्र
,,	११	करन	करना
२७२	स्कम्भ	[१७२	[२७२
,,	६	प्रॉबलम	प्रोब्लम
,,	,,	वर्निग	बर्निंग
,,	१३	राजनेतिक	राजनैतिक
,,	अन्तिम से २	श्री श्रलणलाल	श्री श्रवणलाल
२७३	अन्तिम से ६	मिर्घा	मिर्धा
,,	,, ,, ४	सत्तर	सत्तर
२७५	३	नही	नहीं
,,	८	हे	है
,,	अन्तिम से ३	महत्वपर्ण	महत्वपूर्ण
२८०	१	रोक।	रोका
,,	४	मरते	भरते
२८१	२	यह् त	यह तो
,,	६	र	और
,,	१८	स में	इस में
,,	अन्तिम से ६	हु।	हुआ
२६०	८	इम्पोटेन्ट	इम्पोर्टेंड

१	२	३	४
२९०	अन्तिम से ७	उनर्की	उनको
„	„ „ ६	मा	भी
२९२	११	कोइन्ड	कोर्डन
२९४	१०	बनना	बनाना
„	अन्तिम से ९	स्ट्रेंथ	स्ट्रेन्थ
२९५	७	पजाब का	पंजाब में
„	अन्तिम से १२	स्मगगिल	स्मगलिंग
२९८	१३	कानुन	कानून
३०२	स्कम्भ	[३०	[३०२
	११	खरीदये	खरीदिये
५	अन्तिम से १२	क	का
९	४	इम्पोर्टेन्ड	इम्पोर्टेड
	१०	एक	तक
	अन्तिम से ७	सुन ल	सुनलें
	११	अजमर	अजमेर
	०	जातना	जानता
	१२	एरया	एरिया
	अन्तिम से ११	सिफ	सिर्फ
	शीर्ष	श्री नथूराम	श्री नाथूराम
	११	कमा	कमी
	१०	निवदत	निवेदन
	स्कम्भ	[३३	[३३४
	६	प्रात: ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती हैं ।	सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक २६–९–६६ को प्रात: ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।